राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का ७८ वां दिवस [संख्या ३६

गुरुवार, दिनांक ४ अप्रेल, १६६८.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, गृह, सार्वजनिक निर्माण, सहकार, मुद्रणालय, कृषि, स्वायत्त शासन, यातायात, चिकित्सा, विकास एवं पशुपालन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

लाखेरी में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला

१०६४. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में श्मशान की भूमि के पास राजकीय पड़त भूमि पर जिसमें सती का चबूतरा व श्री महादेव का चबूतरा बना हुआ है कुछ लोगों ने बाड़ लगाकर नाजायज कब्जा कर लिया था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु वाड़ हटाने के लिये जब म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी मौके पर गये तो वहां पर उनके साथ मारपीट की गई और सेक्रेटरी को लाठियों से पीटा गया ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन लाखेरी को सहायता हेतु लिखा गया था और यह घटना पुलिस के सिपाहियों के सामने हुई थी ?

(४) क्या यह सही है कि पुलिस में मारपीट करने की रिपोर्ट होने के बाद उक्त व्यक्तियों व महिलाओं, जो इस मारपीट में शामिल थीं, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा कलेक्टर बून्दी व एस० पी० को भी उचित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया था ?

उप गृह मंत्री (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां

(२) जी हां। दिनांक १२-४-६७ को ८.१५ बजे सचिव नगरपालिका, लाखेरी

Page No. 2

(श्री खेतसिंह)

मय जमादार नगरपालिका एवं कान्स्टेबिल पुलिस के राजकीय पड़त भूमि पर गये वहां पर जगन्नाथ तमोली ने नगरपालिका के कर्मचारी से मारपीट की और सचिव नगरपालिका को लकड़ी से मारपीट की व उन्हें बाड़ नहीं हटाने दी । इस घटना की सूचना सचिव नगरपालिका ने थाना लाखेरी पर की जिस पर अभियोग नं० १६।६७ धारा ३३२ भा० द० सं० थाना लाखेरी में कायम होकर तफतीश हुई और अभियोग का चालान न्यायालय में किया गया जो जेर तजवीज न्यायालय है ।

(३) जी हां नगरपालिका ने थाना लाखेरी को सहायता हेतु लिखा था । थाना के कान्स्टेबिल सहायता हेतु घटनास्थल पर सचिव नगरपालिका के साथ गया था घटना उसके समक्ष हुई थी । इस घटना पर उपरोक्त वर्णित अपराध दर्ज हुआ है ।

(४) जी नहीं । अपराध नं० १६।६७ धारा ३३२ भा० द० सं० जिसमें केवल एक अभियुक्त था । इनके अतिरिक्त श्री भंवरलाल जमादार ने भी १२–४–६७ को एक रिपोर्ट थाने पर यह की थी कि वह उक्त तारीख को ३ बजे दिन जब उक्त भूमि पर से बाड़ हटाने गया तो उसको दौलतराम, गणपतलाल हजारीलाल, जगन्नाथ, श्री किशन, रामनाथ, पन्नालाल, बंशीधर, चौथमल, रामनारायण गोरधन, नन्दकुंवर गोपालीबाई व केशर चौदह व्यक्तियों एवं महिलाओं द्वारा धक्के मारे गये व बाड़ नहीं हटाने दी । इस रिपोर्ट पर दूसरा अभियोग नं० १८।६७ धारा १४७।३५३ भा० द० सं० थाना लाखेरी पर कायम होकर तफतीश की गई । तफतीश से यह रिपोर्ट असत्य पाई गई । अतः इस अभियोग में फाइनल रिपोर्ट दिनांक १६।११।६७ को देदी गई । थानेदार एवं नायब थानेदार द्वारा सही कानूनी कार्यवाही करना पाया जाता है व अपराधियों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(५) जी हां अधीक्षक के समक्ष शिकायत होने पर उन्होंने थाना लाखेरी एवं वृत्त अधिकारी को कानूनी कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये थे ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ।

रोडवेज के निलम्बित कर्मचारी

१०६५. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) इस समय रोडवेज के कुल कितने कर्मचारी निलम्बित हैं ?

(२) ये कर्मचारी कब कब से निलम्बित हुये ?

(३) इन कर्मचारियों में से कितनों को चार्जशीट दे दी गई है ?

(४) जिन्हें चार्जशीट नहीं दी गई है उनके कारण क्या हैं और उन्हें कब तक दे दी जायगी ?

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (१) दिनांक १५-१-६८ तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कुल १७१ कर्मचारी निलम्बित थे।

(२) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(३) इनमें से ६५ कर्मचारियों को आरोप पत्र दिये जा चुके हैं।

(४) आरोप पत्र अब तक नहीं दिये जाने का कारण यह है कि अधिकतर निलम्बित कर्मचारी राज्य सरकार के समय के हैं, जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं। अतः इन पर निगम के नियम लागू न होकर राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं। आशा है कि बाकी कर्मचारियों को भी शीघ्र आरोप पत्र दे दिये जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि ६७ कर्मचारी जो ससपेन्ड किये गये ६६ में उनको अभी तक चार्ज शीट नहीं दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव : इस प्रश्न का जवाब आखिरी पैरे में दे चुका हूं।

श्री विजयसिंह रावत : ६५-६६ में जो कर्मचारी सस्पेन्ड किये गये उनमें से जो कर्मचारी राज्य सेवा से आये थे उनके खिलाफ निगम के कानूनों के अनुसार कार्यवाही नहीं हो सकती थी तो क्या ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको चार्ज शीट नहीं दी गई, अगर हां तो उसके क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव : आपने मेरा जवाब सुना नहीं। दो तरह के कर्मचारी हैं जहां तक निगम कर्मचारियों का सम्बन्ध था उनको चार्ज शीट दे दी गई और जो राज्य के कर्मचारी थे और निगम में प्रतिनियुक्त थे उनके लिये विलम्ब हुआ।

श्री विजयसिंह रावत : क्या कॉरपोरेशन ने ऐसे नियम बनाये हैं जिससे यह विलम्ब की स्थिति न आये ?

श्री अमृतलाल यादव : जो कसूर करते हैं वे निलम्बित होते रहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब छः महीने के अन्दर अन्दर चार्ज शीट देना लाजमी है फिर क्यों नहीं दी गई ?

श्री विजयसिंह रावत : आज तक यह नियम नहीं बनाया जो कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन हैं वैसे कर्मचारियों को किस प्रकार से चार्ज शीट दी जा सकती है। कर्मचारी सस्पेन्ड पड़े रहते हैं न उनको निगम चार्ज शीट देता है और न राज्य सरकार। आप नियमों में संशोधन करें या गवर्नमेन्ट एक्शन ले। एक कर्मचारी को साठ दिन के अन्दर अन्दर चार्ज शीट मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण है मंत्री महोदय ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं स्पष्ट कह चुका हूं जो निगम के कर्मचारी थे उनको चार्ज शीट दे दी गई और जो राज्य सेवा में थे उनको देने में विलम्ब हुआ है जिनको देनी रह गई है उनको शीघ्र दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अभी जो हाई कोर्ट से जजमेन्ट हुआ उसके अनुसार यह फैसला होने पर वे सब कर्मचारी जो राज्य सेवा के हैं उनको निगम नहीं निकाल सकता उनको भी निगम कर्मचारी माना जाय ? इस फैसले के अनुरूप अब जल्दी इनको चार्जशीट दे देगी ?

श्री अमृतलाल यादव : यह तो मैंने निवेदन कर दिया चार्ज शीट देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सस्पेन्शन पीरियेड के अन्दर क्या लिविंग अलाउन्स मिलता है ?

श्री अमृतलाल यादव : नियमों के अनुसार मिलता है।

श्री विजयसिंह रावत : निगम को चार्जशीट देने का अधिकार नहीं है तो सस्पेन्ड करने का क्या अधिकार है ? आप यह कहते है कि निगम उनको चार्ज शीट नहीं दे सकता जब कि ६० दिन में चार्ज शीट देने का प्रावधान है इसमें १९६५ में जो कर्मचारी सस्पेन्ड हो गये थे उनको अभी तक नहीं दी गई ? बाबू भाई सोनी, इसको अब तक चार्ज शीट नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : इसका आश्वासन दे दिया है माननीय मन्त्री ने। दे दिया जावेगा। आगे अन्य प्रश्न। श्रीमती मदनकौर।

ग्राम जसौल की जल प्रदाय योजना

१०९६. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : (१) क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की जल प्रदाय योजना गत तीन माह में कितने दिन बन्द रही ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की जल प्रदाय योजना के दोनों कुओं के लिये बिजली की दो मोटरें वहां काफी समय से पड़ी हैं और विद्युत लाइन कुओं के पास आ चुकी है ?

(३) उक्त मोटरों के कुओं पर फिट नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और अब ये कब तक फिट कर दी जावेगी ?

राज्य मन्त्री जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) गत दिसम्बर से ग्राम जसोल की जल प्रदाय योजना निम्नलिखित समय तक बन्द रही।

१८ दिसम्बर १९६७ से २ फरवरी १९६८ तक।

१८ व १९ फरवरी, १९६८

११ व १२ मार्च १९६८

(श्रीमती सुमित्रा)

(२) यह सही है कि जसोल ग्राम के दोनों कुओं पर बिजली की मोटर अगस्त १९६७ से लगी हुई है व बिजली की लाइन कुए के पास खींची जा चुकी है।

(३) इन बिजली की मोटरों के लगने के तुरन्त पश्चात् लूनी नदी में बाढ आ जाने से दोनों मोटरें पानी में डूब गईं व पानी का स्तर कुओं में कम होने के पश्चात् ही उनको निकाला गया तथा मरम्मत करवाकर एक मोटर ७।३।६८ को पुन: कुए पर लगा दी गई है व दूसरे कुए पर काम जारी है तथा वह १५ दिन में समाप्त कर दिया जावेगा।

श्रीमती मदनकौर : मैं पूछना चाहूंगी कि जसोल की जल प्रदाय योजना आज चालू है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां। इस समय जल वितरण का काम जारी है।

श्रीमती मदनकौर : यह बिलकुल गलत सूचना है, अध्यक्ष महोदय। काफी अर्से से यह योजना बन्द पड़ी है। अभी पास ही तिलवाड़ा का पशु मेला लगा था और उसमें काफी शिकायतें की गई थीं कि पशुओं को पीने का पानी नहीं मिला। उस गांव में दो ही कुए हैं और इन दोनों कुओं पर मशीनें फिट हैं। ऐसी सूरत में पानी खींचकर भी नहीं निकाला जा सकता।

श्री अध्यक्ष : और स्पष्टीकरण कर दें।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया है वह ठीक है। हालांकि १॥ महीने तक जल वितरण योजना का काम बन्द रहा। इसका कारण था। डीजल पम्पिंग सैट खराब हो जाता है तो जसोल जैसे छोटे गांव में न तो रिपेयर हो सकता है, न स्पेअर पार्ट मिल सकते हैं, न मैकेनिक उपलब्ध हो सकता है, इसलिये इसके काम के लिये जोधपुर जाना पड़ता है और वहां से सामान आदि मंगाना पड़ता है। तो इसमें देरी की सम्भावना होती है।

फिलहाल जल वितरण का काम चालू है जैसा मैंने निवेदन किया। बिजली आ जाने से दूसरा भी पंपिंग सैट फिट कर दिया जावेगा। इस प्रकार १५ दिन में जल वितरण का काम चालू कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा कर्जो की वसूली

१०९७, श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिन वर्षों में राज्य में अकाल था उन वर्षों में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सहकारी समितियों से कर्जो की वसूली स्थगित रखी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि जिस कर्जे की वसूली स्थगित की गई थी उसे ओवर ड्यू बता कर १२ या १३ प्रतिशत ब्याज वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No. 6

(श्री हीराभाई)

(३) क्या सरकार इस प्रकार की वसूली रोकने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री, सहकार विभाग (श्री रामदेवसिंह) : इसे स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या आधार है ?

श्री रामदेवसिंह : अभी इसकी सूचना नहीं आई है।

श्री हीराभाई : यह क्या हुआ ? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष विवश है। क्या करूं इस वक्त। मैं उनको मजबूर करूंगा तो ये मौन हो जावेंगे।

श्री हीराभाई : यह १२॥ पर्सेन्ट का सवाल है, सरकारी कर्जो से जनता दबी हुई है। अकाल के नाम से वहां जनता का शोषण किया जा रहा है, विरोधियों के क्षेत्रों में ये तबाही मचाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्योंकि उत्तर नहीं है इसलिये पूरक प्रश्न भी पैदा नहीं होते।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, चाहें तो इनको मुर्गा बना सकते हैं।

बैलट पेपर की छपाई

१०६८. **श्री रमानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या मुद्रणालय विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत चौथे आम चुनाव के लिए राजकीय मुद्रणालय, अलवर में कौन कौन से चुनाव क्षेत्र के बैलट पेपर छपवाये गये थे। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के बैलट पेपरों में कितना कितना कागज खर्च हुआ था ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) राजकीय मुद्रणालय, अलवर को कुल कितना कागज बैलट पेपर को छपाने के लिए सप्लाई किया गया था ? उसमें से कितना कागज खर्च हुआ और कितना कागज प्रेस में बाकी बचा ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ चुनाव क्षेत्रों के बेलट पेपर दुबारा भी छपवाये गये ? यदि हां तो किस किस चुनाव क्षेत्र के दोबारा छपवाए गए ? दोबारा छपवाने के क्या कारण थे ?

(४) क्या यह सही है कि इन चौथे आम चुनावों के लिए छपे बैलट पेपरों में गडवडी होने की शिकायत सहायक अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, अलवर ने डाइरेक्टर प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमेन्ट से की थी ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी ?

(५) क्या यह सही है कि सहायक अधीक्षक अलवर ने अपने पत्र संख्या ६६७ दिनांक २१-२-६७ द्वारा कुछ कर्मचारियों पर बैलट पेपरों में गड़बड़ करने का आरोप लगाया था ? कृपया उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें।

(६) क्या सरकार ने उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कोई जांच की और किन्हीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिकारियों के या कर्मचारियों के खिलाफ यह शिकायत सही पाई गई ? क्या किन्हीं कर्मचारियों के खिलाफ इस सम्बन्ध में कोई एक्शन लिया गया था ? यदि हां, तो क्या ?

उपमन्त्री, मुद्रणालय विभाग (श्री माधोसिंह) (१) सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी है।

(२) इसका विवरण सूची आ में दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(३) कठूमर व्हरोड़ खैरथल तिजारा थानागाजी धौलपुर भरतपुर अलवर व रामगढ़ क्षेत्रों के बैलट पेपर दुबारा छपवाये गये थे क्योंकि नम्बरिंग गलत छप गये थे और कुछ कर्मचारियों ने जान बूझकर गड़बड़ की थी। इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

(४) जी हाँ।

(५) पत्र की प्रति संलग्न है।

(६) दिनांक १५-२-६७ को सर्व श्री रामलहरी एवं बनवारीलाल को सस्पेण्ड के आदेश दे दिये थे परन्तु उसके बाद सहायक अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, अलवर ने दिनांक १७-२-६७ को लिखा कि इनको सस्पेण्ड न किया जाय और विभागीय जांच जारी की जाय। इसके अनुसार इनको वहाल किया गया। जांच अभी जारी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न के भाग दो के उत्तर में आपने सूची दी है इस सूची में यह पूछा था कि कितने का कागज था, उनको सप्लाई कितना कागज किया गया था और कितना कागज खर्च हुआ ? आपने सप्लाई किये जाने की सूचना नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : कितना भेजा, कितना बचा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रेस को कितना प्राप्त हुआ, प्राप्त होना अलग बात है, सप्लाई करना अलग बात है। कितना सप्लाई किया गया, क्या जितना सप्लाई किया वह सब प्रेस को मिल गया; या उतना न होकर उससे कम हुआ ?

श्री माधोसिंह : उन आदमियों को सस्पेण्ड किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह प्रश्न तो आगे आवेगा। इस प्रेस को बैलट पेपर छापने के लिये गवर्नमेन्ट से जितना पेपर सप्लाई किया गया था उतना प्राप्त नहीं हुआ क्या यह तथ्य सही है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं। आपका कहना सही नहीं है। जो कागज दिया वह प्रेस को प्राप्त हुआ और इसके अन्दर फिर गड़बड़ी हुई उसकी जाँच हो रही है।

Page No. 8

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप क्या यह निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जितना कागज सप्लाई किया गया था उतना ही सब का सब प्राप्त हो गया था ?

श्री अध्यक्ष : निश्चित रूप से आप अपने कागजों को देखकर बताएं कि कागज जितना दिया गया या भेजा गया उतना पूरा का पूरा प्राप्त हो गया वहां प्रेस को ?

श्री माधोसिंह : मैंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह भी निश्चित रूप से आप अपनी अक्ल से जवाब दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रीजम्पशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, गुड्स स्टेशन मास्टर अलवर को सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंन्ट प्रेस अलवर ने १७-५-६७ को पत्र लिखा कि आर० आर० नम्बर ७५५८७९ तारीख ५-१२-६६ में १८-१-६७ को पांच बण्डल कागज भेजे थे जिसमें ३३० किलो ग्राम कम है और २१ रीम १० शीट कम हैं । यह इतना कम कागज मिला है इस प्रकार की चिट्ठी अलवर के प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी से आपके सुपरिन्टेन्डेन्ट को प्राप्त हुई है क्या यह बात सही है।

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। जानकारी करके उत्तर दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी माननीय मन्त्रीजी ने यह निश्चित तौर से कहा कि जितना हमने भेजा उतना उनको मिल गया। क्वेश्चन यह था कि बीच में से बैलट पेपर गायब हुए। उन बैलट पेपरों को कहां पर छपवाया गया यह क्वेश्चन है आगे। उसमें यह कहा गया, कुछ कर्मचारियों ने गड़बड़ की। यह भी कहा गया। उस पेपर को स्टेशन से चुराया गया और कहीं और छपवाया गया। बैलट पेपर सरकार ने और छपवाये। यह सारी शिकायत है। इसका जवाब दें।

श्री माधोसिंह : मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक विशेष नम्बर आर० आर० का देकर पत्र का हवाला दिया गया। अब उस पत्र की जानकारी रखते नहीं। जानकारी रखकर ही जवाब दिया जा सकता है। अब तक तो अटल हैं ये कि नहीं दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिये इसे कल के लिये स्थगित कर दीजिये। वे फाइल देखकर बता देंगे । फाइल उनके पास है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो अभी मौका दे दूंगा। जानकारी कर लें।

श्री माधोसिंह : चोरी नहीं हुआ है। मिसप्लेसमेन्ट से कागज पीछे रह गये हों। यह ठीक है प्रेस में गड़बड़ हो सकती है, इसकी जांच जारी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा बैलट पेपर छपवाये गये। विना गड़बड़ी हुए यह कैसे हो सकता है। इसका भी पता आपको नहीं।

मैं समझता हूँ माननीय मन्त्रीजी को यह तो पता है कि कहां पर गड़बड़ी हुई है। कौन से क्षेत्र के बारे में गड़बड़ी की ?

श्री माधोसिंह : आप जहां से जीतकर आये हैं बैलट पेपर की गड़बड़ी से जीतकर नहीं आये हैं। गड़बड़ी होती तो आप जीतकर कैसे आ सकते थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपकी मान्यता ठीक हो सकती है। ऐसा लगता है आप लोग ऐसी ही गड़बड़ियों से जीत कर आये हैं। ऐसी गड़बड़ी आप जहां नहीं कर सके वहां से आप जीतकर नहीं आ सके।

पर मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जितना पेपर सप्लाई किया गया उतना पेपर प्रेस में प्राप्त नहीं हुआ और उसका मैंने एक प्रूफ दिया। एक आर० आर० में कम पेपर निकला। डाकूमेन्ट है, लिखा हुआ है। आप जानकारी कर लें। अभी भी कर लें। फाइल आपके पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछ लीजिये। मैं इसको पीछे लेता हूं। इसके अलावा अन्य पूरक प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे इसके ऊपर ही आधारित हैं। इसका मतलब है कल भी उत्तर नहीं आवेगा और फिर सदन स्थगित हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री को मैं मौका दे दूँगा अन्दर जाकर जानकारी कर लें आर० आर० के सम्बन्ध में अगर कोई हो तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह क्रुसियल पोइन्ट है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह क्रुसियल पोइन्ट है माननीय मन्त्री महोदय ? आप समझ लें। अगर समय हुआ तो इसे वापिस लेने का इसी समय में मैं प्रयत्न करूंगा।

नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह एवं श्री श्रवणलाल।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

१०६६. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) श्री श्रवणलाल, (हिन्डौन) श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) परिवार नियोजन योजना को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने क्या प्रशासनिक व्यवस्था की है और क्या अधिक सुविधाएं दी हैं जिससे यह कार्य व्यावहारिक दृष्टि से कामयाबी हासिल कर सके ?

(२) परिवार नियोजन कार्यक्रय को चलाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी व डाक्टर के अधिकारों का किस प्रकार एडजस्टमेन्ट

Page No. 10

(श्री जुझारसिंह)

किया गया है और क्या यह सही है कि मौजूदा इन्तजाम से स्थान स्थान पर इन विभागाधिकारियों में आपस में सामन्जस्य नहीं बैठ पाने के कारण काम प्रगति नहीं कर पा रहा है ?

(३) परिवार नियोजन कार्यक्रम में भारत सरकार से कितनी सहायता दी जा रही है और राज्य सरकार को क्या खर्च करना पड़ रहा है ?

(४) सबसे गरीब व सबसे ज्यादा पिछड़े वर्गों में इस योजना को लोकप्रिय करने के लिए सरकार ने अब तक क्या विशेष प्रयास किये हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है ?

(५) परिवार नियोजन पर राजस्थान में जिले वाइज १ अप्रेल, १९६६ से ३१-१२-६७ तक किस किस मद में कितना कितना खर्च हुआ है ?

(६) कितनी महिलाओं ने लूप लगवाये हैं और कितनों ने नसबन्दी करवाई है ? और प्रति व्यक्ति औसतन कितना खर्चा हुआ है ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (१) पहले राजस्थान में परिवार नियोजन कार्य के लिए कोई पृथक स्टाफ जिला स्तर पर स्वीकृत नहीं था और परिवार नियोजन का कार्य जिला व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा देखभाल किया जाता था। परिवार नियोजन योजना को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पैटर्न के अनुसार अब सभी पद राज्य सरकार द्वारा २६ रेवेन्यू जिलों में सृजित किये जा चुके है।

कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला परिवार नियोजन ब्यूरो पर एक जिला परिवार नियोजन अधिकारी व एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की है। इसके अलावा इस कार्य को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा निम्न व्यवस्थायें की गई हैं :—

१. परिवार नियोजन बोर्ड के स्थान पर भारत सरकार के आदेशानुसार परिवार नियोजन कौंसिल की स्थापना की गई है।

२. मंत्री स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष हैं।

३. राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया है जो कि राज्य स्तर पर इसके कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है।

४. राज्य स्तर पर शिक्षा समन्वय कमेटी का निर्माण किया गया है जो परिवार नियोजन संबंधी प्रोग्राम विस्तार पर विज्ञापन की सामग्री आदि का मसाला तैयार कर इस प्रोग्राम में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करेगी।

५. कार्य की प्रगति के ब्यौरे का अवलोकन करने के लिए जिला व विकास खण्ड पर सब कमेटियां बनाई गई हैं।

(श्री मती सुमित्रा)

६. प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनर्स को परिवार नियोजन प्रोग्राम में सम्मिलित करने हेतु जिला स्तर पर तकनीकी कमेटियां बनाने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह कमेटी अभी ४ स्थानों पर बन ई जा चुकी है। शेष स्थानों पर ऐसी कमेटियां बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

७. परिवार नियोजन प्रचार हेतु सरकार द्वारा तीन कठपुतली पार्टी नियुक्त की गई हैं जो जगह जगह जाकर परिवार नियोजन सम्बन्धी खेल करती हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने परिवार नियोजन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करना स्वीकृत किया है :

चिकित्सा अधिकारी को १०० रु० प्रति मास नान-प्रेक्टिसिंग अलाउन्स······

माननीय उपाध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष : उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बा उत्तर है और सूची संलग्न कर दी गई है जो भी माननीय सदस्य को पूछना हो वह पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : आप उसको संक्षिप्त में कर दीजिए। इसके लिए आप पहले ही प्रिकाशन्स ले लेते।

श्रीमती सुमित्रा : क्या करूं मैं ?...

श्री अध्यक्ष : आप जैसा उचित समझें संक्षेप में कर दें।

श्रीमती सुमित्रा : मोबाइल टीम में काम करने वालों को महिला चिकित्सा अधिकारी को ५० रु० प्रति मास अतिरिक्त अलाउन्स दिया जाता है। लेडी नर्स व सिस्टर को ५० रु० प्रति मास अतिरिक्त अलाउन्स दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने आई० यू० सी० डी० एवं स्टेरेलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करना स्वीकृत किया है और इस संबंध में पहले जैसी चर्चा आ चुकी है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि लूप प्रविष्टि कराने वाली महिला को क्षति पूरक धनराशि के रूप में ५ रु० प्रति केस दिया जाता है, महिला को आने जाने हेतु व्यय के रूप में याने ट्रांसपोर्टेशन के २ रु०, लूप लगवाने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करने वाले पुरुषों या महिला को प्रेरक धनराशि के रूप मे २ रु०, महिला चिकित्सक को १)५० रु० नर्स, दाई तथा स्टाफ नर्स को, ०)५० रु० आदि आदि····

(२) परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने हेतु राज्य सरकार ने जिला परिवार नियोजन ब्यूरो पर एक जिला परिवार नियोजन अधिकारी तथा एक प्रशासनिक अधिकारी आर० ए० एस० केडर को नियुक्त किया है और उनके कार्यों का अलग अलग बंटवारा किया गया है। यह सही है कि इन दोनों अधिकारियों में आपस में तालमेल न होने की वजह से कई जगह से

(श्रीमती सुमित्रा)

रिपोर्ट प्राप्त हुई है परन्तु कार्य में कोई अड़चन पैदा नहीं हो रही है।

(३) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा ६० प्रतिशत आवर्त के मदों के लिये एवं शत प्रतिशत अनावर्त के मदों एवं कन्ट्रासेप्टीव वंध्याकरण सुविधा, प्रशिक्षण एजूकेशन रिसर्च के मदों के लिए सहायता दी जाती है। बाकी खर्च राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। इस चालू वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर होने वाले खर्च के लिए भारत सरकार ने १२७.२८ लाख एवं राज्य सरकार ने ५ लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

(४) इस प्रकार की कोई विशेष योजना सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी परिवार नियोजन का कार्यक्रम हर जिले में प्रत्येक जिला परिवार नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला परिवार नियोजन अधिकारी जयपुर को आदेश दिये जा चुके हैं कि वे हरिजन तथा मजदूर बस्तियों में प्रचार एवं मोटीवेशन कार्य शुरू करें।

(५) परिवार नियोजन पर राजस्थान में जिलेवार १ अप्रेल, ६६ से ३१-१२-६७ तक जिस जिस मद में जितना खर्च हुआ है संलग्न तालिका में दिखाया गया है।

(६) राजस्थान में १-४-६६ से ३१-१२-६७ तक कुल लूप व नसबन्दी निम्न प्रकार हुई है :—

	लूप की संख्या	नसबन्दी की संख्या
१-४-६६ से ३१-३-६७ तक	१५५७७	८२१२
१-४-६७ से ३१-१२-६७ तक	१८३२७	२७०९६

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत खर्चा लगभग १३५.३२ आता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री जुझारसिंह : जो आपने टोटल फिगर्स बताई परिवार नियोजन की उसके लिए टारगेट कितना था और एचीवमेन्ट कितना है ? कितने पर्सेन्ट है एचीवमेन्ट ?

श्रीमती सुमित्रा : यह बात तो सही है कि हम टारगेट्स को एचीव नहीं कर पाये।

श्री जुझारसिंह : आपने टारगेट फिक्स किया है वह क्या है ? कितना टारगेट था एचीवमेन्ट का ?

श्रीमती सुमित्रा : टोटल टारगेट तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन जैसा मैंने बताया कि यह सही है कि टारगेट्स एचीव नहीं कर पाये। ५० पर्सेन्ट एचीव नहीं हुए हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जो आपने लिस्ट दी और आंकड़ों के अनुसार

Page No. 13

(श्री श्रवणलाल)

बताया कि एक लूप या नसबन्दी के ऊपर करीब ६३५ रुपया और कुछ नया पैसा आया है आपके औसत के अनुसार और अगर मेरे औसत को देखा जाये तो उसके अनुसार यह सौ रुपये से ज्यादा बैठेगा....

श्रीमती सुमित्रा : १३५.३२ आया है।

श्री श्रवणलाल : जिस प्रकार से मंत्री महोदय अपने प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दी हुई लिस्ट के अनुसार ही मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने लूप की संख्या ३३६०४ बताई है और नसबन्दी की संख्या ३५३०८ बताई और इन्होंने औसत बताया है ६३५.३२ जब कि खर्च का आंकड़ा आपने बताया है ४८ लाख रुपया....

श्रीमती सुमित्रा : वह १३५.३२ है न कि ६३५.३२.

श्री श्रवणलाल : इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें लिखा है ६३५.३२। मैं किस को गलत समझूं लिस्ट को या....

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, यहां अध्यक्ष बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है कि माननीय सदस्य के पास करेक्टेड सूची नहीं पहुंची हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं लेकिन वह ६३५ नहीं है १३५.३२ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार से रेकरिंग सेन्ट पर्सेन्ट और नान-रेकरिंग में ६० पर्सेन्ट खर्चा दिया जाता है ?

श्रीमती सुमित्रा : रेकरिंग खर्चा तो ६० पर्सेन्ट मिलता है आप उल्टा कह रहे हैं और नान-रेकरिंग शत प्रतिशत मिलता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने इस डिपार्टमेन्ट के लिए कोई पैटर्न स्वीकार करके भेजा था जिसके अनुसार प्रत्येक जिले के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, दूसरा पब्लिसिटी आफिसर और तीसरा सर्जीकल आफिसर होना चाहिए था ?

श्रीमती सुमित्रा : गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के पैटर्न के मुताबिक ही स्टाफ सब जगह स्वीकृत होकर पोस्टिंग की गई हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : केन्द्रीय सरकार के पैटर्न के अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर और पब्लिसिटी आफिसर का ग्रेड २२५-४५० पर निश्चित किया गया था राज्य सरकार ने तो दो पोस्टों को खत्म करके केवल एक पोस्ट निश्चित की है आर० ए० एस० आफिसर को उस जगह पर एब्जार्ब किया गया है ? दो को मिलाकर एक पोस्ट क्रियेट की गई है ?

Page No. 14

श्रीमती सुमित्रा : इस समय तो जितने परिवार नियोजन ब्यूरो हैं सब जगह ग्रार० ए० एस० ग्राफिसर ही लगे हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने स्पष्ट पूछा है कि क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने फेमिली प्लानिंग के लिए पैटर्न स्वीकार करके भेजा था उसके ग्रनुसार प्रत्येक जिले में यह ३ ग्रधिकारी होने चाहिए एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राफिसर, जिसका ग्रेड २२५-४५० है, दूसरा पब्लिसिटी ग्राफिसर जिसका ग्रेड भी २२५-४५० है ग्रौर तीसरा सर्जीकल ग्राफिसर ? तो यह दो पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राफिसर ग्रौर पब्लिसिटी ग्राफिसर जिसका ग्रेड २२५-४५० पैटर्न के ग्रनुसार ही किया गया था राज्य सरकार ने दोनों को समाप्त करके केवल एक पोस्ट करके ग्रार० ए० एस० ग्राफिसर को एब्जार्ब किया है वह क्रियेट की है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां, यह बात सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कारण था जिसके कारण केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो पैटर्न स्वीकार किया गया था उसमें चेन्ज करके २ की जगह १ ही ग्रार० ए० एस० ग्राफिसर लगाया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने कहा कि यह सही है। उसका कारण था कि पब्लिसिटी ग्राफिसर ग्रलग नियुक्त किये जाने की हम लोगों ने ग्रावश्यकता नहीं समझी थी इसलिए कि पब्लिसिटी का काम भी ग्रार० ए० एस० ग्राफिसर ही करता रहेगा ग्रौर जो स्टाफ लगा रखा है वह करता रहेगा। इसलिए दोनों मिलाकर एक ही ग्रादमी, जो ज्यादा वरिष्ठ है ग्रौर ग्रार० ए० एस० कैडर का है, इस जगह पर लगाया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो ग्रार० ए० एस० के प्रशासनिक ग्रधिकारी ग्रापने नियुक्त किये हैं उनको न तो लीव ग्रांट करने का ग्रधिकार है, न किसी को ग्रपोइन्ट करने का ग्रधिकार है ग्रौर प्रशासन की दृष्टि से कोई भी ग्रधिकार उनको प्राप्त नहीं है ग्रौर सारे के सारे ग्रधिकार वहां के डिस्ट्रिक्ट फेमिली प्लानिंग ग्राफिसर को हैं।

श्रीमती सुमित्रा : जी हां, यह सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो फिर किस प्रकार ग्रापने दो पोस्ट को समाप्त करके एक पोस्ट को ही रखा ?

श्रीमती सुमित्रा : जैसे जैसे कोई कठिनाई ग्राती है वैसे वैसे उसको दुरुस्त कर रहे हैं। सुझाव यह था कि ग्रार० ए० एस० का ग्रधिकारी होगा तो प्रशासन को ग्रच्छी तरह से चला पायेगा ग्रौर मूवमेंट को ज्यादा गति मिल पायेगी, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां ग्रनुभव हो रही हैं वैसे वैसे राज्य सरकार ध्यान दे रही है ग्रौर उसी तरीके से तरमीम कर देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रन्य प्रश्न।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Page No. 15

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री जुझार सिंह ।

श्री जुझारसिंह : मैंने पूछा है कि क्या राज्य सरकार ने इस तरह की सर्वे कराई हैं कि कौन में वर्ग में परिवार नियोजन की ज्यादा आवश्यकता है और उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने हिदायतें जारी की हैं कि फैमिली प्लानिंग के अन्दर नसबन्दी कराने वाले तथा परिवार नियोजन के लिए कंट्रासेप्टिव जिनको डिस्टीब्यूट किये जाते हैं उनका रेकार्ड रखें कि सोसायटी के किस वर्ग से वे आते हैं, किस इन-कम ग्रुप के हैं और क्या कास्ट है, ये सब आंकड़े इकट्ठे किये जायें ताकि हमें पता लग सके ।

श्री अध्यक्ष : ये आंकड़े इकट्ठे हो गये हैं क्या कि कौन से वर्ग के लोग हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : अभी इकट्ठे नहीं हो सके ।

श्री श्रवणलाल : जैसा कि मंत्री महोदया ने प्रश्न संख्या १ के उत्तर में बताया कि कमेटी का निर्माण किया गया है । तो इन कमेटियों का निर्माण कब किया गया और उनके कार्यकाल में इस फैमिली प्लानिंग ने क्या काम किया और और क्या प्रगति की ? दूसरा आपने कहा कि कठपुतली कमेटी बनाई है तो ये कठपुतली कमेटियां क्या काम करती हैं ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : नाच करती हैं ।

श्रीमती सुमित्रा : परिवार नियोजन को पूरी तरह सफल बनाने के लिये ये समितियां बनाई गई हैं और आप पिछले साल के आंकड़े इस साल के आंकड़ों से कम्पेयर करेंगे तो आपको इस साल काफी प्रगति मालूम होगी । और आप स्वयं ही इस बात से आश्वस्त हो जायेंगे कि बहुत काम हो रहा है । जहां तक कठपुतली कमेटियों का सवाल है, वे इसलिए बनाई गई हैं कि कठपुतलियों के नाच द्वारा भी जनता को इस कार्यक्रम से वाकिफ किया जाये । जो लोग पढ़कर या दूसरे साधनों से फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम नहीं समझ सकते उनके लिए यह कठपुतलियों के जरिये समझाने का प्रोग्राम रखा है कि कठपुतलियों के खेल देखकर वे समझ जायें कि फैमिली प्लानिंग का क्या महत्व है ।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ रुपये का मामला है । इसमें तो पूरे प्रश्न होने चाहिये ।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवा महल, जयपुर) : आपने जो बताया कि १३६ रुपये ..

एक माननीय सदस्य : १३६ नहीं, १३५ रुपये हैं ।

Page No. 16

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी ६ प्रश्न ही हो पाये हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अब तक कितने आदमियों ने कठपुतली का खेल देखा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल। आखिरी प्रश्न।

श्री श्रवणलाल : मैंने जो पूछा था उसका माननीय मंत्री महोदया ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मैंने यह पूछा कि यह जो आपने कमेटियां बनाई हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, और दूसरा ये जो आपने कठपुतलियों के खेल के बारे में कहा तो इसमें मुझे यह कहना है कि आप आपरेशन या लूप लगवाने की बात कठपुतली के खेल के द्वारा तो बता नहीं सकते, तो फिर ये कैसे काम करते हैं ? अगर फिल्म और सिनेमा के जरिये होता तो समझ में आ सकता था लेकिन कठपुतलियों के खेल के द्वारा आप यह प्रचार कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सुझाव दे दीजिये, आगे चलिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग से भी सरकार ने इस काम के लिये कहा है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह जो १३५ रुपये और कुछ पैसे आपने बताये, इसमें डाक्टर को तनख्वाह भी शामिल है या वह अलग से है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु०) : क्या यह सही है कि महिलाओं को लूप लगाने के लिये लेडी डाक्टर की व्यवस्था नहीं है और इस कारण से यह प्रोग्राम असफल हो रहा है ?

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानकारी चाहूंगा.......

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देती जाऊं तो अच्छा रहेगा, वरना कैसे याद रहेगा.. ....

श्री अध्यक्ष : मैं याद दहानी करता रहूंगा।

श्री श्रवणलाल : आपने लिस्ट में बताया है कि महिला नसबन्दी कराने पर ४० रुपये, पुरुष नसबन्दी कराने पर ३० रुपये और लूप लगाने पर ११ रुपये खर्च होते हैं, इसके बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे फर्जी रेकार्ड बन चुके हैं जहाँ न तो लूप लगाया, न नसबन्दी की, और पैसे झूठे रजिस्टर बनाकर लोग खा गये ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, आप यहां से शुरू कर दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : १३५.३२ रुपये का जो औसत खर्चा बताया है उसमें सब खर्च शामिल है, डाक्टर की तनख्वाह, नर्स की तनख्वाह और सभी कुछ। जितना फैमिली प्लानिंग पर खर्चा हुआ है और जितने टारगेट्स हमने अचीव किये हैं, टोटल खर्चे से पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर निकाला है। उसमें सारे खर्चे शामिल हैं।

(श्रीमती सुमित्रा)

अब हीराभाई जी ने कहा कि लेडी डाक्टर्स नहीं हैं, यह बिल्कुल सही है कि कई जगह लेडी डाक्टर्स नहीं हैं, हमारे यहां लेडी डाक्टर्स का अभाव है और इस कारण से यह मूवमेंट जितना चलना चाहिये उतना नहीं चल रहा है। मैं हीराभाईजी से सहमत हूं कि जिन इलाकों के अन्दर लेडी डाक्टर्स नहीं हैं वहां जिस प्रकार से यह मूवमेंट चलना चाहिये वैसे नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न। श्री रामकिशन, श्री नाथूराम, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या ११००।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ११०० पूछ लिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक बार लूप लगाने पर आप ४० रुपये देते हैं तो ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! माननीय सदस्य, आपको न मालूम क्यों इसमें दिलचस्पी है इतनी !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिलचस्पी नहीं है, भुक्त भोगी हैं, ऑपरेशन करा लिया और फिर भी बच्चे हो गये।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न।

कारें व स्कूटरों का एलाटमेंट

११००. श्री रामकिशन (वैर), **श्री नाथूराम** (बागीडोरा सु०), **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) और **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६१ से मई १९६७ तक राजस्थान को कुल कितनी फीएट कारें तथा स्कूटरों का कोटा प्राप्त हुआ ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) प्राप्त कोटा में से कितनी कारें व स्कूटर मंत्रियों, विधायकों, सरकार के शासन सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य गजेटेड ऑफिसरों को एलॉट किये गये ? वर्षवार पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सन् १९६४ से अब तक किस किस व्यक्ति को फिएट कार व वास्पा स्कूटर सरकारी कोटे से दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) सरकार द्वारा इस प्रकार के आवंटन हेतु जो नियम या आदेश उक्त

(श्री रामकिशन)

अवधि में प्रसारित किये गये थे उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सही है कि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति दो वर्ष से पूर्व अपनी गाड़ी किसी दूसरे को नहीं बेच सकता ? यदि हां, तो अब तक किस किस ने इस प्रकार गाड़ियां बेची है ? उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(६) क्या सरकार ने ऐसे आदेश सन् १९६५ में जारी किये थे कि कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा आवंटित वाहन को ५ साल से पूर्व किसी दूसरे को नहीं बेच सकेगा और अगर कोई बेचना चाहेगा तो उसे अपनी गाड़ी या स्कूटर सरकार को ही बेचना होगा ? यदि हाँ, तो इस आदेश के विरुद्ध किन किन व्यक्तियों ने अपनी गाड़ियाँ या स्कूटर बेचे हैं ?

(७) क्या सरकारी कर्मचारियों को यह आवंटन प्राथमिकता के आधार पर होता है ?

(८) क्या इनका आवंटन सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाता है ?

उप मंत्री, यातायात (श्री शिवचरण सिंह) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हाँ, नियमानुसार बेचने की स्वीकृति दी है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) ऐसा कोई आदेश नहीं है।

(७) जी हाँ, नियमों के अनुसार होता है।

(८) जी हाँ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तो यहाँ तो केवल एक ही सूची मिली है जिसमें यह है कि कितनी फिएट गाड़ियाँ आईं और राज्य सरकार ने किसको एलॉट कीं। आपने (४) में कहा कि नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, तो हमें तो कोई प्रतिलिपि नहीं मिली। (५) में आपने कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, वह भी नहीं मिली, न रामकिशनजी को मिली और न मुझे मिली है।

श्री रामकिशन : और बहुत लम्बी सूची है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरी सूचियां हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं वेरीफाई करता हूँ। हमारे यहाँ से चली गई थीं।

श्री रामकिशन : इसमें पूछना क्या है ? देख लिया, लेकिन दो बार किस को मिली और दो साल से पहले किसने बेच दिया ? कौनसे व्यक्तियों को आपने दो साल से पूर्व बेचने दिया है ? उनके नाम बतायें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस सूची के संदर्भ में एक बात और अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : सूची के संदर्भ में ही वह जानना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो आपने लम्ब्रेटा को सूची दी है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछ लिया गया है और क्या ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मगर वह ...

श्री अध्यक्ष : मगर इसको मैं देख लूंगा।

श्री शिवचरण सिंह : प्रश्न लंख्या (४) के विषय में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है तो ६ व्यक्तियों ने दो वर्ष पूर्व ही गाड़ी बेची है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन कौन हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : (१) माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री दुर्गाशंकर दवे।

(२) श्री अमृतलाल यादव।

(३) डा० हरिसिंह, जयपुर।

(४) श्री भगवत दयाल खन्ना।

(५) श्री घासीराम यादव।

(६) श्री आर० एन० शिवपुरी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन ६ व्यक्तियों में क्या किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार से दो वर्ष से पूर्व गाड़ी बेचने के लिए कोई अनुमति प्राप्त की ? यदि हां, तो कब ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां, सभी ने कुछ अनुमति प्राप्त की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब ?

श्री शिवचरण सिंह : जब जब आवश्यकता हुई है उन्होंने बेचने की अनुमति मांगी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस प्रकार को आज्ञा प्रसारित की थी कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी को दो वर्ष के बाद और ५ वर्ष से पूर्व बेचना चाहे तो राज्य सरकार को डेप्रिशियेटेड वेल्यू पर बेचेगा ? इस प्रकार की आज्ञा का क्या पालन किया गया ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर इन ६ व्यक्तियों ने दो साल के बाद राज्य सरकार

(श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल)
को अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेची और राज्य सरकार ने अनुमति क्यों प्रदान की ?

श्री शिवचरण सिंह : उन नियमों के अन्दर यह प्रावधान है कि दो वर्ष के बाद में गाड़ी डेमेज हो जाय तो मार्केट के अन्दर बेचने की अनुमति प्राप्त कर सकता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : जो आपने ६ व्यक्ति बताये हैं तो क्या उन व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार से लोन कार के लिए राज्य सरकार से लिया गया है, और यदि वह लिया गया है तो किन किन में अभी तक वह बकाया है ?

श्री शिवचरण सिंह : जिन माननीय सदस्यों ने गाड़ी बेचने की इजाजत मांगी है तो फिएट गाड़ी चूंकि हम नहीं खरीदते थे इसलिए उनको मार्केट में बेचने की इजाजत देनी पड़ी है।

श्री श्रवणलाल : मैंने यह पूछा है कि इन ६ व्यक्तियों ने जो राज्य सरकार से कार के लिए ऋण लिया है वह अब तक नहीं चुकाया गया है तो वे कौन कौन से व्यक्ति हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : यह प्रश्न दूसरा है। उसका उत्तर में फिर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो यह मान कर चला जाय कि इन ६ व्यक्तियों को गाड़ियां एक्सीडेन्ट में डेमेज गई थीं इसलिए राज्य सरकार ने इनको दो साल से पहले बेचने की अनुमति प्रदान की है ?

श्री शिवचरण सिंह : अलग अलग कारण हैं। घासीराम जी यादव के आर्थिक कारण थे। सब ने एक्सीडेन्ट के कारण दिये हों ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार तो जिनका एक्सीडेन्ट हुआ था उन्हीं को बेचने की इजाजत दे सकते थे जो आपने नियम बताये हैं उनके अनुसार तो दूसरे लोगों को इजाजत कैसे दी गई ? एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या इजाजत देने से पहले राज्य सरकार ने इस प्रकार का सर्टिफिकेट दिया था कि हमें यह गाड़ी नहीं चाहिए ?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां। जो कन्ट्रोलर डाइरेक्टर आफ ट्रान्सपोर्ट हैं वे लिख कर देते हैं। अगर उनको आवश्यकता नहीं होती है तो लिखकर देते हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है उसके पश्चात् वे मार्केट में बेच सकते हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि इन ६ व्यक्तियों के द्वारा जो धनराशि कार ऋण के रूप में ली गई थी वह बकाया होते हुए भी इन को कार के बेचने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है ?

श्री शिवचरण सिंह : यह यातायात का प्रश्न नहीं है। जी० ए० डी० से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो सूची दी है लम्ब्रेटा के एलाटमेंट की और वह सूची ६२ से दी है तो उसमें अगले १४ केसेज में जो एलाटमेंट किया गया है, राज्य सरकार उसको खा गई है। खैर, जाने दो, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इसके उत्तर के अन्दर खण्ड (८) में बताया गया है कि एक समिति का गठन किया गया है, और समिति नियमानुसार सारे एलाटमेंट की कार्यवाही करती है, लेकिन समिति के कौन कौन मेम्बर हैं, क्या उनके नाम हैं, इसके बारे में नहीं बताना चाहते हैं जहां तक कि सूची का प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय अब बता देंगे कि समिति का गठन कब हुआ? उसके सदस्य कौन कौन हैं, और क्या नियम बने हुए हैं?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य, समिति की गाइड लाइन बनी हुई है, समिति बनी हुई है। समिति के चैयरमैन श्रीमान् यातायात मंत्री, उपमंत्री, यातायात, सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट, डाइरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, डिप्टी सेक्रेटरी, ट्रान्सपोर्ट उसके सदस्य हैं। जो गाइड लाइन है उसकी सूचना आपको दे दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन गाड़ियों के एलाटमेंट इस कमेटी की मीटिंग के द्वारा होते हैं?

श्री शिवचरण सिंह : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री अमृतलालजी यादव को जो गाड़ी एलाट की गई है उसके लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है और कोई मीटिंग में उसका एलाटमेंट नहीं किया गया है?

श्री शिवचरण सिंह : मीटिंग हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि श्री अमृतलाल यादव को गाड़ी मीटिंग के बजाय सक्युलेशन से एलाट की गई है?

श्री शिवचरण सिंह : नहीं। मीटिंग की कार्यवाही में ही वह तय किया गया था एलाटमेंट का।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : एक सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, विरोधी पक्ष के।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जो कोटा स्कूटरों और कारों का है उसका कितना पर्सेन्टेज तो रिजर्व कर दिया गया है मंत्रियों और कर्मचारियों के लिए और कितना पर्सेन्टेज आम जनता के लिए रखा जाता है?

श्री शिवचरण सिंह : मैं विरोधी पक्ष के नेता से अर्ज करूंगा ......

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सब का सब कोटा क्या मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों में ही कन्जूम हो जाता है या आम जनता के लिए भी कुछ रखा जाता है?

श्री शिवचरण सिंह : एलाटमेंट के नियम हैं उनमें कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं। ग्रुप नं० १

(श्री शिवचरण सिंह)

में आप देखेंगे कि मेम्बर्स ग्राफ ग्राल इंडिया सर्विसेज, मेम्बर्स ग्राफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मेम्बर्स ग्राफ राजस्थान एकाउन्ट्स सर्विसेज, मेम्बर्स ग्राफ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ग्रुप नं० १ उनके लिए है। ग्रदर सर्विसेज के लिए नंबर दो है। ग्रुप नं० ३ है जिसमें........

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जनता के लिए क्या पर्सेन्टेज है? वह बताएं। रिज़र्व्ड पर्सेन्टेज क्या है?

श्री ग्रध्यक्ष : जनता के लिए क्या है ग्रौर रिजर्व्ड पर्सेन्टेज क्या है? ऐसा कुछ हो तो बता दें।

श्री शिवचरण सिंह : यह तो सरकारी कोटा है....

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : रूल्स में...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, प्रश्न का उत्तर ग्रा रहा है या नहीं उसके बाद तय कर लेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : जनता के लिए जो कोटा है वह डीलर्स के पास ग्रलग होता है यह गवर्नमेंट कोटा है ग्रौर गवर्नमेंट के लिए गाइड लाइन मैंने दी है उसके ग्रनुसार एलाट किया जाता है।

श्री रामकिशन : ग्रध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जनवरी ६८ में नत्थीसिंह के नाम से जो कार एलॉट की है वह कौन से नत्थीसिंह हैं?

श्री शिवचरण सिंह : वह एप्लीकेशन देखकर ही कहा जा सकता है कि कौन से नत्थीसिंह जी हैं।

श्री रामकिशन : भरतपुर से एस० एस० पी० के नत्थीसिंह जी के नाम चिट्ठी ग्राई है तो उन्होंने लिखा कि यह पत्र मेरे पास कैसे ग्राया है। मैंने तो कोई कार के लिए दरख्वास्त नहीं की थी। इसलिए मैं यह जानकारी चाहता हूं कि दूसरे ने इनके नाम से तो कार एलॉट नहीं करा ली है?

श्री शिवचरण सिंह : दो तीन नत्थीसिंह होंगे तो गलती से एक की इत्तला दूसरे पास चली जा सकती है।

श्री ग्रध्यक्ष : कौन हैं वे नत्थी सिंह? कुछ स्पष्टीकरण कर दें। इनके वाले तो नहीं हैं?

श्री शिवचरण सिंह : मुझे ग्रभी याद नहीं है। इसकी जांच करके बता दूंगा ग्रगर दूसरा व्यक्ति है तो।

श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल : क्या यह सही है कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कोटा में से केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों, मंत्रियों विधायकों, या पत्रकारों को जो भी केटेगरीज फिक्स ग्रप की गई हैं, उनको गाड़ियां एलॉट करती है ग्रौर सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में जो कर्मचारी हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट कोटा में से गाड़ी का एलॉटमेंट नहीं किया जाता है?

श्री शिवचरण सिंह : उनके लिए भी है। आई० ए० एस० केडर से और दूसरे लोगों के लिए भी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज की बात नहीं करता हूं। जैसे रेलवे के हैं तो रेलवे के कर्मचारियों को—मैं आई० ए० एस० जो आपके यहां डेपुटेशन पर हैं और आपकी सर्विसेज में हैं उनकी बात नहीं करता हूं—रेलवे के हैं, इंडियन आइल्स वाले हैं या इनकम टैक्स वाले हैं, ऐसे जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो एम्प्लाइज हैं उनको गवर्नमेंट के कोटा से गाड़ी एलॉट नहीं की जाती है ?

श्री शिवचरण सिंह : इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनको नहीं किया गया है। आई० ए० एस० ऑफिसर जो राजस्थान में हैं उनको किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या (४) के जवाब में फरवरी ६८ में नम्बर ३ पर जो सूचना दी गई है वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लाईज हैं उनको गाड़ी कैसे एलॉट की गई है।

श्री शिवचरण सिंह : अगर कमेटी उचित समझती है कि किसी ऑफिसर को आवश्यकता है तो उसमें उस कमेटी के निर्णय के अनुसार दे सकती है। यह गवर्नमेंट के डिस्क्रीशन पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने फरमाया है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोटा में से सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज को गाड़ी एलाट नहीं की जा सकती है। यह आपने फरमाया था।

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज को भी यदि कमेटी मुनासिब समझती है तो किसी विशेष परिस्थिति में दे सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमेटी मुनासिब समझे तो कमेटी के रूल्स बने हुए हैं और रूल्स में कोई क्राइटेरिया है ? चार नंबर का क्वेश्चन आया था और इस मामले में गवर्नमेंट ने अपनी नीति बिलकुल साफ रखी होगी। कमेटी अपना डिस्क्रीशन लेना चाहती है और नियम में नहीं आता है और नियमों के विपरीत इस प्रकार से किसी व्यक्ति को जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है उसको दे दे तो रेलवे के लोगों को भी दिया जाय। उनको क्यों नहीं देते हैं ? गवर्नमेंट ने यह तय कर दिया है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज को कोई स्टेट गवर्नमेंट के कोटा में से गाड़ी एलॉट नहीं करेंगे।

श्री अमृतलाल यादव : जैसा कि डिसीजन किया गया है और एलाटमेंट के लिए गाइड लाइन्स तय की हुई हैं गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन है कि किसी विशेष परिस्थिति में किसी और को देना चाहे तो दे सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : रिश्वत लेने का रास्ता खुला रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालो दिया।

नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं पर सरकारी बकाया

१९०१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान की कौन सी नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में कितनी सरकारी बकाया है और कब से ? क्या सरकार ने बकाया वसूल करने के लिए कोई कदम उठाया है ? यदि हाँ, तो क्या ?

उप मंत्री, स्वायत शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : सूची संलग्न है । नगरपालिकाओं को बकाया के चुकारे के लिए लिखा जाता रहा है । ५० पैसे प्रति व्यक्ति को जो स्वीकृत अनुदान है उसमें से नियमानुसार ५० प्रतिशत तक कटौतियां की गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : सूची जो आपने दी है इसमें पेज २ पर तो कॉलम ६ और ७ है बाकी के पेजेज पर कालम ६ और ७ गायब हैं जिससे मालूम नहीं पड़ता है कि अजमेर म्युनिसिपल कमेटी को किस सन् में कर्ज दिया है । इसकी क्या मन्शा है ?

श्री अध्यक्ष : जो गायब है उसका स्पष्टीकरण कर दें, माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : उसकी सूचना बाद में दे दी जायगी । मेरे पास भी नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने निवेदन किया है कि कौन से सन् में ......

श्री अध्यक्ष : कालम नहीं है तो इसका क्या अर्थ होता है आप समझ लें । उसमें कोई आता हो तो दूसरा पूरक कर दें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्राणीजी यह भी बतायेंगी......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्राणी नहीं मंत्री ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सन् ४८ से अजमेर म्युनिसिपैलिटी में जो बकाया चला आ रहा है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइंट आफ आर्डर, सर । "मंत्राणी" शब्द से किसी मंत्री को सम्बोधित करना यह सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह उपयुक्त शब्द नहीं है । अंग्रेजी में "चैयरमैन" को "चैयरमैन" नहीं कहते है । मंत्री अगर महिला भी है तो भी "मंत्री" शब्द प्रयोग में लायेंगे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सन् ४८ से अजमेर नगरपालिका में बकाया है उसकी ओर क्या प्रोग्रेस की है ? ४५ लाख रुपये के करीब बकाया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि अनुदान दिया जाता उसमें से ५० पर्सेन्ट काट लिया जाता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सन् ४८ से बकाया है २१ साल हो गये, अब तक कितना काटा ? ४५ लाख रुपये बकाया हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हाँ, बकाया है वह बराबर काटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कितना काटा गया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर क्या है उपलब्ध आपके पास ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह जो आप नगरपालिकाओं को ऋण देते हैं वह किस आधार पर देते हैं ? कोई क्राइटेरिया बना हुआ है क्या ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो निवाई से आये हैं उन्होंने पूछा उसका उत्तर सूची में लिखा है……

श्री जयनारायण सालोदिया : लिखा हुआ है उस पर सप्लीमेन्टरी कर सकते हैं।

श्री भीखाभाई : आपके समझ में नहीं आया होगा। एक सूची में वापिस किया गया है वह बताया है और दूसरी सूची में लोन के अतिरिक्त जो दिया गया है उसके आँकड़े हैं। ये अलग अलग आँकड़े दिये गये हैं। दूसरी बात पाली के माननीय सदस्य ने पूछा कि जो ऋण दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है, इसके उत्तर में निवेदन है कि विकास के लिये लोन दिया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने "क्यों" दिया जाता है यह नहीं पूछा है। कालम नं. ७ और ८ गायब हैं, सूची से मालूम नहीं पड़ता है कि अमुक म्युनिसिपैलिटी को कितना ऋण दिया गया। अजमेर म्युनिसिपैलिटी में सन् ४८ से ४५ लाख रुपयों की बकाया है।

श्री भीखाभाई : ये ४५ लाख रुपये किस हिसाब से बताये आपने ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आप द्वारा दी गई सूची के हिसाब से बता रहा हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि नगरपालिकाओं और नगर परिषद् जिनमें इतने वर्षों से बकाया चली आ रही है, उनके साधनों को ध्यान में रखते हुए उसको राइट ऑफ कर दिया जाय ?

श्री भीखाभाई : मैं समझा नहीं आपका प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नगरपालिकाओं और नगर परिषद् में इतने वर्षों से जो बकाया चली आ रही है क्या सरकार ने उस राशि को राइट आफ करने का विचार किया है ?

श्री भीखाभाई : विचार करने का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ११०३.

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अभी प्रश्न पूछने बाकी हैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

Page No. 26

श्री अध्यक्ष : सभी सदस्यों के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।

श्री श्रवणलाल : ११०२ नम्बर का प्रश्न ले लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ११०२ को ले लिया जाय इसको चार सदस्यों ने पूछा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ११०२.

सहकारी बाजार

११०२. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन), **श्री जयनारायण रुालोदिया** (निवाई), **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) और **श्री श्रोमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में कहाँ कहाँ और कब कब सहकारी बाजार (सुपर मार्केट) खोले गये हैं ?

(२) इन बाजारों के कितने सदस्य हैं ? और सदस्यता शुल्क की कितनी राशि एकत्रित हुई है ?

(३) इनके संचालक मंडलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करे।

(४) इन बाजारों में सरकार ने कितने रुपये के शेयर खरीदे हैं उन्हें कितना ऋण व अनुदान दिया है ? अलग अलग बाजारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) इनमें पूंजी की लागत कितनी है ?

(६) इन बाजारों ने अब तक कितना लाभ कमाया है ? इसका ब्यौरा अलग अलग सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) सदस्यों को क्या विशेष सुविधाएं दी जाती हैं ?

(८) इनमें कितने गबन व चोर बाजारी के मामले हुए हैं ?

उप मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (१) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में सहकारी बाजार खोले गये हैं जिनके खोले जाने की तारीख क्रमशः १.१२.६६, ३०.३.६७, तथा ८.७.६७ है....

श्री श्रवणलाल : जरा जोर से बोलें, आवाज नहीं आ रही है।

श्री रामदेव सिंह : (१) राजस्थान में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में सहकारी बाजार खोले गये हैं जिनके खोले जाने की तारीख क्रमशः १.१२.६६, ३०.३.६७, तथा ८.७.६७ है।

(२) जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर सहकारी बाजारों की सदस्य संख्या क्रमशः १३, ३७३, ६४९९, एवं १२४४ है। इन सदस्यों से एकत्रित राशि क्रमशः १,४९,९५५), ५७,०८०) एवं ८४,६००) रु० है।

(३) जोधपुर एवं अजमेर सहकारी बाजारों के संचालक मंडल की सूची परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है। जयपुर सहकारी बाजार

(श्री रामदेव सिंह)

की संचालक मंडल राजस्थान सहकारी अधिकरण द्वारा अपदस्थ किया जाकर प्रशासक की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रशासन का कार्य वर्तमान में श्री सुखलाल चन्द्र भंडारी, जनरल मैनेजर ही कर रहे हैं।

(४) इस प्रश्न की सूचना सूची परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(५) सहकारी बाजारों में लगी पूंजी का विवरण निम्न प्रकार दिया जा रहा है :

जयपुर सहकारी बाजार :
६,५५,६५५) रु०

जोधपुर सहकारी बाजार :
१०,७४,५६०) रु०

अजमेर सहकारी बाजार :
८,६३,६६०) रु०

श्री श्रवणलाल : इसमें ३ लाख लिखा है।

श्री रामदेव सिंह : ८ लाख है, ठीक कर लिया जाय।

(६) सहकारी बाजार, जयपुर में वर्ष १९६६-६७ में लगभग १६,८४३) ३८ पैसे का लाभ हुआ है। चूंकि भंडार का आडिट अभी चल रहा है, अतः इस लाभ की सही स्थिति तब पता लगेगी।

जोधपुर सहकारी बाजार का वर्ष १९६६-६७ में अलग से हिसाब नहीं रखे गये हैं, इसके हिसाबात यहाँ के होल सेल भंडार में ही शामिल हैं। जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की वर्ष १९६६-६७ की अनुमानित हानि १,००,०००) रु० है। सही स्थिति का पता वहाँ के हिसाबात पूर्ण होने पर चल सकेगा।

अजमेर सहकारी बाजार का कारोबार वर्ष १९६६-६७ के बाद आरम्भ हुआ है, अतः इसकी प्रारम्भिक स्थिति होने के कारण लाभ अथवा घाटे का सही सही मूल्यांकन करना उनके लिये सम्भव नहीं है। वर्ष समाप्ति पर लाभ हानि का पता लगेगा।

(७) सहकारी बाजार के सदस्यों को ही निम्न आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जाती है......

श्री अध्यक्ष : और धीरे कर दीजिये आवाज को आप ताकि मैं भी नहीं सुन सकूं।

श्री रामदेव सिंह : (७) सहकारी बाजार के सदस्यों को ही निम्न आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जाती है :

(१) इरेस्मिक ब्लेड (२) साइकिल टायर व ट्यूब (३) टार्च सेल आदि। कई वस्तुओं की खरीद पर केवल सदस्यों को ही रिबेट दी जाती है जैसे दवाइयों पर दो प्रतिशत, कपड़े पर ३ से १५ प्रतिशत तक की छूट तथा डालडा पर ७ पैसे प्रति किलो और बिजली के बल्वों पर ५ प्रतिशत तक की छूट दी जाती है।

(८) जयपुर एवं अजमेर सहकारी बाजार में गबन एवं चोर बाजारी का कोई

(श्री रामदेव सिंह)

मामला सामने नहीं आया है । जोधपुर सहकारी बाजार में चार मामले क्रमश: ३००) रु०, १६५)८७ पैसे तथा ५७३) रु० गबन व दुरुपयोग के सामने आये हैं । जिनके लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर सहकारी बाजार में अलग हिसाब क्यों नहीं रखा जाता है ?

श्री रामदेव सिंह : वहां के होलसेल उपभोक्ता भंडार के साथ हिसाब रखा जाता है इसलिए अलग नहीं रखा जाता ।

श्री श्रवणलाल : राज्य सरकार ने ऋण उपभोक्ता भंडार को दिया है या सहकारी बाजार को ?

श्री रामदेवसिंह : उपभोक्ता भंडार को।

श्री जयनारायण सालोदिया : सहकारी बाजार खोलने की नीति नो प्रोफिट नो लोस पर बिक्री करने की है या फायदा करने की ?

श्री अध्यक्ष : आप ही दे दीजिये उत्तर मंत्री महोदय ।

सहकारी मंत्री (श्री शोभाराम) : कृपया प्रश्न दोहरा दीजिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सहकारी बाजार खोलने के पीछे सरकार की नीति नो प्रोफिट नो लोस पर चीजें बेचने की है या मुनाफा कमाने की ?

श्री शोभाराम : उपभोक्ता भंडार की ब्रान्चेज के रूप में सहकारी भंडार काम करते हैं इसलिये इसमें नो लोस नो प्रोफिट बेसिस पर सेल न करके, मिनिमम प्राफिट हो यह उनका लक्ष्य है ।

(१२ मध्यान्ह)

श्री श्रवणलाल : जोधपुर सहकारी बाजार के संचालक थे, उनको किस कारण से पदमुक्त किया ?

श्री रामदेव सिंह : उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें थीं, उन शिकायतों की रजिस्ट्रार से जांच करवाई गई और जांच से कई शिकायतें साबित हुई, उस आधार पर उनको हटाया गया ।

श्री श्रवणलाल : क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न । श्री कृष्णकुमार गोयल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

इतना रुपया इनवेस्ट करने के बाद में ६६-६७ में एक का रिटर्न १६ हजार रुपया, एक में १८६ हजार का घाटा, अजमेर का आपने कहा हिसाब नहीं । तो जयपुर में आपने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहा कि १६,००० का फायदा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मैं भी प्रश्न पूछ लूं। इस प्रश्न के खण्ड ८ के उत्तर में आपने कहा है कि अजमेर में गबन चोरी का कोई मामला नहीं है, तो ५००० रु० का पर्स टैक्सी में से चला गया, वह आपने इसमें क्यों नहीं बताया ?

श्री रामदेव सिंह : इसकी सूचना नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर में इस प्रकार का किस्सा हुआ है, खरीददारी के लिए दिल्ली गये और कहा कि ५-६ हजार रुपये पर्स में थे वे चले गये.........

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र के प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री शोभाराम : मैं अर्ज करूं, ८ जुलाई, ६७ को अजमेर में सहकारी बाजार खुला। पहली जुलाई से ३० जून तक सहकारी वर्ष माना जाता है, इसलिये यह वर्ष ३० जून, ६८ को समाप्त होगा। अगर कोई बात माननीय सदस्य के ध्यान में है तो वे बतादें, जाँच करा लेंगे और अगर कोई गबन का मामला पाया गया तो कार्यवाही करेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो इससे सम्बन्धित हैं वे रुपया लेकर खरीद के लिए दिल्ली गये थे, उन्होंने कहा कि टैक्सी में बैठे थे तो टैक्सी से ५००० रु० चला गया।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जोधपुर सहकारी बाजार के संचालक द्वारा कुछ इस प्रकार की मिठाइयां तैयार कराकर बांटी गईं थीं ? यदि हां, तो कितनी रकम की मिठाइयां तैयार की थीं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री कृष्णकुमार गोयल।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सहकारी बाजारों में घाटा क्यों है ? घाटे का कारण क्या है ? क्या दुर्व्यवस्था इसका कारण है, क्या ह्यूमन मेटिरियल का मौरल गिर गया है वह कारण है, या अनियमितता है वह कारण है ? इसका उत्तर दो शब्दों में दीजिये।

श्री रामदेव सिंह : इसके नुकसान के कई कारण हैं, सबसे बड़ा कारण है.......

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सब को बात है, दुर्व्यवस्था है ....

श्री अध्यक्ष : उसके अलावा दूसरे कारण बता रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : जो कारण खास खास हैं, वह बताइये।

श्री रामदेव सिंह : सबसे मोटा कारण एक है, वह यह कि १४० हजार की हानि उठानी पड़ी, उसका कारण यह है कि राज्य सरकार द्वारा २६३ हजार के मूल्य की बढ़िया किस्म की खण्डसारी दी गई, जिला-

Page No. 30

(श्री रामदेवसिंह)

धीश जोधपुर ने सील लगा दी, बाद में भण्डार इस कार्यवाही के खिलाफ कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से चीनी को रिलीज किया गया। इस सब में डेढ़ साल का समय लग गया और इस दशा में गोदाम का किराया, रकम का ब्याज बढ़ा, इसके परिणामस्वरूप १४० हजार का घाटा रहा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगित प्रश्न

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया है, आपने काल कर लिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री गोयल। प्रश्न संख्या ११०३।

कोटा-बूंदी सड़क पर मिट्टी डालने का ठेका

११०३ **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ६७ में कोटा-बूंदी रोड के मील ८—९ के मिट्टी कलेक्शन के कार्य का एस्टीमेट कितना था? तथा उसकी स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

(२) उक्त कार्य को किस ठेकेदार द्वारा कब आरम्भ किया गया व कब समाप्त हुआ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिए टेण्डर्स आमन्त्रित किए गए थे? अगर हां, तो कब?

(४) उक्त कार्य पर किस-किस के टेन्डर्स किस किस रेट पर प्राप्त हुए।

(५) किस ठेकेदार का टेन्डर किस रेट पर कब स्वीकृत किया गया?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) ३८, ५२६ रु० का एस्टीमेट था जिसकी स्वीकृति २६.७.६७ को दी गई थी।

(२) श्री चिरंजीलाल पटेल ठेकेदार द्वारा १४.७.६७ को काम शुरू कर ५.९.६७ को पूरा किया गया है।

(३) जी हाँ, तारीख २८.६.६७ को टेन्डर मांगे गये थे।

(४) श्री चिरंजीलाल ठेकेदार तथा श्री इन्द्रभान के क्रमशः १४ प्रतिशत और १९ प्रतिशत अबोव शिड्यूल रेट प्राप्त हुए थे।

(५) श्री चिरंजीलाल का टेन्डर १४.७.६७ को शिड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार स्वीकृत किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बिना एस्टीमेट्स की स्वीकृति के ही टेन्डर इन्वाइट कर लिए; तखमीने की बिना स्वीकृति हुए ही टेन्डर इन्वाइट कर लिये गये थे?

श्री माधोसिंह : जी हाँ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस प्रकार बिना एस्टीमेट्स के स्वीकार हुए टेन्डर इन्वाइट करना फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ है ?

श्री माधोसिंह : खिलाफ इसलिए नहीं कि एक्स. ई. एन. से पूछ लिया था, मौसम खराब हो तो कर सकते हैं। पेमेंट तो तभी होता है जब कि फाइनल सेंक्शन हो जाती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ठेकेदार ने बिना टेन्डर मन्जूर हुए ही पहले से काम शुरू कर दिया ?

श्री माधोसिंह : टेन्डर इन्वाइट करने के बाद में किया था ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि असिस्टेंट पी० डब्ल्यू० डी० इन्जीनियर बूंदी ने बिना टेन्डर की मंजूरी के ठेकेदार द्वारा काम शुरू कर देने पर रजिस्टर्ड नोटिस दिया था ?

श्री माधोसिंह : इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जानकारी दे दूं, इस सड़क पर ठेके से काम कराया गया, ठेके की मंजूरी से पहले ही ए. ई. एन, बूंदी के नोटिस में आया कि ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है तो उसने ठेकेदार को रजिस्टर्ड नोटिस दिया। इसके बाद में एक्स. ई. एन. बूंदी ने टेन्डर इन्वाइट किया है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न समझ में आ गया है।

श्री माधोसिंह : इसकी जाँच करा ली जायगी और पता लगा लिया जायेगा और अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो दोषी को सजा दी जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ५ आदमियों ने टेन्डर खरीदा, जब कि दो ने दिया था ?

श्री माधोसिंह : यह सही है, ५ ने लिया था, दो ने दिया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि दो व्यक्ति एक ही हैं ? एक ही ठेकेदार के दो नाम थे।

श्री माधोसिंह : जी नहीं, वे दो नाम अलग अलग हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दोनों पार्टीज एक हैं ?

श्री माधोसिंह : नाम अलग अलग हैं, जैसे आप और आपके पास बैठने वाले एक हैं पर बोलने वाले दो हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको सूचना दूं कि जब इस ठेकेदार का टेन्डर स्वीकार नहीं हुआ था उससे पहले ही उसने काम शुरू कर दिया। असिस्टेन्ट पी. डब्ल्यू. डी. इन्जीनियर बूंदी ने ठेकेदार को इसके लिये

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रजिस्टर्ड नोटिस दिया, उसके बाद टेन्डर इन्वाइट किये हैं।

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे और आपने ऐसा कहा कि ऐसा हुआ होगा तो सख्त सजा देने की कार्यवाही करेंगे ?

ऐसा ही कहा न ?

श्री माधोसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मेरा एक प्रश्न है पुलिस विभाग से सम्बन्धित है, उसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि माननीय सदस्य को बाद में जानकारी दी जाय।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ५२६, स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(७-३-६८ व २१-३-६८)

निर्धारित संख्या से अधिक पदों का निर्माण।

५२६. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन-पोल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य में ६६-६७ व ६७-६८ में सुपरन्यूमरेरी पोस्ट निर्धारित की गई थी ?

(२) निर्धारित संख्या से अधिक और कितने पदों का निर्माण किया गया तथा क्यों, कब से ? इन पदों पर किन किन अधिकारियों को नियुक्त किया गया ?

(३) किन किन अधिकारियों को नियुक्ति से पूर्व की तारीख से इन पदों पर नियुक्त किये जाने का लाभ दिया गया और क्यों ?

(४) नियुक्ति को पहले की तारीख से प्रभावशाली करने के कारण किस किस अधिकारी को अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते के रूप में कितना कितना रुपया मिला ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हाँ।

(२) १४ सुपरन्यूमरेरी पोस्टों का सृजन किया गया। सूची संलग्न है।

(३) सूची में वर्णित है।

(४) सूची में वर्णित है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये ।

श्री भैरोंसिह : जिन अधिकारियों को एडहोक बेसिस पर पदों पर नियुक्त किया था, इसके लिये क्या हैड आफ दी डिपार्टमेंट अधिकृत हैं ?

Page No. 33

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बहुत सी नियुक्तियों को रेग्यूलराइज करने के लिए किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो पूछ रहा हूँ कि जिन नियुक्तियों का आपने नियमन किया है, वे किसके द्वारा की गई थीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे करीब १४ व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति की नियुक्ति किस अधिकारी ने की, यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें नियुक्तियाँ कर दी गईं, उनका नियमन करने की दृष्टि से, ऐसे ६-७ केसेज हैं और कुछ केसेज में विशेष परिस्थितियों की वजह से जहाँ इकोनोमी कट्स की है, अमुक तारीख से कट्स हो जाना चाहिए थीं लेकिन वास्तव में उसमें कुछ देरी हो गई और कुछ दिनों का वेतन देने का सवाल आया। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में हुए हैं लेकिन किसी भी नियुक्ति में आर्थिक दृष्टि से कोई नुकसान राज्य सरकार को नहीं हुआ सिवाय एक केस के जिसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की एडहोक बेसिस पर पदोन्नति की गई और जिन अधिकारियों के द्वारा यह किया गया, उनमें से किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं था और इसलिए सरकार को रेग्यूलराइज करना पड़ा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : तो व्यक्तियों को इस प्रकार एडहाक बेसिस पर इरेंगुलर वे में अपॉइंटमेंट दी गई उस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चूंकि १४ केसेज हैं, हर केस में विशेष परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण ऐसा हुआ और कुछ केसेज को रेग्यूलराइज करना पड़ा और कुछ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन्स में देरी हुई और इस कारण कुछ दिनों का वेतन उनको मिल गया इसलिए पोस्ट्स क्रिएट करके नियमन किया। सभी मामलों में अधिकारियों की गलती नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : जिन मामलों में गलती थी उनमें क्या किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि उन गलतियों में ऐसी कोई आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुँचाने वाली गलती नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : जिन व्यक्तियों को एडहाक बेसिस पर आपने नियुक्त किया है, उनको रेग्यूलराइज करते समय जो रिट्रास्पेक्ट इफेक्ट से उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करने के कारण बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि आर्थिक दृष्टि से सरकार को कोई नुकसान अधिक पेमेंट करने का नहीं हुआ। केवल एक केस है हीरालाल का जिसके बारे में आर्थिक दृष्टि से ५ हजार रुपये की सरकार पर डिक्री हुई है जो सरकार के विचाराधीन है। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ।

स्थगित प्रश्न

(२४-३-६८)

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

करौली अस्पताल की गाड़ी पर व्यय

६२३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(१) करौली हास्पिटल की गाड़ी सन् १९६२ से १९६७ तक कितनी बार जयपुर मरम्मत आदि के लिए आई है और उस पर किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सच है कि करौली होस्पिटल की गाड़ी आये दिन जयपुर में रहती है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में कब कब कितने कितने दिनों तक जयपुर में रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) :(१) ६ बार एवं इस पर १७५१.९६ पैसे का खर्चा हुआ । सूची संलग्न है ।

(२) जी नहीं । किसी जाँच के सिलसिले में उक्त गाड़ी की लोग बुक आदि समस्त रेकार्ड आदि उक्त अधीक्षक आरक्षी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान, जयपुर, को दिनांक २९-११-६७ से भेजी हुई है । जांच पूर्ण होने के पहले एवं पूरा रेकार्ड विभाग में उपलब्ध नहीं होने के कारण चाही गई पूरी सूचना देना संभव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री श्रवणलाल : क्या इसको स्थगित समझा जाय ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, सम्पूर्ण समझा जाय ।

श्री श्रवणलाल : साफ बताया है कि इसकी जानकारी नहीं....

श्री अध्यक्ष : विजिलेन्स कमीशन के यहां रेकार्ड है, इसलिए जानकारी नहीं दे सकते । वहां से रिपोर्ट आएगी, फिर आप पूछ लेना ।

श्री श्रवणलाल ; एक जानकारी चाहूँगा । जो सूची दी गई है कि गाड़ी १९६२ से लेकर १९६७ तक ६ बार जयपुर आई और उस पर १७५१.९६ खर्चा हुआ । मैं जानकारी चाहूँगा । इन्होंने बताया है कि केवल पेट्रोल एवं ड्राईवर के भत्ते पर खर्च हुआ है तो वह गाड़ी किस लिए जयपुर आई थी ?

श्रीमती सुमित्रा : जैसा आपने पूछा है, मैंने खर्चा बता दिया है । मरम्मत का जो खर्चा लिखा है, राजस्थान मोटर गैराज का रेकार्ड उपलब्ध हो गया, उसके अनुसार खर्चा बताया । जहां पर मरम्मत का खर्चा नहीं हुआ केवल पेट्रोल और ड्राईवर के भत्ते का है, वह उपलब्ध नहीं है, लॉग बुक में है ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी ७ स्थगित प्रश्न हैं।

श्री विजयसिंह रावत।

स्थगित प्रश्न

(२८-३-६८)

कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए खर्च की गई राशि

६२६. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५२ में राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने व खाद की समस्या को हल करने हेतु काश्तकारों को एक रुपया प्रति गड्ढा खाद के गड्ढे के हिसाब से इन्सेंटिव के रूप में दिया गया था? यदि हाँ, तो अब तक राज्य में कितने खाद के गड्ढे खुदे एवं कितना रुपया राज्य कोष से इस प्रयोजन के लिए अब तक खर्च किया जा चुका है? सूची अलग अलग जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस समय दिये जाने वाले अच्छे बीजों एवं खाद पर सरकार उन पर व्यय की गई कीमतों पर ब्याज एवं अनाज वाढ़ी लगाती है? यदि हां, तो क्यों? कारणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है बावजूद सभी अधिकारियों को लिखने के।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री विजयसिंह रावत : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने पूछा है कि क्या यह सही है कि सन् १९५२ में....

श्री अध्यक्ष ; आगे प्रश्न पैदा नहीं होता, जानकारी नहीं दे सकते। अधिक से अधिक मैं खेद प्रकट कर सकता हूँ कि स्थगित प्रश्न को फिर स्थगित किया जा रहा है, मुझे इसका अफसोस है।

श्री विजयसिंह रावत : कल अधिवेशन स्थगित हो जायगा और फिर...

श्री अध्यक्ष : वह तो है।

श्री विजयसिंह रावत ; लाखों रुपये का घोटाला है।

प्रश्न संख्या ६३३

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया!

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३८

श्री मेघराज पंवार!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क

स्थगित प्रश्न

(२६-३-६८)

आस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग प्राप्त अधिकारी

६५३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सन् १९६४-६५ में भेड़ व ऊन विभाग के श्री ए० सी० दुबे तत्कालीन सहायक संचालक व श्री के० एल० चड्ढा, तत्कालीन आचार्य, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण विद्यालय, जोधपुर को प्रशिक्षण हेतु आस्ट्रेलिया भेजा गया ? यदि हां, तो कब किस प्रशिक्षण के लिए तथा कितने समय के लिए और इस प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक अधिकारी पर राज्य सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त दोनों अधिकारियों ने आस्ट्रेलिया जाकर जिस कोर्स की ट्रेनिंग लेनी थी वो न लेकर अपनी मर्जी से दूसरा कोर्स कर लिया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से इसके लिये पूर्व अनुमति ली गई ? अगर नहीं ली गई तो राज्य सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ आदेश की अवहेलना करने के कारण दिसम्बर, १९६५, में यह आदेश दिया कि इन अधिकारियों से ट्रेनिंग के खर्चे को वसूल कर लिया जावे परन्तु विभाग ने कोई वसूली नहीं की ? यदि हाँ, तो सरकार ने अपने निर्णय की तामील के लिए आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया ?

(४) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इन अधिकारियों की प्रार्थना पर इस विषय में पुर्नविचार किया और भारत सरकार से परामर्श करने के बाद यह निर्णय दिया कि इन अधिकारियों से प्रत्येक से १२,४२९) रु० वसूल करने तथा ट्रेनिंग पीरियड को स्टेडी लीव एक्सट्रा ऑर्डिनरी लीव आदि में परिवर्तन कर दिया जाय और साथ ही साथ इस वसूली के लिए महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भी लिखा गया ? यदि हां, तो इस निर्णय की तामील अभी तक क्यों नहीं हुई ?

(५) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार वसूली के आदेश दिए जाने पर महालेखाकार राजस्थान ने वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की तब संचालक, भेड़ व ऊन विभाग ने उनको वसूली करने से दूसरा आदेश न मिलने तक रोक दिया ? यदि हां, तो राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ संचालक महोदय ने स्थगन आदेश कैसे दे दिया और क्या सरकार इसको जायज मानती है ?

(६) उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ इसके अलावा और भी कोई चार्जेज विभाग द्वारा लगाए गए हैं, यदि हाँ, तो किन किन के खिलाफ कौन कौन से चार्जेज कब कब लगाए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को राज्य सरकार ने जून, १९६७ के प्रथम सप्ताह में निलम्बित करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो किन को और किस आरोप

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में तथा उक्त आदेश पर तामील क्यों नहीं हुई ?

उप मंत्री कृषि, (श्री हरीसिंह) (१) जी हाँ ! तारीख २३-१-६५ को एक वर्ष का वूल ग्रेडिंग व मार्केटिंग कोर्स प्रशिक्षण हेतु श्री दुबे व श्री चड्ढा को आस्ट्रेलिया भेजा गया था । इन अधिकारियों पर प्रत्येक पर लगभग १२,०००) इस प्रशिक्षण स्वरूप व्यय हुआ ।

(२) उक्त अधिकारियों द्वारा निर्धारित कोर्स से भिन्न कोर्स लिया गया । परन्तु इस परिवर्तन के लिए राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई । दोनों अधिकारियों से उन पर व्यय हुई धनराशि के वसूली के आदेश दिये गये हैं ।

(३) यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा इन अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के कारण इन पर व्यय हुई राज्य सरकार की धनराशि की वसूली के आदेश जारी किये गये थे परन्तु इन आदेशों की जब विभाग द्वारा पालना की जा रही थी तब दोनों अधिकारियों के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा राज्य सरकार को पुनः विचार करने को लिखा गया ।

(४) जी हाँ ! दोनों अधिकारियों के प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के पुनः विचार में थे । अब दोनों अधिकारियों को इस सम्बन्ध में चार्जशीट दी जा चुकी है व जांच जारी है ।

(५) चूंकि दोनों अधिकारियों के द्वितीय प्रार्थना पत्र निदेशक द्वारा राज्य सरकार को पुनः विचार करने हेतु भिजवाये गये थे, निदेशक द्वारा अन्तरिम रूप में वसूली स्थगित करना असंगत नहीं था ।

(६) श्री चड्ढा के विरुद्ध तो इसके अलावा कोई चार्जज विभाग द्वारा नहीं लगाये गये । परन्तु श्री दुबे के विरुद्ध जब कि वे वूल ग्रेडिंग आफिसर नवलगढ़ व पाली के पद पर कार्य कर रहे थे तब उनके द्वारा झूठे टी०ए० बिल तथा खरीद में अनियमितता तथा डबल डिसपैच रजिस्टर आदि रखने के आरोप लगाये गये हैं, जिनकी जाँच सरकार द्वारा की जा रही है । इसके अलावा श्री दुबे के विरुद्ध जब वे सहायक निदेशक के पद पर भेड़ व ऊन विभाग में कार्य कर रहे थे ऊन के बोरों की खरीद के विषय में भी अनियमितता की गई प्रतीत होती है जिसकी जाँच नियुक्ति विभाग द्वारा की जा रही है ।

(७) जी नहीं !

श्री हरजीराम बुरड़क : श्री दुबे के विरुद्ध आपने जो आरोप बताये हैं, वे ट्रेनिंग से वापस आने से पहले के हैं या बाद के ?

श्री हरिसिंह : एक तो ट्रेनिंग का मामला है, सरकार का पैसा वापस लौटाने का । अन्य आरोप ऐसे है जिनके लिये चार्जशीट दी है, वे पहले से ही हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न का यह उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा विचार करने के बाद, पुनविचार करने के बाद उसकी वसूली के आर्डर दे दिये गये । तो क्या किसी विभागाध्यक्ष के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाय, पुर्नविचार कर लिया जाय तो ऐसे आर्डर को स्थगित करने का एक विभागाध्यक्ष को अधिकार है ? और जो जायज मनी है उसकी वसूली को स्थगित करने में असमर्थ रहता है, ऐसा जो केस है तो विभागाध्यक्ष की यह कार्यवाही करना उचित मानती है सरकार ?

श्री हरिसिंह : जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो जो प्रक्रिया होती है कि किसी मामले में सन्देह होता है, प्राइमा फेसी केस बनता है तो फिर एक्सप्लेनेशन या रिप्रेजेंटेशन इन्वाइट किया जाता है । उसके बाद में स्पेसिफिक चार्जेज होते हैं तो उसके आधार पर एक चार्जशीट तैयार की जाती है । उसके उपरान्त यदि प्रतिवेदन या रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है और फिर उसमें सब्सटेंस होता है तो यह व्यवहारिक दृष्टिकोण है और वैसे भी न्यायोचित है कि उनके प्रतिवेदन के ऊपर विचार किया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह बात सही है ।

श्री अध्यक्ष : बुरड़क ! आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्त्ता श्री बुरड़क !

श्री हरजीराम बुरड़क : वसूली के आदेश देने से पूर्व क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से परामर्श किया था इस सम्बन्ध में ?

श्री हरिसिंह : जी हाँ !

श्री हरजीराम बुरड़क : फिर विभागाध्यक्ष के रिप्रेजेंटेशन के बाद फिर भारत सरकार को भेजेगी राज्य सरकार ?

श्री हरिसिंह : भारत सरकार से जहाँ तक पूछने का प्रश्न है वह कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत भेजा गया तो उसकी राशि कितनी थी, उन्होंने उसकी सूचना भेज दी और राय भेज दी । डिटेल्ड कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है । भारत सरकार द्वारा यह नहीं पूछा गया था कि सस्पेन्ड करा या नहीं । इसके बारे में राज्य स्तर पर कार्यवाही चल रही है, डिपार्टमेंटल कार्यवाही चल रही है । मैं निवेदन कर दूं कि यह आफिसर गजेटेड आफिसर है, इनके खिलाफ जो चार्ज शीट फ्रेम होती है उस के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्मेशन मंगाना आवश्यक होता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री श्रवण लाल !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह जो दुबे को भेजा गया

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : जब इसके खिलाफ चार्जेज थे तो ट्रेनिंग में भेजने का क्या कारण था ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है, इसको दबाया जा रहा है, इसकी इन्क्वारी नहीं की जा रही है। यह पुराना केस है, इसलिए इसके अन्दर जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए। इस प्रश्न में सदन में जो सूचना देनी चाहिए, उसको दबा दिया जाय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! श्री आर्य!

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है, इसमें इस प्रकार के घोटाले हैं लेकिन इन घोटालों को दबाया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कर लें कृपया।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की आये दिन सरकार की नीति रहती है...

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, शीघ्रातिशीघ्र ! शिक्षा मंत्री !

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स कौंसिल के पाँच प्रश्न मेरे पास हैं, इनको किस क्रम में रखा जाय !

श्री अध्यक्ष : एक साथ रख लें। एक प्रश्न स्पोर्ट्स कौंसिल का है, उसका पढ़ दें उत्तर, फिर दूसरे का पढ़ दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक साथ नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर राज्य सरकार ने दिया है...

श्री अध्यक्ष : मैं गम्भीरता से इस इन्ट्रप्शन को देख रहा हूँ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है ..

श्री अध्यक्ष : प्रश्न दूसरा ले लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऑफिसर ने बड़ी तादाद में गबन किया है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : उसने झूठे बिल बनाये हैं। वह ट्रेनिंग में गया उस वक्त गलती से दूसरी ट्रेनिंग में चला गया....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सदन मुझे सहयोग देगा। दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन का सहयोग चाहता हूँ। आगे कई प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। माननीय सदस्य अवरोध न करें। दूसरे प्रश्न लेना चाहता हूँ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अवरोध का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न न्याय का है। न्याय नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! श्री आर्य !

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल माननीय मंत्री से यह तो उत्तर दिलायें। वसूली के लिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, बहुत ओल्ड मामला है, इसको बेक रेफरेन्स कर दिया, फिर रेफरेन्श कर दिया। भारत सरकार ने कह दिया कि पैसा वसूल कर लिया जाय, राज्य सरकार ने कह दिया लेकिन हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने वसूली स्थगित कर दी। तो इससे झलक पड़ती है कि जबर्दस्त उसके साथ फेवरिटिज्म किया जा रहा है। इसकी सफाई नहीं हुई। इस सवाल को देखिये !

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, यह पहले वाला क्वेश्चन पोस्टपोन्ड है। इसमें ऐसा है कि जब चार्ज शीट दी गई है तो चार्ज शीट पर अन्तिम फैसला नहीं होता है तब तक के लिए किया गया है। छोड़ नहीं दिया गया है। सही बात है, चार्ज शीट जब देते हैं, तो मान लीजिये, चार्ज शीट के बाद बेगुनाह साबित होता है तो ? इसलिए रिकवरी के प्रश्न पर वसूली स्थगित की है। अब दूसरा प्रश्न यह पैदा होजाता है, स्थगित किया गया है, चार्ज शीट उसको दी गई है तो उसमें यह लिख दिया है कि चार्ज शीट दी गई है जब तक उसका फैसला होकर नहीं आये तब तक रिकवरी की प्रासीडिंग्स को स्टे कर दिया जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले वसूली के लिए क्यों आदेश दिये गये ?

श्री शिवचरण माथुर : मेरा निवेदन है कि जितने स्पोर्ट्स कौंसिल के प्रश्न हैं उनको एक साथ ले लिया जाय, और उसके बाद एक एक प्रश्न को लेते जायं या जैसा माननीय सदस्य कहें।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग प्रश्न अलग अलग तरह से पूछे गये हैं, एक साथ उनका जवाब दिया तो मिक्स अप हो जायेंगे सप्लीमेन्ट्री।

श्री शिवचरण माथुर : कन्टीन्यूटी नहीं रहेगी। उत्तर दे दूं, बाद में पूरक प्रश्न हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग दिला दीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अलग अलग रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अलग अलग रहने दे रहा हूँ।

श्री शिवचरण माथुर : तीन क्वेश्चन हैं उनमें से एक उत्तर दे देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जैसा उचित समझें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूँ कि प्रश्न एक साथ रख दें, पूरक प्रश्न हों उनका उत्तर बाद में दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आप एक का उत्तर दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल का लिया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न :

(१३-३-६८ व १६-३-६८)

राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल पर व्यय :

५६४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान स्पार्ट्स कौंसिल कब से कार्य कर रही है ?

(२) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल पर किस किस मद में सरकार का कितना कितना रुपया १९६७ तक व्यय हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल के जनरल मैनेजर ने हवाई जहाज से दौरे किये हैं ? यदि हाँ, तो कब कब और कहाँ कहाँ के ? प्रत्येक हवाई जहाज के दौरे पर कितना कितना खर्चा हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि स्पोर्ट्स कौंसिल में विदेशी शराब मंगाने का प्रावधान भी है ? यदि हाँ, तो किस वर्ष में कितनी कितनी शराब मंगावई गई है ?

(५) शराब का उपयोग किसके लिये किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल सन् १९५७ से कार्य कर रही है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) उक्त कौंसिल में कोई जनरल मैनेजर नहीं है।

(४) इस काम के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं है। किसी वर्ष में कोई उल्लेखनीय राशि व्यय नहीं की गई। अतः इस प्रकार के व्यय विविध तथा सामान्य खर्चे के अन्तर्गत होते हैं।

(५) केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर, माउन्ट आबू तथा अन्य प्रशिक्षण शिविरों में इसका उपयोग अधिकतर विदेशी प्रशिक्षकों (कोचेज) द्वारा किया जाता है। यह विदेशी टीमों व असामान्य विदेशी अतिथियों को भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त जनरलिस्ट्स तथा वी० आई० पी० विजिटर्स को भी उपलब्ध कराई जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह एक हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पर सप्लीमेन्ट्री कर लेते हैं। इसकी रिलेवेन्सी दूसरे के साथ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : यह क्वेश्चन पिछली बार स्थगित हुआ था, उस समय एक बात साफ कह दी थी, उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया था कि जनरल मैनेजर गलत लिख दिया है। इसमें बताइये कि स्पोर्ट्स कौंसिल के लोगों ने हवाई जहाज से कितनी यात्रा की और कितने रुपये का अमाउन्ट बना !

Page No. 42

श्री शिवचरण माथुर : वाइस प्रेसीडेंट मि० काक ने हवाई जहाज से यात्रा की उसका विवरण आपके पास पहुँचा दिया गया है।

श्री श्रवण लाल : नहीं पहुँचा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप बता दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब कब हवाई जहाज से, कहाँ कहाँ को, कितना कितना पैसा लगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पढ़कर बता दें तो अच्छा रहेगा।

श्री शिवचरण माथुर :

Date of Payment—

28.6.1965	–	Regarding Regional Coaching Centre, Udaipur.	Rs. 1780.00
22. 7.65	–	Regional Coaching Centre M. R. Krishnan, Delhi one way.	Rs. 135.95
27.10.65	–	Travelled for Council Works Delhi	Rs. 127.00
16.11.65	–	For Council Work—one way by Air, Delhi	Rs. 123.75
23.11.65	–	Regarding Fourth Plan–one way	Rs. 112.51

कुल मिलाकर ७५१.६० पैसे।

1966–67.

6. 5.1966	–	In connection with coaching camp at Mount Abu	Rs, ...—
3. 6.1967	–	One way by Air, Delhi	Rs. 135.35
11.11.67	–	To attend Cricket Association at Udaipur.	Rs. 111.00

कुल मिलाकर ४७३.३५ पैसे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि स्पोर्टस कौंसिल के वाइस चेअरमैन ने कभी भी ट्रेन से यात्रा नहीं की और हवाई जहाज से ही यात्रा करते रहे ?

Page No. 43

श्री शिवचरण माथुर : यह प्रश्न पूछा नहीं था। यह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास ऑफिसियल इन्फार्मेशन है। मेरे पास मेरे इस प्रश्न के उत्तर में दी गई ऑफिसियल इन्फार्मेशन है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता। हवाई जहाज के मुतल्लिक पूछा उसका मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये, क्या यात्रा के सम्बन्ध में स्पोर्ट्स कौंसिल ने कोई नियम बना रखे हैं या सरकारी नियम ही वहां पर हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकारी नियम लागू होते हैं। जो ऐअर सर्विस में जाने के लिए अधिकारी हैं उनको ही ऐअर सर्विस का टिकट मिलता है। मैं समझता हूं, जितने स्पोर्ट्स कौंसिल की स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर हैं वह ऐअर से जाने को अधिकृत हैं। काक गये तो यह उनका अधिकार था।

श्री भैरोंसिंह : किन नियमों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने स्पोर्ट्स कौंसिल के वाइस चैयरमैन को हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने निवेदन किया जो अधिकारी हैं अदरवाइज भी ऐअर से ट्रेवल करने के अधिकारी हैं। उनको यहां भी ऐअर से ट्रेवल करने का अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : किन नियमों के आधार पर इनको अधिकृत किया है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह नियम स्पोर्ट्स कौंसिल के अलग है। उनकी मुझे जानकारी नहीं हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि जो अधिकारी यह थे स्पोर्ट्स कौंसिल के वह अदरवाइज भी ऐअर से ट्रेवल करने के अधिकारी थे इसलिए यहां भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : स्पोर्ट्स कौंसिल के टी. ए डी. ए के सम्बन्ध में अलग से नियम नहीं हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी तो यही चाहिये। माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते थे या नहीं ? हवाई जहाज से यात्रा करने का अधिकार था या नहीं ? उसी सम्बन्ध में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया है।

श्री शिवचरण माथुर : श्री काक हवाई जहाज से जाने के अधिकारी थे या नहीं लेकिन वे अदरवाइज दूसरी तरह से अधिकारी थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या स्पोर्ट्स कौंसिल ने इस प्रकार के रिज्योल्यूशन पास किया है कि जिससे ये अधिकृत किये गये हों कि हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : स्पोर्ट्स कौंसिल की एक स्टेन्डिंग कमेटी है। जो आय-व्यय का ब्योरा रखती है और उसको स्वीकार करती है। स्टेन्डिंग कमेटी मंजूर करती है और यह सब स्टेन्डिंग कमेटी की जानकारी में है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी का सवाल नहीं है, बुनियादी सवाल है। अकाउन्ट रेगुलराइज कराने होते हैं, उसकी मंजूरी से रेगुलराइज हो जाते हैं। जितना खर्चा होता है, वह तो उसको ही रेगुलराइज करती है स्टेट के रूल्स से वे गवर्न नहीं होते, उनके स्वयं के कोई रूल्स नहीं हैं। किसी प्रकार की व्यवस्था तो होनी चाहिये। कोई व्यवस्था हो तो आप बता दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसी जानकारी नहीं है कि ऐसा प्रस्ताव है। मुझे जो बताया गया है, यह अधिकारी अदरवाइज भी ऐअर से ट्रेवल करने के अधिकारी थे। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो मैं अलग से जानकारी भेज दूंगा।

(श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री श्रवणलाल के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार के अदरवाइज अधिकारी थे !

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जिस प्रकार मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है शराब के विषय में चौथे प्रश्न के उत्तर में कि इस कार्य के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं है। किसी वर्ष कोई उल्लेखनीय राशि व्यय नहीं की गई है। अत: इस प्रकार के व्यय विविध तथा सामान्य खर्चे के अन्तर्गत होते हैं। इस खर्चे के अन्तर्गत होते हैं तो कितनी शराब आपने बताई ? एक ओर दूसरे आपने जिस प्रकार से लिया है प्रश्न ५ को कि केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर, माउन्ट आबू तथा अन्य प्रशिक्षण शिविरों में इसका उपयोग अधिकतर विदेशी प्रशिक्षकों (कोचेज) द्वारा किया जाता है। यह विदेशी टीमों व सम्माननीय विदेशी अतिथियों को भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त जनरलिस्ट्स तथा वी.आई.पी. विजिटर्स को भी उपलब्ध कराई जाती है। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं—वी.आई.पी. के अन्दर—

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो भी विदेशी शराब खरीदी गई है वह राजस्थान होटल कार्पोरेशन से खरीदी गई है ? इनके बिल के अगेन्स्ट में पेमेन्ट हुआ है ?

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी मुझे यहां पर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि विदेशी शराब खरीदी गई है वह विदेशी आने वाले व्यक्तियों के लिये ही काम में लाई गई है ? इस साल दो व्यक्ति आये हैं, उनका एन्टरटेनमेंट किया है ? ६ महिने से कोई विदेशी नहीं आया, यह मैं आपको बताता हूँ।

श्री शिवचरण माथुर : विदेशियों का भी जिक्र है, किन्तु इसमें जनरलिस्ट्स का भी जिक्र है, वी.आई.पी. भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लोकतन्त्र को बदनाम करने का तरीका है। ये समझते हैं कि जनरलिस्ट्स से डर कर नहीं बोलेंगे, पत्रकारों को पिलाई गई है, यह कह कर पत्रकारों को बदनाम किया जाता है। मैं राजस्थान के पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस किसने शराब पी है ? अध्यक्ष महोदय, केवल पत्रकारों को बदनाम करने का तरीका है। पत्रकारों की आड़ में शराब पी जाते हैं। यह बताया जाय कि किस किस पत्रकार ने शराब पो है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अलग से कैसे प्रश्न है। शराब ने सारे राजस्थान के जोवन को मिट्टी में मिला दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सरकार ने शराब पिलाने के सम्बन्ध में कोई नये नियम बनाये हैं ? इन नियमों के अन्तर्गत क्या कोई जनरलिस्ट्स आते हैं, उनकी लिस्ट है या कोई वी. आई. पी. आते हैं, उनकी लिस्ट है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : श्री रामानन्द अग्रवाल : (एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, पत्रकार होने के नाते मंत्री जी ने शराब पीने के लिये जो आरोप लगाया है, वह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री देवीदत्त गाड़िया : पत्रकारों को इस प्रकार बदनाम किया जाता है...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सामान्य नियमों के अन्तर्गत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज तक साढ़े बारह बजे बाद कभी प्रश्न नहीं लिये गये। २३ प्रश्न नहीं लिये। इस प्रश्न में क्या महत्व है, जिसको लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर। माननीय सदस्य !

Page No. 46

श्री रामचन्द्र आर्य : किसलिये यह प्रश्न पूछा जा रहा है और वह भी साढ़े बारह बजे बाद ....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि माउन्ट आबू में राजस्थान के अधिकारियों को इनवाइट नहीं किया गया था ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सूचना माननीय सदस्य ने चाही है उसका मैंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है। कौन से जनरलिस्ट्स को पिलाई है, कौन से वी.आई.पीज. को पिलाई है, इसको स्पोर्ट्स कौन्सिल से प्राप्त किया जायगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि...........

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री देवीदत्त गाडिया : गम्भीर आरोपों की कोई शिकायत आई है ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरा एक उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर स्थगित करने पड़ेंगे। माननीय सदस्य की आपत्ति है कि साढ़े बारह बजे बाद प्रश्न नहीं लिये जाएं।

श्री श्रवणलाल : मेरा एक ही प्रश्न है। एक ही प्रश्न पूछा है इसलिये मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह।

प्रश्न सं. ९४३।

स्थगित प्रश्न

(१९-३-६८)

स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान

९४३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) स्पोर्ट्स कौंसिल राजस्थान को सन् ६२ से लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा किस किस वर्ष में किस किस कार्य के लिये कितना कितना अनुदान दिया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) स्पोर्ट्स कौन्सिल का आडिट कब कब हुआ ? कृपया आडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। आडिट के आब्जेक्शन की पूर्ति किस प्रकार हुई है ? इसका पूरा विवरण प्रस्तुत करें।

(३) स्पोर्ट्स कौन्सिल के नियम, उप नियम क्या क्या हैं ? उनकी एक एक प्रति सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) स्पोर्ट्स कौन्सिल के पिछले दो वर्षों में एन्टरटेनमेंट तथा यात्रा व्यय कितना

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ है ? कृपया नाम यात्री तथा प्रत्येक यात्रा के खर्चे के विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखे ।' इसी प्रकार एन्टर-टेनमेंट में किस किस आईटम पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) कौन्सिल का आडिट ६६-६७ तक हो चुका है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सन् ६४-६५ से आडिट रिपोर्ट पर कौसिल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) पिछले दो वर्ष ६५-६६-व ६६-६७ का एन्टरटेनमेंट के खर्चे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । ६५-६६ में यात्रा के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । ६६-६७ का यात्रा व्यय अभी तैयार नहीं हुआ है । तैयार होने पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें समय समय पर जो आडिट ओब्जेक्शन्स हुए हैं उनकी अब तक कम्पला-येन्स क्यों नहीं की गई ?

श्री शिवचरण माथुर : दो ऑब्जेक्शन के केस हैं एक तो यह कि स्पोर्ट्स कौन्सिल रजि-स्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई । इसी प्रकार जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया वे भी रजिस्टर्ड नहीं । स्पोर्ट्स कौन्सिल ने कहा है स्पोर्ट्स को एन्करेज करने के लिये अनुदान दिया गया । रजि-स्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा यह कहा गया स्पोर्ट्स की जितनी भी सोसाइटीज हैं उनको रजिस्टर्ड करने का हमारे एक्ट में प्रावधान नहीं है । इसमें सरकार को लिखा है कि वे इस प्रकार से सुधार करें ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके ।

श्री भैरोंसिंह : स्पोर्ट्स कौन्सिल के नियमानुसार अनरजिस्टर्ड सोसाइटीज को ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जा सकती । इस चीज को सन् ६२ से ऑडिट पॉइन्ट आउट करता आ रहा है । आज सन् ६२ से ६८ हो गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री शिवचरण माथुर : जो प्रश्न स्पोर्ट्स कौन्सिल के सम्बन्ध में हैं वही प्रश्न इसी प्रकार की अन्य सोसाइटीज के बारे में भी हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जब कि स्पोर्ट्स कौन्सिल के जो नियम हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब तक इसका रजिस्ट्रेशन बाकायदा सोसाइटीज एक्ट के मातहत नहीं होता ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाय इसका वायोलेशन किया गया जब कि आडिट रिपोर्ट में एतरा-ज़ात किये थे ।

श्री शिवचरण माथुर : आडिट ओब्जे-क्शन आये वह उन सब बॉडीज के बारे में

(श्री शिवचरण माथुर)

हैं जिनको स्पोर्ट्स कौन्सिल से अनुदान मिला है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनका भी रजिस्ट्रेशन कहीं हुआ है क्योंकि उसमें इनके रजिस्टर्ड करने का प्रावधान नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स को लगातार ग्रान्ट-इन-एड दी जाती रही है जिन्होंने युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिये ?

श्री शिवचरण माथुर : आप स्पेसिफिक केस बतायें।

श्री भैरोंसिंह : इसका यह मतलब है आपने आडिट रिपोर्ट पढ़ी नहीं। हर एक आडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख है ? बिना युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ही ग्रान्ट इन एड दे दी गई ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : स्पोर्ट्स कौन्सिल क्या एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट की ब्रान्च है या सोसाइटी है ?

श्री शिवचरण माथुर : जैसा कि मैंने निवेदन किया वैसे तो यह आटोनोमस बॉडी है इसमें जितने भी पर्चेज होते हैं ? उसके लिये स्टेंडिंग कमेटी बनी हुई है वह अपना कार्यक्रम अपनाने के लिये स्वतन्त्र है राज्य सरकार के पास में उसका हिसाब आता है उसकी जांच होती है, आडिट अकाउन्ट की जांच होती है। फाइनेन्स कमिश्नर एज्युकेशन सेक्रेटरी इसके मेम्बर हैं जो राज्य सरकार के हित का ध्यान रखते हैं।

श्री केदारनाथ : इस कौन्सिल के मेन-फंक्शन्स क्या हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : स्पोर्ट्स के लिये दूसरी संस्थाओं को अनुदान देती है। स्पोर्ट्स को अच्छी लाइन पर चलाने के लिये प्रोग्राम आदि का इन्तजाम करती है।

श्री केदारनाथ : नॉन आफिशियल्स की नियुक्ति कौन करता है ?

श्री शिवचरण माथुर : गवर्नमेन्ट करती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है आपने जो इस प्रश्न के उत्तर में जो सूची सदन की मेज पर रखी है उन नियमों के अन्तर्गत खर्चा किस प्रकार किया जाय, अकाउन्ट किस प्रकार मेन्टेन किया जाय इसके लिये कोई नियम नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह प्रश्न दूसरा है कोई खर्चा नियमों के अन्तर्गत नहीं हुआ है तो बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अहम् है। जो खर्चे का स्टेटमेन्ट दिया गया है ६३ से लेकर ६७ तक स्पोर्ट्स कौन्सिल के वाइस चेयरमैन ने इन पांच वर्षों में ३५,५३१ रुपये टेलीफोन पर खर्च किये। टी० ए०, डी० ए० पर ६४,२१६ रु०, एडवरटाइजमेन्ट पर ३४,२५२ और मिसलेनियस शराब आदि पर ५४,८४१ रुपये। इस तरह से इन सबका हिसाब लगाकर देखा जाय तो पता चलेगा इस खर्चे को किस प्रकार से रेगुलेराइज किया गया, इसको किस प्रकार

(श्री भैरोंसिह)

से व्यवस्थित ढंग से चलाया जाय उसके बारे में कोई नियम नहीं हैं। इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री शिवचरण माथुर : जो हिसाब के आंकड़े बताये हैं वे ६ साल के हैं। एन्टरटेनमेन्ट पर ५४ हजार रुपया है उसका प्रतिशत लगायेंगे तो बहुत थोड़ा अमाउन्ट हर साल आता है।

श्री भैरोंसिह : इसमें जैसा कि आपने बताया ६५–६६ में चार हजार और ६४ में दस हजार एन्टरटेनमेन्ट पर खर्च किया गया यह बेलेन्स एक साल में कम दूसरे में इतना ज्यादा कैसे हुआ ?

श्री देवीदत्त गाडिया : काक साहब ने साड़िया खरीदी हैं।

श्री शिवचरण माथुर : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। और शराब के बारे में आपने कहा डिटेल्स मेरे पास नहीं इसलिये मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि जो स्पोर्ट्स मेटिरियल खरीदा जाता है बिना टेन्डर इनवाइट किये ही खरीदा जाता है ? और स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के निवेदन करना चाहता हूँ जिस समय अकाउन्ट्स ऑडिट होते हैं उस समय गलत रजिस्टर पेश किया जाता है। सदन की जानकारी के लिये किस प्रकार से दूसरे रजिस्टर बनाते हैं उसके लिये उसका ओरीजिनल रजिस्टर सील्ड कवर में मैं सदन की टेबल पर प्रस्तुत करूंगा। आपको भी नहीं देऊंगा; अध्यक्ष महोदय, उस हालत में मैं दे सकता हूँ आप सारे अकाउन्ट्स के बिल्स वाउचर आदि अपने कब्जे में ले लें। अध्यक्ष महोदय, उस समय मेरे रजिस्टर की सील खोली जाय जब कि आप अपने पास सारा रेकार्ड हासिल कर लें। आपको पता चल जायगा किस तरह से फोर्ज्ड वाउचर्स बनाये जाते हैं और रजिस्टर किस प्रकार से फोर्ज्ड बनता है। इस तरह से पांच छः लाख का घोटाला होता है जिसका कोई अकाउन्ट नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें और सारे अकाउन्ट्स की जाँच करें। या सदन की एक कमेटी बनायें या स्वयं मंत्री महोदय ही जाँच कर लें। अध्यक्ष महोदय, यदि आपको सन्तोष हो जाय तो सदन को भी सन्तोष हो सकता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इनके रजिस्टर्स गायब हो जाते हैं, मेटिरियल खरीदा गया, किससे खरीदा गया, कब खरीदा, टेन्डर इनवाइट किये या नहीं किये, सामान कहाँ चला गया, इसका कोई पता नहीं। कोई भी रजिस्टर स्टॉक रजिस्टर नहीं रखे जाते। रजिस्टर में पेज नम्बर नहीं दिये होते। जो रजिस्टर हैं उनमें आप पायेंगे पेज पर पेज फटे हुए हैं। ऑडिट वालों को जब उनके रजिस्टर तैयार हो जाते है तब ऑडिट के लिये बुलाते हैं। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि इस सारे मसले की जांच के लिए जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जानी चाहिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं। हमारे सदन के उपाध्यक्ष

(श्री भैरोंसिह)

इस स्पोर्ट्स कौंसिल के चेयरमैन हैं मैं उन पर किसी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाता, न मैं किसी पर मोटिव इम्प्यूट ही करना चाहता हूं। मैं किसी की इन्ट्रीगिटी पर डाउट भी नहीं करना चाहता। किसी न किसी रूप में जब उनका संबन्ध आता है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस बारे में जांच हो जाय और वह भी इन्डिपेन्डेन्ट जाँच हो उसके सामने यह सारा मसला जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : स्पोर्ट्स कौंसिल के ज़रिये से खेलों के ज़रिये से शराब का वितरण कतई नहीं होना चाहिये। जहाँ स्पोर्ट्स के ज़रिये विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण का प्रश्न है वहाँ शराब चलती हो, यह बहुत भयंकर बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। यहाँ भी शराब आ गई।

श्री भैरोंसिह : मुझे पत्रकारों की तरफ से सूचना मिली है कि राजस्थान के पत्रकारों ने किसी ने शराब नहीं पी इस तरह की इत्तला सदन को दे दी जावे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : और मन्त्रीजी ने जो पत्रकारों पर आरोप लगाये हैं वे सदन की प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज कर दिये जावें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं अविकल रूप से जो पत्र स्पोर्ट्स कौंसिल से मिला है वह प्रस्तुत कर रहा था। मैंने अपनी तरफ से कुछ कहा हो, यह नहीं मानना चाहिये। जो जानकारी मुझे स्पोर्ट्स कौंसिल से मिली है वह मैंने सदन में प्रस्तुत की है। अब आपने खरीद के बारे में जिक्र किया कि इनमें घोटाले हैं। आपको जो भी जानकारी इस बारे में है उसे आप मुझे दे दें तो मैं आपका आभारी होऊंगा, मैं उसकी और जानकारी करा लूंगा। पर मुझे सूचना मिली है कि स्पोर्ट्स कौंसिल में एक स्टेंण्डिंग कमेटी है जो पर्चेजेज को लुक आफ्टर करती है।

श्री भैरोंसिह : कमेटी होगी, मैं नहीं कहता नहीं है। ये पर्चेजेज में घोटाले नहीं होते तो मिसेज भारतीया इस्तीफा देकर नहीं जातीं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निश्चित रूप से इसकी जानकारी कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका रजिस्टर सदन की मेज पर रखा हुआ समझा जावे ?

श्री भैरोंसिह : मैं इसे सील करके देना चाहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर यह इसी तरह दे दिया जावेगा तो सदन की प्रोसीडिंग्स के अन्दर पूरा रिकार्डिंग छपेगा। आप सील करवाकर अपने पजेशन में रखें, या हाउस की कमेटी बनावें या आप स्वयं इस मामले को देखें। कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : हाउस की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह मुझे सुपुर्द कर रहे हैं सील करके ?

श्री भैरोंसिंह : इससे कोई अविश्वास की बात समझते हों तो ऐसी बात नहीं है। अविश्वास का सवाल नहीं हैं। पर मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट और आडिट वाले आज किस स्थिति में चलते हैं इसकी जानकारी सदन को भी मिले। गलत सलत अकाउन्ट्स आडिट के सामने पेश कर दिये जावें, वे आडिट हो जावेंगे। सरकार उसको मन्जूर कर लेगी। मैं सरकार का भी टेस्ट लेना चाहता हूँ और साथ ही आडिट का भी टेस्ट हो जावेगा, दूसरों का भी होगा इस रजिस्टर को पेश करने से कि किस प्रकार से असल रजिस्टर की अनुपस्थिति में फर्जी हिसाब-किताब बनाकर आडिट कराया जाता है और आडिट करने में गलत वाउचर कैसे बनाये जाते हैं। इन गलत वाउचरों का अकाउन्ट कैसे रखा जाता है। तो इसकी जानकारी लेने और इसे टेस्ट करने के लिये इस असल रजिस्टर को तभी खोला जावे जब उसकी आडिट रिपोर्ट सरकार को मिल जावे, आपको मिल जावे। तब तसल्ली करके आप उस आडिट रिपोर्ट का और आडिटेड हिसाब का मिलान इस असल रजिस्टर से करके देखें कि कैसे यह सारा काम होता है। तो ये हिसाब-किताब के कागजात आपके पास आने चाहिये पहले।

श्री अध्यक्ष : कागज कौन से ?

श्री भैरोंसिंह : इस रजिस्टर से सम्बन्धित।

श्री अध्यक्ष : यह रजिस्टर कौनसा है ?

श्री भैरोंसिंह : यह मुझे भी पता नहीं कौनसा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह स्पोर्ट्स कौंसिल का रजिस्टर है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जो भी है, आप यहाँ रख दीजिये।

श्री सारण।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इससे सम्बन्धित मेरा प्रश्न भी बाकी है।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): गृह मन्त्रीजी की तबियत खराब होने से यहाँ से चले गये हैं। उप मन्त्रीजी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल। आयुर्वेदिक।

स्थगित प्रश्न

(३-४-६८)

आयुर्वेदिक औषधालय किशनगढ़ रेनवाल के वैद्य को वेतन का भुगतान

१०७६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशनगढ़ रेनवाल के आयुर्वेदिक औषधालय के वर्तमान वैद्य को करीब १५ हजार रुपया पिछले वर्षों के वेतन के रूप में चुकाये गये हैं ?

(श्री श्रवणलाल)

(२) उक्त वैद्य जिन वर्षों का उन्हें वेतन चुकाया गया है, कहाँ, कहाँ पर कार्य करते रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य ने १९५८ में अप्रेल में विभाग को त्याग-पत्र दे दिया था ?

(४) क्या यह सही है कि वे जोबनेर पंचायत समिति में सहवृत सदस्य भी रहे हैं ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त वैद्य किशनगढ़ रेनवाल न्याय पंचायत के सदस्य रहे हैं ?

(६) क्या यह सही है कि उन्होंने १९६४-६५ में किशनगढ़ रेनवाल ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव भी लड़ा था ?

मंत्री, आयुर्वेद (श्री अमृतलाल यादव) : मैं बाद में उत्तर दूंगा इसका, अध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह खेद का प्रश्न है कि यह कई बार स्थगित हुआ है प्रश्न। एक वैद्य से यह सम्बन्धित है। इसमें कोई सम्पूर्ण राजस्थान से जानकारी नहीं करनी है। केवल एक वैद्य जो सरकारी नौकरी में रहा, एक बार वहाँ से इस्तीफा देकर पंचायतों के चुनाव लड़ता रहा। सरपंच बनता रहा। फिर सरकारी नौकरी में चला गया। और उसको १५ हजार का एरियर का भुगतान कर दिया गया। तो एक व्यक्ति के बारे में यह सवाल है सिर्फ उसको देने में सरकार को क्या कठिनाई आ रही है ? बार बार यह सवाल कब तक टलता रहेगा। अगर सरकार ने गलती की है तो हाउस में स्पष्ट कह दीजिये कि हाँ, सरकार ने गलती की है। माफ करें।

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह से स्थगित कराने की प्रार्थना करने से आसन को भी क्षोभ होता है। फिर भी अगर मुझे पूर्व सूचना दे दी जाती तो मैं सदन का सहयोग इसमें प्राप्त करने का प्रयत्न करता। अब इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि इसे स्थगित करें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इसके बारे में आसन ने स्पेसिफिक रूलिंग भी दे रक्खी है कि इसका उत्तर कल जरूर दे दिया जावे। तो इसका तो आज जवाब मिलना चाहिये। इस तरह आसन की रूलिंग की भी अवज्ञा ये कब तक करते रहेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर आसन के आदेशों की अवहेलना इधर से बैठने वाला कोई सदस्य करे तो उसको सार्जेन्ट से उठवाकर सदन से बाहर निकलवा देते हैं। अब वे आसन के आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनको क्यों नहीं निकालते ? यह सदन उठने से पहले पहले जवाब मिलना चाहिये। नहीं तो आप आसन के आदेशों की अवहेलना दण्ड स्वरूप एक को बाहर निकलवा दीजिये। आप थोड़ा सा जोर देकर कह दें तो शाम तक जवाब आ जावेगा। नहीं तो ये समझते हैं कि कल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हाउस एडजोर्न हो जावेगा। और यह प्रश्न वैसे ही टल जावेगा।

श्री अध्यक्ष : मेरी इस प्रश्न पर विवशता है। आपने तो सार्जेन्ट का नाम ले लिया। अब उसका प्रयोग में करूं न करूं यह अलग प्रश्न है। प्रश्न का जवाब देने के लिये मैं विवश कैसे कर सकता हूं सरकार को ?

श्री नत्थीसिंह : कल व्यवस्था दी है साहब आसन ने।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आपको तो अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं है। मंत्री को जवाब देने के लिये विवश नहीं कर सकते। बंगाल में और पंजाब में तो सरकारों को विवश कर दिया आसन ने।

श्री अध्यक्ष : बंगाल और पंजाब के प्रश्न पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं अपनी सीमाओं में रहना चाहता हूं सदन और संविधान के आदेश हैं उनके अन्तर्गत ।

श्री नत्थीसिंह : तो मंत्रीजी जानबूझकर प्रश्न का सीधे से मामले का जवाब न दें और आप कुछ कर न सके तो इस से लाभ क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं। जैसा आपने निवेदन किया कि कल भी यह लिया गया, आज भी लिया गया। मन्त्री महोदय फिर भी इसे स्थगित करने का आग्रह कर रहे हैं। मैंने अपनी विवशता प्रकट की है। मैं उनको जबर्दस्ती तो उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पीछे कुर्सी पर बैठ जावें।

श्री अध्यक्ष : इससे आपको क्षोभ है, मुझे क्षोभ है और उत्तर नहीं आता है नियमों के अन्तर्गत और कुछ भी कार्यवाही हो सकती है। मैं इस सम्बन्ध में मौन रहना चाहूंगा। पर चाहूंगा कि अगर इसका उत्तर आज दे सकते हों, या कल दे सकते हों तो मैं कल विशेष व्यवस्था कर दूंगा उत्तर दिलाने की।

श्री अमृतलाल यादव : मुझे स्वायत्त शासन मन्त्री से यह प्रश्न आज मिला और आज की आज सूचना दूर से मंगवा कर कैसे दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : कल दे सकते हैं क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : कल भी सम्भव इसलिये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से वैद्य का सम्बन्ध आता है और वहाँ से इसका रिकार्ड मालूम करने की बात आती है। वह लिक्विडेट करने की बात हैं रिकार्ड देखकर। पर आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उत्तर प्राप्त करके माननीय सदस्य की सेवा में भेज दूंगा।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एक साल से चल रहा है। ये केवल टालने की बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या अब तक उत्तर नहीं मंगा सकते थे ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को ज्यादा विवाद में मत डालिये।

श्री श्रवणलाल : आपकी व्यवस्था के अनुसार भी आसन ने आश्वासन दिया था कि इसका उत्तर कल दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। उप गृह मन्त्री।

श्री श्रवणलाल : जब किशनगढ़ रेनवाल यहां से कोई अधिक दूरी पर भी नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(२३-३-६८) व (३०-३-६८)

बीकानेर—देहली को रेल्वे लाइन के बीच पारण द्वार के बन्द करने से जनता को परेशानी।

७९१. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—
(१) क्या यह सही है कि चूरू जिले में बीकानेर—देहली रेल्वे लाइन पर जिस समय यह रेल्वे लाइन बनी थी (बीकानेर स्टेट रेल्वे) तब से पारण द्वार (फाटक ग्राम रास्ता) चार चार स्लीपर रेल्वे द्वारा लगा कर बनाए हुए थे जो जनता के आवागमन की सुविधा के लिए थे ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसे सब पारण द्वार रेल्वे विभाग द्वारा लगभग ४-५ वर्ष पूर्व यकायक खाइयां लगा कर बन्द कर दिये गये जिससे ग्राम जनता के आवागमन का माध्यम बिल्कुल रुक गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि जन सामान्य की उक्त कठिनाइयों को मद्‌देनजर रखते हुए पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ व जिला परिषद् चूरू द्वारा इस कठिनाई के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री, राजस्व मन्त्री तथा यातायात सचिव को कई बार लिखा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि रेल्वे ने ऐसे रास्तों को 'डी' श्रेणी के रास्ते मान कर बन्द किये हैं जिन पर बैलगाड़ी, गाड़ी मोटर आदि नहीं चल सके जबकि ये रास्ते 'डी' श्रेणी के कभी नहीं रहे हैं व हर प्रकार की गाड़ियों आदि के लिये सदैव खुले रहे हैं ?

(५) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ ने ऐसे तमाम बन्द पारण द्वारों की सूची भी राज्य सरकार को पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई।

(६) क्या यह भी सही है कि उत्तर रेल्वे के साथ राजस्थान सरकार का यह निर्णय है कि ऐसे रास्तों के लिए राजस्थान सरकार अपनी राय देगी तथा जिन रास्तों की सूची राजस्थान सरकार पेश करेगी वे ही रास्ते उत्तरी रेल्वे खोलेगी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उक्त रास्तों की सूची उत्तर रेल्वे को प्रस्तुत कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(७) क्या राज्य सरकार रेल्वे लाइन के दोनों ओर बसने वाले गावों और कस्बों के निवासियों के आवागमन यातायात में आने वाली प्रतिदिन की इस गम्भीर कठिनाई को महसूस कर इसका निवारण करना उचित

Page No. 55

(श्री दौलतराम सारण)

समझती है ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(८) क्या यह भी सही है कि ऐसे अधिकांश रास्ते एक गांव से दूसरे गांव जाने के, जलाशयों पर जाने के, खेत खलियानों पर जाने के लिए हैं तो समय समय पर हुई पेमाइशों में राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ते दर्ज हैं, परन्तु जहां रेल्वे लाइन क्रोसिंग होता है वहां पर ऐसे रास्तों की परिभाषा चाहे कुछ भी हो, बन्द कर दिए गए हैं ?

(९) चूरू से लेकर बेलासर तक की कितनी दूरी है और इस दूरी पर कितने रास्ते रेल्वे द्वारा खोले हुए हैं ? ऐसे रास्तों की संख्या जो रेल्वे यार्डों से बाहर खुले हुए हैं, प्रत्येक रास्ते की दूरी सहित बतलायें जाय ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : यह रेलवे से ताल्लुक रखते वाला प्रश्न है । जानकारी कर रहे हैं । इसे स्थगित किया जावे ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले दो बार स्थगित हो गया है । यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित नहीं है । सामान्य प्रसाशन से सम्बन्धित है । यह दस लाख लोगों के आवागमन के प्रश्न से सम्बन्ध रखता है । सात वर्षों से पंचायत समिति और जिला परिषद् बराबर सरकार से अनुनय विनय करते आ रहे हैं । यातायात मन्त्री, मुख्य मन्त्री, स्वायत शासन मन्त्री, और सचिवों को मुख्य सचिव को सबको पत्र लिखे हैं । पर न एक का उत्तर आता है, न काम हो रहा है । ये रेलवे के साथ जैसा समझौता है उसके मुताबिक कार्यवाही भी नहीं कर रहे हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री दौलतराम सारण : इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपसे ....

श्री अध्यक्ष : मैं विचार कर रहा हूं । व्यवस्था का प्रश्न है एक ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आज की कार्य सूची के अनुसार अल्पकालीन सूचना प्रश्नों में मेरे भी तीन प्रश्न थे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि एक ही विभाग से सम्बन्धित और प्रकार के अन्य दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो उन प्रश्नों को छोड़कर उनके सन्दर्भ में तीसरा प्रश्न साथ साथ चल रहा था उनको हटाकर बीच में ......

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था को स्वीकार करता हूं । कृपया स्थान ग्रहण करिये । मैं इसको स्थगित करता हूँ, कल पर रख देता हूँ और सूचना प्राप्त हो सके तो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा प्रश्न जागीरदारों से मुआवजा वाला ठेके वाला ।

(१'म. प.)

अल्प काल सूचना प्रश्न

(राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल में नियुक्ति)

३. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल में जो क्रीडा व्यवस्थापक के स्थान पर अस्थाई पदोन्नति ६ माह के लिए की गई उसका क्या आधार था ? वह सिनियरिटी के आधार पर की गई अथवा अन्य आधार पर ? यदि अन्य आधार पर की गई तो क्या ?

(२) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल में जो तीन पद प्रशासनिक है यानी सेकेटरी स्पोर्ट्स आर्गनाईजर व एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेन्ट, इन पर जो नियुक्तियां हुई वे कब हुई और किन आधारों पर ? क्या इन नियुक्तियों में सिनियरिटी का ध्यान रखा गया ?

(३) उपरोक्त नियुक्तियों के आधारों पर जो निर्णय लिया गया है निर्णय को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या क्रीड़ा व्यवस्थापक की नियुक्ति के लिये हाल ही में कोई विज्ञापन निकाला गया है ? यदि हां, तो बाकी दो अधिकारियों की नियुक्ति के लिये क्यों नहीं निकाला गया ?

(५) यदि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल में ही ऐसी आवश्यक योग्यता वाले प्रशासक हैं तो उनको उक्त पद पर प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया ?

रीजनल कोचिंग सेन्टर, उदयपुर

४. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रीजनल कोचिंग सेंटर, उदयपुर कब से आरम्भ हुआ और उसको जो अनुदान दिया गया है उसका आफिसियल रिकार्ड रखा गया है ? यदि रखा गया तो कब से और जिनको सामान दिया गया उसकी रसीदें भी रखी गई या नहीं ? यदि नहीं रखी गई, तो क्यों नहीं ?

(२) जो सामान खेलकूद का टूट फूट गया वह सामान अब कहां है और उसकी आज की स्थिति क्या है ? यदि ऐसा सामान उपलब्ध नहीं है, और कम है तो वह कहां गया ?

इन्चार्ज रीजनल कोचिंग सेन्टर, उदयपुर

५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या श्री एन० एल० कछरा, इन्चार्ज रिजनल कोचिंग सेन्टर, जयपुर ने श्री द्वारकेश हाकी टूर्नामेन्ट को अनुदान के लिये सन् १९६५ अथवा उसके आस पास १०००) प्राप्त किया ? यदि हां, तो क्या यह रुपया उन्होंने उक्त टूर्नामेन्ट की समिति को दे दिया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या स्पोर्ट्स कौंसिल के अकाउन्ट्स में ऐ विशिष्ट अंग मिसलेनियस हैड का है ? क्या यह मिसलेनियस हैड व्यवस्था अकाउन्ट्स में इधर उधर के भोज शोक दर्ज करने के लिये की गई है ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(३) उक्त मिसलेनियस हैड के अन्तर्गत एटरटेनमेंट के बिल दिये जाते है उनके साथ में वाउचर्स एवं तो सम्बन्धी डिटेल्स दिये जाते है या नहीं मिसलेनियस हैड में किस प्रकार के खर्च का इन्द्राज किया जाता है ? सन् १९५९ से ६७ तक मिसलेनियस हैड में कितने खर्च का इन्द्राज हुआ ? प्रत्येक वर्ष का अलग अलग ब्योरा देवें और इसके अकाउन्ट्स सन् १९५९ से ६७ तक की सूची भी सदन की मेज पर रखो जाय ?

प्रश्न संख्या ३.

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (१) राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल में क्रीड़ा व्यवस्थापक के स्थान पर जो प्रशिक्षक काम कर रहे थे, उनमें स्थायी समिति ने पूर्ण विचार करके जिसे उचित समझा प्राबेशन पर रखा। यह एक ऐसा पद है जिस पर केवल सीनियोरिटी का ही ध्यान रखना सम्भव नहीं। इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति में आयोजन क्षमता, उचित व्यवहार एवं समस्याओं को हल करने की क्षमता आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार स्थायी समिति ने योग्यता को देखते हुए उसे नियुक्त किया।

(२) राजस्थान खेल परिषद में प्रशासनिक पद सिर्फ सेक्रेटरी और क्रीड़ा व्यवस्थापक के माने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेन्ट का नहीं। प्रारम्भ में भी क्रीड़ा व्यवस्थापक का पद विज्ञापन द्वारा ही चयन करके भरा गया था। सरकार ने नये पेन्शन कानून के अन्तर्गत स्पोर्ट्स कौंसिल के तत्कालीन सेक्रेटरी ने ५५ वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण अवकाश ग्रहण किया और उस समय सेक्रेटरी के तुरन्त बाद दूसरा पद स्पोर्ट्स आर्गेनाइजर का था, जो कौंसिल में ही दूसरे आफिसर के पद पर काम कर रहे थे, उन्हें यह पद दिया गया। उक्त पद पर उन्हें पहले ६ महीने के लिए प्राबेशन पीरियड पर रखा गया जो आगे जाकर एक साल का हो गया।

(३) इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में स्थायी समिति ने जो निर्णय लिये उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) क्रीड़ा व्यवस्थापक का पद भी परिषद की स्थायी समिति के निर्णयानुसार प्रशिक्षकों में से ही पदोन्नति करके भरा गया।

(५) परिषद के हितों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने पदोन्नति व नियुक्ति हर प्रकार की योग्यता को देखते हुए की है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

उत्तर

प्रश्न संख्या ४.

१—रीजनल कोचिंग सेन्टर, उदयपुर में १-४-६३ से शुरू हुआ और अब तक जो उनको अनुदान दिया गया है उसका हिसाब रखा गया है व जो सामान दिया गया है, उसका पूरा हिसाब रखा गया है।

२—खेलकूद का सामान जो बेकार हो जाता है और किसी काम नहीं आ सकता,

(श्री शिवचरण माथुर)

उस सामान की न काम में आने की स्थिति को देखते हुये उचित अधिकृत व्यक्तियों द्वारा चैक करने के बाद यदि वह नीलाम करने की हालत में पाया जाता है तो नीलाम कर दिया जाता है, जिसका रेकार्ड भी रखा जाता है। काफी सामान कन्ज्यूमेबिल नेचर का होता है जैसे गेंदें, बल्ले, शटल कॉर्क्स आदि।

हर साल (वित्तीय) के समाप्त होने पर खेलकूद के सामान का फिजिकल चेकिंग उचित अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और उसके बाद ही ऊपर लिखी पद्धति अपनाई जाती है।

प्रश्न संख्या ५.

(१) श्री एन० एल० कछारा रीजनल टूर्नामेंट उदयपुर के इन्चार्ज है न कि जयपुर के। १०००) रुपये की धनराशि कांकरोली में हुये हाकी टूर्नामेंट के लिये श्री एन० एल० कछारा जो कि उसकी आर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य भी थे और स्पोर्ट्स कौंसिल के मेम्बर हैं के हवाले से भिजवाई गई थी और उसकी प्राप्ति सूचना भी श्री कछारा द्वारा आई है।

(२) स्पोर्ट्स कौंसिल के अकाउन्ट्स में मिसलेनियस हैड हैं उसमें एन्टरटेनमेंट का खर्चा भी सम्मिलित किया जाता है, मोज शौक का कोई खर्चा नहीं होता है।

(३) बिल वाउचर्स अथवा सर्टीफिकेट दिये जाते हैं। ६२-६३ से अब तक जो एन्टरटेनमेंट का खर्च हुआ है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ५६ से ६१ तक का एन्टरटेनमेन्ट का जो खर्चा हुआ है, उसका रेकार्ड खोजा जा रहा है। मिसलेनियस हैड में अन्य खर्च मरम्मत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वर्दी, फोटो आदि भी सम्मिलित है। यथा सम्भव मिसलेनियस हैड में जो खर्चा हुआ, उसके वाउचर्स या सर्टीफिकेट रेकार्ड में मौजूद हैं। ६२-६३ से ६६-६७ तक का मिसलेनियस हैड पर जो खर्चा हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कौंसिल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा के कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं। स्टेंडिंग कमेटी अपने तौर पर निर्णय लेकर इस प्रकार की नियुक्तियां करती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं नियमों की बात पूछता हूँ।

श्री शिवचरण माथुर : ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो फिर क्या नियमों के अभाव में राज्य सरकार के सामान्य नियमों का अनुपालन किया जाता है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह सोचा जाता है कि उस तरह के नियमों का पालन करें

(श्री शिवचरण माथुर)

और इस बारे में स्टेंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन है उसको देखने से मालूम होगा कि स्पोर्ट्स आर्गेनाइजर थे उनका टेम्प्रेरी बेसिस पर प्रमोशन किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : में उस रिजोल्यूशन की बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो यह पूछता हूँ कि नियमों के अभाव में क्या सामान्य नियमों का अनुपालन किया जाता है ? हां या ना बस दो में एक ही उत्तर होगा।

श्री शिवचरण माथुर : इस केस में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें सामान्य नियमों का पालन इसलिए किया गया है कि ६ महीने के लिए टेम्प्रेरी बेसिस पर अपाइन्टमेंट किया गया है। उसका ६ महीने के लिए और एक्सटेन्शन किया गया उसका कन्फर्मेशन अभी नहीं हुआ है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या नियमों का परिपालन किया जाना चाहिए था ?

श्री शिवचरण माथुर : जरूर किया जाना चाहिए था ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्योंकि आपने इस प्रश्न के खण्ड २ के उत्तर में कहा है कि सरकार के नये पेन्शन रूल्स के मुताबिक अपनी वह पेन्शन के अधिकारी हो गये तो एक तरफ तो आप सामान्य नियमों का अनुपालन करते हैं और दूसरी जगह नहीं करते हैं इसका क्या कारण है ?

श्री शिवचरण माथुर : कहां नहीं किया गया है यह बताइये ?

श्री दुर्गालाल बाढदार ; नियुक्ति में तो करते नहीं और पेन्शन में करते हैं इसका क्या कारण है ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक स्पोर्ट्स कौंसिल के सेक्रेटरी का सवाल है उसकी नियुक्ति ६ महीने के लिए टेम्प्रेरी की गई और उसका प्रमोशन का सवाल कौंसिल के विचाराधीन है। इसमें अनियमितता कोई नहीं हुई है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : रीजनल कोचिंग स्कूल को कितनी कुल धनराशि दी गई है और उसने क्या क्या उन्नति की है।

श्री शिवचरण माथुर : इसको सूची आपको दे दी गई है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : इसकी कोई सूची आपने नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : अन्य प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे महत्वपूर्ण चार-पांच प्रश्न हैं। मैं तो लिखकर लाया हूं इसलिए कि मैं समय नष्ट नहीं करूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अन्य प्रश्न

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा वह टोंक वाला प्रश्न रह गया उसका उत्तर दिलाया जाये।

स्थगित प्रश्न

(२-४-६८)

भूतपूर्व जागीरदारों के कर्जों के क्लेम

१०४५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फर्म मगनीराम भभूतसिंह टोंक ने कुछ भूतपूर्व जागीरदारों की तरफ अपने पुराने कर्जों का क्लेम राज्य सरकार के समक्ष पेश किया था ? यदि हां तो ये कर्जे किस किस जागीरदार के नाम कितनी कितनी रकमों के थे. कौन कौन सी तारीखों में लिए गए थे, किस व्याज की दर पर लिये गये थे और किस किस कार्य हेतु लिए गये थे ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने यह भी क्लेम किया था कि उक्त कर्ज भूतपूर्व टोंक राज्य द्वारा अदायगी के लिए गारन्टी शुदा थे ?

(३) क्या राज्य सरकार ने इन कर्जों को राज्य सरकार द्वारा अदायगी करने की गारन्टी की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को ऐसे दस्तावेजात मिले हैं जिसमें भूतपूर्व टोंक राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की गारन्टी दी गई थी ?

(४) राज्य सरकार ने फर्म मगनीराम भभूतसिंह द्वारा जितनी रकमों के कर्जों का क्लेम किया था उनमें से किस किस कर्जे की किस हद तक अदायगी की जिम्मेवारी स्वीकार की और किस किस की नहीं की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या सरकार ने इन कर्जों की अदायगी के क्लेम को स्वीकार करने से पहले यह जांच पड़ताल करली थी कि इन कर्जों की अदायगी सम्बन्धित कर्जदारों द्वारा करदी गई थी अथवा नहीं ?

(६) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तथाकथित कर्जदारों के वारिसों को केश जागीर उन्मूलन एक्ट के तहत खानदान अलाउन्स के बदले मिलने वाले मुआवजे से उक्त फर्म के कर्ज को काटने के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश किस किस कर्जे के सम्बन्ध में किन किन वारिसान को मिलने वाले मुआवजे के बारे में जारी किये गए हैं ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त कर्जदारों के कुछ वारिसान ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन किया है कि उक्त कर्जों की अदायगी हो चुकी है तथा इन कर्जों को स्वीकार करने से पूर्व राज्य सरकार ने तथाकथित कर्जदारों के वारिसान को नहीं बुलाया गया ? यदि हां तो क्या उनकी यह शिकायत सही पाई गई. तथा इस प्रकार का ऐतराज किस किस वारिस ने किया था और किस किस का ऐतराज सही पाया गया ?

(८) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त फर्म को इन कर्जों के मद में काफी रकम अदा कर चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी रकम बकाया रहती है ? कृपया सूची

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(६) क्या सरकार ने जिन वारिसों ने नहीं चुने जाने का ऐतराज किया है उनसे इन कर्जों की पूर्व अदायगी के बारे में जांच पड़ताल की है यदि हां, तो इस जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) अध्यक्ष महोदय, वह प्रश्न आज की सूची में नहीं आया था इसलिए मैं उसको नहीं लाया हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसका कल संकेत दिया था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : संकेत तो दिया था लेकिन आज की सूची में वह प्रश्न नहीं था इसलिए आज वह फाइल नहीं लाया हूँ। कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट बिजनेस

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और रहता है…

श्री अध्यक्ष : अच्छा पूछ लीजिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न संख्या १३२ के अन्दर में निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पूछा था कि १००-) रुपये की धनराशि जो दी गई वह धनराशि समिति को भी मिली या नहीं मिली और इसका उत्तर आपने दिया है वह केवल इतना ही देकर रह गए कि १०००) रुपया अमुक व्यक्ति के द्वारा दिया गया और प्राप्ति की सूचना दी गई। प्रश्न यह है कि समिति को रुपया मिला या नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर : उत्तर में कहा है कि श्री एन० एल० कछारा जो कि लोकल कमेटी के और आर्गेनाइजर कमेटी के सदस्य भी थे और स्पोर्ट्स कौंसिल के भी सदस्य हैं उनको रकम दी गई थी और उसका हिसाब उनसे मांगा गया और हिसाब आ जाने पर उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो फिर…

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न भी कल के लिए रखता हूँ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपको कहा था……

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : केवल आधा मिनट का समय आवश्यक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर में जब हिसाब के लिए पूछा गया आप आश्चर्य करेंगे कि सन् ५९ से लेकर ६१ तक के हिसाब के लिए मंत्री महोदय कहें कि तलाश किया जा रहा है यानि एक विभाग चल रहा है…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर. प्रश्न समाप्त हुए. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत.

श्री दुर्गालाल बाढदार : इतनी जानकारी आप जान लें कि...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट ७ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(२९-३-६८)

पंचायत समिति एवं विकास समिति झोटवाड़ा का मांग पत्र

९३३. श्री लादूराम सुलाणिया (फागी) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या दिनांक २८ जुलाई. १९६८ को मुख्य मन्त्री महोदय औद्योगिक बस्ती झोटवाड़ा में कृषि वर्कशाप का उद्घाटन करने गये थे उस समय पंचायत समिति एवं विकास समिति झोटवाड़ा द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को सात सूत्रिय मांग पत्र प्रतुस्त किया गया था ? यदि हाँ, तो मांग पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त मांग पत्र में से कौन कौन सी मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं और कौन कौन से कार्य पूरे किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(१) जी हाँ। मांग पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(२) निम्नांकित मांगों पर आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है

(१) कृषकों को कृषि कार्य हेतु ऋण दिलाए जाने की व्यवस्था

(२) भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाए जाने की व्यवस्था

(३) झोटवाड़ा क्षेत्र में सस्ते अनाज एवं चीनी का वितरण कराने की व्यवस्था

(४) मैसर्स अर्धना ट्रेडर्स झोटवाड़ा को आवकारी क्षेत्र से हटाए जाने की व्यवस्था

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(२९-३-६८)

झीलों से आय

९३८. श्री मेघराज पंवार (चूरू) क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर डिवीजन में कितनी झीलें (लेक्स) हैं, और उनसे राज्य सरकार को कितनी कितनी आमदनी सालाना होती है ?

(श्री मेघराज पंवार)

(२) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि "पिछोला" लेक से दस हजार रुपये कीमत की मछलियें रोजाना निकालकर बेची जाती हैं, और सरकार को उससे एक पैसा भी रेवेन्यू का नहीं मिलता है

उत्तर

(१) उदयपुर डिवीजन में बड़ी बड़ी पांच झीलें हैं —१) पीछोला २) रुप सागर ३) फतेह सागर ४) राज समन्द व ५) जयसमन्द झील जयसमन्द से पचास हजार रुपये की वार्षिक आमदनी राज्य सरकार को होती रही है।

(२) इस सम्बन्ध में जांच कराई जा कर पूर्ण एवं विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सचिवालय एवं अन्य कार्यालयों में पदों की पूर्ति

६०४. श्री मेघराज पंवार (चूरू) क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार ने दिनांक १-४-६६ से सचिवालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यालय सहायकों के पदों का सृजन किया था ? यदि हां, तो क्या उन पदों की पूर्ति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो इन पदों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? और अब कब तक इन पदों की पूर्ति करने का इरादा राज्य सरकार रखती है ?

(२) इन पदों की पूर्ति करने हेतु क्या आधार (क्राइटेरिया) निर्धारित किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां किन्तु सचिवालय में ये पद बहुत पहले से सृजित थे।

सचिवालय में ये पद भरे जा चुके हैं किन्तु अधीनस्थ कार्यालयों में कहीं कहीं नहीं भरे गये हैं।

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सेवा नियम सन् १९५७ में इन पदों को भरे जाने के संबंध में २८ अक्टूबर, १९६७ को संशोधन कर दिया गया है और नियुक्तिकर्ता अधिकारी समुचित कार्यवाही कर रहे हैं।

(२) सहायक के पद पर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कम से कम १० वर्ष जिसमें ५ वर्ष वरिष्ठलिपिक के रूप में भी सम्मिलित हैं—राज्य सेवा न की हो।

विधायकों को मंत्रियों के दौरे की सूचना

६०५. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मन्त्रीगण जब किसी क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं तो उस

(श्री देवीदत्त गांडिया)

क्षेत्र के विधायकों को अपने दौरे के कार्यक्रम की सूचना देनी चाहिये ?

(२) क्या मुख्य मन्त्री व मन्त्रीगण अपने दौरे की सूचना क्षेत्र के विधायकों को देते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सन् ६७-६८ में कोटा जिला के दौरे पर मुख्य मन्त्री ने अपने कार्यक्रम की सूचना विधायकों को नहीं दी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) आम तौर पर दी जाती है। किंतु अचानक दौरे का कार्यक्रम बन जाने पर समयाभाव की स्थिति में कभी-कभी सूचना देना सम्भव नहीं होता है।

(३) मुख्य मंत्री जी १९६७-६८ में तीन बार कोटा जिले के दौरे पर गये थे जिनमें दो कार्यक्रमों की सूचना दे दी गई थी। अचानक कार्यक्रम बन जाने के कारण एक दौरे की सूचना प्रसारित नहीं की जा सकी।

दौरे की व्यवस्था में मंत्रियों द्वारा उल्लंघन

६०६. **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वर्तमान मंत्री मण्डल के निर्माण के बाद इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि हर महीने में किन्हीं निश्चित तारीखों में मन्त्रियों को बाहर के दौरे में नहीं जाकर जयपुर में रहना चाहिये? यदि हां, तो कौन सी तारीखें निश्चित की हैं ?

(२) तारीख ३१ जनवरी, १९६८ तक किस किस मन्त्री ने उक्त व्यवस्था का उल्लंघन किया है तथा किन किन तारीखों को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इस उल्लंघन के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनांक १६-१०-१९६७ से ये व्यवस्था की गई है कि मास में दस दिन (तारीख १,२,३,४, १०,११,१२, २०,२१ तथा २२) सभी मंत्रीगण राजधानी में उपस्थित रहें इस व्यवस्था में साप्ताहिक राजपत्रित अवकाशों में तथा विशेष परिस्थिति में निर्धारित तिथियों को भी राजधानी से बाहर जाने की छूट दी गई है।

(२) दिनांक ३१ जनवरी, १९६८ तक किसी मंत्री ने उक्त व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

मंत्रियों एवं संसद् सचिवों के दौरे का कार्यक्रम

६०७. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री विजयसिंह)

(१) मंत्रियों व संसद् सचिवों को दौरे किन परिस्थितियों में करने पड़ते हैं ? तथा प्रतिमाह कितने कितने दिन उनको दौरों के लिए दिये गये हैं ?

(२) अप्रेल, १९६७ से जनवरी, १९६८ तक किन किन मन्त्री महोदयों व संसद् सचिवों ने कितने रोज प्रतिमाह किन किन कारणों से किन किन स्थानों के दौरे किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रक्खें।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

चूरू नगरपालिका

६०८. **श्री मेघराज** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या चूरू नगरपालिका के बजट में गत तीन वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आमदनी में कोई वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सीगेवार बतलाने की कृपा करें।

(२) क्या इस वर्ष गत वर्षों के मुकाबले निर्माण कार्य नगरपालिका द्वारा अधिक मात्रा में करवाये गये ? यदि हां, तो किस कदर ? जन-सहयोग के विवरण सहित बतलाया जावे ?

(३) क्या इस वर्ष नगरपालिका, चूरू के व्यवस्था खर्च में गत वर्षों के मुकाबले किफायत हुई है ? यदि हां, तो किस कदर ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

जोधपुर शहर में कचरा आदि उठाने की व्यवस्था

६०९. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जोधपुर शहर का कचरा व मलवा नगरपालिका द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में सड़क के किनारे पर ही डाल दिया जाता है ? अगर हां, तो क्या सड़क के किनारे रहने वालों का व सड़क पर चलने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं पड़ता है ?

(२) क्या सरकार मलवे को नगरपालिका क्षेत्र में न डालने का तुरन्त हुक्म देने का विचार रखती है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि मैले (नाइट सोइल) की गाड़ियां सुबह या दिन को बिजी रोड सोजती गेट इत्यादि पर चलती हैं ? यदि हां, क्या यह इन्तजाम रात को नहीं किया जा सकता ?

(४) क्या यह सत्य है कि हरिजन लोग (प्राइवेट स्वीपर्स) ज्यादातर मैले (नाइट सोइल) को नाली में ही बहा देते हैं ?

(५) क्या यह भी सही है कि टाइफाइड व दस्तों व पेचिस (डायरिया डिसेन्ट्री) की बीमारी ने इसके कारण शहर में स्थायी रूप से घर कर लिया है ?

(६) क्या सरकार इस व्यवस्था को रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं। नगरपरिषद् क्षेत्र का कचरा एवं मलवा स्वच्छता परिदर्शक क्षेत्र के नियुक्त स्थानों (रीफ्यूज सेन्टर) पर ही अन्य स्थानों से इकट्ठा कर डाला जाता है एवं नियुक्त स्थान से ट्रकों द्वारा उठाया जाकर शहर से बाहर डाला जाता है। राहगीरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़ने का भरसक प्रयत्न किया जाता रहा है।

(२) नहीं जोधपुर शहर का मलवा नगरपरिषद् क्षेत्र में नियुक्त स्थान पर डाला जाता है।

(३) जी हां शहर का मैला निजि पाखाना साफ करने वाले, कर्मचारियों द्वारा प्रातः ही साफ किया जाकर परिषद् द्वारा नियुक्त स्थानों पर रखे हुये नाइट सोइल टैंकों में ही इकट्ठा किया जाता है उसको समय पर ही उठाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ज्यादा समय याने रात्रि में उठाने से पुरे दिन भर उस ऐरिया में गन्दगी उत्पन्न हो जाती है ऐसी स्थिति में प्रातःकाल ही उठाना उचित प्रतीत होता है। समय पर न उठाने पर जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं। इस प्रकार की बीमारी फैलने की सूचना हमारे पास स्वास्थ्य विभाग में आज दिन तक प्राप्त नहीं हुई है।

(६) यदि कोई इस सम्बन्ध में समस्या होगी तो उसकी ओर ध्यान दिया जायेगा।

गृह निर्माण हेतु ऋण

६१०. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में किन किन नगरों में कितनी कितनी धनराशि गृह निर्माण ऋण के वास्ते १९६७-६८ में दी गई ?

(२) १९६८-६९ में कितनी धनराशि, किन शहरों के लिये निर्धारित की है ?

(३) धनराशि निर्धारित करने का राज्य सरकार का क्या मापदण्ड है ?

(४) क्या ऋण सभी लोगों को दिया जा सकता है ? अगर हां, तो किन शर्तों पर ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) अभी तक धनराशी किसी भी शहर के लिये निर्धारित नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष १९६८–६९ के लिए निर्धारित नहीं की गई है।

(३) जीवन बीमा से प्राप्त रकम तथा जिलाधीशों की मांग को आधार मानकर धनराशी शहरों के लिये निर्धारित किया जाता है।

(४) जी हां।

ऋण देने की शर्त निम्न प्रकार से हैं :

(श्रीं ओमदत्त भाटी)

१. १५,०००)०० से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण नहीं दिया जाता है।

२. जमीन के स्वामित्व का प्रमाण पत्र

३. आय का प्रमाण पत्र

४. नक्शे की स्थानीय नगर पालिका या नगर न्याय द्वारा से स्वीकृति।

५. दूसरा कोई मकान न होने का शपथ पत्र ऋण की स्वीकृत धनराशी की उपलब्ध पर निर्भर करती है।

६. भूखण्ड पर निर्माण कार्य।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट ८ देखें)

चूरू म्युनिसिपल बोर्ड

६११. **श्री मेघराज** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू म्युनिसिपल बोर्ड में सन् १९६४ से १९६६ तक कितने चेयरमैन व कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त हुए और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? नामवार कार्यकाल बतलाया जावे।

(२) उक्त चेयरमैनों के कार्यकाल में कितनी कितनी आबादी भूमि के प्लाट्स विक्री किये गये व लीज पर दिये गये?

(३) क्या भूमि बिक्री अथवा लीज के कारण नगरपालिका को हानी के कोई मामले सरकार की जानकारी में आये हैं? यदि हां, तो उनके लिये कौन जिम्मेवार है?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

लूनी नदी पर पुल का निर्माण

६१२ श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बालोतरा के पास लूनी नदी पर पुल बनाने का प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है?

(२) क्या इस पुल का निर्माण इस वर्ष १९६८-६९ में कर लिया जावेगा?

उत्तर

(१) जुलाई १९६५ से कार्य सरकार के विचाराधीन है।

(२) १९६८-६९ में इस कार्य के लिये कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिये इस को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टोडा रायसिंह तहसील की सड़कें

६१३. **श्री जगन्नाथ**(टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टोडा रायसिंह तहसील में सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है?

(२) इन सड़कों में मुख्य-मुख्य सड़कें कौन सी हैं?

Page No. 68

(श्री जगन्नाथ)

(३) किन किन सड़कों पर नाले पड़ते हैं और इन नालों में से कितने बन्धे हुए हैं ?

(४) जो नाले बन्धे हुए नहीं हैं उन्हें कब तक बंधवा दिया जायेगा ?

(५) टोडा रायसिंह तहसील की किस किस सड़क पर डामर है और किस किस सड़क पर डामर करवाने की योजना है ?

उत्तर

(१) लगभग ४० मील है।

(२) मालपुरा टोडा रायसिंह, मालपुरा वेकड़ी, टोडारायसिंह भोराना।

(३) उक्त सड़कों पर ७१ नाले हैं जिनमें २४ नालों पर पुल व पुलियाँ बनवाई गई है।

(४) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(५) किसी भी सड़क पर डामर नहीं है मालपुरा टोडा रायसिंह सड़क पर ५ मीलों में डामर वर्ष ६८-६९ में होने की आशा है।

डेगाना स्टेशन से भैरूंदा जाने वाली सड़क का निर्माण

६१४. श्रीमती गौरी पूनिया : (डेगाना) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) डेगाना स्टेशन से भैरूंदा सड़क वाया डेगाना गांव व नींवड़ी की स्वीकृति किस वर्ष में हुई ?

(२) यह सड़क कितने मील लम्बी है ? यह सड़क पूरी हो चुकी है या अभी अधूरी ही पड़ी है ?

(३) अगर अधूरी पड़ी है तो इसको पूरी कब तक करवा दी जायगी ?

उत्तर

(१) डेगाना स्टेशन से नेबडी सडक की स्वीकृति वर्ष ६२-६३ में दी गई थी।

(२) डेगाना से नींबडी की दूरी १०॥ मील है जो पूरी हो चुकी है। भैरूंदा की ओर से नींवडी की तरफ का भाग तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित मेढ़ों या भेड़ों पर व्यय

६१५. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने विदेश से मेढ़ें या भेड़ आयात की तथा उन पर यहाँ पहुँचने तक कितना खर्चा हुआ ?

(२) उन मेढ़ों या भेड़ों पर सालाना कितना कितना खर्चा किस किस मद में होता है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(३) इनको लाने के पहले उनके उपयोग की क्या योजना थी और बाद में योजना अनुसार व्यवस्था हुई या नहीं ?

(४) भविष्य में इनके उपयोग के लिये क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी हाँ, यह सही है कि राज्य सरकार ने रूस से २५ मेरीनो नस्ल के मेंढ़ें व भेड़ आयात की हैं, इनमें ५ नर व २० मादा थीं। रूस से यहां तक लाने के लिए इन पर रुपये २५, ६१२.७५ खर्च हुआ।

(२) रूस से आये हुए मेंढ़ों व भेड़ों पर व्यय का कोई अलग मद विभाग में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे भेड़ अनुसंधान केन्द्र पर हो रहे अन्य व्यय के साथ ही इन भेड़ों व मेंढ़ों पर व्यय किया जाता है।

(३) रूस से मेंढ़ों व भेड़ों के आयात करने का उद्देश्य यह था कि मेरीनो नस्ल की भेड़ों को राजस्थान की जलवायु अपनाने योग्य बनाकर उन से शुद्ध मेरीनो नस्ल को और अधिक बढ़ाया जावे और राज्य में पाये जाने वाली भेड़ों की नस्ल को सुधारने के लिए इन भेड़ों से क्रास ब्रीडिंग का प्रयोग भी किया जावे। रूस से इन मेंढ़ों व भेड़ों को आयात करने के उपरान्त योजनानुसार व्यवस्था हुई है। शुद्ध मेरीनो नस्ल को बढ़ावा देने में और क्रास ब्रीडिंग के प्रोग्राम में काफी सराहनीय प्रगति हुई है।

(४) भविष्य में क्रास ब्रीडिंग प्रोग्राम को बढ़ाने की व शुद्ध मेरीनो नस्ल और अधिक बढ़ाने की योजना के साथ-साथ इन भेड़ों को राज्य के अन्य प्रजनन केन्द्रों पर रख कर कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा ग्रामीण भेड़ पालकों के रेवड़ों को भी उन्नत बनाये जाने की योजना है।

भीलवाड़ा जिले की पंचायत समितियों को ऋण एवं उसकी वसूली

६१६. **श्री मनोहर सिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा जिले में किस किस पंचायत समिति में किस किस प्रधान तथा सरपंच ने सेन्ट्रल कोओपरेटिव बेंक से कर्ज लिया हुआ है ?

(२) कर्ज लिये कितने कितने वर्ष हुए हैं और किस किस प्रकार वसूली हो रही है और अब कितनी रकम किस किस प्रधान तथा सरपंच में बकाया है ?

उत्तर

(१) सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बेंक से किसी को व्यक्तिगत कर्जा नहीं दिया जाता है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

मशीनों द्वारा ऊन कतरने की योजना

६१७ **श्री हरजीराम बुरड़क** (लांडनू) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजी राम बुरड़क)

(१) राजस्थान में मशीनों से ऊन कतरने की क्या योजना थी और वह योजना कब लागू की गई ?

(२) इस योजना पर राज्य सरकार का कितना खर्चा हुआ तथा यह योजना कहाँ कहाँ पर चालू करने को स्कीम थी और कहाँ कहाँ पर चालू की गई ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को आस्ट्रेलिया से ऊन कतरन की मशीनें प्राप्त हुई थीं ? यदि हाँ, तो कितनी मशीनें कब कब प्राप्त हुई तथा वो कार्य में कब कब लानी शुरू की तथा उनकी कीमत क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह भी सही है कि इन मशीनों को चलाने वाले को प्रशिक्षण देने के लिये कोई ट्रेनिंग सेन्टर खोले हैं ? यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति (मास्टर सेपररों) को ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर कब कब दी और उन्होंने कितनी कितनी भेड़ों की ऊन आज तक कहाँ कहाँ पर कतरन की तथा उक्त ऊन का वजन और मूल्य क्या है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) इस योजना के अन्तर्गत समस्त भेड़ व ऊन जिलों में एक एक चल कतरण इकाई प्रारम्भ करना था और साथ ही ऊन प्रसार एवम् कतरण केन्द्रों पर जहाँ बिजली उपलब्ध है, कतरण मशीने स्थापित करके कतरण कार्य प्रारम्भ करना था।

यह योजना १९६६-६७ में प्रारम्भ की गई थी।

(२) इस योजना पर प्रारम्भ होने से लेकर १९६७ तक रुपये ६३,५८० खर्च हुए है। यह योजना सभी १४ भेड़ व ऊन जिलों में लागू होनी थी परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी इस योजना को ५ (पाँच) जिलों में केवल २ स्थानों पर प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त ३ चल कतरण इकाइयाँ भी प्रारम्भ कर दी गई हैं।

(३) जी हाँ। यह मशीनें आॅस्ट्रेलिया से अवश्य आई हैं, परन्तु राज्य सरकार ने इन्हें सीधे आॅस्ट्रेलिया से प्राप्त नहीं की। यह मशीने यू० एन० एस० एफ० से सहायता के रूप मे प्राप्त हुई हैं। इन ८० मशीनों की कीमत लगभग रुपये ७५,०००/–है और ये मशीनें आने के बाद से ही प्रयोग में लाई जाती रही हैं।

(४) जी हाँ। वांछित सूचना प्रपत्र 'क' एवम् प्रपत्र 'ख' में सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, नापासर

६१८. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सहकारिता-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नापासर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(बीकानेर) दो वर्षों से कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि इस समिति के अध्यक्ष एक लखपति ठेकेदार हैं, और उसका धन्धा भी साहूकारी (वोरगत) है ?

(३) क्या यह सही है कि समिति के अध्यक्ष ने समिति का बैंक से कर्ज उठाकर सदस्यों को अपने साहूकारी ब्याज पर दिया है ?

(४) क्या सरकार ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० नापासर के चुनाव वापिस कराकर इसे पुनः कार्य शील करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो चुनाव कब करवाया जाएगा ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

चितौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों को कुए खुदवाने हेतु धनराशि

६१६. श्री रामकुमार नन्दवाना: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६७-६८ में चितौड़गढ़ जिले की सभी १२ पंचायत समितियों में कुओं के खुदवाने हेतु धनराशि अलोट नहीं की है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? अन्य जिलों में कितनी कितनी धनराशि वर्ष ६७-६८ में अलोट की गई ?

(२) भूमि बन्धक बेंक चितौड़गढ़ को सन् ६७-६८ में कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा यह बेंक अब तक कितने किसानों को कितनी रकम कर्ज दे चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) वर्ष ६६-६७ में चितौड़गढ़ जिले की सभी १२ पंचायत समितियों में कितनी धनराशि कृषि कूप खुदवाने हेतु दी गई थी ?

उत्तर

(१) जी हां। क्योंकि इस जिले की तमाम पंचायत समितियां भूमि विकास बेंक से ऋण प्राप्त करने के अन्तर्गत शामिल की गयी है। सन् ६७-६८ में अन्य जिलों में अलॉट की गयी धनराशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) चितौड़गढ़ जिले में भूमि विकास बेंकों के द्वारा ३१-३-६८ तक कुल २०६ ऋण आवेदन पत्रों पर ४,१५,२५५ रुपया का ऋण स्वीकार किया जा चुका है ।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

ग्राम बोजून्दा में भेड़ प्रजनन केन्द्र खोलने की योजना

६२०. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(१) चित्तौड़गढ़ तहसील में ग्राम बोजून्दा में भेड़ प्रजनन केन्द्र खोले जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम बोजून्दा एवं रीठोला की कितनी भूमि अवाप्त की गई है ? क्या यह भूमि जो अवाप्त की गई या की जा रही है गांवाई चरनोट है ? यदि हां, तो कितनी बीघा भूमि किस किस ग्राम की है ?

(३) कितनी नर भेड़ें इस समय इस केन्द्र पर हैं ? क्या यह नर भेड़ें पर्याप्त हैं ?

(४) क्या यह सच है कि इस फार्म को बनाने के लिये स्थानीय पंचायत, पंचायत समितियों का अनुमोदन लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि इस केन्द्र से ग्राम बोजून्दा एवं रीठोला के नागरिकों को असन्तोष है ? यदि हां, तो इसका मूल कारण क्या है ? क्या सरकार की यह योजना अनुपयुक्त है ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि इसके लिए यही स्थान चुना गया ?

उत्तर

(१) जी हां, ग्राम बोजूंदा में जिला चित्तौड़गढ़ में भेड़ प्रजनन केन्द्र खोला गया है। इस पर अब तक २.१३ लाख रुपया व्यय हुआ है।

(२) इस योजनान्तर्गत बोजूंदा की ६२२,१७ बीघा रीठोला की २२८.०० बीघा भूमि आवप्त की गई है। इस भूमि का कुछ भाग २५८ बीघा चरनोट का है जो कि ग्राम बोजूंदा के पास है।

(३) केन्द्र पर अभी १४ नर भेड़ें हैं जो कि केन्द्र के लिए पर्याप्त हैं।

(४) जी हां। असंतोष का मूल कारण उक्त फार्म के लिए चरनोट भूमि अलोट किया जाना है।

जी नहीं।

(५) यह फार्म सोनाड़ी नस्ल के ब्रीडिंग स्टोक को अप ग्रेड करने हेतु है।

नलकूप खोदने का कार्य

६२१. श्री आईदान सिंह (भोनमाल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में नलकूप खोदने का काम चल रहा है ?

(२) अगर हां, तो कितने नल कूप आज तक खोदे गये हैं ?

(३) कितने नल कूप और बनाने की योजना है ?

(४) क्या यह सही है कि अब नल कूप विभाग राजस्थान से हटाया जा रहा है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण है ?

Page No. 73

उत्तर

(१) जी हां।

(२) २५० नलकूप योजना के अन्तर्गत आज तक १३६ नलकूप बनाये गये हैं।

(३) इस योजना के अन्तर्गत ११४ नलकूप और बनाने हैं।

(४) जी नहीं।

राज्य में हुई हत्याओं की संख्या

६२२. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष राज्य में कुल कितनी हत्यायें हुई ?

(२) कुल कितने डाके पड़े ?

(३) प्रत्येक जिलों के आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) गत वर्ष, १९६७ में राजस्थान में कुल ५७५ व्यक्तियों की हत्यायें हुई।

(२) गत वर्ष, १९६७ में १२८ डकैती की घटनायें राजस्थान में हुई।

(३) प्रत्येक जिले की सूची हत्या व डकैती की निम्न हैं।

क्र. सं.	नाम जिला	हत्या	डकैती
१.	अजमेर	२७	१
२.	अलवर	३९	४
३.	भरतपुर	४२	१९
४.	जयपुर	३६	७
५.	झुंझुनू	१०	८
६.	सवाई माधोपुर	२१	४
७.	सीकर	१६	४
८.	टौंक	८	–
९.	बीकानेर	१२	६
१०.	चुरू	१७	५
११.	गंगानगर	७४	८
१२.	बाड़मेर	१३	७
१३.	जैसलमेर	५	२
१४.	जालोर	१६	८
१५.	जोधपुर	३१	६
१६.	नागोर	१८	४
१७.	पाली	२२	२
१८.	सिरोही	१३	–
१९.	बांसवाडा	१५	–
२०.	भीलवाडा	२३	–
२१.	बूंदी	६	–
२२.	चित्तौडगढ़	१३	४
२३.	डूंगरपुर	८	२
२४.	झालावाड़	२५	४
२५.	कोटा	३३	१५
२६.	उदयपुर	३०	३
२७.	रेलवे पुलिस अजमेर	२	१
	योग	५७५	१२८

ग्राम देसलसर में डाका

६२३. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के पुलिस स्टेशन नोखा के ग्राम देसलसर में पिछले दिनों में दिन दहाड़े एक डाका डाल कर एक महिला को मय जेवरात बन्दूकों से लैस व्यक्तियों द्वारा जीप से उठाकर ले जाया गया और उसका पति भैरा राम जाट को मारने का प्रयास किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि श्री नारायण सिंह जिसने कि यह डाका डाला है, वह भाग कर पाकिस्तान मय जीप व औरत के पहुंच चुका है ?

(३) क्या यह सही है कि पुलिस उसको नहीं पकड़ सकी है ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) यह डाका कितने रुपयों व जेवरात का क्या किया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं। थाना नोखा में ऐसी कोई रिपोर्ट भैरा राम जाट सा० देसलसर ने नहीं की कि दिन दहाड़े डाका डालकर उसकी औरत को मय जेवरात के बन्दूकों से लैस होकर उसे जीप में डालकर ले गये हैं व उसको मारने का प्रयास किया गया। तथ्य यह है कि भैराराम नामक विश्नोई सा० देसलसर ने एक मु० नं० धारा ३०७/१४८/१४/३२४/३६४/भा० द० स० दिनांक ५-१-६८ को थाना नोखा में दर्ज कराया था, जिसमें ८ मुलजिमान के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सभी मुलजिमान को दि० १२-१-६८ को ही गिरफतार कर लिया था, दिनांक १३-१-६८ को उन्हें अदालत शेसन कोर्ट बीकानेर में जमानत पर आजाद किया।

(२) जी नहीं।

(३) भैराराम विश्नोई द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में नारायण सिंह को गिरफतार कर लिया है और मुकदमा अभी जेर तफतीश है।

(४) इस वारदात में कोई रुपये व जेवरात चोरी नहीं गये। दौराने तफतीश श्री भैरा राम ने उसका एक ऊंट जबरन पकड़ना बताया है जो मुलजिमान के कब्जे से बरामद हो चुका है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर भवन का निर्माण, पंचायत समिति इटावा

६२४. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपलदा जिला कोटा में पंचायत समिति इटावा के अन्तर्गत प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पीपलदा के भवन का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उस भवन में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(२) पीपलदा प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में कुल कितना स्टाक है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(३) क्या यह सही है कि जब से यह प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बना है, वहां पर डॉक्टर नहीं भेजा गया है? यदि हां, तो क्यों नहीं? डाक्टर की व्यवस्था कब तक होगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) स्टाफ का व्यौरा निम्न प्रकार है:-

१—कम्पाउण्डर १

२—ए० एन० एम० १

३—सेनीटेरी इन्सपेक्टर १ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

(३) डाक्टरों के अभाव के कारण पीपलदा प्राथमिक हैल्थ सेन्टर पर किसी डाक्टर की नियुक्ति नहीं की जा सकी एवं ज्यों ही डाक्टर उपलब्ध होंगे नियुक्ति करदी जावेगी।

ट्रेकोमा ट्रीटमेन्ट यूनिट्स

६२५ श्री ओमदत्त भाटी : (सरदार-पुरा) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ट्रेकोमा ट्रीटमेन्ट यूनिट्स राजस्थान में कितने हैं और किस किस जगह काम करते हैं?

(२) एक यूनिट में कितने कर्मचारी होते हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) गत वर्ष में इन यूनिट्स पर कितनी रकम खर्च हुई और केन्द्रीय सरकार का इसमें कितना हिस्सा था?

(४) इस अभियान के शुरू होने के पहले इस बीमारी की क्या प्रतिशतता थी और अब कितनी है?

उत्तर

(१) राजस्थान में कुल ट्रेकोमा यूनिट्स ९ है जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

१—जयपुर	२ युनिट्स
२—अलवर	१ युनिट
३—अजमेर	१ युनिट
४—नागौर	१ युनिट
५—चूरू	१ युनिट
६—सीकर	१ युनिट
७—झुंझुनू	१ युनिट
८—जोधपुर	१ युनिट

(२) एक यूनिट में कर्मचारियों की सं० निम्नलिखित होती है:—

१—लेखा लिपिक १

२—ड्राइवर १

३—क्षेत्रीय कार्यकर्ता :—जहां पर रोहे नियंत्रण योजना का अटेक फेज चल रहा है वहां पर तो प्रति १०००० हजार की जन

(चिकित्सा मंत्री)

सं० पर एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कार्य कररहा है तथा ऐसे स्थानों पर जहां कि रोहे नियंत्रण योजना का अटेक फेज समाप्त होकर कन्सोलिडेशन फेज चल रहा है २०००० इजार पर एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है।

(३) गत वर्ष में इन यूनिट्स पर १२,८०,०००) रुपया व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष १९६६-६७ तक शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती रही इसके पश्चात केन्द्रीय सरकार ने यह सहायता ७५ प्रतिशत तक सीमित करदी तथा इस प्रकार राज्य सरकार को २५ प्रतिशत अन्श में सहायता करनी पडी। वर्तमान में भी इसी प्रकार सहायता का अनुपात है।

(४) इस अभियान के प्रारम्भ होने के पूर्व बीमारी की प्रतिशत ७४.२ प्रतिशत थी। वर्तमान प्रतिशत के लिए सर्वे कार्य नहीं किया गया है।

रिश्वत लिये जाने सम्बन्धी शिकायत

६२६. श्री प्रेम सिंह सिंघवी-(छबड़ा)

श्री देवीदत्त गाडिया—(बांरा) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् ६४ मे मिठ्ठूखां नामक व्यक्ति ने थानेदार श्री किशनगोपाल जोशी थाना चेचट व रामकिशन अध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध विभाग को रिश्वत लिए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की थी?

(२) क्या यह सही है कि इस मामले को रजिस्टर करके इसकी जांच की गई थी? अगर हां, तो क्या परिणाम रहा?

उत्तर

(१) जी हाँ।

(२) जी हां। दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

थानेदार थाना इटावा के विरुद्ध शिकायत

३२७. श्रीकृष्ण कुमार गोयल-(कोटा)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी—(छबड़ा) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दौलतराम नामक व्यक्ति ने थानेदार थाना इटावा (जिला कोटा) के विरुद्ध दिनांक ३-१-६८ को उससे जबरन जेल में बन्द करने का भय बतला कर ५००) छीन लिए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की है? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

जी हां। श्री दौलतराम पुत्र रामनाथ जाति मीणा, साकिन इटावा जिला कोटा ने थानेदार थाना इटावा जिला कोटा के विरुद्ध दिनांक ३-१-६८ को उसे जबरन हवालात में बन्द करने का भय बतलाकर ५००) प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिनांक ३-२-६८ को अधीक्षक आरक्षी, कोटा को लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत की

(गृहमंत्री)

जांच उप अधीक्षक आरक्षी, ग्रमीण क्षेत्र कोटा के द्वारा की आरक्षी है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

भीमगंज मंडी में अफीम पकड़े जाने सम्बन्धी मामला

६२८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छाबड़ा) : क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक २२-८-६७ को कोटा नगर के भीमगंज मन्डी थाने क्षेत्र में एक मुलजिम को मय अफीम पकड़ा था ?

(२) क्या यह सही है कि इस मामले की तफतीश सम्बन्धित थानेदार ने न करके अन्य पुलिस थाने के अधिकारी ने की थी ? अगर हाँ, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि मुलजिम ने जमा तलाशी की डेढ़ हज़ार रुपये रकम तफतीश कुनिन्दा द्वारा हजम कर जाने की शिकायत की है ? अगर हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हाँ ।

(२) जी हाँ । यह बात सही है कि इस मामले की तफतीश सम्बन्धित थानेदार ने न करके श्री हरदीपसिंह, निरीक्षक, पुलिस कोतवाली कोटा ने तफतीश की है क्योंकि दिनांक १२-८-६७ को थाना भीमगंज मंडी के क्षेत्र में श्री बनारसीलाल पुत्र वीरभान भाटिया नि० चाँदनी चौक, देहली के कब्जे से श्री हरदीपसिंह, निरीक्षक पुलिस, कोतवाली ने २ किलो ५०० ग्राम नाजायत अफीम जब्त की थी । इसलिये तफतीश भी अपर अधीक्षक आरक्षी, कोटा के जबानी आदेश से श्री हरदीपसिंह, निरीक्षक पुलिस के सुपुर्द कर दी । यह अभियोग अब सिटी मजिस्ट्रेट कोटा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

(३) जी हाँ शिकायत की थी । मुलजिम बनारसी दास ने एक दरख्वास्त शिकायती दिनांक १६-६-६७ को अधीक्षक आरक्षी, कोटा के कार्यालय में प्रस्तुत की, जिसे भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप होने के कारण दिनांक २०-६-६७ को उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर को भेजी परन्तु उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर ने दिनांक १७-१०-६७ को उसे पुनः लौटा दिया और लिखा कि मुख्य आरोप केस में झूंठा फंसाने का है । अतः प्रारम्भिक जाँच जिला पुलिस के किसी अधिकारी से कराई जाये । इस पर परिवाद् जाँच हेतु अपर अधीक्षक पुलिस कोटा नगर के पास भेजा गया किन्तु मुलजिम ने उनसे जाँच न कराना चाहा अतः कागजात अधीक्षक आरक्षी को पुनः भेज दिये । अधीक्षक आरक्षी कोटा को इस मामले में शीघ्र जाँच कर रिपोर्ट भेजने हेतु लिख दिया गया है ।

चूरू जिले में शुतर सवारों को सवारी एलाउन्स

७२६. **श्री मेघराज** (चूरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मेघराज)

(१) चूरू जिले में कितने शुतर सवार हैं और प्रति शुतर सवार को सवारी अलाउन्स के रूप में माहवारी कितनी धनराशि चुकाई जाती है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि चारे व दाने की मंहगाई को देखते हुए यह अलाउन्स बहुत कम है और शुतरों का खर्च भार मुकदमों से सम्बन्धित लोगों को वहन करना पड़ता है ?

उत्तर

(१) चुरू जिले में ४२ मन्जूर शुदा सुतर सवार हैं जिनमें ११ जगह खाली हैं। प्रत्येक सुतर सवार को ४० रु० मासिक सुतर अलाउन्स दिया जाता है।

(२) जी नहीं।

औसर बन्दी मृत्यु भोज सम्बन्धी कानून

६३०. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) औसर बन्दी मृत्यु भोज बन्द करने का कानून कब लागू हुआ ?

(२) इस कानून के अन्तर्गत इसके लागू होने से अब तक कितने केस दर्ज किये गये ? उनमें से कितने में सफलता मिली ? जिलेवार बतलाया जाय ?

(३) क्या इस कानून के अन्तर्गत कोई नियम बनाए गये हैं ? यदि हां, तो एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) औसर बन्दी (मृत्यु भोज बन्द) करने का कानून दिनांक १०-२-६० से लागू हुआ था।

(२) राजस्थान में उक्त कानून लागू होने से अब तक १८८ अभियोग दर्ज हुए थे। इनमें से ८७ अभियोगों में अदालत से सजा हुई। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां, नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

नोट :—**गंगानगर की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।**

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अयाना के वैद्य की पुनर्नियुक्ति

६३१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की अयाना स्थित आयुर्वेदिक औषद्यालय के वैद्य श्री शंकरलाल को मौत्तिल किया गया था ? अगर हां, तो क्यों व कब ?

(२) क्या इसे पुनः बहाल किया गया है अगर हां, तो कब व क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, कोटा जिले की अयाना स्थित आयुर्वेदिक औषधालय के वैद्य श्री शंकर लाल को चारित्रिक हीनता की शिकायत के कारण दिनांक २ अगस्त, १९६७ को निलम्बित किया गया था।

(२) जी हां, वैद्य श्री शंकरलाल आयुर्वेदिक औषधालय, अयाना के आरोपों की प्रमाणिकता न होने पर उन्हें पुनः दिनांक १६ अक्टूबर, १९६७ को प्रतिष्ठापित किया गया है।

वैद्यों की सीनियोरिटी लिस्ट

६३२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नू) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में कार्य करने वाले वैद्यों की जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी है उस हिसाब से वैद्यों को प्रमोशन नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) सीनियोरिटी लिस्ट बनाकर कब प्रकाशित की गई ? क्या आयुर्वेद विभाग द्वारा सालाना सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित नहीं की जाती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

२-६-६५ के, 'ए' ग्रेड के वैद्यों Provisional वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई है, और १५-१०-६६ को।

बी. ग्रेड के वैद्यों की Provisional. वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर दी गई।

सी. ग्रेड के वैद्यों की वरिष्ठता सूची सन् १९६६ में राजपत्र में प्रकाशित हो गई है। हर साल प्रकाशित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उप वैद्य एवं नर्सों का प्रशिक्षण

श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में उप-वैद्य और नर्सों के प्रशिक्षण के लिए उदयपुर और जयपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि जो उप-वैद्य व नर्स उक्त महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं वे औषधियों की मात्रा आदि के सम्बन्ध में पूर्णतया प्रशिक्षित नही होते हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

आयुर्वेद विभाग के निरीक्षकों की नियुक्ति

६३४. श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नू) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग के निरीक्षकों के पद लोक सेवा आयोग के मारफत नहीं भरे गये हैं? यदि हां, तो क्यों ?

(२) विभाग में कार्य करने वाले कितने नरीक्षकों की सेवाएं स्थायी करदी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, आयुर्वेद विभाग के अधिकतर पद लोक सेवा आयोग के मारफत ही भरे गये हैं केवल तीन निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के मारफत नहीं हुई है। अपितु राज आयुर्वेद अधिनस्थ सेवा नियम, ६६ के नियम ६ की उपधारा ३ के अनुसार परीक्षण समिति द्वारा उनका परिक्षण किया जाकर उन पदों पर उनको स्थायी किया गया है।

(२) विभाग में वर्तमान में १८ निरीक्षक के पद है और उन पर जो जो व्यक्ति कार्यरत है वे सब स्थायी किये हुए हैं।

कोटा से जयपुर चलने वाली आखरी बसें

६३५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा डिपो से आखरी दो गाड़ियां जो जयपुर के लिये चलती हैं हमेशा कभी रात को तीन बजे जयपुर पहुँचती है और कभी दो बजे? यदि हां, तो दोनों गाड़ियों की रवानगी कोटे से कितने बजे की हैं, जयपुर कितने बजे पहुँचना चाहिये ?

(२) देरी होने पर क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। अलबता कभी कभी किन्ही कारणों से कोटा से चलने में देरी हो जाती हैं या रास्ते में देरी हो जाती है जिससे जयपुर भी देर से पहुँचती है। इन बसों के चलने व जयपुर पहुँचने के निर्धारित समय निम्न प्रकार हैं:—

कोटा से प्रस्थान	जयपुर आगमन
१४-००	२१-३०
१६-००	२३-३०

(२) एक घन्टे से अधिक पहुँचने में विलम्ब होने पर टेलीफोन पर सूचना ली जाती है व रिलीफ बस भेजी जाती है।

रोडवेज के डेली वेजेज पर रखे गये कन्डक्टरों की समस्या

६३८. श्री जयनारायण सालोदिया निवाई : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रोड़वेज में नये कन्डक्टर अधिकतर डेलीवेजेज पर रखे जाने के कारण वे गलत तरीकों से पैसे कमाना

(जयनारायण सालोदिया)

चाहते हैं और इस प्रकार सवारियों और निगम को नुकसान होता है? यदि हां, तो इस समस्या के सम्बन्ध में क्या विचार किया जा रहा है?

उत्तर

जी नहीं।

नगरपालिकाओं को ग्रान्ट-इन-एड

६३७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कौन कौन सी नगरपालिका अथवा परिषदों को कितनी कितनी व कब कब से ग्रान्ट-इनएड सबसिडी किस आधार पर दी जाती है? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उक्त पालिका अथवा परिषदों में से किन किन को कब कब से सहायता देना बन्द किया हुआ है व क्यों?

उत्तर

(१) राजस्थान की समस्त नगरपालिकाएं एवं परिषदों को नियमान्तर्गत ५० पैसे प्रति व्यक्ति १९६१ की जन संख्या के आधार पर सामान्य अनुदान दिया जाता है। प्रश्न में कोई वर्ष अंकित नहीं किया गया है। इसलिये वर्ष ६५-६६ व ६६-६७ में जिन पालिकाओं को सामान्य अनुदान दिया गया है उनकी सूचियां 'अ' व 'ब' सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) वर्ष १९६५-६६ व ६६-६७ में गृहकर वसूल न करने पर जिन नगरपालिकाओं एवं परिषदों को अनुदान नहीं दिया गया है उनकी सूचना सूची संकेत 'स' व 'द' पर जिन्हें भी सदन की मेज पर रख दिया गया है, दिया है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा नगर परिषद् को सरकारी सहायता

६३८. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिकाओं व परिषदों को सहायता सरकार की ओर से किस प्रकार दी जाती है?

(२) क्या यह सही है कि नगर परिषद् कोटा को सरकार ने गत कई वर्षों से कोई सहायता नहीं दी? अगर हां, तो क्यों?

(३) सरकार के माप दंड से कोटा नगर परिषद् को कितनी सहायता प्रति वर्ष देय होती है?

उत्तर

(१) नगर पालिकाओं, परिषदों को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सामान्य अनु-

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

दान ५० पैसा प्रति व्यक्ति वर्ष सन् १९६१ की जनगणना के आधार से प्रति वर्ष दिया जाता है।

(२) गृह कर निर्धारण एवं वसूली के अभाव में नगर परिषद् कोटा को सामान्य अनुदान वर्ष १९६५-६६ से स्वीकार नहीं किया है।

(३) कोटा नगर परिषद को ६०,१७२) रुपये प्रति वर्ष सहायता देय होती है।

राजस्थान नगरपालिका चुंगी कर नियम, १९६२

६३९. **श्री विजयसिंह रावत** (नसीराबाद)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नगरपालिका चुंगी कर नियम, १९६२ को सरकार ने कहां कहां पर लागू किया है? अगर किसी जगह लागू नहीं किये हैं तो क्यों?

(२) कहीं कहीं पर चुंगी कर नियम १९६२ की कुछ ही धारायें लागू की गई हैं यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) राजस्थान नगरपालिका चुंगी कर नियम १९६२ राजस्थान की समस्त नगरपालिकाओं में समान रूप से लागू है।

(२) उक्त नियमों की समस्त धारायें समस्त नगर पालिकाओं में समान रूप से लागू हैं।

कोटा नगर परिषद् को मंडी कमेटी द्वारा ग्रान्ट-इन-एड

६४०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा नगर परिषद् को मन्डी कमेटी द्वारा बेची गई भूमि के मूल्य के एवज ग्रान्ट इन एड दी जाती है? अगर हां, तो किस आधार पर?

(२) क्या यह सही है कि इस समय यह सहायता बन्द है? अगर हां, तो क्यों और कब से?

उत्तर

(१) नगर परिषद कोटा को मण्डी कमेटी द्वारा बेची गई भूमि के एवज में राज्य सरकार के निर्णयानुसार वर्ष १९६१-६२ से ७५,०००) वार्षिक क्षति पूर्ति अनुदान स्वीकार किया गया था।

(२) जी हां, राज्य सरकार ने ५ वर्ष के लिये ही अनुदान दिया जाने का निश्चय किया था। अतः यह अनुदान उक्त कारणों से वर्ष ६६-६७ से बन्द है।

भूमि बिक्री के अधिकार

६४१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(१) नगरपालिकाओं व परिषदों को भूमि बेचने के लिये अधिकार प्राप्त हैं अथवा नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि नगरपरिषद् कोटा की सीमा में भूमि बेचान के अधिकार परिषद् के अतिरिक्त, तहसील उपनिवेशन विभाग व मन्डी कमेटी में बंटे हुए है ? अगर हां, तो वार्डों के अनुसार परिषद् के कार्य विभाजन व सम्बन्धित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(३) क्या यह सही है कि भूमि बिक्री की रेट की स्वीकृति अभी तक नगर परिषद्, कोटा को नहीं दी गई है ?

(४) क्या मंडी कमेटी व उपनिवेशन विभाग को नगर परिषद् के जो क्षेत्र हस्तांतरित किये गये हैं वे क्षेत्र चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में आते हैं ?

उत्तर

(१) अधिकार प्राप्त है।

(२) जी हां। वार्डों के अनुसार विभाजन नहीं है इसलिये प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) जी नहीं।

(४) मण्डी कमेटी व उपनिवेशन विभाग को नगर परिषद् के जो क्षेत्र हस्तांतरित किये गये हैं ये क्षेत्र चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में आते हैं। यह कालोनाइजेशन एक्ट के तहत अलग हैं।

ठेले चलाने हेतु लाइसेन्स, निश्चित आयु इत्यादि

६४२. **श्री जयनारायण सीलोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर में हाथों से खींची जाने वाली गाड़ियों के कितने लाइसेन्स दिये हुए हैं ?

(२) ऐसी सब प्रकार की ठेलियों के लिये कितना टैक्स लेकर टिकट लगाये जाते हैं और क्या उन में माल का भार निश्चित है ? यदि हां, तो निश्चित उम्र से ज्यादा भार ढोने वालों के लिये चैक की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(१) दस्ती बोझा ढोने वाली ठेलियों के लिये १८६७ एवं चार पहियों के फेरी वाले ठेलों के १७६२ लाइसेन्स १६६७—६८ में दिये गये हैं।

(२) दस्ती बोझा ढोने वाली ठेलियों से प्रतिवर्ष प्रति ठेली ८ (आठ) रुपया टैक्स एवं १ (एक) रुपया नम्बर प्लेट का लिया जाता है तथा चार पहियों के फेरी वाले ठेलों से प्रति ठेला ५४) रु० टैक्स तथा ०-१२ पैसे नम्बर प्लेट के लिये जाते हैं।

माल का भार १० मन निश्चित है

परिषद के निरीक्षक द्वारा चैकिंग की जाती है।

जयपुर के जनाना अस्पताल का स्टाफ

६४३. केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर के जनाना अस्पताल में कितना कितना स्टाफ किस किस श्रेणी का है ?

(२) क्या यह स्टाफ ड्यूटी सरकार द्वारा निर्धारित समय के अनुसार ही देता है ?

(३) क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल की इमारत रोगियों की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है ?

(४) क्या यह सत्य है कि अस्पताल के यन्त्र सस्ते दामों पर खरीदे जाने के कारण जल्दी खराब हो जाते हैं ?

(५) क्या इस अस्पताल के लिये रोगी वाहन हैं ? अगर हां, तो उनके उपयोग की क्या फीस ली जाती है ?

(६) लेडी डाक्टर, मेंट्रन, नर्सें व चपरासिन की फीस सरकार द्वारा क्या निर्धारित है ? रात की क्या है और दिन की क्या फीस है ?

(७) क्या हास्पिटल समय में भी किसी प्रकार की फीस स्टाफ लेने का अधिकारी है?

उत्तर

(१) जनाना अस्पताल जयपुर में निम्न लिखित स्टाफ स्वीकृत है एवं जो कार्य कर रहा है :—

क्र.सं.	पद	स्वीकृत सं.	कार्य कर रहा स्टाफ
१.	प्रोफेसर (अधीक्षक)	१	१
२.	प्रोफेसर	१	१
३.	रीडर	२	२
४.	लेक्चरार	३	१
५.	क्लिनिकल ट्यूटर सी.ए.एस.	३	२
६.	सी.ए.एस	१४	१३
७.	मेंट्रन	१	१
८.	सिस्टर	३	३
९.	सिस्टर ट्यूटर	४	४
१०.	स्टाफ नर्सेज	२९	२९
११.	मिडवाईफ	५	३
१२.	कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम	४	३
१३.	,, ,, द्वितीय	४	४
१४.	,, ,, तृतीय	५	४
१५.	टेकनिशियन	२	२
१६.	इलेक्ट्रीशियन	१	१
१७.	ड्राईवर्स	४	४

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(५) इस अस्पताल के लिये २ रोगी वाहन हैं जिनके प्रत्येक ट्रिप की फीस ५) रु. ली जाती है।

(६) राजस्थान सर्विस रूल्स १९५८ वाल्यूम द्वितीय में परिशिष्ठ १० के अनुसार निर्धारित फीस ली जाती है।

(७) जी नहीं।

Page No. 85

कापरेन में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का निर्माण

६४४. श्री केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कापरेन, जिला बून्दी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये जनता द्वारा १०,०००) रु० की रकम किन किन तारीखों में सरकार के पास आई और वह कहाँ पर जमा है ?

(२) इमारत का कार्य अब तक क्यों नहीं शुरू हो रहा है ?

(३) इस इमारत में कितनी रकम लगने का अनुमान है ?

(४) इमारत के अभाव में उक्त केन्द्र अभी किस स्थान पर है और उसका किराया कितना दिया जा रहा है ?

उत्तर

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये जनता द्वारा कोई धनराशि नहीं ली जाती और न ही कापरेन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये ही जमा की गई है। अलवत्ता ३ उप केन्द्रों के लिये १०,०००) रु० अवश्य जमा कराये गये हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	दिनांक	रसीद	राशि	कार्यालय
१.	२६-२-६५	६३	१०००	विकास अधिकारी
२.	८-३-६५	१५	२००	,, ,,
३.	१७-२-६४	-	२०००	जिला परिषद बूंदी
४.	१३-३-६४	-	५०५	,, ,,
५.	३१-१२-६४	-	१९९५	,, ,,
६.	३१-३-६४	-	४३००	कापरेटिव बैंक बूंदी

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य भवन का निर्माण धनराशि के अभाव के कारण शुरू नहीं हो रहा है।

(३) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्य भवन के लिये २५,०००) रु० व स्टाफ के आवास गृहों के लिये १५,०००) रु० की रकम लगने का अनुमान है।

(४) उपरोक्त केन्द्र जैन समाज के भवन में किराये पर चल रहा है। अभी तक दर निर्धारित नहीं होने के कारण किराया नहीं दिया जा रहा है।

जिला हेडक्वार्टर पर क्षय निवारक केन्द्र

६४५. श्री केशरीसिंह हाडा-(हिन्डोली) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार का यह लक्ष्य है कि हर जिला हेडक्वार्टर पर क्षय निवारक केन्द्र होना चाहिये ?

(२) कितने जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर क्षय निवारक केन्द्र नहीं है ?

(३) जहां पर है वहाँ हर क्षय निवारक केन्द्र में अलग अलग कितनी रोगी शैयायें हैं ?

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(४) क्या यह सत्य है कि बून्दी में इस प्रकार अलग से कोई प्रबन्ध नहीं है और रोगियों के लिये प्रार्याप्त दवाइयों और पौष्टिक खाद्य पदार्थ का अभाव रहता है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) निम्नलिखित जिलों में क्षय निवारण केन्द्र नहीं हैं :

१-झुनझुनू
२-बूंदी
३-जालोर
४-सिरोही
५-जैसलमेर

(३) क्षय निवारण केन्द्र में रोगी शैयाओं का प्रावधान नहीं रखा जाता है। २० शैयाओं का प्रावधान प्रत्येक जिले के लिये चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में अलग से रखा गया है।

(४) जी हां प्रश्न नहीं उठता।

जनरल अस्पताल, अलवर

६४६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर के जनरल अस्पताल में मरीजों की कुल कितनी चारपाइयां हैं ?

(२) राजस्थान में अस्पतालों को अ, ब, स, श्रेणियों मे विभक्त करने के क्या क्या आधार हैं ?

(३) अलवर के जनरल अस्पताल को अभी तक "अ" श्रेणी का अस्पताल क्यों नहीं घोषित किया गया है ?

(४) किसी भी अस्पताल में डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि की तादाद निश्चित करने का आधार क्या है ? क्या यह सही है कि इस मापदन्ड से अलवर के जनरल अस्पताल में डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां, तो यह कमी कितनी कितनी है और इसके कारण क्या हैं ?

(५) क्या यह सही है कि पी० एन० आर० सी० ट्रेनिंग अलवर से समाप्त हो गई है और इसलिये इस अन्डर ट्रेनिंग स्टाफ के चले जाने से स्टाफ की कमी बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है ?

(६) क्या राज्य सरकार अलवर जनरल अस्पताल को पूरा स्टाफ देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) २०० रोग शैयाएं।

(२) राशनेलाइज्ड पैटर्न के अनुसार राज्य के अस्पताल निम्न श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं :—

Page No. 87

(श्री चिकित्सा मंत्री)

१)३०० से ऊपर रोग शैयाएं ग्रेड प्रथम (या अ श्रेणी)

२)२५० से ऊपर रोग शैयाएं ग्रेड द्वितीय (या ब श्रेणी)

३)१०० से ऊपर रोग शैयाएं ग्रेड तृतीय (या स श्रेणी)

४)५० से ऊपर रोग शैयाएं ग्रेड चतुर्थ (या द श्रेणी)

(३) योजना के बजट में अर्थाभाव के कारण।

(४) अस्पताल का स्टाफ राशनलाइज्ड पैटर्न के आधार पर लगाया जाता है। जी हां। इस मापदण्ड के आधार पर अलवर के अस्पताल में स्टाफ की कमी है। कमी निम्न लिखित रूप से है—इसका कारण योजना के बजट में धन की कमी है :-

पद	राशनलाइज्ड पैटर्न के अनुसार वांछित संख्या	वर्तमान स्वीकृत पदसंख्या
सि. स्पेशियलिस्ट	२	२
जू. स्पेशियलिस्ट	२	२
सी. ए. एस.	१६	१६
मैट्रन ग्रेड प्रथम	१	१ ग्रेड द्वितीय
सिस्टर	४	३
स्टाफ नर्स	१०	१०
कम्पाउन्डर ग्रेड प्रथम	२०	२०
कम्पाउन्डर ग्रेड द्वितीय	४	४
कम्पाउन्डर ग्रेड तृतीय	१६	१६
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	६८	५०

(५) जी नहीं।

(६) भाग ४ के अनुसार प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

गंगापुर में नये वेयर हाउस के गोदाम के निर्माण पर व्यय

६४७. **श्री श्रवणलाल**—(हिन्डोन) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगापुर में गत वर्ष नये वेयर हाउस का गोदाम बनाया गया है? यदि हाँ, तो उसमें कितनी धन राशि व्यय हुई है?

(२) क्या यह सही है कि बनने के तुरन्त बाद ही बरसात में मैनेजर ने विभाग को तार द्वारा सूचना दी थी कि पूरे हाल में बरसात का पानी भर गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई?

(३) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसकी एक माह बाद मरम्मत की गई है? यदि हां, तो उसमें कितनी धन राशि व्यय हुई है?

(श्री श्रवणलाल)

(४) क्या यह सही है कि पूरा हाल इस वर्ष भी चूता रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) यह सही नहीं है तार ६-६-६५ को प्राप्त हुआ था।

(३) कुछ काम ठेकेदार द्वारा किया गया है और ५००) रु० का काम ठेकेदार की जिम्मेदारी पर विभाग द्वारा किया गया है।

(४) जी नहीं।

राजकीय मुद्रणालय अलवर के सहायक अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

६४८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मुद्रणालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजकीय मुद्रणालय, अलवर के सहायक अधीक्षक के विरुद्ध वहां के कर्मचारियों ने कोई लिखित शिकायतें पेश की हैं ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या क्या हैं ?

(२) क्या इन शिकायतों की कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(१) जी हां। शिकायत-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखदी है।

(२) जी हां। शिकायत-पत्र प्राप्त होने के कुछ समय पश्चात् निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, राजकीय मुद्रणालय, अलवर के निरीक्षण के समय इस मामले में छानबीन की तो उनको ज्ञात हुआ कि जिन कर्मचारियों ने यह शिकायत पेश की थी वे सहायक अधीक्षक का नम्र व्यवहार होने के कारण उनसे अनुचित लाभ उठाना चाहते थे। इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

हिन्डौन-भरतपुर सड़क

६४६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन से भरतपुर जाने वाली सड़क बहुत खराब हो चुकी है ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस सड़क के निमित्त सन् १९६५ व १९६६ में जो धनराशि मंजूर हुई थी वह लेप्स हो गई है ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस सड़क पर यातायात अधिक होने के कारण इसको ठीक करवाना अति आवश्यक है ?

उत्तर

(१) हिन्डौन से भरतपुर रोड़ के कुछ मील को छोड़ कर सड़क की दशा साधारण है।

(२) वार्षिक मरम्मत की धन राशि सड़क वार स्वीकृत नहीं होती है अतः धन-राशि लैप्स होने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) लगभग ९ मीलों में मरम्मत आवश्यक है उपलब्ध धन राशी के अनुसार हिन्डौन के निकट मील ४,७ तथा ८ का कार्य प्रगति पर है शेष कार्य अर्थाभाव के कारण एक साथ कराया जाना सम्भव नहीं है।

बूंदी-चित्तौड़ सड़क पर राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट का कार्य

६५०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा); क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बून्दी-चित्तौड़ सड़क पर राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट की भारी मशीनों को निकालने के लिये कार्य करवाया गया है ?

(२) उपरोक्त सम्बन्ध में क्या क्या कार्य किस किस ठेकेदार के द्वारा कितनी कितनी राशि पर कब कब करवाए गए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के लिये कोई टेन्डर्स आमन्त्रित नहीं किए ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची संलग्न है।

(३) टैण्डर आमन्त्रित किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

कोटा-बून्दी सड़क का ठेका

६५१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा-बून्दी रोड के मील १९-२० पर सड़क का ठेका दिया गया है ? अगर हां, तो कब कब व किस किस को कितनी कितनी राशि में दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस कार्य के लिए एस्टीमेट बनाया गया था ? अगर हां, तो कितना व उसकी स्वीकृति कब हुई ?

(३) उक्त सड़क पर ठेकेदारों ने कार्य कब से प्रारम्भ किया था ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त कार्य के लिये टेन्डर्स आमंत्रित नहीं किए गए ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) मिट्टी एकत्रित किये जाने को मील १९ वा १५-४-६७ को तथा मील २० का ठेका १०-४-६७ को क्रमशः चिरंजीलाल ठेकेदार को ३६०६) रु० तथा श्री जगदीश चन्द्र को ८५७६) रु० ठेका दिया है।

( ) जी हां ५४५००) रु० के एस्टीमेट बनाये गये थे जिनकी स्वीकृति २-९-६७ को दी गई है।

(३) मील १९ का कार्य १५-४-६७ तथा मील २० का कार्य १०-४-६७ से आरम्भ हुआ है।

(४) जी हां, आवश्यक यही समझा गया है।

रासायनिक खाद की खरीद

६५२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गत पांच वर्षों में राज्य भर में कितना रासायनिक खाद मंगवाया गया और कितना मंगाने की योजना थी ? क्या इस दृष्टि से प्रत्येक वर्ष के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनकी पूर्ति नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(२) चालू वर्ष में ४ करोड़ रु० का खाद ऋण के रूप में किसानों को वितरित करने का जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(३) समुचित वितरण के लिए कितने रासायनिक खाद की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है। केन्द्रीय सरकार से ठीक समय पर खाद प्राप्त न होने के कारण तथा वर्षा की कमी के कारण लक्ष्य पूर्ति कम रही।

(२) १९६७-६८ में—४.५ करोड़ रुपये का खाद खरीद किया गया है जो किसानों में वितरित किया जा चुका है।

६८-६९ में

(३)	नत्रजनीय खाद	२,५६,००० टन
	फासफोरिक	१,४३,००० टन
	पोटाशिक खाद	१५,००० टन

१९६८-६९ के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं तथा केन्द्रीय सरकार को नत्रजनीय खाद भेजने के लिए लिख दिया गया है। सुपरफासफेट अब राजस्थान में बनाया जा रहा है जिससे लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(१२-३-६८, २१-३-६८ व २८-३-६८)

राजस्थान केनाल क्षेत्र में सड़क निर्माण पर व्यय

२३८. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान केनाल क्षेत्र में केनाल के अतिरिक्त सड़कों के निर्माण के लिये ३१ मार्च सन् १९६८ से पहले कुल कितने रुपयों का प्रावधान रखा गया था ?

(२) इस रुपये में से किस किस तहसील में कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं तथा किस स्थान से किस स्थान तक ?

(३) क्या जिन जिन सड़कों का कार्य चालू किया गया था वे सब मुकम्मिल बन कर तैयार हो गई है ?

(४) इस क्षेत्र में बनने वाली सभी सड़कों की लम्बाई क्या क्या है ?

(५) सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१३-३-६८, २१-३-६८ व २८-३-६८)

१९६६-६७ में सड़क निर्माण कार्य

२४८. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार ने माह जनवरी, ६७ व फरवरी, ६७ में सड़कों पर कितना कितना रुपया खर्च किया और वित्तीय वर्ष ६६-६७ के अन्य महीनों से इन दो महीनों में क्या ज्यादा खर्च हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) वर्ष ६६-६७ में बनाई गई सड़कों का विवरण जिले वाइज देने की कृपा करें और उसमें यह भी बतायें कि कार्य की कब मंजूरी हुई कब कार्य शुरू हुआ तथा कार्य कब बन्द हुआ उस पर कितना खर्चा हुआ ? बन्द करने के कारण भी बताने की कृपा करें।

(प्रश्न स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२५-३-६८)

राजपत्रित अधिकारी

४४७. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पशु पालन विभाग के संचालक से ज्यादा योग्यता वाले अधिकारी इसी विभाग में संचालक के नीचे कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो कम योग्यता वाले अधिकारी को संचालक नियुक्त क्यों किया गया ?

(२) पशु पालन विभाग में कौन कौन से राजपत्रित अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तथा उनकी योग्यता क्या है ? उनकी नियुक्ति की तिथी तथा ग्रेड की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें !

(३) क्या उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नियमानुसार तैयार की जाती है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) जिन अधिकारियों को इस विभाग से भेड़ व ऊन विभाग में नियुक्त किया गया है उनको सेवायें भेड़ व ऊन विभाग की रहेंगी या इस विभाग की और कितने अधिकारी कब कब इस विभाग से भेड़ व ऊन विभाग में नियुक्त किये गये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) इस विभाग में कौन कौन से राजपत्रित अधिकारी स्थायी हैं और कौन कौन अस्थायी ? पृथक् पृथक् सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) अब तक पशुपालन विभाग से ६१ अधिकारियों की नियुक्ति भेड़ व ऊन विभाग में की गई । उनके वापस आने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(५) सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(१,१० म, प)

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) (सभापति, प्राक्कलन समिति) अध्यक्ष महोदय, में प्राक्कलन समिति १९६७–६८ के चौथे प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूँ जिसका संबंध राजकीय उद्योग से है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ ?

वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों की घोषणा-आप बैठे हुए घोषणा करने की इजाजत दे देंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : हम आपको बैठे हुए घोषणा करने की इजाजत तो दे देंगे लेकिन मैंने एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी है उस सम्बन्ध में आप बता सकते हैं कि बाद में लेंगे या क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में ले रहा हूँ। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति १९६८-६९, प्राक्कलन समिति १९६८-६९ एवं राजकीय उपक्रम समिति १९६८-६९ के चुनाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये जाते हैं :

जनलेखा समिति

१. श्रीमती गौरी पूनिया
२. श्री गिरधारी लाल व्यास
३. श्री रघुनाथ बिश्नोई
४, श्री किसनलाल शर्मा (नाथद्वारा)
५, श्री गोकुलचन्द
६. श्री दौलतराम सारण
७ श्री पुखराज कालानी
८. श्रीमती कान्ता कथूरिया
९. श्री कृष्ण कुमार गोयल
१०. श्री जयनारायण सालोदिया
११, श्री सहदेव शर्मा
१२, श्री लादूराम सुलानिया

प्राक्कलन समिति

१. श्री मजलिस खां
२. श्री रामकुमार नन्दवाना
३. श्री दीपचन्द छंगाणी
४. श्री रामनारायण
५. श्री नाथूराम
६. श्री जवाहरमल
७. श्री कालूराम आर्य
८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
९. श्री जुझारसिंह
१० महाराज श्री केसरीसिंह हाडा
११. श्री देवीदत्त गाड़िया
१२. श्री विट्ठल भाई
१३. श्री मोहनलाल मोदी
१४. श्री परसराम गंगाराम
१५. श्री शम्भूराम पटेल

राजकीय उपक्रम समिति

१. श्री श्रीनिवास शारदा
२. श्री बीरबल
३. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
४. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
५. श्री वृद्धिचन्द जैन
६, श्री नत्थीसिंह
७. श्री रामानन्द अग्रवाल
८, श्री रोशनलाल
९. डा० श्री हरिप्रसाद
१०. श्री भैंरोंसिंह शेखावत
११. श्री गोरधंन सोनी
१२. श्री पृथ्वीसिंह

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों सर्व श्री भैरोंसिंह शेखावत, मूलचन्द डागा, परसराम, गंगाराम, दुर्गालाल बाढ़दार, लाभचन्द वैद एवं बालसिंह ने अपने स्थगन प्रस्ताव में जयपुर, अजमेर, उदयपुर,

(श्री अध्यक्ष)

बीकानेर के आकाशवाणी द्वारा प्रसारित दैनिक कार्यक्रमों की विषमता, ग्राह्यता, प्रभावोत्पादकता एवं उपादेयता के प्रति खेद प्रकट करते हुए, उक्त कार्यक्रम के संचालन, चयन, निर्धारण एवं चिन्तन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आकाशवाणी के अधिकारियों की उदासीनता एवं निष्क्रियता पर असंतोष प्रकट किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री भैरोंसिहजी कह रहे हैं कि ये उनके शब्द नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : पहले के शब्द हमारे नहीं हैं, आगे के हमारे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो पर्यायवाची शब्द हैं।

प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा निम्न हैं :

माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के जरिए कहा है कि क्योंकि आकाशवाणी के कार्यक्रमों का सम्बन्ध राजस्थान के जन-मानस से होकर, प्रांत के जनजीवन को प्रभावित करता है। इससे ऐसे लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्बनीय विचार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

यद्यपि इस प्रस्ताव का सम्बन्ध जन-जीवन एवं लोक महत्व से है, लेकिन आकाशवाणी विभाग का प्रशासन एवं नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का होने से, मुझे खेद है कि वह सदन के अधिकार क्षेत्र से परे है।

ऐसी स्थिति में उक्त स्थगन प्रस्ताव पर स्वीकृति अस्वीकृति के निर्णय के पूर्व ही में इस पर विचार तक करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों की चिन्ता इस प्रश्न पर अधिक उग्र है; इस कारण सदन को जानकारी देना मैंने उपयुक्त समझा। अतः इस ओर कुछ संकेत करना भी में अवश्य चाहूंगा।

निश्चय ही यहां के आकाशवाणी विभाग का राज्य सरकार एवं जन प्रतिनिधियों से ऐसा सम्बन्ध होना आवश्यक प्रतीत होता है कि जिससे उनके सुझावों का लाभ आकाशवाणी विभाग ले सके। ऐसी कोई व्यवस्था यदि नहीं है और वह की जा सके तो माननीय सदस्यों की चिन्ता का निराकरण होना संभावित हो सकता है।

क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है, दैनिक जन-जीवन से सम्बन्धित है, अतः इस पर सदन की चिन्ता होना स्वाभाविक है, प्रस्ताव से वह प्रकट है। ऐसी स्थिति में अच्छा हो यदि राज्य सरकार माननीय सदस्योंकी भावनाओं की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिह : सॉरी। आदत पड़ गई है।

श्री अध्यक्ष : मैं कल से नहीं आऊंगा, आप आदत बनाये रखिये ।

श्री भैरोंसिंह : हम तो यह चाहते थे कि आप आज भी नही आए ।

श्री अध्यक्ष :आप आरम्भ रखिये ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय, कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि आकाशवाणी से जो इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, उसमें राजस्थान विधान सभा या जनता के प्रतिष्ठित और समझदार व्यक्ति अपना योगदान दे सकें । आज के दिन सुबह से लेकर सायंकाल तक आप अगर कार्यक्रम सुनें तो अफसोस होगा कि आकाशवाणी के स्टैन्डर्ड में धीरे धीरे गिरावट आ रही है । कई लोग कहते रहते हैं और हम कहते हैं कि यह केन्द्र का विषय है और हम उसमें हस्त-क्षेप नहीं कर सकते । लेकिन अगर यही हाल चलता रहा तो इस कार्यक्रम द्वारा जो जनता को लाभ पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंचेगा । इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता श्री रामकिशन जी हैं ऐसे सक्रिय व्यक्ति अपना प्रभाव उन कार्यक्रमों पर डाल सकें । एक विधान सभा की समिति हो, या और किसी तरह से सरकार का दखल हो, या जनता के कोई प्रतिनिधि उसमें हों तो कार्यक्रम लाभदायक भी होंगे और उनमें सुधार भी आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर सरकार तो कुछ बोले ।

श्री अध्यक्ष : सरकार क्या कहे ? विधान सभा के अधिकार क्षेत्र से परे है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से परे है ।

श्री नत्थीसिंह : मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसके लिये कोई कदम उठायें ।

श्री भैरोंसिंह : कोई तो व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) माननीय सदस्य ने जो कहा, मैं तो केवल इतना ही कह कर चल सकता हूँ कि इस विभाग के भारत सरकार के जो मंत्री महोदय हैं उनके पास आपने जो विचार प्रकट किये हैं और जो अध्यक्ष महोदय ने विचार प्रकट किये हैं उसके बारे में बातचीत करके और जो सम्भव होगा उसके लिए प्रयत्न करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री दौलत राम सारण, श्री मेघराज, श्री लाभचन्द वैद श्री नत्थीसिंह, श्री हीराभाई, श्री श्रवणलाल श्री दुर्गालाल वाढ़दार, श्री रामकिशन, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री हरजीराम बुरडक, श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर क्षेत्र के कृषकों में राजस्थान सरकार की किसान विरोधी नीति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया है कि जिला श्री गंगा-

(श्री अध्यक्ष)

नगर में सन् १९५५ में दिये गये हकूक खातेदारी वापिस छीनने, भूमि अलाटमेंट नियम गलत बनाकर काश्तकारों को बेदखल करने भूमिहीन की परिभाषा गलत बनाने, भूमि की कीमत अधिक लगाने बेटरमेंट लेवी लगाने आदि मुद्दों पर काश्तकारों में असंतोष है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें दिनांक ३०-३-६८ को राजस्थान ट्रांसपोर्ट विभाग के निरीक्षक ने विभागीय बकाया की वसूली से सम्बंधित राजस्थान यातायात निगम की बस नं० १८०६ को सायंकाल ६ एवं ७ बजे कुर्क कर लेने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। अतः इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूँगा कि उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित विषयों पर माननीय सम्बंधित मन्त्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल वक्तव्य देने की कृपा करें।

कुछ स्थगन प्रस्ताव निम्नांकित माननीय सदस्यों से भी प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) श्री केदारनाथ व श्री रामानन्द अग्रवाल ने बीकानेर जिप्सम कम्पनी में अनियमितता से सम्बंधित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सुवालाल चौधरी, श्री परसराम गंगाराम, श्री किशनलाल शाह, श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री डूंगाराम राजोरिया, श्री दुर्जनसिंह, श्री विजयसिंह (मकराना) व श्री बालसिंह से प्राप्त हुई है जिसमें तहसील दूदू के ग्राम पालूकलां की कृषि सहकारी समिति को आवंटित भूमि का भूमिधारियों के नाम नियमन गैर कानूनी तौर पर कर दिये जाने का उल्लेख है।

(३) तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थीसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ व श्री रामकिशन सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसका सम्बन्ध ग्राम असरानी, उप तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में बिजली के खम्भे से दुर्घटना हो जाने से है।

(४) चौथे स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध मत्स्य पालन विभाग में कथित भ्रष्टाचार से है जिसकी सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री श्रवणलाल व श्री विट्ठल भाई ने दी है।

(५) पांचवें स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हीराभाई, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह बतलाया है कि गंगाशहर नगरपालिका (बीकानेर जिला) के हरिजन कर्मचारियों को नौ महीनों से वेतन न दिये जाने के कारण हरिजनों ने हड़ताल कर दी है।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों में उल्लिखित मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है बिजली के खम्भे से लगकर एक हरिजन लड़की की मृत्यु हो गई है उसके बारे में, उसमें मुझे यह निवेदन करना है कि एक दूसरा लड़का भी मर गया है। वहाँ विद्युत विभाग वालों ने कोई सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया, यहाँ तक नहीं, विद्युत विभाग उनको कोई कम्पेन्सेशन देने के लिये तैयार नहीं है। आदमी मर जायें, एक नहीं, दो दो आदमी मर जायें तो कम से कम विद्युत मंत्री को इस बात की तो ताकीद की जाये कि यह जो दुर्घटना हुई है उसके बारे में वक्तव्य दें।

(१·२० म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव मत्स्य-पालन विभाग के सम्बन्ध में है, और मत्स्य-पालन विभाग के अन्दर राजस्थान की सरकार ने मत्स्य-पालन के लिए तो फार्म्स स्थापित किये हैं, और उनके अन्दर एक-एक लाख और दो-दो लाख राजस्थान सरकार ने खर्च किये हैं। उन फार्म्स बनाने के रूप में राजस्थान सरकार ने मत्स्य पालन के लिए चार लाख रुपये खर्च करके....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार से ठेकेदारों को राजस्थान सरकार के मत्स्य-पालन विभाग द्वारा जो जाल बनाया जाने को था वह एक इंच का था। उसके स्थान पर ठेकेदारों ने स्थानीय अधिकारियों से मिलकर आधा-आधा इंच के जाल बनाकर चार लाख की लागत की मछलियाँ पकड़ीं इससे जो बच्चे कलकत्ता और हावड़ा आदि स्थानों से मंगाकर डाले गये थे वे सारे के सारे निकाल लिये जिसके कारण से मत्स्य-पालन विभाग द्वारा मछलियाँ पालने का....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डिप्टी डाइरेक्टर ने इस प्रकार नियुक्तियाँ करने में जो पक्ष-पात किया है और लाखों रुपयों को घोटाला है, और जो असिस्टेंट इन्जीनियर ने अपनी रिपोर्ट मत्स्य-पालन विभाग, केन्द्रीय सरकार को दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गई है अध्यक्ष महोदय द्वारा उसके बाद में इस पर चर्चा का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आप वक्तव्य दिला दें।

उसमें ७ लाख रुपयों का घोटाला है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है कि वक्तव्य नहीं दिलाया जायेगा आर्डर प्लीज़ ।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दी है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी अभी आगामी वर्ष के लिए आयात नीति की घोषणा की है उससे जयपुर के जवाहरात के उद्योग पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा । इस सम्बन्ध में कल अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : जो पुल वाला प्रस्ताव था जिसमें दो आदमियों की मौतें हो गई हैं उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह आज्ञा दी है उसके लिए मैं इतना सुझाव देना चाहता हूँ कि कल विद्युत विभाग पर बहस हो रही है उस समय मंत्रीजी यह नीति घोषित करें कि जिन लोगों की मृत्यु बिजली विभाग की लापरवाही के कारण होती है उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय । इसलिए इसकी आप व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो इसके सम्बन्ध में भी कुछ कह दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने सेन्ट्रल पालिसी के एनाउन्समेंट के कारण ज्वेलरी के ट्रेड के सम्बन्ध में दिक्कतें पैदा होंगी इसके सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी वह तो शिरोधार्य है, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कब हुई है ? कल की है वह ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके सम्बन्ध में दो शब्द में निवेदन करना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए । पहले व्यवस्था यह थी कि जो एक्सपोर्ट करते थे उनको इम्पोर्ट करने का लाइसेन्स मिलता है रिप्लेनिशनमेंट स्कीम के अन्दर, और जितना रॉ-मेटेरियल इम्पोर्ट करते थे वह मेन्युफेक्चरिंग डीलर्स को एक्सपोर्ट्स बेच दिया करते थे । इस कारण से जयपुर के हजारों लोग, छोटे व्यापारी, छोटे कारीगर और खास तौर से उसमें अल्पसंख्यक भी बहुत ज्यादा हैं, छोटे गरीब लोग उनसे लेकर अपने घरों में चार-चार कारीगर बैठाकर पालिशिंग और मेन्युफेक्चरिंग किया करते थे और फिर वे जाकर उन्हीं एक्सपोर्टर्स को बेचा करते थे और एक्सपोर्ट्स हिन्दुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे । नई पालिसी जो एनाउन्स हुई है उसके कारण यह होगा कि जो भी व्यक्ति एक्सपोर्ट करेगा, और जिसको इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला है उसको खुद को ही मेन्युफेक्चर करना पड़ेगा । दूसरों को नहीं बेच सकेंगे । उसका परिणाम यह होगा कि जो ५०-६० जयपुर के बड़े व्यापारी हैं वे ही एक्सपोर्ट करते हैं वे ही माल की खरड़ मंगायेंगे और मेन्युफेक्चरिंग भी करेंगे, और हजारों लोगों को कारीगर और मजदूर बनाकर रखेंगे । दूसरों को बेच नहीं सकते । हजारों छोटे लोगों का धन्धा चौपट हो जायेगा । यह बहुत बड़ी परेशानी है । जयपुर में ५०० से १००० तक छोटे व्यापारी हैं और इस प्रकार से २० हजार लोग जवाहरात के ट्रेड में लगे हुए हैं और २० हजार से

Page No. 99

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ज्यादा छोटे धन्धे वाले लोग इस से अलग हो जायेंगे। भारत सरकार इसके इम्प्लीकेशन को नहीं समझी है और इसके कारण से यह आदेश प्रसारित किया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो व्यवस्था की है कि केवल जो एक्सपोर्ट्स हैं वे ही मेन्युफेक्चर करेंगे और उसको नहीं बेच सकते हैं। यह जो पाबन्दी लगाई है इसके कारण से सारा ट्रेड ठप्प हो जायेगा। सुबह से लेकर अब तक सैंकड़ों लोग मेरे पास आये हैं उन्होंने कहा है कि हम कहीं के न रहेंगे। इस सारे सवाल पर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जवहारात का उद्योग राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में अपना स्थान रखता है इसलिए यह धन्धा चौपट न हो और छोटे कारीगरों को और छोटे व्यापारियों का सवाल है, मैं बड़ों की वकालत नहीं करता हूँ। इस सरकारी नीति से बड़ों को संरक्षण मिलेगा और छोटे लोगों का गला कटेगा। इसलिए इस प्रश्न पर दिल्ली से बात करें। आप कलकत्ता और बम्बई के व्यापारियों को राजस्थान में आने के लिए अपील करते हैं लेकिन राजस्थान में जो धन्धा चल रहा है उसका इस तरह से गला कटता है तो इस नीति के सम्बन्ध में दुबारा विचार करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रार्थना करें और उसमें संशोधन करायें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्षजी, २८ तारीख को मैंने एक प्रश्न भेजा था उ के बारे में वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी के अलग अलग जवाब थे उसके लिए आधा घन्टे की चर्चा मांगी थी, लेकिन वह अभी तक नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यालय से मालूम किया जाय कि कब लिया जायगा। सुविधा के अनुसार समय होगा तब लेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी आपने पूर्व में माननीय मुख्य मन्त्री जी के लिए कहा था मेरा एक स्थगन प्रस्ताव रेलवे के सम्बन्ध में था कि राजस्थान के अन्दर कुछ रेलवे....

श्री उपाध्यक्ष : उसकी अनुमति नहीं दी गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज मुख्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं और आपकी व्यवस्था है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसके सम्बन्ध में वक्तव्य देकर राजस्थान की जनता को जो रेलगाड़ियों में भी कमी किये जाने के बारे में असन्तोष है उसको दूर करेंगे। आपने भी कहा था कि मुख्य मन्त्री जी मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : और सुविधानुसार वक्तव्य देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, एक माननीय सदस्य ने रेल लाइन का निवेदन करके बीच में प्रश्न

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उठाया था। उसके बाद मैंने रेलवे मिनिस्टर को यह लिखकर भेजा है। मेरे पास उनकी तरफ से कोई भी सूचना नहीं है कि किस रेलवे लाइन को हटाया जा रहा है, या इस प्रकार की चर्चा पर विचार किया जा रहा है या क्या कार्यवाही की जा रही है। उनकी सूचना आने के बाद कार्यवाही करेंगे और आपको भी उसकी जानकारी देंगे।

श्री हीराभाई : (कुशलगढ़ सु०) गंगाशहर नगरपालिका में जो गड़बड़ हैं और आजकल वह एडमिनिस्ट्रेटर के अन्दर में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : वहां मेहतरों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। उनको आप समझाइये और उसकी व्यवस्था करें।

श्री हीराभाई : वहां पर ६ महीनों से हरिजन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। आप यह जानते हैं कि वे बंगले वाले हरिजन नहीं हैं वह झाड़ू लगाकर अपना पोषण करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के अन्दर है। ६ महीनों से अभी तक वेतन उनको नहीं दिया जाता है जिसकी वजह से हरिजनों ने हड़ताल कर रखी है और हड़ताल के कारण वहां पर इतनी गन्दगी फैल गई है कि जिससे महामारी फैलने की संभावना है। इसलिए अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है वह तो ठीक है लेकिन आप माननीय मन्त्री महोदय से वक्तव्य दिला दें, क्योंकि वहां ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय हीराभाई। जो कुछ व्यवस्था अध्यक्ष ने दे दी है उससे अधिक कुछ और नहीं कहना है।

श्री हीराभाई : यह माननीय अध्यक्षजी आप पर छोड़ गये थे इसलिए आप पर भार आता है। वहां पर हरिजनों की समस्याएं हल करनी चाहिए और गंदगी को दूर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने आपकी बात सुनली।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस पर सूचना मांगी जा रही है यह तो पहले ही कहा था इसके बाद आज कोई व्यवस्था नहीं हुई है इस सम्बन्ध में। कल आपने कहा था कि जानकारी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आज व्यवस्था दी है अध्यक्ष ने।

श्री नत्थीसिंह : वहां पर ६ महीनों से हरिजनों की तनख्वाह नहीं मिली है। भीखाभाई की हरिजनों के मामलों में दिलचस्पी नहीं है। यह बड़े खेद की बात है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है वह अगले ६ महीनों से उनको तनख्वाह नहीं दे रहा है। आपने बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए चुंगी बन्द कर दी है तो अपने यहां से पैसा देकर, कर्जा देकर उनको तनख्वाहें दिलाएं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दो महीने पहले से मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार उस क्रम में आता है उसमें अगर नहीं है तो मेरी सहानुभूति है लेकिन उसका इलाज नहीं किया जा सकता है।

श्री पृथ्वीसिंह : बड़ा गम्भीर प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : जितने विषय यहां आते हैं सब गम्भीर हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आदिवासियों ने अकाल राहत के अन्दर काम किया है उसको दो साल हो गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कार्य सूची में दूसरा कार्य है उसको लेने दीजिये।

श्री पृथ्वीसिंह : कल सत्र समाप्त होने वाला है....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से सदस्यों का कार्य रह गया है।

श्री पृथ्वीसिंह : अकाल राहत कार्यों का पेमेन्ट नहीं हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने सुन लिया, आपने कह दिया।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है लेकिन शायद उनको कल की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं थी....

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को पूरी जानकारी थी....

श्री पृथ्वीसिंह : कल आपने व्यवस्था दी थी...

श्री उपाध्यक्ष : अब उस पर कोई व्यवस्था नहीं होगी।

श्री पृथ्वीसिंह : यह तो कह दें कि पेमेन्ट करदें।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बाध्य नहीं कर सकता।

श्री पृथ्वी सिंह : आदिवासियों का सवाल है, दो साल से पेमेन्ट नहीं हुआ भूखे मर रहे है. मंत्री जी आ गये हैं....

श्री हीराभाई : वहां पर हड़ताल हो रही है। या तो लोग सफाई की जिम्मेदारी लें या फिर वहां पर बीमारी फैलेगी उस पर कन्ट्रोल करने के लिये गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है!

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कही मंत्री महोदय तो हमेशा यहां पर रहते हैं उसका मतलब यह, नहीं कि हर बात का जवाब देते रहें! आर्डर प्लीज। आपने बात कह दी!

लोकवाणी संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दैनिक लोकवाणी के संबंध में।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से एक ऐसे मसले की ओर राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मसला पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के विचाराधीन है और अब तक उस पर कोई कारगर कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, १५ जून ६७ को इस मसले को अनुदान की मांग पर बहस करते समय सदन के कई माननीय सदस्यों ने उठाया था। उस समय इस बात की आशा थी कि सरकार की ओर से इस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी। मैं सदन की जानकारी के लिये उस समय मा० मंत्री महोदय के भाषण का कुछ उद्धरण सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे सदन और सरकार को इस बात का विश्वास हो जायगा कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पीछे क्या भावना है। श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने १५ जून, ६७ को इस संबंध में कहा था :

"यहां पर लोकवाणी सोसाइटी का सवाल ध्यानाकर्षण उठाया गया। मैं समझता हूं मेरे मन में जहां तक इस संस्थान का ताल्लुक है, मुझे किसी जमाने में एक ग्रदर्श संस्थान मालूम पड़ता था और मुझे बताया जाता था कि लोकवाणी सोसाइटी बड़ी आदर्श संस्था है और उससे बड़ी अच्छी तरह से अखबार चलता है और कर्मचारियों को अच्छी तरह से तनख्वाह वक्त पर मिल जाती है। लेकिन जो समस्या सामने आई, जिस समय श्रम विभाग ने उसको डिक्री करवाई प्रोवीडेन्ट फंड और अर्न्ड वेजेज की ओर जब कुर्की कराई गई तो छोटी सी मशीन सामने रख दी कि बस यही मशीन है और कोई असेट्स लोकवाणी सोसाइटी के पास नहीं हैं। अखबार बन्द हो गया और आज के दिन वही अखबार फिर चालू हो गया। तो आखिर कौन से ऐसे एसेट्स थे जिनके आधार पर यह अखबार फिर से चालू हुआ और शिकायत इस बात की है कि एक बोर्ड है राष्ट्रीय स्तर पर जो बना है उसके सामने यह समस्या लानी होगी कि इ० एस० आई०, पी० एफ० और अर्न्ड वेजेज को जो रकम एम्पलायर खा जाते हैं उनके बारे में क्या फौजदारी मुकदमा चला कर उनको सजा दी जाये या उसको एक चोर की तरह से मानकर उसको सजा दिलाई जाये या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मान कर आई० पी० सी० के तहत मुकदमा चलाया जावे। यह ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके ऊपर कानूनी तरीके से हमको इसके बारे में सलाह लेनी पड़ेगी।"

यह तो उन्होंने कहा ही! इसी संदर्भ में मंत्री जी आगे कहते हैं :

"जहां तक कलेक्टर को लिखने का सवाल है अभी लेबर कमिश्नर साहब मेरे भाषण को सुन रहे हैं और कल ही वह डिक्लेरेशन के लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख देंगे कि इसमें इस प्रकार का फ्राड है और वह न दें।"

अब इससे कम से कम यह स्थिति साफ हो गई कि जिस प्रकार की बात हम कहते हैं राजस्थान में उस बात को सरकार स्वीकार करती है कि लोकवाणी सोसाइटी, एक बहुत बड़ा स्कैन्डल है, उसको फ्रांड कहा जा सकता है। मजदूरों के प्रोविडेन्ट फंड को

(श्री भैरोंसिंह)

को हड़प करने वाली और उनकी ग्रेन्ड वेजेज को हजम करनेवाली ऐसी संस्था राजस्थान में दूसरी नजर नहीं आयेगी ।

कुछ वर्ष पहले "युगान्तर प्रकाशन" के नाम से एक सोसाइटी बनी थी । उस सोसाइटी के बारे में किसी को क्या शिकायत हो सकती है उसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं करना चाहूँगा लेकिन उक्त सोसाइटी के निर्माण के बाद जब उस सोसाइटी के पांव राजस्थान में जमने लगे तब उस सोसाइटी के कर्णधारों ने सोचा कि इस सोसाइटी के माध्यम से कमाई का धन्धा बनाकर क्यों नहीं उससे इन्कम की जाय । इसके लिये युगान्तर प्रकाशन ने लोकवाणी प्रकाशन के एसेट्स ले लिये । उसमें मामूली आदमी नहीं थे । राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हीरालालजी शास्त्री और श्री गोकुलभाई भट्ट इस प्रकार के व्यक्ति उस सोसाइटी के सदस्य बने । लेकिन इस तरह की व्यवस्था बनी कि युगान्तर प्रकाशन लोकवाणी प्रकाशन की लाइबिलिटीज से तो बच जाय और लोकवाणी प्रकाशन के एसेट्स को हजम किया जाय । उस समय इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि जिस सोसाइटी के नाम पर पुरानी देनदारी है उसको लिक्विडेशन में लाया जाय जिससे कि लाइबिलिटिज नयी सोसाइटी को ट्रान्सफर न हों । इसलिये लोकवाणी सोसाइटी लिक्विडेशन में चली गई । जिस समय लोकवाणी सोसाइटी बनी उसके बाद उसका अखबार चला, लोकवाणी के एसेट्स बढ़े, मजदूरों के प्रति उसकी लाइबिलिटी बढ़ी, मजदूरों का प्रोविडेन्ट फंड इकट्ठा होने लगा । जो सुविधाएं वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मजदूरों को मिलनी चाहिये थीं वे नहीं मिलीं । धीरे धीरे जब इन्डस्ट्रियल कंसर्न्स यह देखते हैं कि एसेट्स बढ़ने लगे और वसूली की कार्यवाही की जायगी तो अच्छा यह है कि मजदूरों के प्रोविडेन्ट फंड और उनके वेजेज को खाने की कार्यवाही की जाय, लिक्विडेशन में जाया जाय और मजदूरों को अनएम्पलोइड कर दियाजाय । लोकवाणी के एसेट्स कब्जे में करने के लिये लोकवाणी के नाम पर राष्ट्र दर्शन सोसाइटी बनी उसके पीछे एक दृष्टिकोण था कि लोकवाणी के एसेट्स उनके कब्जे में आ जायं और लोकवाणी के मजदूरों को उनके पी. एफ. और वेजेज का भुगतान नहीं करना पड़े । इसलिये लोकवाणी को कानूनी रूप में तो नहीं लेकिन मौखिक रूप से दिवालिया बताकर राष्ट्र दर्शन सोसाइटी बनाली गई । लोकवाणी समाचार पत्र यदि उस नाम से प्रकाशित नहीं होता तो सरकार की ओर से जो विज्ञापनों के जरिये मदद मिलती है वह नहीं मिल सकती है और सोसाइटी को जो चन्दा मिल सकता था वह नहीं मिल सकता था । अखबार एक ऐसा माध्यम है जिससे चंदा इकट्ठा किया जा सकता है । अखबार के नाम पर कन्ट्रोल से कागज लिया जा सकता है, सरकार से कागज लिया जा सकता है, विज्ञापन के नाम से सहायता ली जा सकती है, कर्जा लिया जा सकता है । इसलिये यह अखबार चला, प्रेस रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन लिया वह इस आधार पर लिया कि यह अखबार लोकवाणी सोसाइटी के अंतर्गत चलता रहा । पब्लिक की राय बदलने के अतिरिक्त जब भूतपूर्व एम्पलोइज कोर्ट के सामने गये तो कोर्ट ने स्वीकार किया कि लोकवाणी सोसाइटी के नाम पर जिस

(श्री भैरोंसिंह)

लोकवाणी अखबार का डिक्लेरेशन लिया गया है वह गलत है और कानून के विपरीत है, कन्ट्रावेन्शन ऑफ ला है। इसमें श्री सुधाकर शास्त्री का हाथ है जो राजस्थान में ऐसी सोसाइटीज के नाम को लेकर नटवरलाल की तरह मशहूर है जो इस तरह का धन्धा कर रहे हैं, लोकवाणी अखबार के अटैचमैन्ट की कार्यवाही के नोटिसेज् जारी किये गये कार्यवाही शुरू हुई तो, उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि जिस समय अटेचमेन्ट के लिये गये, अटेचमेन्ट की जितनी कार्यवाही होती है उसमें जिस व्यक्ति ने मुआवजे का दावा पेश किया है उससे पूछा जाता है कि किन किन चीजों का अटेचमेन्ट कराना चाहते हो राजस्थान में एक ऐसा केस होगा, जिसमें जिस व्यक्ति का अटेचमेंट हो रहा है, उस व्यक्ति से पूछा जाय कि किन किन चीजों को अटैच कराना चाहते हो। उस व्यक्ति ने थोड़ा सा सामान बता दिया। बाकी सामान के लिए नई कम्पनी खोली, मोहन सोहन एण्ड कम्पनी या नटवर लाल कम्पनी की ब्रदर एजेंसी हैं, उसके नाम का बोर्ड लगाकर लोकवाणी सोसाइटी के सारे असेट्स को सुरक्षित कर लिया जाता है। इसमें बदकिस्मती यह होती है, उपाध्यक्ष महोदय, जो अटैचमेंट की कार्यवाही हुई वह हुई मजदूरों की वैजेज के लिए। इसी आधार पर डिक्री इश्यू की गई और उसके इम्प्लीमेंटेशन के अन्दर वहां से कार्यवाही अटैचमेंट की हुई, उसके बाद माल अटैच किया गया। इसके बाद जब मजदूरों ने, लोकवाणी के एम्प्लाइज ने मांग की कि जो अटैचमेंट के बाद उस माल को नीलाम करने से सरकार में जो रकम जमा हुई है, उसका भुगतान मजदूरों को किया जाय। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस रकम का भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया बल्कि सरकार से लोकवाणी सोसाइटी ने पन्द्रह हजार का जो कर्जा लिया था, इस रकम से उस कर्जे का भुगतान कर दिया गया। इस कर्जे के प्रश्न में भी बहुत बड़ा इन्ट्रेस्ट का मामला है। यह कर्जा लिया गया राजस्थान सरकार से पन्द्रह हजार का प्रेस खरीदने के लिए। आज किसी के बारे में कुछ जांच करना चाहें या नहीं—मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस पर्पज के लिए कर्ज लिया गया था, उस पर्पज के अन्तर्गत जो प्रेस लगना चाहिए था, उस प्रेस के लिए मशीनरी खरीदनी चाहिए थी—वह मशीनरी नहीं खरीदी गई और पन्द्रह हजार रुपये के कर्ज का दुरुपयोग किया गया। इतना ही नहीं, इस सोसाइटी ने इम्पोर्ट लाइसेन्स लिया और इम्पोर्ट लाइसेंस लेकर नयी प्रेस के लिए, जिसमें रोटेरी और एक मशीन लगाना चाहते थे, यह मशीन यहां लाना चाहते थे। आप दुनियां भर में ब्लैक मार्केटिअर्स की तलाश में घूमते रहें—मैं राजस्थान में ही एक नम्बर का ब्लैक मार्केटिअर बताता हूँ। यह इम्पोर्ट लाइसेन्स लिया, इस इम्पोर्ट लाइसेन्स से रोटेरी और मशीन जयपुर में नहीं आई, बल्कि उनका बम्बई में ही ब्लैक कर दिया गया। असेंसियल कामोडिटीज एक्ट के तहत उसका चालान किया गया जब कि जिस नाम से कर्जा लिया गया और जिस प्रकार कर्जे का दुरुपयोग किया गया उसके लिए ४२० का चालान किया जा सकता है सरकार यदि करना चाहे तो। अब एक मोटा

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न प्रावीडेंट फंड का आता है। पचास हजार रुपया मजदूरों का है इस प्रावीडेंट फंड के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर इस बात का ताज्जुब होगा कि शुरू शुरू में जिस समय लोकवाणी सोसाइटी बनाई, उस लोकवाणी सोसाइटी ने प्रावीडेंट फंड का जो भारत का, और केन्द्र का कानून है इससे बचने के लिए अपनी सोसाइटी की अलग से एक लोकवाणी सोसाइटी सर्वेन्ट प्रावीडेंट फंड इस प्रकार की स्कीम बनाई, और स्कीम बनाई, उसके नियम बनाये और उनके अन्तर्गत प्रावीडेंट फंड की रकम लेना शुरू किया। लेकिन यह चूंकि कानून के अगेन्स्ट कार्यवाही थी, इसलिए जब इस प्रकार के प्रश्न को लेकर कुछ मजदूरों ने कोर्ट के सामने इस मसले को रखा तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह जो कुछ भी कार्यवाही प्रावीडेंट फंड के सम्बन्ध में की जा रही है यह अनुचित है। उस स्थिति के अन्दर जब यह दावा कोर्ट के अन्दर पेश हुआ, वहाँ इस बात को विचार में लिया गया तो स्वयं ट्रिब्यूनल ने इस बात को स्वीकार किया हो, केवल ट्रिब्यूनल ने ही केवल ओपिनियन दी हो – ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस संस्था के सेक्रेटरी श्री सुधाकर शास्त्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि यह जो प्रावीडेंट फंड की वसूली की जा रही है, इसके लिए सोसाइटी द्वारा नियम और उप नियम बनाये हैं और यह एक अलग से फंड क्रियेट किया है, उसके मातहत न मान कर इसे जो भारत सरकार का प्रावीडेंट फंड कानून है उसके तहत इस रकम को मानेंगे। यह बात भी स्वीकार की कि कुछ दिनों के अन्दर इस रकम को बैंक के अन्दर जमा करा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वह रकम आज तक बैंक में जमा नहीं कराई गई है। और बैंक में न जमा कराने की स्थिति का प्रभाव पड़ता है कि इधर लोकवाणी बन्द हो गई और इधर लोकवाणी के एम्पलाई, जिनको प्रावीडेंट फंड की रकम लोकवाणी को बन्द करने के साथ, उनकी सर्विसेज टर्मीनेट करने के साथ ही मिलनी चाहिए थी, वह आज तक नहीं दी गई है। यह प्रावीडेंट फंड की रकम मजदूरों की अमानत है, यह मजदूरों के भविष्य के लिए एक प्रकार की निधि है, इससे अनएम्प्लायमेंट के पीरियेड में इस निधि के माध्यम से वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, और वृद्धावस्था का इस निधि को आधार मान कर लोग उसके अन्दर प्रावीडेंट फंड की रकम जमा कराते रहते हैं, उसमें सोसाइटी का भी कन्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्टमेंट हो या कोई सोसाइटी हो, जो भी प्रावीडेंट फंड की रकम जमा कराई जाती है उसमें सोसाइटी का, मालिक का और सरकार का अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह दोनों को मिला कर बैंक के अन्दर या ट्रेजरी के अन्दर जमा कराया जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस समय से सोसाइटी ने प्रावीडेंट फंड वसूल करना शुरू किया है, इस सोसाइटी ने तब से प्रावीडेंट फंड की रकम को न तो बैंक में जमा कराया है और न ट्रेजरी में जमा कराया है, और न वह पैसा वापिस एम्प्लाईज को दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार से क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट है, लोगों की अमानत की रकम को खा जायं, उसमें से एक पाई का भी भुगतान न करें, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा क्रिमिनल केस

(श्री भैरोंसिंह)

कोई हो नहीं सकता। इस पर क्रिमिनल केस चलाने के सम्बन्ध में कई बार सरकार को निवेदन किया लेकिन उसके खिलाफ प्रासीक्यूशन नहीं किया जाता है। प्रावीडेंट फंड कमिश्नर ने जब इस मसले की जांच की तो उन्होंने भी जांच करने के बाद इजाजत मांगी कि इस लोकवाणी के मालिक सुधाकर शास्त्री का प्रासीक्यूशन करने की इजाजत दी जाय। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी है। जब तक प्रासीक्यूशन नहीं होता है तब तक मैं मान कर चलता हूं कि किसी हालत में भी रकम वसूल होने वाली नहीं है। इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल, राजस्थान जयपुर प्रजेन्ट है, जिसने फैसला दिया है। जवानसिंह राणावत, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, उन्होंने जजमेंट दिया है, उसका मैं एक पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है :

"As regards para 4 of the dispute Shri Shastri for the society has undertaken to keep the amount of provident fund of the employees in a consolidated provident fund account with the bank latest by the end of March, 65."

आज है ६८; तीन वर्ष का समय निकल गया, तीन वर्ष में प्रावीडेंट फंड का पैसा जमा नहीं कराया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रावीडेंट फंड की ५२ हजार की रकम और पचास-६० हजार रुपये मजदूरों को थे सब कुल मिलाकर लगभग ६० हजार और एक लाख रुपये के करीब इस सोसाइटी के अन्दर मजदूरों का बकाया पड़ा है। इस सोसाइटी ने जितना भी फ्रॉड किया जा सकता है, वह सारा फ्रॉड किया है। प्रावीडेंट फंड के मामले में फ्रॉड किया है, लोकवाणी का डिक्लेरेशन लेने में, असैट्स को ट्रान्सफर करने के बारे में, कोर्ट में गलत स्टेटमेंट देकर फ्रॉड किया है, सरकार से कर्ज लेकर उसका दुरुपयोग करके फ्रॉड किया है। सरकार से इम्पोर्ट लाइसेन्स लेकर उस इम्पोर्ट लाइसेन्स को बम्बई के मार्केट में बेच कर ब्लेक मार्केटिंग किया है! इस सब के बावजूद उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। मेरे दिमाग में शंका रहती है कि राजस्थान सरकार के मंत्री आज इस व्यवस्था में लगे हैं कि आज यदि मंत्रीमण्डल से हट जायं तो आगे की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। आगे की व्यवस्था के लिए किसी ने फार्म बना लिया है, कईओं ने दुकानें खोल ली हैं। कई इस बात की तसल्ली लेकर चलते हैं कि हमारी मौजूदगी के अन्दर पुत्रों को इस बात की शिक्षा दी जाय जिससे उसे मुख्य मंत्री का पद मिले या नहीं मिले—इस बात की चिन्ता नहीं है लेकिन वह नटवरलाल का पद तो प्राप्त कर ले जिससे गुजारा करें! मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा, मैंने आपके पुत्र को देखा है, वह ऐसा बनने वाला नहीं है। आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं बनेगा। जो बन गये हैं उस परम्परा को आपको तोड़ना चाहिए। मैं शास्त्री जी के पुत्र का नाम लेता हूं तो मुझे शर्म आती है। एक तरफ मुख्य मंत्री और दूसरी तरफ उनका बेटा नटवरलाल का नाम पैदा करें, जो मजदूरों का पैसा खा जाय, जो ४२० में अपने को एक्सपर्ट साबित करे। यदि राजस्थान सरकार को एक्सपर्ट की आवश्यकता

(श्री भैरोंसिह)

है, जो ४२० कर सकता हो, जो मजदूरों का पैसा खा सकता हो, गलत स्टेटमेंट दे सकता हो, तो मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, आप कई पदों का निर्माण करते हैं, आप राजस्थान की सर्विस में एक और पद का निर्माण कर दीजिये। यह व्यक्ति ४२० में एक्सपर्ट है इसलिए इसको अपाइन्ट करके ५०० रुपये का वेतन दिया जाय—तो बात समझ में आ सकती है। किन्तु एक आदमी इस तरह की गैर कानूनी कार्यवाही करें और सरकार चुप लगा कर बैठ जाय—मैं समझता हूँ कि कोई इस सरकार को कहे कि यह सरकार अकर्मण्य है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि स्वयं श्रम मंत्री जी ने स्वीकार किया है, यह सारी की सारी सोसाइटी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अफसोस इस बात का है कि सरकार स्वयं मानती है कि फ्रॉड है, सरकार स्वयं मानती है कि मजदूरों का पैसा खा गयी है, सरकार स्वयं मानती है कि गलत डिक्लेरेशन से लोकवाणी को चलाया गया है, सरकार स्वयं मानती है कि मजदूरों के प्रावीडेंट फंड को इस सोसाइटी ने हजम कर लिया है, सरकार स्वयं मानती है कि असैट्स को बचाने के लिए दूसरे नाम से ट्रांसफर कर दिया है। मैं कहना चाहूँ कि सरकार की नीयत खराब है या सरकार अकर्मण्य है। इन दोनों चार्जेज का माननीय मंत्री जवाब देकर इन चार्जेज से हट जायं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप कोई व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इस सोसाइटी को मदद करती है राजस्थान सरकार, राजस्थान की पुलिस—पुलिस के अन्दर आप केस रजिस्टर करवा कर, जो रजिस्टर्स को फोर्ज्ड और टेम्पर्ड तरीके से बना कर मजदूरों का रुपया खत्म करना चाहते हैं, कोर्ट में झूठे स्टेटमेंट दिये जाते हैं इस सोसाइटी के मेम्बर की गिरफ्तारी का आदेश दें, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उसको जौहरी बाजार में से निकलवायें। और हीरालाल शास्त्री और सुधाकर शास्त्री से मजदूरों का एक एक पैसा दिलवाया जाय। वह मजदूरों का एक एक पैसा खा रहे हैं, उसकी आपको चिन्ता नहीं है। मजदूरों का एक एक पैसा खायें और कई प्रकार की गलत बयानी करते जायं, गलत डाकूमेंट रखे जायें—उनको रोकने के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और लुटवाना चाहते हैं मजदूरों को तो इससे आपका हित नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला दिन पर दिन गम्भीर होता जा रहा है। यह बातें आज एक सोसाइटी में चलती हैं तो कल को यह बात या बुराई दूसरी सोसाइटी में चल सकती है। यह छूआछूत की बीमारी है इसका समय पर उपचार नहीं किया गया तो नुकसान होगा। इस दृष्टि से मैंने लोकवाणी के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामकिशन के खड़े होने पर) मेरा ख्याल है, ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री रामकिशन (वैर) : ध्यान में लाने से कुछ ऐसी चीज रह गई है जिनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है।

Page No. 108

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकवाणी के सम्बन्ध में और लोकवाणी सोसाइटी के सम्बन्ध में जो तथ्य सदन के सामने लाये गये हैं, मैं उनके सम्बन्ध में दुबारा चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव के द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि इस सोसाइटी का रिकार्ड गड़बड़ किया जा रहा है। इसके बारे में सदन को जानकारी है लेकिन असली विषय यह है कि राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न आज ही आया हो या राज्य सरकार को आज ही कोई निर्णय करना हो तब तो दूसरी बात हो सकती है। इस अखबार और सोसाइटी के सम्बन्ध में एक बार नहीं अनेक बार चर्चाएं हो चुकी हैं और राज्य सरकार सारी जानकारी के बाद भी एक तरह चुप बैठी है जैसे आसन लगाकर कोई सन्त बैठ जाए। न हिलती है, न डुलती है। न किसी चीज का असर पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि सारी घटना मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत नॉलेज में है। मंत्री महोदय की व्यक्तिगत नालेज में है तो सरकार ऐसी घटनाओं पर यह कह कर कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड हैं, बहुत बड़ा धोका है, अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती। कोई न कोई कार्यवाही इसके सम्बन्ध में करनी चाहिए थी। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सारे सरकार के विभाग इसमें फंसे हुए हैं। एक पक्षपात उनके जरिये हुआ है। क्योंकि सोसाइटी को कई बार अलग-अलग नामों से अलग-अलग सदस्य रजिस्टर करवाते हैं। सोसाइटी के कर्मचारी इससे सम्बन्धित विभाग को सूचना देते हैं, सहकारी विभाग को लिखते हैं कि मजदूरों के पी० एफ० की रकम का दुरुपयोग करने के लिए इसे दूसरे नाम से रजिस्टर करवाना चाहते हैं लेकिन आपका सहकारी विभाग उस सूरत में भी कोई एक्शन नहीं लेता है। मैं समझता हूं कि सरकार की इसके पीछे क्या योजना है, इसकी जानकारी नहीं हो ऐसी बात नहीं है। पुलिस में इस सम्बन्ध में सूचनाएं दी गई है। मजिस्ट्रेट के सामने यह मामला आ चुका है। श्रम विभाग इसकी जानकारी रखता है और सहकारी विभाग की जानकारी में सारी घटनाएं हैं। फिर समझ में नहीं आता कि सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। आज मजदूरों के श्रम को और गैर पत्रकारों की मैनेजमेंट के लोगों में एक लाख रु० की रकम उलझी पड़ी है। लेकिन सरकार का कहना है, जैसा श्रममंत्री जी ने पिछली साल जवाब दिया था कि सोसाइटी ने एक छोटी मशीन दे दी। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो लोकवाणी अखबार चाहे किसी के नाम पर सोसाइटी चल रही हो, लोकवाणी अखबार चाहे किसी के नाम पर चल रहा हो–वह चल रहा है और उसमें गड़बड़ियां हैं और राजस्थान के सबसे पुराने २५ साल से प्रकाशित होने वाले अखबार के लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो यदि कर्मचारियों को अखबार के प्रकाशन के अधिकार दे दिए जाए तो इससे गुडविल का एक लाख रु० जो इसने अर्जित की है, वह मिल सकता है। अगर उसको सेल करने से और नीलाम करने से यह पैसा नहीं मिल सके तो उन कर्मचारियों से पूछा जाए कि क्या इस अखबार को वे इसी प्रकार चला सकते हैं। अगर सरकार इस हालत में है और इतनी सीमा तक हस्तक्षेप का अधिकार है तो मैं नहीं समझता

(श्री रामकिशन)

कि इस मामले में कोई दिक्कत होगी। मुख्य मंत्री जी कठिनाई में समझता हूं। सोसाइटी के अन्दर जो भू० पू० मुख्य मंत्री से आपके सम्बन्ध हैं. उनको आप निभायें। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकातों में दरार नहीं पड़ती है तो कम से कम आपको अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं राज्य में घटती रहती हैं तो इससे शासन की प्रतिष्ठा घटती है। और दूसरे लोगों की प्रतिष्ठा भी गिरती है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि लोकवाणी की गुडविल को नीलाम किया जाए या कर्मचारियों से पूछा जाए कि क्या वह इसी ढंग से इसको प्रकाशित करने को तैयार हैं? अगर यह बात कर दी जाए तो इतने कर्मचारियों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। इसके साथ साथ जो पैसा है वह उन को मिल जाएगा। अगर यह बात नहीं कह सकते हैं तो आज मुख्य मन्त्री जी सदन में मौजूद हैं उनके सामने परिस्थिति को लाया गया है, और इन घटनाओं की सब पृष्ठभूमि उनकी नजर में है। यह सोसाइटी किस तरह गड़बड़ी कर रही है जिस तरह धोका कर रही है यह आप के प्रशासन पर कलंक है और जो धर्मादा संस्थाएं राजस्थान में बनती हैं उनके लिए एक खतरा है। यह दोनों बातें हैं। इसके साथ साथ एक सीधी बात है। जो पी० एफ० की रकम का मिस-यूज है वह कानून के अन्दर आ जाता है। फिर राज्य सरकार चुप क्यों बैठी है। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना है। जो तथ्य हैं सदन में आ गये हैं। जो रामानन्द जी ने तथ्य रखे हैं। रिकार्ड बदलने के और रिकार्ड डिस्ट्राय करने के उन्हें न दुहराते हुए मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले में साधारण कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। साहस के साथ जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक इस समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। मैं इस सम्बन्ध में इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, ज्वाइंट स्टाक कंपनी के प्रावधानों का दुरुपयोग करके जिस तरह भारतवर्ष में मुंदड़ा ने एक इतिहास कायम कर दिया है, मैं समझता हूँ कि चैरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन के प्रावधान का दुरुपयोग करके इन महानुभाव, जो हीरालाल शास्त्री के पुत्र हैं और जो कि इनके परिवार के हैं, ने इस तरह की संस्थाओं को बनाकर इस तरह से उसका दुरुपयोग किया है, वह लोकवाणी के इस काण्ड से बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब पहले पिछले साल भी हमने इस प्रश्न को उठाया लेकिन उस समय इतनी गहराई से इसको तथ्यों की हमें भी जानकारी नहीं थी जितनी कि अब इसके सारे तथ्यों में जाकर हमने पता लगाया है। और उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें न केवल एक शास्त्री परिवार इनवोवल्ड है, वह तो इसमें एक मैन एक्टर है परन्तु इसमें जो रजिस्ट्रार सोसाइटी है वह पूरी तरह से उनका डिपार्टमेंट पूरी तरह से और इधर कलेक्टर साहब और उनका आफिस जो कि डिक्लेरेशन अखबार का देता है वह पूरी तरह से इन्वोल्व्ड है और उनकी तरफ से पूरा उनको प्रोत्साहन और पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तीसरी तरफ

श्री रामानन्द अग्रवाल)

पुलिस है. जिसके पास मजदूर जाएं और उनकी किसी तरह से अटेचमेंट वगैरह करने के लिए मदद लेना चाहें तो उनको उसका पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिला। मैं कहूँगा कि लेबर डिपार्टमेंट जो दिखाने के लिए कहे कि हमदर्दी है मजदूरों से वह भी किन्हीं कारणों से ठंडे कदम रखते हुए कार्यवाही कर रहा है। फिर मुख्य मंत्री जी का जाने या अनजाने में उनके साथ पूरी तरह से सहयोग होना और उनकी पीठ पर हाथ होना, ये कारण है, जिस तरह से उनके प्रकाशन के वक्त उद्घाटन के लिए जब कि राष्ट्रदर्शन सोसाइटी की तरफ से लोकवाणी का प्रकाशन शुरू किया गया तो मुख्य मंत्री को याद होगा कि इस सदन में इस बात को कहा गया था कि मुख्य मन्त्री एक ऐसे घृणित कार्य में सहयोग दे रहे हैं जिसके पीछे उनको खुद को प्रायश्चित करना पड़ेगा। उनका इस पर वरदहस्त होना एक पूरी कान्फ्रेंसी है।

(२ म० प०)

इस तरह का जिसमें गवर्नमेंट का इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेंट जिसको डायरेक्टली, इन डायरेक्टली सहयोग दे रहा है, गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट का सहयोग, किसी को चुप रह कर सहयोग, किसी के खिलाफ कुछ कार्यवाही न करने का सहयोग, इस तरह की कार्यवाही आज चल रही है। हम इसके एक हिस्से को लें कि किस प्रकार यह सोसायटीज बराबर रजिस्टर कराई गई। राजस्थान के ६ प्रमुख व्यक्तियों ने १९५६ में लोकवाणी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करवाया। श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुल भाई भट्ट, श्री सीताराम सेक्सरिया, श्रीमती रतन शास्त्री, श्री प्रेमनारायण माथुर, श्री जवाहरलाल जैन, श्री पूर्ण चन्द्र जैन, श्री मदनलाल सौडाणी और श्री सुधाकर शास्त्री इसके सेक्रेटरी के रूप में। ये ६ डायरेक्टर थे। १९५६ में इस सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। एक्ट के नियमों के माफिक इस सोसायटी के जो भी इलेक्शन्स हों, जो भी एडिशन्स और आल्ट्रेशन हों, उनकी सूचना डायरेक्टरों को ३ दस्तखतों के साथ रजिस्ट्रार को देनी चाहिये। ५६ में यह सोसायटी रजिस्टर हुई और १९६७ के अन्त तक, २ मार्च १९६८ तक कोई रिटर्न इस सोसायटी की तरफ से रजिस्ट्रार साहब सोसायटीज को नहीं भेजी गई। इसका मतलब है कि यही ६ व्यक्ति इस सोसायटी के बाकायदा डायरेक्टर १९५६ से २ मार्च, १९६८ तक चल आते हैं। इस एक्ट के माफिक ३ व्यक्तियों के दस्तखत नहीं हैं, एन्युअल रिटर्न शामिल नहीं की गई हैं। इसलिये यही डायरेक्टर माने जायें। २ मार्च ६८ तक इनकी तरफ से कोई रिटर्न नहीं दी गई हैं। इस सोसायटी के नाम रजिस्ट्रार की तरफ से १९६६ में एक नोटिस जारी हुआ कि क्यों नहीं आपने रिटर्न भरे, क्यों नहीं आपके खिलाफ एक्शन लिया जाय ? आपका प्रोसीक्यूशन धारा ४ बी. में हो सकता है, २००० रु० का जुर्माना हो सकता है। ६६ में यह नोटिस दिया गया फिर भी इस प्रकार के रिटर्न नहीं बताये कि डायरेक्टर्स में चेंज हुई है। १९६७ में जो मजदूर हैं लोकवाणी के, जिनका केस चल रहा है, उनका प्रोविडेन्ट फण्ड का क्लेम था, उन्होंने यह साबित करने

Page No. 111

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिये कि श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुल भाई भट्ट, श्री सीताराम सेक्सरिया वगैरह हैं, इन ६ के खिलाफ इण्डिविजुग्रल एग्जीक्यूशन करना चाहते थे, उनके ऊपर क्लेम जारी कराना चाहते थे, उन्होंने इस डिपार्टमेंट से नकल मांगी कि इस सोसायटी के ग्रोथेराइज्ड डायरेक्टर्स कौन हैं, ग्राज की तारीख तक। २७:४:६७ को इनको यह नकल मिली, उसकी यह नकल मेरे पास है, लोकवाणी सोसायटी के यही ६ डायरेक्टर रजिस्ट्रार महोदय ने बताये हैं, जिसके ग्रन्दर मोहर लगी हुई है २७-४-६७ की। श्री हीरालाल शास्त्री से लेकर श्री सुधाकर शास्त्री तक २७-४-६७ को रजिस्ट्रार की तरफ से ग्रोथेन्टिकेटेड करके कहा गया है कि ये इस सोसायटी के डायरेक्टर्स हैं। इनको पता लगा कि इस तरह की नकल ली है ग्रौर इन्डिविजुग्रल डायरेक्टर के खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है, इन्डस्ट्रियल कोर्ट ने पार्टी बनाने का नोटिस जारी कर दिया तो दूसरी सोसायटी बनाने की कार्यवाही हुई। १९६४ में राष्ट्र दर्शन सोसायटी के नाम से इन्हीं महानुभावों ने, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री सीताराम सेक्सरिया, श्रीमती रतन शास्त्री, प्रेम नारायण माथुर दिवाकर शास्त्री ग्रौर श्री सुधाकर शास्त्री, श्री प्रेमनारायण माथुर निकले, प्रेमचन्द जैन, मदनलाल सोडाणी निकल गये ग्रौर शास्त्रीजी के परिवार के एक सदस्य श्री दिवाकर शास्त्री को बना कर इन ६ ने दरख्वास्त दी कि राष्ट्र दर्शन सोसायटी का रजिस्ट्रेशन किया जाये। मेन परपज वही है, मेन डायरेक्टर्स वही हैं, मेन ग्रोब्जेक्ट वही है, पुरानी लोकवाणी खत्म नहीं हुई, रजिस्ट्रार के हाथ में है, रजिस्ट्रार को पता है, रजिस्ट्रार के पास शिकायतें की जाती हैं कि फ्राडुलेंट तरीके से, पुरानी सोसायटी के ग्रसेट्स को गायब करने के लिये ग्रौर पुरानी सोसायटी की लायबिलिटीज को ग्रनपेड करने के लिये नई सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की माँग की जा रही है। इसके बावजूद राष्ट्र दर्शन सोसायटी को नं० ८३ पर ६४-६५ में रजिस्टर किया गया। पहला फ्रॉड जिसके ग्रन्दर रजिस्ट्रार सोसायटीज ने पूरी तरह से सहयोग दिया, यह फिर कोरपोरेट हुग्रा, लेकिन रजिस्ट्रार को इन्कार कर देना चाहिये था रजिस्ट्रेशन करने के लिये। ग्रव्वल तो जिस परपज के लिये यह सोसायटी चलाई जा रही थी वह परपज चेरिटेबल नहीं था, क्योंकि इस सोसायटी का ग्रखबार चलाने का, मुनाफा कमाने का परपज था, जिसमें एडवर्टाइजमेंट ग्राते हैं, मुनाफा होना है। पर राष्ट्र दर्शन सोसायटी रजिस्टर कर ली गई। राष्ट्र दर्शन सोसायटी को पार्टी बनाने के लिये मजदूरों ने लेबर कोर्ट में दरख्वास्त दे दी यह कहते हुए कि इस सोसाइटी के डायरेक्टर्स वही हैं, नाम तब्दील हुग्रा है, वास्तव में सोसायटी वही है, इसलिये इसे पार्टी बनाया जाय ग्रौर इस पर कोर्ट ने राष्ट्र दर्शन सोसायटी के नाम नोटिस जारी कर दिया ग्रौर पार्टी बनाने की कार्यवाही की तो तीसरी सोसायटी "राष्ट्र वाणी" नाम की सोसायटी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराने की कार्यवाही की। इसमें इन तमाम लोगों को मुबर्रा कर दिया, इनको डायरेक्टर नहीं रख कर सुधाकर शास्त्री

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष, कमल चन्द जैन मंत्री और २ और, इनको उसका डायरेक्टर बनाकर रजिस्ट्रेशन के लिये दर्ख्वास्त दी, जिसका कन्टेस्ट चल रहा है कि इसको रजिस्टर नहीं किया जाय, क्योंकि इसका मकसद भी वही है जो राष्ट्र दर्शन का है। अब इसका मकसद श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुल भाई भट्ट आदि को उस कार्यवाही से निकालने का है। ३ मार्च १९६७ को एक रिटर्न दाखिल की गई प्रेमनारायण पारीक की तरफ से, जिसमें ६० से १९६८ तक के इलेक्शन्स राष्ट्र दर्शन और लोकवाणी के दोनों के दिये गये हैं। ३ मार्च, १९६८ को वह रिटर्न रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर हुई है। यह रिटर्न कैसे दी गई ? इसके खिलाफ शिकायत की गई कि यह बोगस सोसायटी है, इसके कोई इलेक्शन्स नहीं हुए, इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मिनट बुक नहीं है, मिनिट बुक्स में कुछ भी दर्ज नहीं है, यह सब बोगस रिटर्न दी है। रजिस्ट्रेशन के इतने साल बाद जब कि नोटिस जारी कर चुके हैं, इसलिये इनके इन रिटर्न्स को स्वीकार नहीं करना चाहिये अगर यदि स्वीकार करें भी तो उससे पहले तमाम एन्क्वायरी पूरी करके, सोसायटी के तमाम डॉक्यूमेंट्स, मिनट बुक आदि देखकर तब करना चाहिये।

मुख्य बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसमें कानूनी तौर से ३ आदमियों के दस्तखत लाजमी तौर से होना आवश्यक है, वह प्रावधान इसमें पूरा नहीं किया गया है, इसलिये वह रिटर्न इल्लीगल है, यह रिटर्न मानने काबिल नहीं है, पर उनके रिटर्न को रजिस्ट्रार साहब ने ले लिया है। ३ तारीख को वह रिटर्न पेश हुई, मैं मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि यह ३ तारीख को पेश क्यों हुई, इसलिये हुई कि मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चल रहा है, तो पेमेंट आफ वेजेज का मजदूरों ने यह कहा था कि इस सोसायटी के मालिक श्री हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट आदि हैं, अप्रैल ६७ वाली नकल रजिस्ट्रार से मिली थी वह पेश कर दी और उनके खिलाफ इजराय पेश करने वाले थे

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय इसके लिये थोड़ा समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सूची आज लम्बी है, इसलिये थोड़े समय में ही समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला बहुत अहम है।

श्री उपाध्यक्ष : सब मामले अहम हैं, इसलिये सदन में आते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २७-४-६७ को कापी रजिस्ट्रार साहब से मिल गई थी, मजदूरों ने उसे अदालत में पेश कर दिया। सुधाकर शास्त्री यह साबित करना चाहते हैं कि ये डाइरेक्टर्स नहीं हैं, इसलिये रिटर्न पेश की और लेटेस्ट डायरेक्टर कौन हैं, उनकी नकल दी जाय इस तरह की एप्लीकेशन सुधाकर शास्त्री ने दी और उनको उस ही रोज नकल मिल जाती है

Page No. 113

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जबकि मजदूरों को कई दिन घूमना पड़ता है। उसी रोज एप्लीकेशन देते हैं और उसी रोज वह कापियाँ रजिस्ट्रार की तरफ से सुधाकर शास्त्री को दे दी जाती हैं। घर से ही सुधाकर शास्त्री ले गये थे और उन पर डिपार्टमेंट ने मोहर लगाई है, वही नकल रजिस्ट्रार द्वारा ग्रोथेन्टीकेट करके दे दी जाती है कि वे डायरेक्टर उस रोज नहीं थे। ४ बोगस ग्रादमियों को डायरेक्टर दिखाया, सुधाकर शास्त्री भी नहीं रहे, ४ डायरेक्टर दिखा दिये, एक हैं मिस्टर सोहनलाल व्यास, दूसरे श्री हरीश व्यास तीसरे कमल चन्द जैन और चौथे हैं श्री रामकिशन शर्मा। एक कोई प्रेस का कर्मचारी है, दूसरा वह कर्मचारी है एक शास्त्रीजी का साला बताया। इस तरह ४ ग्रादमी हैं, इनके खिलाफ भी डिक्री हो जाय तो वसूल क्या होगा? ग्राखिर सुधाकर शास्त्री ने इनको बताकर कि यह डाइरेक्टर हैं, इन पर डिक्री कर लो, इस तरह ग्रदालत में पेश कर दिया। रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने किस तरह रजिस्ट्रेशन के समय वह बोगस बनो फ्राडुलेन्ट सोसाइटी को रजिस्टर किया ग्रौर फिर उनको बचाने की दृष्टि से ग्रंत में भी बोगस डाइरेक्टर्स के रिटर्न को, बगैर वेरीफिकेशन के, उनकी शिकायत होने के बावजूद मन्जूर कर लिया। जो ग्राथेन्टीकेटेड कापीज दी थी, उनके खिलाफ कान्ट्रडिक्शन में दरग्रसल ऐसी सूची दी थी जिसके ग्रन्दर सब लोगों को बचा दिया ग्रौर रजिस्ट्रार के सामने पेश हुए। ग्रौर क्या मिस्चीफ हुई? उससे यह भी मिस्चीफ हुई कि वह जो लोकवाणी ग्रखबार जारी किया गया १९६७ के ग्रन्दर, २-२-६७ को इधर सुधाकर शास्त्री ने दरख्वास्त दी ए० डी० एम० के यहां, इस ग्रखबार में प्रिन्टर, पब्लिशर ग्रौर एडीटर की हैसियत से उन्होंने दरख्वास्त दी कि इसका डिक्लेरेशन दे दिया जाय। उस ग्रखबार की ग्रथोरिटी एज ग्रोनर यह ग्रखबार लोकवाणी सोसाइटी की तरफ से निकल जाने दी गई जिसका श्री सुधाकर शास्त्री कहते हैं कि मेरा सन् १९६५ से कोई ताल्लुक नहीं। उस लोकवाणी ग्रखबार का डिक्लेरेशन श्री सुधाकर शास्त्री २-२-६७ को पेश करते हैं; उसके मालिक लोकवाणी सोसाइटी को बताते हैं ग्रौर लोकवाणी सोसाइटी के प्रेम नारायण पारीक सेक्रेटरी होने के नाते उसकी ग्रथोरिटी पेश करते हैं ग्रौर जब प्रेम नारायण पारीक को किसी ने बताया कि गड़बड़ कर रहे हो, फंस जाग्रोगे तो ९-२-६७ को त्यागपत्र दे दिया कि मेरा इस सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ग्रब मुख्य मंत्रीजी, ग्राप देखिए कि २-२-६७ को लोकवाणी सोसाइटी की तरफ से सुधाकर शास्त्री एज एडीटर, प्रिन्टर ग्रौर पब्लिशर मांगते हैं, प्रेम नारायण पारीक सेक्रेटरी थे, उन्होंने ग्रथोरिटी दी थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ग्रब ११-२-६७ को लोकवाणी सोसाइटी, जिसका कोई ग्रध्यक्ष नहीं; कोई सेक्रेटरी नहीं केवल ये चार ग्रादमी एक्स० वाई० जेड० लल्लू पंजू इसके डाइरेक्टर रह जाते हैं तो ११-२-६७ को लिखा जाता है कि लोकवाणी ग्रखबार लोकवाणी सोसाइटी द्वारा राष्ट्र दर्शन सोसाइटी को बेच दी गई। ग्रब कौन बेचने वाला? इन डाइरेक्टर्स को बेचने की ग्रथोरिटी नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डाक्यूमेंट नहीं, बड़ी प्रोपर्टी गुडविल की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोकवाणी को, उसको बोगस तरीके से बेचना और ११-२-६७ को देखा जाता है कि उस सोसाइटी जिसका न कोई आदेश है न सेक्रेटरी है और ए०डी०एम० की अदालत में जब चलते हैं तो कहा जाता है ये यहां पर मौजूद हैं, राष्ट्र दर्शन ने खरीद लिया है। मजदूर कहते हैं कि बोगस डील है, कोई नहीं खरीदी गई, हमारा क्लेम मारने के लिए कहा जाता है, तो ए०डी०एम० फैसला देते हैं कि मैं बिहाइंड दी डील नहीं जाना चाहता हूँ, एक चैरिटेबल सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि लोकवाणी और राष्ट्र दर्शन एक है, यह डील बोगस है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। उस समय श्रम मंत्री ने घोषणा की थी यह सब 'बोगस है तो उस समय ए०डी०एम० फैसला देते हैं कि मैं इस डील के पीछे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कह दिया है कि खरीद ली है इसलिए राष्ट्र दर्शन सोसाइटी को मालिक मानकर वैलिडेट करता हूँ, जो उन्होंने नाजायज तरीके से निकाला।

यह लोकवाणी अखबार २-२-६७ से १२-६-६७ तक नाजायज तरीके से निकलता रहा, इसका डिक्लेरेशन वैलिड नहीं था, इसका प्रासीक्यूशन होना चाहिए था। २९-५-६७ को ए०डी० एम० ने फैसला किया कि सुधाकर शास्त्री ने नाजायज हरकत की है, फिर भी सुधार शास्त्री ने नहीं माना, अखबार बंद नहीं किया, २७-५-६७ से १२-६-६७ तक अखबार चलता रहा। १२-६-६७ को जाकर उनको डिक्लेरेशन मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ए० डी० एम० के जजमेंट के बाद इस तरह से लगातार नाजायज तरीके से लोकवाणी अखबार चलता रहा, बंद क्यों नहीं किया गया, चालान क्यों नहीं किया गया ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं एक दो मिनट में समाप्त करता हूँ।

अब उन मजदूरों के ५० हजार रुपये प्राविडेंट फंड के हैं जिनके लिए जैसे माननीय भैरोंसिहजी ने कहा कि अवार्ड है ट्रिब्यूनल का उसमें लिखा है कि एन्ड आफ मार्च १९६८ तक बैंक में पैसा जमा करा देंगे जिसमें से एक पैसा भी जमा नहीं कराया। सरकार की तरफ इस सोसाइटी का पैसा एडवर्टाइजमेंटस् का लाखों रुपया है, वह पी०डी०आर० के पास है। उस पैसे को दे दिया गया। इस पैसे से मजदूरों को चुकाया जा सकता था। आज भी चुकाया जा सकता है, लेकिन उस पैसे को मजदूरों को नहीं दिया जाता। इस पैसे को फौरन रोका जा सकता है और मजदूरों को दिया जा सकता है।

तीसरी बात इस सोसाइटी की तरफ से जिस तरह की यह कार्यवाही की गई जिसके अन्दर गलत फ्राडुलेंट तरीके से रजिस्ट्रेशन, इल्लीगल तरीके से अखबार निकालना, अखबार के प्रोवीजन्स को वायोलेट करना, यह बिलकुल रेकार्ड पर पूरी तरह से साबित है। पुलिस वहां पर एटैचमेंट करने के लिए गई, मजदूरों ने कहा यह माल रखा है यह मशीनरी एटैच करो। सुधाकर शास्त्री ने कहा कि यह हमारी नहीं है, यह सोसाइटी की नहीं है, दूसरों की है। पुलिस वापस चली गई। पुलिस इस तरह इम्पलीकेट हुई। तीन प्रेसों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का रजिस्ट्रेशन, वही मशीनें हैं उसी बिल्डिंग के अंदर, उन्हीं मशीनों के अंदर चेतना प्रेस का डिक्लेरेशन भी उसी में है दो अखबार के नाम और वही डिक्लेरेशन और उन्हीं मशीनों पर है। पहले इधर के दरवाजे फिर उधर तीन दरवाजों पर अलग अलग नम्बर और उन्हीं मशीनों पर तीन डिक्लेरेशन।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह केस क्लीयर कट लोगों को धोखा देही का केस है जिसके अंदर जो उनका राजनैतिक स्टेटस सुधाकर शास्त्री के पिता श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुल भाई भट्ट और बड़े बड़े सेठ, जो इसके अन्दर शामिल हैं प्रेम नारायण माथुर जो मंत्री मंडल के सदस्य रह चुके हैं, उनके डाइरेक्टरशिप के अन्दर हो, बहुत बड़ी ताकत उनके पास है जो इनको मददगार है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस कान्सप्रेसी में निवेदन करना चाहता हूँ कि ४२१, ४२२; ४२३ आइ० पी० सी० के तहत इन लोगों के विरुद्ध क्लीयर केस बनता है, इन धाराओं के तहत फौरन सरकार को केस रजिस्टर करना चाहिए, इन्होंने जो प्रावीडेंट फंड का मिस्एप्रोपिएशन किया है उन्होंने जमा नहीं कराया ४०६ में अमानत में खयानत करने का केस बनता है उन आदमियों के खिलाफ़ जो इनीश्यली डाइरेक्टर्स थे, उनकी जिम्मेदारी खतम नहीं होती, उन्होंने बिल्कुली डिसीव करने की कोशिश की।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। अच्छा नहीं लगता पहले दो मिनट, फिर तीन मिनट, आधे घंटे का समय मिल गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४०६ में इनके विरुद्ध मुकदमा चलाकर इन ९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाय, यह जो तीनों सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन किया है, इनके तमाम कागजात इनके मिनिट्स बुक वगैरह जिससे पता लगेगा कि इसमें चुनाव नहीं हुए बोगस तरीके से चुनाव बताए गए हैं, उनको फौरन जब्त किया जाय। रजिस्ट्रार के दफतर के सब कागजात जब्त किये जाय और इस तरह जो प्रापर्टी है उसको पूर्ण हिरासत में ली जाय। इसके प्रोफिट एन्ड लास अकाउन्ट देखें, रिटर्न देखें उसमें साफ पता लगेगा कि किस तरह गबन किया गया है। सारा मेटेरियल खराब हो गया, घाटे में लिख दिया गया इनके खिलाफ ४०६, ४२१ व ४२२ के गवर्नमेंट अपनी तरफ से केसेज शीघ्र करें, ९ व्यक्तियों को गिरफ्तार करें। सारे कागजात को जब्त करें; इनकी प्रापर्टी को जब्त करें और मजदूरों का जो पैसा है वह दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में कई प्रश्न एक साथ जुड़ गये हैं। लेबर लाज के मुताबिक प्रॉविडेन्ट फन्ड के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही अभी चल रही है उसके सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी प्रकाश डालेंगे, उससे सारी स्थिति स्पष्ट होगी। हमारे सामने अभी बहुत सी बातें विस्तार से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आई कि जिसमें, यह कहा गया कि इनकी तरफ से फ्रॉड किया गया है और आई० पी० सी० के अन्दर उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये, गवर्नमेंट की तरफ से केस रजिस्टर किया जाना चाहिये—वगैरह बातें यहाँ पर कही गई है। मैं तत्काल इस बारे में यह कह दूं कि जिस प्रकार मुकदमा दायर करने की बात कही गई है वह कर दिया जाय तो उचित नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बातें इस सदन में कही गई हैं या समय समय पर गवर्नमेंट के पास वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेशन आये हैं उन सब मुद्दों को होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और लेबर कमिश्नर ये तीनों मिलकर एग्जामिन कर लें और वे इसके बारे में जो गवर्नमेंट को कहेंगे और जो भी लीगल कार्यवाही वे सजेस्ट करेंगे वह की जायेगी। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी राजनैतिक प्रभाव की वजह से हम नहीं आयेंगे। अगर किसी की गलती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तो उसके बारे में संकोच करने का प्रश्न नहीं आता है। आज यह बात काफी अर्से से चलती रही है, मेरे सामने भी आई है कि वर्कर्स के प्रॉविडेन्ट फन्ड का चुकारा नहीं किया गया। बीच में प्रयत्न किये थे कि वह आपसी बातचीत के जरिये हल हो और जैसा अभी बताया गया है कि उन्होंने प्रॉविडेन्ट फन्ड देने की बात को स्वीकार किया है लेकिन उसके बाद सोसायटी बदल गई, मेरा मतलब प्रापर्टी ट्रान्सफर हो गई और जो दूसरी बहुत सी बातें हुई हैं और उसमें अगर कोई क्रिमिनल इन्ट्रेस्ट इन्वोल्व्ड है तो उसके लिये जैसा मैंने निवेदन किया कि होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और लेबर कमिश्नर जो फेक्ट्स रखेंगे उनको एग्जामिन करके क्या स्टेप्स लिये जा सकते हैं, इसके सम्बन्ध में डिक्लेरेशन लिया या नहीं उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके जो भी कार्यवाही होगी गवर्नमेंट की तरफ से की जायेगी। वर्कर्स की तरफ से कोई कार्यवाही करेंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसके लिये जो उचित बात होगी वही की जायेगी, दबाव की वजह से कोई भी बात नहीं की जायेगी। जहाँ तक लेबरर्स की प्राबलम हैं, श्रम मंत्री जी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी कुछ कहें इससे पूर्व एक बात की जानकारी में मुख्य मंत्री जी से लेना चाहूँगा जिसके लिये न होम सेक्रेटरी, न लॉ सेक्रेटरी और न लेबर कमिश्नर है—इन तीनों व्यक्तियों की कमेटी की आवश्यकता ही नहीं है, जिसको आप तुरन्त कर सकते हो। जो गवर्नमेंट द्वारा एडवर्टाइजमेंट अखबारों को रीलीज होता है जिनके बारे में सीरियस चार्जेज है जिनको आप स्वीकार करते हैं मैं समझता हूँ उसके बारे में तुरन्त आदेश दे सकते हैं—एक बात। दूसरी बात जब तक ये अखबार चलते रहेंगे तब तक झन्डू कम्पनी की तरह फन्ड इकट्ठा करते रहेंगे। जैसा माननीय मंत्री श्री दामोदार लाल जी ने कहा था। यह भी झन्डू कम्पनी की तरह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। इनकी दुकान जब तक चालू रहेगी तब तक जेब में पैसे आते रहेंगे ये मेनुपुलेट करते रहेंगे। दूसरे सरकार के जो एक्जीक्यूशन पॉवर है उसको लीगली एग्जामिनेशन की जरूरत है। इस लोकवाणी अखबार के बारे में जो प्रेस रजिस्ट्रेशन के नियम है, उसके तहत कलेक्टर महोदय कार्यवाही करें। उसके बाद यह अखबार बन्द हो जाय तो सारी कार्यवाही करें।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : मुख्य मंत्री के लड़के पर गंभीर आरोप लगाये हैं, इसके बारे में....

श्री रामकिशन : भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो संगत का असर पड़ता है। इसलिये ऐसों की संगत छोड़िये। उन पर ४२० का मुकदमा चल रहा है। कहीं आपके गले में घंटी न बंध जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडवर्टाइजमेंट के बारे में दूसरी बात कही गई। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ, ज्यादा कहना उचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष श्रम विभाग के....

श्री रामकिशन : थोड़ा इतना तो बोलें कि सुन लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सदन को अवगत कराना है। आपकी आज्ञा से यह समझ कर निवेदन करता हूँ सबसे पहले यह झगड़ा सन् १९६५ में शुरू हुआ जब लोकवाणी ने अपने यहाँ क्लोजर का नोटिस दिया। उसके बाद यह क्लोजर का झगड़ा एडजुडीकेट हुआ। जो पेमेन्ट वेजेज के अन्तर्गत ड्यू थे, ऐरियर थे उनके क्लेम्स ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी को ध्यान आकर्षण के बारे में कहा गया है। आप कृपा कर उनको रोकिये जब तक यह मामला खतम न हो जाय। तब तक उनको यहाँ रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षण का मतलब कोई लम्बी-चौड़ी चर्चा का नहीं है। उन्होंने उत्तर दे दिया है। जो लेबर से सम्बन्धित प्रश्न है उस पर श्रम मंत्री जी....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उसके बाद जो वेजेज के ऐरियर क्लेम किये गये हैं.......

श्री हीराभाई : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वेजेज का उनका क्लेम फाईल किया गया है और उसकी डिक्री हुई है वह डिक्री जो वेजेज की है उसका एक्जीक्यूशन कराया गया और जब एक्जीक्यूशन हुआ तो एडजस्टमेंट का सवाल आया तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई एसेट्स नहीं है। जहाँ तक प्रॉविडेन्ट फन्ड

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

का ताल्लुक है। रीजनल प्रॉविडेन्ट फन्ड कमिश्नर ने, ४४३ रुपये ३३ पैसे का क्लेम है उसके बारे में सर्टिफिकेट फाइल किया और सर्टिफिकेट फाइल करने के बाद में यह रकम की वसूली की कार्यवाही जारी हुई। उसके बाद एक प्रश्न और उठा कि साहब प्रॉविडेन्ट फन्ड में कवरेज आया उसके बारे में झगड़ा हुआ और उसके बाद इनको रीजनल प्रोविडेन्ट फन्ड कमिश्नर ने प्रोसीक्यूशन की सेंक्शन दी और प्रोसीक्यूशन फाइल किया तारीख २२-२-६६ को जो प्रोसीक्यूशन जेर गौर है। इसके पश्चात् वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसियेशन ने पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट की तहत प्रोसीक्यूशन की इजाजत मांगी। प्रोसीक्यूशन किया गया यह मामला सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में हैं जिसकी तारीख ८ अप्रेल पड़ी हुई है।

एक केस और चला प्रॉविडेन्ट फण्ड के बारे में क्रिमीनल केस के रूप में। उसमें हाईकोर्ट ने यह ऑबजर्व किया।

"As regards para 4 of the dispute Shri Shastri for the society has undertaken to keep the amount of provident fund of the employees in the consolidated provident fund account with the Bank latest by the end of March, 65. Shri Bapna for the workmen has also agreed for this arrangement ...."

जैसा कि पूर्व में कहा गया इस बारे में ट्रिब्यूनल का अवार्ड हुआ, फर्स्ट अवार्ड में यह हुक्म था जिसके लिये सुधाकर शास्त्री ने एडमिट किया कि ६५ से वे प्रॉवीडेण्ट फण्ड की रकम को बैंक में जमा करा देंगे वह रकम बैंक में जमा नहीं कराई। इस बात के लिये प्रोसीक्यूशन की बात आती हैं उसके लिये अगर इजाजत मांगेंगे तो उस अवार्ड के ब्रीच के बारे में इजाजत देंगे।

एक माननीय सदस्य : आज नहीं देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अगर इसके लिये इजाजत मांगेंगे तो प्रॉवीडेण्ट फण्ट एक्ट की तहत में आज्ञा दे दी जायगी।

इस पी० एफ० रकम के अलावा और ५० हजार की रकम का भी मामला है। पी० एफ० एक्ट के तहत और पेमेन्ट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत में जितने भी सवाल हैं जिसके बारे में लेबर डिपार्टमेन्ट इन दोनों बातों से जितने भी सबन्धित मामले हैं उनके बारे में हमेशा जागरूक रहा है।

एक फेक्ट और निवेदन करना चाहता हूँ जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे प्रथम सत्र में दिये गये आश्वासन को पढकर सुनाया उस पर मैं यह कार्यवाही करना चाहता हूँ जहां तक क्लेक्टर को लिखने का सवाल है मैंने अभी लेबर कमिश्नर के पत्र को पढ़कर बताया इस प्रकार का फ्रॉड है उसमें डिक्लेरेशन दे दिया। जब यह कार्यवाही करने का सवाल आया यह पता चला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको पहले

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

ही राष्ट्र दर्शन के नाम से डिक्लेरेशन दे दिया। इस संबन्ध में जांच करने पर मालूम हुआ सदन में इसके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दे दिया तो उससे पहले राष्ट्र दर्शन सोसाइटी के नाम से डिक्लेरेशन दे दिया। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखने की आवश्यकता नहीं। उस समय यह सूचना विधान सभा सचिवालय को दे दी गई थी। उस वक्त दर्शन सोसाइटी के नाम से डिक्लेरेशन दे दिया गया इसलिये इसके बाद इस संबन्धित में कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

यहाँ से जाने के पहले जैसा स्टेटमेन्ट था उससे पहले ही डिक्लेरेशन हासिल कर लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाद में सूचना देने पर भी वह केन्सिल हो सकता है वह फाइनल थोड़े ही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मुझे सूचना है यहां जो कहा गया था उससे पहले ही राष्ट्र दर्शन सोसाइटी के नाम से डिक्लेरेशन हो गया है। एक दफा जब डिक्लेरेशन हो जाता है तो उस पर दूसरी कार्यवाही हो सकती है या नहीं तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं सेक्शन आठ और ९ को तहत प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बाद में कार्यवाही के लिये इजाजत दी जा सकती है। इन फैक्टस के आधार पर जो भी कानूनी सलाह होगी वह प्राप्त करके जिस कमेटी की मैंने बात की है उसके सामने ये फैक्ट रख कर के जो भी उसकी राय होगी उसके अनुसार मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : यह कमेटी कब तक रिपोर्ट दे देगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन ८ बी हैं उसका पार्ट ४ है उसमें साफ लिखा हुआ है।

"If on an application made to him by the Press Registrar or any other person or otherwise the Magistrate empowered to authenticate a declaration under this Act, is of opinion that any declaration made in respect of a newspaper should be cancelled, he may after giving the person concerned an opportunity of showing cause against the action proposed to be taken, hold an enquiry into the matter and after considering the cause, if any shown by such person and after giving him an opportunity of being heard, he is satisfied that the declaration was made on the false representation or on concealment of any material or in respect of a periodical work which is not a newspaper ...."

तो यह डिक्लेरेशन देने के बाद भी इस प्रकार का कोई फैक्ट मजिस्ट्रेट के नोटिस में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आ जाय चाहे वह किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ओथोरिटी द्वारा नोटिस में लाया जाय पहले का ओथेन्टिकेट पर्चा केन्सिल कर सकते है। गवर्नमेन्ट ने जब इसको माना यह पूरा फ्रॉड है, उसका कोगनीजेन्स मजिस्ट्रेट को लेना पड़ेगा। दुबारा अपील करेंगे दूसरा जजमेन्ट दे सकते हैं।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : यह कानूनी मसला है इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा एक की कुछ राय हो सकती है दूसरे की कुछ और जैसा कि रामानन्द जी ने कोट किया। मजिस्ट्रेट यह मानकर के वार्निंग दे दे मैं इसके पीछे जाना नहीं चाहता। जब केस की बात चलती है, कानूनी मसला आता है तो उसके बारे में यहां डिस्कस करना ज्यादा ठीक नहीं होगा। जो कुछ भी इस बारे में मसाला आयगा उसके बारे में स्थिरता से, गंभीरता से विचार करके कार्यवाही की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट से मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसी कि उन्होंने घोषणा की है इस समस्या का इस तरह से समाधान नहीं होगा। होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और लेबर कमिश्नर इन से तो इस समस्या का हल होने वाला नहीं क्योंकि ये भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लड़के का मामला है जिनके ये किसी समय सबोर्डिनेट रह चुके हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : उनसे तो मिलने का अवसर ही नहीं मिला होगा। उस समय तो ये बहुत सबोर्डिनेट ओहदे पर होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस मामले में जो इस तरह से रखा जा रहा है इसका समाधान नहीं होगा। इसमें इन्क्वायरी की जरूरत है हाईकोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज द्वारा वह इन्क्वायरी हो और उनकी एडवाइस से काम किया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने इस को डिसकस कर लिया है आप भी काफी तजुर्बेकारी वकील रह चुके हैं आप भी इस बारे में मिनिटस् तैयार करवा कर आप ही इन्क्वारी करा लीजिये। इस संबन्धी जितने कागजात हो उनको जब्त कर लिया जाय उसमें और भी फ्रॉड हो सकता है। द्रोपदी के चीर हरण के समय जो स्थिति धृतराष्ट्र गुरू द्रोण की हो रही स्थिति श्रम मंत्री की हो रही है। मजदूरों को तनखवाह मिले वे यह भी चाहते हैं क्योंकि उनका नमक खाया है, यह भी मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वे अब कुछ भी बोल नहीं सकते।

श्री रामकिशन (वैर) : मुख्य मंत्री जी तो गोलमाल करके चले गये। उन्होंने जो कहा कि तीन आदमियों की कमेटी बनाकर इस मामले को सौंपा है उनसे अब क्या तीरन्दाज होने वाला है। यह प्रश्न आज से नहीं काफी पहले से चला आ रहा है हर समय टालम टोल का जवाब दे दिया गया। नतीजा केवल शून्य होता है। यह सब समझते हैं कि इसमें गड़बड़ियां हैं गलत रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको कौनसी दिक्कत आ रही हैं जो आप कानून के तहत कार्यवाही नहीं कर सकते, जैसा कि श्रम मंत्री जी ने कहा।

Page No. 121

श्री वृजसुन्दर शर्मा : में समझता हूं कि जो भी कानूनी सलाह मिलेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : यह लोकवाणी का प्रश्न लगभग सात दिन से आपके विचाराधीन है। सात दिन से यह सदन में आया हुआ है। वैसे यह पांच साल पहले से चला आ रहा है। तो इतना अर्सा हुआ, यह तो नहीं हो सकता कि सरकार ने इसकी कानूनी दृष्टि पर विचार नहीं किया हो। पर सही बात तो यह है कि सरकार में इतनी हिम्मत नही है कि वह कानूनी दृष्टि से कोई एक्शन ले इस पत्र के खिलाफ। तो कानून की अवहेलना तो आपने हर कदम पर की है। कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने की स्थिति में आज भी यह सरकार नहीं है।

इन लोगों की इस वृत्ति का असर आज सरकार के प्रशासन तन्त्र पर पड़ रहा है। आम प्रशासन पर पड़ता है। राजस्थान की सरकार जिसमें मंत्री लोग शामिल हैं उनका रुख जब इस तरह का पाते हैं तो सरकारी अधिकारी उस लोकवाणी सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करने से हिचकिचाते हैं। बे समझते हैं कि यह सरकार जब कार्यवाही करना नहीं चाहती तो हम क्यों इसमें दिलचस्पी लें। अगर सरकार को कार्यवाही करनी होती तो सदन में इतना जोर से मामला उठाने के बावजूद भी सरकार आश्वासन देने से नहीं हिचकिचाती। तो इसका असर लेबर विभाग, राजस्व, पुलिस सब बिभागों पर पड़ता है। वे विभाग तैयार नहीं होते कानून के अनुसार कार्यवाही करने में।

में निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक तो कन्क्रीट कदम उठावें इस कमेटी के अलावा कि इस कानून की अवहेलना नहीं करने दी जावेगी और इस कानून के अन्तर्गत प्रोसीक्यूशन होगा। रजिस्ट्रार यह करेगा, कलेक्टर और डी० पी० आर० यह करेंगे। एक बात की तो सख्ती दिखाइये कि पांच वर्षों की मेहनत के बाद आज अमुक कानून के अन्तर्गत इस सोसायटी के खिलाफ यह कार्यवाही करने वाले हैं। स्वयं कानून को जानते हैं। यह तो ऐसी स्थिति हो गई कि एक कमेटी के नाम पर सारे कानूनों को टहला दिया जावे कब तक रिपोर्ट देगी कमेटी ? आप कानूनी सलाह कब तक ले लेंगे यह बता दीजिये। कुछ तो बताइये। या यह कह दीजिये कि लोकवाणी सोसायटी को हम प्रोटेक्शन देंगे। मजदूरों का पैसा खा गये तो खा गये। वापिस लेने की हमारे में हिम्मत नहीं। आप अपनी मजबूरी बता दें।

श्री वृजसुन्दर शर्मा : जहाँ तक एक्शन लेने का सवाल है मैने पहले जैसा निवेदन किया अगर एक्शन लेने का इरादा नहीं होता तो पेमेन्ट आफ वेजेज की डिक्री वसूल नहीं कराते। अब उसके एग्जीक्यूशन की कार्यवाही चल रही है। ५२ हजार के प्रोविडेण्ट फण्ड का केस सिटी मजिस्ट्रेट के यहां चला है जो कि प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट के तहत किया गया है।

अब भी जो ब्रीच आफ एग्रीमेन्ट का ताल्लुक है प्रोसीक्यूशन की उस पर इजाजत दी जा सकती है यह तो लेबर विभाग के करने की बात थी और वह किया। और कानूनी एक मामला बाकी है अगर इसके बारे में भी प्रोसीक्यूशन की वर्कर्स की डिमाण्ड

(श्री बृज सुन्दर शर्मा)

आती है तो उसको इजाजत दी जा सकती है।

जहां तक कमेटी का ताल्लुक है मैं समझता हूं हफ्ते पन्द्रह दिनों में सारे फेक्ट्स को असेस करके जो भी कार्यवाही की जा सकती होगी की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(सदन की मेज पर रखे गये पत्र)

मंत्री समाजकल्याण (श्री नारायणसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट सन् १९६४-६५ एवं १९६५-६६ को सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा।

श्री भैरोंसिंह : क्षमा करें। प्रसंग अभी निकल जावेगा इसलिये पूछ लेता हूं। इस रिपोर्ट पर डिसकशन कब होगा। इस आयुक्त की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा हमेशा स्थगित की जाती रही है। सरकार की भी ऐसी इच्छा है इसलिये वह भी इस रिपोर्ट को सदन के स्थगित होने के अन्तिम दिन प्रस्तुत करती है ताकि माननीय सदस्य उस पर विचार नहीं कर सकें और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है इसकी जानकारी सदन को न हो सके। मैं जानना चाहता हूं कि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की रिपोर्ट से घबराते क्यों हैं? आप बताइये डिस्कशन कब करना चाहते हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह तो निवेदन नहीं कर सकता कि ६३-६४ की रिपोर्ट पर डिस्कशन हुआ है। पर जहां तक ६४-६५ की रिपोर्ट का सवाल है वह हाल ही प्राप्त हुई है और प्राप्त होते ही पेश की गई है।

श्री श्रवणलाल : (हिन्डौन) यह बताने की कृपा करें कि इस रिपोर्ट के इतनी देर से आने से महत्व क्या रह जाता है?

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट जब पेश होती है तो उस वक्त उस पर बहस नहीं की जाती है। परिणाम यह होता है कि बहुत से मुद्दे जो रिकमण्ड किये जाते हैं, सूचना होती है, सरकार के लेप्सेज पर कमेन्ट्री होती है तो इन सब पर समय पर बहस होती है तो इसको सदन में पेश करना ही बेमानी हो जाता है। फिर तीन साल पहले की रिपोर्ट आज पेश की जा रही है। इस पर तो अभी बहस होनी चाहिये। वैसे रिपोर्ट अगले साल पेश कर दी जानी चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस विषय में एक विचार हुआ भी था कान्फ्रेन्स में कि आयुक्त की रिपोर्ट काफी विलम्ब से आती है। फिर बहस करना लाभदायक नहीं रहता है।

इसका कारण इसका बड़ा होना है। खास तौर से औपचारिक ढंग से एक रिपोर्ट कई तथ्यों को लेकर बनती है तो औपचारिक

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
ढंग से एक रिपोर्ट जब तैयार होती है तो कई रिपीटीशन होते हैं तो इन सबको रिपीट करने में काफी विलम्ब लगता है।

अब यह भी विचार किया जाता है कि रिपोर्ट त्वरित रूप से पेश हो सके और संक्षेप में हो तो प्रारम्भ में वह रिपोर्ट महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही सीमित रहे। न कि औपचारिक रूप से रिपीटीशन हो। यह प्रश्न विचाराधीन है। समय पर रिपोर्ट आना शुरू होगी तो वह ज्यादा उपादेय होगी।

श्री देवेन्द्रकुमार (गोगुन्दा सु.) : यह महत्वपूर्ण चीज है। इस पर बहस का मौका दिया जाना चाहिये। पिछली बार भी पूरी तरह से भाग नहीं ले सके।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां पर हरिजन और आदिवासी भाइयों का सम्बन्ध है हमारी सरकार इस बात की बड़ी लापरवाही बरतती है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर भाषण नहीं होगा।

आप बोलें तो थोड़े में कह दीजिये अपनी बात।

श्री श्रवणलाल : जो अनुदान वगैरह अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के उत्थान के लिये दिये जाते हैं उसके लिये इस प्रकार का वातावरण पैदा करके जो भावना सरकार जनता में पैदा करना चाहती है कि वह समाजवाद लाना चाहती हैं, कोरा ढकोसला साबित हो रहा है।

पिछले वक्त भी बजट सत्र समाप्त होने के बाद लास्ट दिन यह रिपोर्ट पेश की गई थी जिसके कारण सदस्य अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सके यद्यपि रात के ११ बजे तक सदन चला। इसमें रही हुई खामियों की तरफ हम अच्छी तरह सरकार का ध्यान आकर्षित करने का अवसर नहीं पा सके।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट पेश हुई है वह अगले सत्र में ले ली जावेगी। कल सत्रावसान हो रहा है।

श्री श्रवणलाल : सत्र के लास्ट में रिपोर्ट पेश की जावे और तुरन्त हम उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकें, सजेशन नहीं दे सकें इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आज का चर्चा का विषय नहीं है।

श्री श्रवणलाल : इसीलिये जबकि १५–२० एम. एल. ए. द्वारा दस्तखत करके मांग की गई थी कि हमारे विषय को जो कि मन्त्री महोदय पेश नहीं करना चाहते हैं उसको किस प्रकार से लिया जावे और उस पर बहस की जावे।

श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : उपाध्यक्ष महोदय। शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट पेश की गई।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : सब एक साथ बोल लो तब तो आसन की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदालिया (नोखा सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दबाने की कोशिश करती है लेकिन मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूँ कि यदि पिछड़ी जाति के अधिकारों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, उनके अधिकारों को दबायेंगे तो हम इसके खिलाफ बगावत करेंगे और इसका डटकर मुकाबला करेंगे। समाज कल्याण के मंत्री हैं वह यहां बैठे हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है उस पर विचार होना चाहिए........

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर तो रखी ही है।

श्री चुन्नीलाल इंदालिया : सदन की मेज पर तो रखी है लेकिन अब सेशन खतम हो रहा है। उसको इतने बाद में रखा गया है, हम उसको कब पढ़ेंगे और कब इस पर विचार करेंगे। हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है। यह सरकार हरिजनों के नाम का ढोल पीट रही है और उनकी हितचिंतक कहलाने वाली सरकार आज तक इसको दबा कर रखे हुए है। यह सरकार हरिजनों की छाती पर बैठी है और उससे साबित होता है कि सरकार उनको दबाना चाहती है और उनको आगे नहीं आने देना चाहती है .....

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री हीराभाई : माननीय मंत्री महोदय इस बात को दबाकर और काला पर्दा डाल कर इसको दबाना चाहते हैं लेकिन इधर और उधर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में ऐसा कदम नहीं लिया जाकर कल की बजाय एक दिन हमारे बिजनेस को बढ़ाकर इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद किया जाये। तो इस बारे में मैं सदन से और आपसे निवेदन करूंगा कि एक दिन और बढ़ाया जाकर आदिवासी और हरिजनों की रिपोर्ट पर विचार अच्छी तरह से हो सकेगा वर्ना हमेशा पिछड़ी जाति वालों को पीछे रखा जाता है तो उस पर हम बहुत दुख प्रकट करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित यह जो रिपोर्ट पेश की गई है मुझे इसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि यह पहले भी प्रस्तुत की जा सकती थी लेकिन इससे स्पष्ट यह संकेत होता है कि राजस्थान की सरकार इस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई है.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें। यहां शब्द गिने नहीं जाते हैं तोले जाते हैं इसलिए थोड़े में सार की बात कह दें काफी होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस रिपोर्ट को इतने विलम्ब से रखे जाने का एकमात्र कारण यही है कि इस सदन के अन्दर आने वाले माननीय सदस्य जो कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति और

(श्री देवदत्तगाड़िया)

अनुसूचित जनजाति के आये हैं और उनके साथ दूसरे माननीय सदस्य........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो करोडों रुपया खर्च किया है और उसमें विमुक्त जाति सेवा संघ है ....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। अभी रिपोर्ट पर विचार नहीं हो रहा है। अभी यह नाराजगी इस समय व्यर्थ है। जब विचारार्थ इस सदन में यह रिपोर्ट आये तब आप इसके सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं। आपने रोष प्रकट कर दिया। जब सेशन खतम होने को था तब प्रस्तुत की तो इतने माननीय सदस्यों ने कह दिया तो यह पर्याप्त है।........

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है.......

श्री उपाध्यक्ष : आपका निवेदन है कि वह कार्यसूची के खिलाफ है। इसलिए स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : जब यहाँ पर यह रिपोर्ट इतनी देर से पेश हुई है.......

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस पर बहस होनी चाहिए। एक दिन का समय और बढ़ा दिया जाये ताकि माननीय सदस्य इस पर बहस कर सकें और यह विमुक्त जाति सेवा संघ है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहस होनी चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज !

(सर्व श्री देवीदत्त गाड़िया, श्रवणलाल, चुन्नीलाल इंदालिया, परसराम गंगाराम, डूंगाराम राजोरिया—एक साथ बोलने लगे)

श्री देवीदत्त गाड़िया : आदिम जाति सेवा संघ के अध्यक्ष श्री माणिक्यलाल जी वर्मा इसको खा रहे हैं। इस पर बहस होनी चाहिए ....

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कार्य सलाहकार समिति है वह निर्णय करती है कि किस तरह से बिजनेस चले।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आसन को ही अधिकार हैं। नहीं टोकता है तो सभी बोल लें।

श्री नत्थीसिंह : मेरा प्रश्न व्यवस्था का यह है कि अकसर कार्य सलाहकार समिति को बुलाकर जो भी बिजनेस तय करते हैं इस सदन की परम्परा है और उसको हमेशा से ही सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता रहा है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जब सदन

Page No. 126

(श्री नत्थीसिंह)

एक तरह से सर्वसम्मत है और किसी ने भी विरोध नहीं किया कि अविलम्ब विचार नहीं हो जब यह मन्शा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कार्य सलाहकार समिति की अविलम्ब बैठक बुलाई जाकर इसका निश्चय किया जाये कि ६ तारीख को इस रिपोर्ट पर विचार किया जाये ताकि पिछड़े हुए लोगों के मनों में शंका न रहे कि जब उनका प्रश्न आता है तो उनको बिलकुल पीछे रखा जाता है। मंत्री जी बैठे हैं, कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हो जाये और यदि वह मंत्री महोदय को कह दें तो वह तैयार हो जायेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : मैं आसन से निवेदन करूंगा कि जिस समय कोई क्वेश्चन पिछड़ी जाति का विधान सभा में आता है, अभी दो एक रोज पहले की बात है उस समय माननीय सदस्य ने बोलने की कोशिश की उन्होंने कहा कि हमें बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए और ट्रेजरी बेन्चेज से क्वेश्चन होते हैं कि मिलना चाहिए। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितनी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की मांगें होती हैं या क्वेश्चन होते हैं या कोई भी बात होती है पहली बात तो यह है कि वह सामने आने ही नहीं देते हैं और अगर सामने आने देते हैं तो उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। तो मैं कहूंगा और प्रार्थना करूंगा आसन से कि आसन ने कहा था कि यहां पर कोई भी जाति के बारे में कोई बात नहीं सोची जाती है। इसलिए जो माननीय सदस्य ने कहा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को टाइम नहीं दिया जाता है आसन की तरफ से आदेश थे और मैं आसन से फैसला चाहूँगा कि आसन इस पर क्या फैसला लेता है। यह रिपोर्ट पहले ही सेशन में रखी जानी चाहिए लेकिन वह नहीं रखी जाती है और अब दूसरे में रखते हैं और मंत्री महोदय ने कहा कि सेन्टर की बात है। सेन्टर ने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजी उस का पेश नहीं होना और उस पर विचार नहीं करना यह राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होती है। आसन से मैं आशा लेकर चलूंगा कि जैसे शब्द आसन कहता है यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता है तो मैं चाहूँगा कि आसन ही फैसला करे। आसन के फैसले के बारे में हम सोचेंगे और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बातों के लिए पहले नम्बर दिया जाता है या आखिर में दिया जाता है यह उनके अधिकारों का हनन किया जाता है।

(३ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : आसन को इससे प्रभावित करने की कोशिश न करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्रभावित करने की कोशिश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसी बात करते हैं कि आसन को इधर-उधर फैसला देने में दिक्कत है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरा यह निवेदन है कि इस रिपोर्ट पर कुछ न कुछ डिसीजन लेना चाहिए।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) इन संस्थाओं के लिए कुछ न कुछ......

श्री उपाध्यक्ष : किस बात पर किया जाय और क्या किया जाय ?

श्री परसराम गंगाराम : इस रिपोर्ट पर बहस की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट को पेश किया जाय यों ।

श्री श्रवणलाल : विचार करने के लिए एक दिन का समय और बढ़ाया जाय ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि यह....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : हरिजनों की बात उनकी समझ में नहीं आई है । आप अच्छी तरह से फर्मा दें । हम चाहते हैं कि हरिजनों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है उस पर बहस होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : बहस बिना पढ़े ही हो जानी चाहिए, आप का मतलब यह है ?

अभी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई है । आप उसको पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसके बाद में बहस होगी तो उचित रहेगा । आज ही रिपोर्ट पेश हुई है और आज ही उस पर बहस शुरू कर दें ।

मन्त्री महोदय, समाज-कल्याण मन्त्री ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सेन्ट्रल से रिपोर्ट देर से आई है और देर से रिपोर्ट पेश हुई है तो इसके लिए हमको सुविधा मिलनी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सज्जन उधर से आकर इधर दो घन्टे तक बैठे और जनसंघ के लीडर जो मेरा बेग था वह उठाकर ले गये.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आर्डर प्लीज् ।

एक माननीय सदस्य : आप ही इधर आये थे और रख गये ।

श्री उपाध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्री आप फर्मा रहे हैं ? आर्डर प्लीज् ।

एक माननीय सदस्य : उप-गृहमन्त्रीजी किस तरह से बैठे हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज् । इस तरह की बातें न करें ।

राव श्री नारायणसिंह (समाज-कल्याण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट कार्य सलाहकार समिति के प्रोग्राम के अनुसार ही पुरः स्थापित की गई है ... ...

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति ने इस पर चर्चा करली है कि इस पर चर्चा की जाय आगे ?

राव श्री नारायण सिंह : प्रोग्राम जो सदन में आया है उसके अनुसार इस रिपोर्ट

(राव श्री नारायणसिंह)

को आज मुझे सदन में पुर: स्थापित करना था वह मैंने कर दी।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि यह स्पष्ट है कि कोई काम हरिजनों और आदिवासियों के लिए नहीं हुआ है चाहे रिपोर्ट कितने ही सुन्दर कागजों में छापी गई हो और चाहे कितने ही अच्छे फोटो उसमें निकले हों। हरिजनों का कोई फायदा वास्तव में हुआ नहीं है। इसलिए कृपा करके उस रिपोर्ट पर विचार करें। अगर नहीं करेंगे तो कोई जागरुकता आयेगी नहीं काम करने वाले अधिकारियों में। इसलिए भी यह जरूरी है कि रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। ६ या ७ तारीख का समय दे दें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग कल बुला ली जायगी और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया जायगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यहां पर यह सुझाव दिया गया है कि ६ या ७ तारीख को असेम्बली बुला ली जाय तो ६ तारीख का तो इतवार है और ७ तारीख को रामनवमी है। इसलिए यह दो दिन तो नहीं किया जाय। सब जगहों की छुट्टी है इसलिए दो दिन तो नहीं बुलाई जाय। राम नवमी के दिन कैसे आयेंगे? मजाक है क्या? या तो कल ही खतम कर दें या बाद में बुलायें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! इस पर आसन ने व्यवस्था दे दी है और अधिक चर्चा इस पर नहीं होगी। नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा। माननीय कृष्ण कुमार गोयल, सतीशचन्द्र अग्रवाल, केदारनाथ, रामानन्द अग्रवाल। समय सीमा भाषण की ७ मिनिट।

खाद्य मंत्री द्वारा दी गई प्रश्न सम्बन्धी सूचना

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सूचना देनी है सदन को दो मिनट के लिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, २-४-६८ को प्रश्नोतर काल में प्रश्न संख्या १०४४ का उत्तर माननीय राज्य पंचायत मंत्रीजी दे रहे थे तो उस प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने और डूंगरगढ़ के माननीय सदस्य ने उसकी सत्यता को चुनौती दी तो मैंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस प्रकार से पंचायत समितियों से और पंचायतों से कोई प्रस्ताव आया हो इसकी जानकारी करके इस सदन को सूचित करूंगा। मैंने पिछले दो दिनों से विकास विभाग की सभी ब्रान्चेज के अन्दर बीसियों आफिसर्स, गजेटेड आफिसर्स को जिम्मेदारी के साथ में लगाकर यह सूचना हासिल करने की कोशिश की ताकि मैं सदन को सूचित कर सकूं इस प्रश्न के भाग (३) के संबंध में जो कि इस प्रकार से था—

"क्या यह भी सही है कि चूरु, बीकानेर, नागौर, जोधपुर आदि रेगिस्तानी क्षेत्रों की पंचायतों व पंचायत समितियों ने ३ फरवरी

(श्री परसराम मदरेणा)

के पूर्व की दरों को भी अपने क्षेत्रों के लिए अधिक बतलाते हुए कम करने की मांग रखी थी ?"

इसका उत्तर इस प्रकार से था—

"जी नहीं, ऐसे प्रस्ताव विकास विभाग को प्राप्त नहीं हुए"

इस उत्तर को उन्होंने चैलेन्ज किया था, और मेरी जानकारी के अनुसार चैलेन्ज ही नहीं किया था लेकिन यह बात भी कही थी कि सरकार ने जो यहाँ पर उत्तर दिया है वह झूठा उत्तर दिया है। इसलिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैंने पूरी छानबीन करके तलाश करने के लिए कोशिश की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राजस्थान की किसी पंचायत समिति से और किसी ग्राम पंचायत से राज्य सरकार के पास में विकास विभाग में नहीं आया है। अब शर्म किस को आनी चाहिए और किस को नहीं आनी चाहिए यह सदन के सोचने की बात है, उनके कयास करने की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डूंगरगढ़ से भी नहीं आया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने निवेदन किया कि डूंगरगढ़ क्या किसी भी पंचायत समिति से, राजस्थान की किसी भी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत से इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास में संशोधित दरों को कम करने के बारे में, तरमीम करने के बारे में राज्य सरकार के पास में नहीं आया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष ......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज. इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह बात बिल्कुल सत्य है कि पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया। बीकानेर जिले की चार पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किया और नोखा पंचायत समिति के प्रधान श्री रीताराम चारण ने जिला परिषद् की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा है। जिला परिषद की मीटिंग में चार प्रधान और चार एम० एल० एज० और जिला परिषद में आये हुए सरपंचों ने सब ने यह माँग करके राज्य सरकार के पास भेजा है, और मंत्री महोदय के पास यह प्रस्ताव होना चाहिए और है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो परसों ही सदन में बतलाया गया था प्रश्न के भाग (४) के उत्तर में कि जिला परिषद, बीकानेर की तरफ से प्रस्ताव राज्य सरकार को मिला है, और यह भी बात हमने कही थी कि उस प्रस्ताव में पहले की दरें रखने की माँग की है। यह बात तो आपको बतला दी गई थी कि जिला परिषद का प्रस्ताव है। प्रश्न के भाग (२) में स्पष्ट लिखा है कि पंचायत समितियों और पंचायतों की बात कहते हैं। माननीय सदस्य मानते हैं। उनके रूबरू जिला परिषद के प्रधान से मैंने फोन पर मैंने बात की थी तो यह

(श्री परसराम मदरेणा)

बात कह रहे थे कि उन्होंने प्रस्ताव हमारे पास में भेजा है राज्य सरकार के पास से नहीं भेजा है। राज्य सरकार के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव पंचायत समिति से नहीं आया है इस बात को चुनौती दी थी और यह बात कही थी कि आप गलत सूचना दे रहे हैं और सदन को झूठी सूचना दे रहे हैं तो उस वक्त मैंने कहा था कि और जानकारी करके सदन को सूचित कर दूंगा। मेरी सूचना के अनुसार जो कुछ उन्होंने कहा था गलत है। बार बार चैलेन्ज करके गलत बातों को डिफेन्स करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह परम्परा सदन में गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विभाग इस बात को स्वीकार करता है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! (पुन: बोलते रहने पर) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, एक्सपन्ज।

माननीय सदस्य, बिना पूर्व सम्मति के अपना भाषण चालू कर देते हैं यह बहुत बुरी बात हैं। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री कृष्ण कुमार गोयल !

नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा

नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने सम्बन्धी

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर, नगरपालिका और नगर परिषद्, पंचायतों और पंचायत समितियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, मैं समझता हूँ ऐसा इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिल पायगा। चाहे नगरपालिकाओं के वार्डों के निर्माण का सवाल हो, चाहे नगरपालिका की मतदाता सूची के निर्माण का सवाल हो, चाहे नगरपालिका को भंग करने का प्रश्न हो, प्रत्येक स्थिति में राजस्थान सरकार ने अपनी नीति का निर्माण समस्या को सुलझाने के विषय पर राजनीतिक आधार पर निर्णय करती है। मैं यह कहना चाहूँगा कि राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर जिस प्रकार की धाँधली सरकार ने की है वह मैं समझता हूँ दूसरी जगह नहीं मिल सकती। सन् ६६ से पहले जब इच्छा हुई तब नगरपालिका के चुना करा दिये, जहाँ इच्छा नहीं हुई वहाँ साल-दो साल बीत जाने पर भी चुनाव नहीं कराये। जहाँ इच्छा हुई वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिये। जहाँ पर चाहा वहाँ अगर अपने दल की नगरपालिका है तो उसको एक्सटेन्शन दे दिया, मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया। उसके बाद मई, १९६६ में राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की नीति का निर्माण किया कि आगामी समय में नगरपालिकाओं का चुनाव एक

(श्री कृष्णकुमार)

राउन्ड में किया जायेगा । उसके अनुसार कुछ नगरपालिकाओं के चुनाव मई, ६६ में कराये । लेकिन उससे पूर्व जो नगरपालिकाएं काम कर रही थीं, उनका अवधि काल समाप्त हो गया था और एक साल व्यतीत हो गया लेकिन उन नगरपालिकाओं के चुनाव किये जाने के संबंध में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की । इससे पूर्व जो दूसरे मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी कि दिसम्बर में नगरपालिकाओं के चुनाव कर दिये जायेंगे । दिसम्बर निकल गया, आज अप्रेल चल रहा है लेकिन राजस्थान सरकार ने उन ७० नगरपालिकाओं के चुनाव के बारे में अब तक कोई घोषणा नहीं की कि कब चुनाव कराने वाली है । मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों का निर्णय सरकार करती है वह राजनैतिक आधार पर करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक प्रश्न आया था प्रतापगढ़ नगरपालिका का । उस नगरपालिका के चुनाव ६६ में हुए । चुनाव में जनसंघ सबसे बड़ा दल साबित हुआ और विरोधी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, कांग्रेस के सदस्य अल्प मत में रहे । स्वतंत्र सदस्य अध्यक्ष बना और उपाध्यक्ष जनसंघ पार्टी का सदस्य बना । जब इस प्रकार हुआ तब कांग्रेस पार्टी ने सरकार के माध्यम से कुछ सदस्यों पर दबाव डाला और कुछ व्यक्तियों को अपने दल में मिला लिया । तब प्रतापगढ़ नगरपालिका के जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया । जब उस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया तो उस पर विचार करने के लिये तिथियां मुकर्रर की गईं । पहले ३-११-६६ का दिन मुकर्रर हुआ, फिर २८-७-६७ का दिन मुकर्रर हुआ और उसके बाद ५-८-६७ का दिन मुकर्रर हुआ, ये तारीखें निश्चित हुईं कि इस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर मत लिये जायेंगे । जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया तो एस० डी० एम० चित्तौड़गढ़ को निर्णय के लिये भेजा गया लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि तीन तीन बार तारीखें नियुक्त की गईं एस० डी० एम० और ए० डी० एम० चित्तौड़गढ़ को वहां पर जाना था लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसको विन ओवर किया गया था उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और सरकार को विश्वास था कि वह प्रस्ताव पास हो जायेगा इसलिये उन्होंने एस० डी० एम० पर दबाव डाला और वे लोग प्रतापगढ़ समय पर नहीं पहुंचे । आखिर अंतिम दिन आया जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना था । उससे ५ दिन पहले जो जनसंघ के सदस्य थे नगरपालिका में उनको सस्पेन्ड कर दिया गया तीन तीन तारीखें निकल गई एस० डी० एम० फैसला करने नहीं पहुंचा, बहस सुनने के लिये नहीं पहुँचा और कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मिलकर विभाग से मिलकर उस नगरपालिका के ५ जनसंघ पार्टी के सदस्यों को सस्पेन्ड करा दिया । उसके अगले ही दिन बहस सुनने के लिये ए० डी० एम० प्रतापगढ़ जा पहुँचा । जनसंघ के वे पांच सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सके और अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया । आप आश्चर्य करेंगे कि उसके बाद उन सदस्यों के सस्पेन्शन की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कार्यवाही चलती रही, कोई निर्णय उस बारे में नहीं लिया गया। वे सदस्य बार बार जयपुर आते रहे लेकिन कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। उसके बाद जब कांग्रेसी शासन का खातमा हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब कांग्रेस सरकार ने जिन ५ सदस्यों को सस्पेन्ड किया था उनको आरोपों से मुक्त करके रीइन्सटेट किया गया। उसके बाद वापिस नगरपालिका चलने लगी लेकिन क्योंकि ६ महीनों पहले दुबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं दे सकते थे इसलिये उन्होंने दुबारा अविश्वास प्रस्ताव उस समय नहीं दिया (समय समाप्ति सूचक घंटी) मेरे दल के ३-४ सदस्य है उनके अलावा कोई नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें समय केवल ७ मिनट का ही है, जिन सदस्यों के नाम दिये हैं वे भी बोलेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि जब वे रीइन्सटेट हो गये और पिछले अविश्वास प्रस्ताव को दिये हुए ६ महीने पूर हो गये तब उन्होंने दुबारा उस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। तारीख निश्चित की गई एस० डी० एम० चितौड़गढ़ को वहां पर जाना था, एक तारीख तो उसने चुका दी क्योंकि बहुमत कांग्रेस पार्टी का उस नगरपालिका में नहीं था इसलिये जब निर्णय होना था उससे ५ दिन पहले जनसंघ के दो सदस्यों को जिनको पहले सस्पेन्ड कर चुके थे, उनको दुबारा सस्पेन्ड कर दिया गया। इस प्रकार राजनैतिक आधार पर प्रतापगढ़ नगरपालिका को जिस प्रकार सरकार ने राजनैतिक आधार बना रखा है वैसा दूसरा दृष्टान्त नहीं मिलेगा।

इसी प्रकार का उदाहरण सीकर नगरपालिका का है। आपको आश्चर्य होगा कि सीकर नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ सन् ६० से ६७ तक सैकड़ों शिकायतें सरकार के पास भेजी गईं, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर, गबन के सवाल को लेकर, जमीन के बेचान के सवाल को लेकर, मुकद्दमों में कांप्रोमाइज करने के सवाल को लेकर शिकायतें की गई। सैकड़ों ऐसी बातें हैं जिनको लेकर उसकी शिकायतें की गईं लेकिन उसको सस्पेन्ड नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर सीकर नगरपालिका के अध्यक्ष को, जिसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं, क्यों नहीं सस्पेन्ड किया गया और क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई? क्यों नहीं उसको चार्जशीट दी गई? नगरपालिका की जमीन दूसरे आदमी को बेच दी उसके लिये स्वीकृति नहीं ली गई, कन्स्ट्रक्शन या तामीर बनाने की इजाजत दे दी गई। सन् ६० से लगाकर ६७ तक लगातार सैकड़ों अनियमितताएं करने की रिपोर्ट की गई, ऑडिट रिपोर्ट उसके खिलाफ है उसकी कंपलाइन्स नहीं की लेकिन फिर भी आज तक उस नगरपालिका के अध्यक्ष को सस्पेन्ड करने की कार्यवाही नहीं की गई। एक ओर प्रतापगढ़ का केस है जहां पर केवल अविश्वास प्रस्ताव पारित होता लेकिन क्योंकि कॉंग्रेस का अध्यक्ष है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो गजब हो जायगा इसलिये ५ मेम्बर और २ मेम्बर जा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विरोधी दल के थे उनको सस्पेन्ड कर दिया और दूसरी ओर सीकर में सन् ६० से ६७ तक लगातार शिकायतें होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसी प्रकार का उदाहरण लाखेरी नगरपालिका का है जो जनसंघ की है वहां पर सीमेन्ट फेक्ट्री से ऑक्ट्रोय वसूल करने का सवाल चला। नगर पालिका को ऑक्ट्रोय का नुकसान हो रहा है। मैनेजमेन्ट कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार था लेकिन कांप्रोमाइज नहीं करने दिया। उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाने दिया गया जिसके कारण आज हजारों रुपयों का नुकसान नगरपालिका को हो रहा है। क्योंकि लाखेरी की नगरपालिका कांग्रेस के पास नहीं है जनसंघ के पास है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर के काल के अन्दर सड़कों के लिए जो रुपया दिया गया उसको सड़कों के काम में न लेकर दूसरे काम में लिया गया। उसी तरह से जो ग्रान्ट इन एड मिलनी चाहिए लाखेरी नगरपालिका को, वह आज तक नहीं दी जा रही है।

अन्त के अन्दर राजनैतिक भेदभाव को लेकर सरकार द्वारा कोटा नगर परिषद के साथ व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, कोटा नगर परिषद राजस्थान की बड़ी नगर परिषदों में से एक है और उसकी फाइनेंसियल पोजीशन, मैं समझता हूँ, अन्य नगरपालिकाओं के मुकाबले में काफी मजबूत है। लेकिन आज तो कोटा नगर परिषद के अन्दर, दिन प्रतिदिन उसके कार्यों के अन्दर, उसके कार्यक्रम के अन्दर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि कोटा नगर परिषद का जितना क्षेत्र है, उसका लगभग आधा क्षेत्र, ५० प्रतिशत से अधिक क्षेत्र मंडी कमेटी को दिया हुआ है। वह मंडी कमेटी जमीन बेचने के सम्बन्ध में, जमीन के किराये के सम्बन्ध में, मकान की तामीर की इजाजत देने के सम्बन्ध में दिन प्रति दिन हस्तक्षेप करती है। धारा १७१ म्यूनीसिपैलिटी एक्ट के तहत कुछ बोर्ड के अधिकार, ५-६ अधिकार एक्सक्लूजिवली कोटा के कमिश्नर को दिये गये हैं, पर्मीशन के देने और डिमोलीशन के अधिकार सारे के सारे कलेक्टर को दे दिये गये हैं। नगर परिषद कोटा चुनी हुई संस्था है, चुने हुए व्यक्ति हैं, और चुनी हुई नगर परिषद में जनसंघ, उपाध्यक्ष महोदय, वहां आज बैठा हुआ है, और उस क्षेत्र के अन्दर पचास प्रतिशत क्षेत्र के अन्दर मंडी कमेटी और कोटा कलेक्टर हस्तक्षेप कर रहा है। नतीजा यह है कि आज हजारों दरख्वास्तें मकान की तामीर को इजाजत के लिए, कोटा कलेक्टर के दफ्तर में और मंडी कमेटी में पड़ी हुई हैं, उनका फैसला करने वाला कोई नहीं है। उनका फैसला होता है रोजाना मंत्रियों के दौरे के समय पर। कभी भी वहां कोलोनाईजेशन मिनिस्टर पहुँच जायं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, वह कभी पहुँच जायं उन मिसलों का फैसला उस समय होगा, उससे पहले नहीं होगा। आज राजनैतिक आधार पर इन क्षेत्रों में, जिसके अन्दर मंडी कमेटी और कोटा कलेक्टर को क्षेत्र बांट कर, आज मकान बनाने की इजाजत के मसले, मकान को तोड़ने की आज्ञा के मसले-यह सारी को सारी समस्यायें राजनैतिक आधार पर मंत्रियों

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के इशारे पर हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, जब से कोटा नगर परिषद जनसंघ के हाथ में आई है, चाहे इस समय, चाहे ६२ में जब से लेकर आज तक कोटा नगर परिषद को एक पैसा भी ग्रान्ट इन ऐड के नाम पर नहीं दिया है। ग्रान्ट इन ऐड देना तो दूर, और आप आश्चर्य करेंगे, आप कहते हैं कि कोटा का बहुत भारी औद्योगिक विकास हो रहा है, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही हैं और बड़े-बड़े कारखाने बन रहे हैं, कोटा का विकास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से, आप यह बतायें कि कोटा नगर परिषद इन लखपति, करोड़पति उद्योगपतियों से कितना पैसा चुंगी में वसूल कर रही है। सारी की सारी चुंगी, जो करोड़पतियों से नगरपरिषद को मिल सकती थी, इस सरकार ने उसे किन्हीं कारणों से माफ कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, केवल इतना ही नहीं है, माफ करने के अन्दर रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से माफ की जाती है। कल प्रश्न था, मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा तो उन्होंने कह दिया जानकारी नहीं है। मैं जानकारी आप को देता हूं कि कोटा नगर परिषद ने १८-७-६७ को ७८१०२.७५ पैसे की वसूली के लिए, जो कोयले की चुंगी बनती थी, जो पांच पैसे प्रति क्विन्टल के बजाय एक पैसे प्रति क्विन्टल के हिसाब से चुकाया था, उसकी रिकवरी के लिए नोटिस दिया। यह नोटिस नम्बर है ४, पुस्तकांक ३६, डेटेड १८-६-६७। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापक है, श्री राम रेएन्स, कोटा। इसमें है :

"आपके द्वारा चुंगी नाका माल गोदाम से कोयला तारीख १३-७-६४ से १०-७-६७ तक कुल माल १६५२७४। क्विन्टल की डिलीवरी ली गई। इस माल की बिल्टियां तारीख व वजन की तफसील इस के साथ भेजी जा रही है। समय समय पर आपने इस माल की चुंगी एक पैसा प्रति क्विन्टल से चुकाई है जब कि शरहनामे के अनुसार समस्त कोयले पर चुंगी पांच पैसे प्रति क्विन्टल से काबिल वसूली है। कुल वाजिब चुंगी की रकम रु० ६७६३७) १५ पैसा होती है। आपके द्वारा केवल १६५३४) ५८ पैसे चुकाये गये हैं। अतः कमी रकम ७८१०२)५७ अन्दर मियाद बिल जमा कर रसीद प्राप्त कर लें।"

यह डिमाण्ड नोटिस कोटा की रेएन्स फेक्ट्री के ऊपर १९६४ से १९६७ की बकाया थी चुंगी की, उसके लिए जारी किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कुर्की जारी की गई। आप आश्चर्य करेंगे कि नगरपालिका के काम में सरकार किस हद तक हस्तक्षेप करती है (समय-समाप्ति सूचक घंटी) केवल दो मिनिट में। सरकार हस्तक्षेप करती है, लेकिन एडीशनल कलेक्टर, जिसको सरकार ने अधिकार दिया हुआ है, धारा ३०० और २९९ के अन्तर्गत रिवीजन सुनने का, वह महोदय हर एक फाइल को, चाहे वह नगर पालिका के कर्मचारी को सस्पेन्ड करने के सवाल की हो, चाहे नगरपालिका सीमा के अन्दर रिक्शा नही चलाया जाय सरकार के आदेश के अनुसार, उसका सवाल हो, चाहे कोटा की चहार दीवारी, जो टूटने वाली है, जिसके ऊपर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है, उसके लिए नगरपालिका कहती हो कि दूसरी जगह पर जाय इन सब मामलों को राज-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नैतिक आधार बना कर उनकी सुनवाई कोटा कलेक्टर करता है। इसी प्रकार इसकी सुनवाई कलेक्टर द्वारा की गई, एडीशनल कलेक्टर द्वारा की गई और इनको स्टे दे दिया। मैं कहना चाहूँगा कि यह आखिरी स्टेज पर विद ड्राँज किया गया है। म्यूनीसिपेलिटी एक्ट की धारा २६६ और ३०० को देखें, उसमें नगरपालिका के अधिकार के कई मामले हैं जिनका कलेक्टर कागनीजेन्स ले सकता है। वह स्टे जारी कर सकता है। किसी को सस्पेन्ड कर, म्यूनीसिपेलिटी की रकम की रिकवरी के लिए कुर्की जारी करे, और वही स्टे दे दे। वह भी केवल इस कारण से कि इन एडीशनल कलेक्टर के बच्चे और भतीजे इस रेएन्स फेक्ट्री में नौकर हैं, जिनको पांच सौ, छः सौ रुपये तनख्वाह दी जाती है। मैं कहना चाहूँगा कि कोटा में जितने भी करोड़पतियों के कारखाने हैं उनमें एक भी ऐसा कारखाना नहीं है जिसमें किसी मंत्री का भतीजा नहीं हो। कहीं साला लगा हुआ है, कहीं साले का भतीजा लगा हुआ है, कहीं पर लड़का लगा हुआ है और किसी को एक हजार रुपया और किसी को डेढ़ हजार रुपया महीना। यह सारी लूट की जा रही हैं। इसका भार भी कोटा की नगरपरिषद की छाती पर डाला जा रहा है। जब ७८ हजार की वसूली का डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया तो एडीशनल कलेक्टर ने स्टे दे दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट से हमारी सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया। मैं आपको वह सुनाना चाहता हूँ :

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Local Self Government
Department

No. Tax/F,144(17)(1) DLB160-68
Jaipur. Dated

Notification

In exercise of the powers conferred under section 104 of the Rajsthan Municipalities Act, 1959 (Act No. 38 of 1959) the State Government being of the opinion that reasonalble grounds exist for doing so, hereby directs octroi on steam coal imported within the municipal limits of Kota for consumption by M/S Shriram Rayons, Kota shall be charged at the concessional rate of Rs. 0.10 paisa per tonne (or 0 01 paisa per quintal) with effect from 1.7.67 onwards.

By order of the Governor,
(P. N. Seth)

Dy. Secretary to the Government.

यानि एक पैसा प्रति टन विद अफेक्ट फ्राम १-७-६४ यह आर्डर इश्यू किया है १४ फरवरी ६८ को आपने इसको लागू किया है १-७-६४ से इससे जो ७८ हजार की वसूली की, रकम नगरपालिका के पास

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

आती और जिस पैसे को लेकर कोटा का विकास किया जा सकता था, सड़क बनाई जा सकती थी, ट्रैक्टर खरीदे जा सकते थे, आपने राजनैतिक कारणों से लाइटली लेकर उसको, चुंगी को माफ कर दिया। तो आज इस प्रकार से कोटा नगर परिषद को अपनी बकाया चुंगी की वसूली करने के अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, बजट आ जाता है, उपाध्यक्ष महोदय आप आश्चर्य करेंगे, उस बजट को पास करने के अन्दर टालमटोल की जाती है। जब तक अध्यक्ष यहां पर नहीं आ जायं तब तक बजट पास नहीं किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, बजट आपके पास पड़ा रहे, आपके पास हस्ताक्षरों के लिये पड़ा रहे तो उसको क्यों दबाया जा रहा है। क्यों नहीं भेजा गया बजट ? सरकार की एक पैसा भी ग्रान्ट इन एड नहीं कोटा की नगर-पालिका कहती है कि हम अपने पैसों से ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं पर उसको ट्रैक्टर खरीदने की परमिशन नहीं दी जाती है। एक ओर सीकर का ज्वलन्त उदाहरण है कि वहां एक भ्रष्ट आदमी बैठा हुआ है; उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं; आडिट ऑब्जेक्शन्स हैं, पर उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की जाती है। दूसरी ओर प्रतापगढ़ नगरपालिका में चैयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिये सरकार सदस्यों को सस्पेन्ड कर देती है और दूसरी ओर कोटा की नगरपरिषद्, जो विरोधियों की है, को दबाने के लिये इस प्रकार के हथकंडे करती है। मैं सरकार की इस निन्दित नीति की निन्दा करता हूँ और सरकार को अल्टीमेटम देता हूँ कि आप चुनावों को टाल रहे हैं क्योंकि आप में साहस नहीं है कि राजस्थान की जनता के सामने उससे मत लेने के लिये आप अपना मुंह दिखा सकें।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नगरपालिकाओं के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें; इनके साथ पक्षपात नहीं करें, और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको दंडित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने म्युनिसिपैलिटियों के वर्किंग को देखा है; उनकी यह धारणा बन गई है कि हमारी सरकार विकेन्द्रीकरण की पॉलिसी में विश्वास नहीं करती और इसीलिये आज भी वह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने की जरूरत समझती हैं। नवम्बर; दिसम्बर में म्युनिसिपैलिटियों के चुनावों की तिथि निश्चित करके उसको स्थगित करना, उसके लिये कोई कारण नहीं देना, यह सब सरकार के पोलिटिकल कन्सिडरेशन्स पर प्रकाश डालता है। जैसे असेम्बलीज के चुनाव होते हैं, जैसे लोक सभा के चुनाव होते हैं, ५ साल के पीरियड में इनके चुनाव हो जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज की लाइफ ३ साल है, सरकार के लिये यह लाजिमी है कि वह ऐसी व्यवस्था करे कि ३ साल के अन्दर अन्दर म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव हो जायं और इनमें एडमिनिस्ट्रेटर रखने की जरूरत नहीं पड़े पर आज आम तौर पर ५ साल बाद म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव होते हैं जिस तरह

(३-३० म.प.)

(श्री केदारनाथ)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

चैयरमैन का चुनाव होता है वह बड़ा खर्चीला और टेढ़े मेढ़े तरीके से किया जाता है। इससे कोई भी अच्छा आदमी अपने आप में यह विश्वास पैदा नहीं कर सकता कि मैं चैयरमैन बन सकूंगा। जाति का सवाल पैसे का सवाल और दूसरे कई इस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं, यह पद्धति इसलिये रखी जाती है कि किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोकतन्त्र की यह संस्था सरकार के चंगुल में आ जाय। सरकार चाहती है कि म्युनिसिपैलिटीज सही तरीके से काम नहीं कर सकें, म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव इस तरह का रखा जाय कि पैसे की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से इस तरह के चुनाव हों कि कोई भी अच्छा आदमी अपने आप में यह होंसला पैदा न कर सके कि मैं चुनाव में खड़ा होकर जीत सकता हूं। वार्ड्स बनाने का सवाल है, लिमिट्स को एक्स्टेन्ड करने का सवाल है, आस पास की जमीन को एक्वायर करने का सवाल है, इन सबको सरकार ने ऐसा पेचीदा बना दिया गया है कि म्युनिसिपैलिटीज इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकतीं। गंगानगर एशिया में सबसे बड़ी मंडी है पर वहां की म्युनिसिपैलिटी आस पास की जमीन का एक्वायर नहीं कर सकती, झुग्गी-झोंपड़ी नहीं बसा सकती, बस्ती नहीं बसा सकती, लिमिट्स का एक्स्टेन्शन नहीं कर सकती। सारी म्युनिसिपैलिटीज की यही इस प्रकार की हालत है क्योंकि उनके पावर्स नहीं हैं, मामूली पावर हैं। इसलिये आपसे निवेदन है कि जो डेट्स निश्चित कर दें, फिर उनको चेंज नहीं करें। बीकानेर में २२ मई है पर सुना जाता है कि उसे चेंज किया जा रहा है। वहां वार्डस का डीलिमिटेशन हो गया, वोटर्स लिस्ट्स तैयार हो गई, डेट निश्चित हो गई पर उसको स्थगित करने की कार्यवाही की जा रही है। आप जो डेट्स निश्चित करें उन्हीं पर चुनाव कराने चाहिये और जो चुनाव हों पार्टी के सिम्बल पर हों। जिससे कि पोलिटिकल अवेकनिंग हो सके पर चैयरमैन का चुनाव अगर इसी तरह से किया गया तो जो इसके पीछे आपका मकसद है, वह मकसद पूरा नहीं हो सकता। जैसे हरिजनों के लिये रिजर्वेशन करते हैं वैसे ही औरतों के लिये भी वार्ड्स रिजर्व कर दें। तब मैं समझूंगा कि वास्तव से आप डीसेंट्रेलाइजेशन करना चाहते हैं। भरतपुर में बिड़ला की फैक्ट्रीज काम करती है, म्युनिसिपैलिटी को आप पैसा नहीं देते हैं. गंगानगर, भीनासर में म्युनिसिपल एम्प्लोईज को एरियर्स नहीं दिये गये हैं, यह सब इस बात का सबूत है कि जनतन्त्र की यह इकाई मजबूत बने। यह आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि इनके अच्छी तरह से इलेक्शन्स हों, आज एब्यूज आफ पावर के नाम से कम्प्लेन्ट्स दर्ज की जाती हैं और चैयरमैन को जलील किया जाता है। अगर यही आपकी नीति है तो फिर इन सब इकाइयों को समाप्त ही कर दो, इनको रखने से फायदा है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि डेट्स का ऐलान हो जाय, जो डेट्स निश्चित की हैं, उन्ही डेट्स को चुनाव करवायें और मैंने जो बातें रखी रखी हैं, उनके बारे में आप स्टेटमेंट दें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, हम २० साल से डेमोक्रेसी में चल रहे हैं।

श्री सभापति : पहले जिनके संकल्प हैं, वे बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) सभापति महोदय, नगरपालिकाओं के चुनावों को लेकर सरकार की तरफ से कई बार घोषणाएं हुईं और उन घोषणाओं के बाद भी चुनावों को स्थगित कर दिया जाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार की घोषणाओं का यकीन नहीं होता लोगों को। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, आखिर तक लोगों के दिमाग में अनिश्चितता रहती है। मैं समझता हूं लोकतन्त्र के लिये यह अच्छा नहीं है। कांग्रेस वाले महानुभाव देखें कि कौनसी जगह हारने की स्थिति है और कौनसी जगह जीतने की स्थिति है, इस दृष्टिकोण से चुनावों की तिथि निश्चित करेंगे तो उनके पास अब हर जगह से इस प्रकार की रिपोर्ट आयेगी कि आप चुनाव नहीं जीत सकते और इस तरह से चुनाव हो ही नहीं सकेंगे और इन तिथियों का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा क्योंकि उनके दुर्भाग्य से अब ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है कि सब जगह लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं, अब ये जीत नहीं सकते।

इसलिये मैं भीखा भाई से कहूंगा कि अब तो जितनी जल्दी चुनाव करा लो, उतना ही आपके लिये अच्छा है, आखिर कितने दिन स्थगित करोगे? जितने दिन देरी करोगे उतना ही आपके लिये ज्यादा खराब है। आप तो ज्योतिष में विश्वास करने वाले हैं, ये आने वाले तीन-चार वर्ष आपके लिये बहुत ही खराब हैं। इसलिये जितना जल्दी चुनाव करा सको कराओ।

सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो मल्टिपल कान्स्टीट्युएन्सीज हैं, वे हरिजनों के लिये शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जनरल इलेक्शनस में मल्टीपल कान्स्टीतुयुएन्सीज को सिंगल कान्स्टीट्युएन्सीज बना दिया गया है। उसी के अनुरूप इन म्युनिसिपल कमेटीज में भी मल्टिपल कान्स्टीट्युएन्सीज को खत्म करके सिंगल कान्स्टीट्युएन्सीज बनाई जानी चाहिये थी पर अभी तक म्युनिसिपैलिटीज में इस प्रकार की स्थिति नहीं है, इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केन्डिडेट्स डिस्एड्वान्टेज में रहते हैं और सवर्णों की दया पर उन्हें निर्भर करना पड़ता है। इसलिये जनरल इलेक्शन्स के नियमों के अनुसार म्युनिसिपल इलेक्शन्स को किया जाय।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के पहले, हर चुनाव के पहले डीलिमिटेशन किया जाता है, स्थितियां बदली जाती हैं, शहरों में विकास कार्य हो रहे हैं उनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि म्युनिसिपैलिटीज की पुरानी लिमिट्स को एक्सटेन्ड करने की आवश्यकता पैदा हुई है। मैं समझता हूं कि अलवर नगर के लिये भी राजस्थान सरकार ने शायद डीलिमिटेशन किया है और लिमिट्स आगे बढ़ाई हैं पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो पहले था, जो अलवर म्युनिसिपल बोर्ड में जो शिकारियों के वास तक जो पहले उसकी लिमिट थी, उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन्होंने अलग निकाल कर पंचायत क्षेत्र बना दिया है। अलवर नगर परिषद की तरफ से कई रिजोल्यूशन इस बारे में आये हैं। उस शिकारियों के वास में रहने वाले लोगों की जो पंचायत बना दी गई है उसकी तरफ से रिजोल्यूशन बार बार आये हैं, नये डिलिमिटेशन्स को मैंने पूरी तरह से देखा नहीं है लेकिन मुझे बताया गया है कि उसे शामिल नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह बात उचित नहीं हैं। सरकार को बाकायदा जो बहुत नये नये सरसब्ज अलवर के नजदीक इलाके हैं, उनमें खास तौर से जो गांव भूमस का है, यह शहर में शामिल हो जाना चाहिये। हरी का वास शहर में शामिल हो जाना चाहिए। दाऊदपुर है यह शहर में शामिल हो जाना चाहिए। यह शहर के एक मोहल्ले के तरीके पर है। इन्हें शहर में शामिल करें ताकि इनका शहर का विकास करने का मौका मिले और गांव वालों को पूरी सुविधा मिल सके। बिजली की सुविधा मिल सके और सड़क की सुविधा मिल सके। यह स्थिति वहां पर करनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह प्रशासक नियुक्त करने की बात है या किसी मामले में एक्शन लेने की बात या इन्क्वायरी करने की बात है यह निर्विवादित बात है, इसको कई बार दुहराया जा चुका है। यह गवर्नमेंट पार्टीजिन तरीके से यह सब कार्यवाही करती है और इनके अपने लोग कितनी ही गड़बड़ियां करे तमाम म्युनिसिपल फण्ड का दुरुपयोग कर के उसको खत्म कर दें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ही नहीं करती, बल्कि यह नीति है, कि यह जानते हैं कि अब की बार तो चुनाव में हारेंगे इसलिए नगर परिषद के जितने फंड्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाए।

(३·४० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

ताकि आगे वाले लोग कामयाब नहीं हो सकें। गवर्नमेंट इनकी है, इसलिए उनको किसी प्रकार का अनुदान नहीं दें। और इस प्रकार से म्युनिसिपल को फेल करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि म्युनिसिपल को परपज के फुलफिलमेंट के लिए फेल करने का यह तरीका उचित नहीं है। अब मैं यह बात कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को म्युनिसिपल कमेटी के रिसोर्सेज के बारे में दुबारा सोचने की जरूरत है बार बार सरकार के सामने इस बात को लाया जाता है लेकिन सरकार इस मामले को टाल रह है। यह बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी बहुत चिन्तनीय स्थिति में आ रहे है और उन पर विचार होने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ जितनी भी स्वायत शासन संस्थाएं है, चाहे वह नगर पालिका हो, चाहे वह जिला परिषद् हो, चाहे वह पंचायत समिति हो, चाहे वह पंचायत हो, इन सब संस्थाओं की स्थिति और भी अधिक खराब है। और ये स्वायत शासन संस्थाएं तब तक कामयाब नहीं हो सकतीं जब तक कि इनकी आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं करें। इसमें एक सब के बड़ी गड़बड़ी जो हो गई है वह है, जो आपने नगर न्यास बनाये हैं या यू०आ०टी०ज बनाये हैं उनकी वजह से भारी कन्फ्यूजन क्रियेट हो गया है। डबल टायर सिस्टम वहाँ जरूर हो गया है। लेकिन म्युनिसिपल के अधिकार हैं उसमें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है लेकिन उसके असेट्स नगर न्यास के पास चले गये हैं। जमीन बेचने की रकम न्यास ले लेता है। लेकिन वहां पर मेहतरानी भेजने के लिए नगरपालिका को लिख दिया जाता है कि वह वहां पर सफाई कराये। हालत यह हो गई है कि बहुत सी जगह यू०आई०टी० का कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है, म्युनिसिपल कमेटी ने सफाई कराना बन्द कर दिया है। म्युनिसिपल ने उस क्षेत्र में तमाम खर्च करना बन्द कर दिया है और नगर न्यास के पास में इस काम के लिए व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह हो रहा है कि ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों की स्थिति यह हो गई है कि न वह जमीन पर है और न आसमान पर। ने नगर न्यास उन बस्तियों को संभालता है और न म्युनिसिपल कमेटी संभालती है मैं समझता हूं कि यह प्लाईट हार्टेडली हलके पन से नगर न्यास क्रियेट हुए हैं और इसके असरात पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया है। इसलिए इस पर दुबारा सोचने की आवश्यकता है। इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है कि इस तरीके से अलग अथारिटी बनाकर म्युनिसिपल से अलग ऐसे लोगों की अथारिटी बनायें जो इलेक्टेड नहीं है केवल नोमीनेटेड लोगों की अथारिटी बनाकर उसको, यू०आई०टी० को ऐसे फंकशन्स सुपुर्द करदिये गये जिनसे म्युनिसिपल की आमदनी पर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। मैं समझता हूं आज आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट एक ऐसा कमीशन मुकर्रर करे जो इसके बारे में जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि किस तरह से एक परमानेंट बेसिस पर नगर में विकास कार्य जारी रखे जा सकते हैं, किस तरह से ऐसी पोजीशन आये। आवश्यकता इस बात की है कि यू० आई० टी० को एक अलग संस्था के रूप में इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में नहीं रखा जाए। और इसका कान्स्टीट्यूशन जिस तरह से नामीनेटेड तरीके का है यह रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। म्युनिसिपल के ऊपर इसका भारी असर पड़ रहा है। फाइनेंशियल असर पड़ रहा है। इस तरीके से गवर्नमेंट इस पर विचार करे। आज मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय निश्चित तौर से इस तरीके की घोषणा करेंगे जिससे कि फिर कोई हेरफेर नहीं हो, फिर कोई पोस्टपोनमेंट नहीं हो और कानून के मुताबिक जब म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव ड्यू हैं तो उसके चुनाव कराये जाएं। और आयन्दा से जिनका ३ वर्ष में चुनाव ड्यू हो तो पहले से ही कार्यवाही होकर पहले वाले बोर्ड की लाइफ में ही चुनाव हो जाएं ताकि चुना हुआ बोर्ड पुराने बोर्ड से ही टेक ओवर करके ऐसी स्थिति हो जाए।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर—मैं यह निवेदन कर रहा था कि रूल २३ के नीचे पहला काम यह है कि यदि प्राइवेट मेम्बर्स डे है तो पूरा टाइम उसको एलाट हो जाना चाहिए। यह तो रूल की पूरी हत्या कर रहे हैं। क्योंकि सारा दिन निकल गया है। चार बजने को हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हत्या का आरोप आसन पर करना ठीक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह आरोप आप पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका यह आरोप रिकार्ड हो जाना चाहिए। अभी कुछ देर पहले यह खुद बोलने के लिए खड़े हुए थे इस सम्बन्ध में लेकिन इनको बोलने का समय नहीं दिया गया इसलिए व्यवस्था का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना सही है। आज कुछ समय अन्य विषयों पर ज्यादा लग गया है। इसलिए अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे और उसके बाद में चर्चा समाप्त हो जाएगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): एक पेय जल का प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जवाब दें तो इस बात का भी जवाब दें कि पिछली दार जब सदन में रखा था तो राज्य सरकार ने दिसम्बर, ६७ में यह चुनाव कराने का आश्वासन दिया था। यह चुनाव क्यों नहीं कराये गये ?

दूसरी बात राजस्थान के छ : बड़े नगरों में कॉरपोरेशन बनाने का निश्चय किया था तो वहाँ कारपोरेशन बनाने का राज्य सरकार का क्या विचार है? मैं समझता हूँ कि जयपुर जैसे शहर में जिसकी छ : लाख की आबादी है, कारपोरेशन बनना चाहिए। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है? और यू० आई० टी० को अबोलिश करके सारे राजस्व के अधिकार म्युनिसिपल को दे दिये जायें इस सम्बन्ध में क्या नीति है? मल्टीपल वार्ड्स को खत्म करके सिंगल वार्ड्स बनाये जायें इस सम्बन्ध में भी आप कह दें।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय और........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भीखाभाई (स्वायत शासन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार पर राजनैतिक पक्षपात का आरोप लगाया है।

श्री शंकरलाल : यूं ही लगाते हैं।

श्री भीखाभाई : उन्होंने प्रतापगढ़, सीकार और कोटा का उदाहरण देते हुए यह बात साबित करने की कोशिश की है कि सब काम राजनैतिक आधार पर होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जनतंत्र में विश्वास रखते हैं और जहाँ तक नगरपालिका का प्रश्न है, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रश्न है, वह प्रथम सीढ़ियाँ है जहाँ से हम यहाँ पर आते हैं। इस सदन में बैठे हुए कई माननीय सदस्य पंचायत समितियों के प्रधान रहे हैं, जिला परिषदों के प्रमुख रहे हैं और कई नगरपालिकाओं के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ पर एक प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त कर हम लोग यहाँ पर आते हैं इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि केवल राज-

Page No. 142

(श्री भीखाभाई)

नैतिक आधार पर सब कुछ काम किया जा रहा है अगर कोटा के अन्दर किसी उद्योग को किसी प्रकार की कच्ची वस्तु कच्चे सामान पर छूट दी गई है तो उसका इण्टरप्रिटेशन यह किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार पक्षपात के तरीके से, क्योंकि वहाँ पर जनसंघ की म्युनिसिपल है इसलिए वहाँ पर छूट दे दी है। यह गलत है, निराधार है और इस बात को मैं साबित करना चाहता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सही है। गलत है तो आप समझा दीजिए।

श्री भीखाभाई : राजस्थान के अन्दर यदि कहीं औद्योगीकरण बढ़ रहा है तो राजस्थान के अन्दर कोटा के अन्दर बढ़ रहा है। कोटा के अन्दर सभी तरह की सुविधाएं हैं, उद्योगों के लिए मजदूर हैं। और यह कारण है, कि वहाँ पर लोग जो उद्योगपति हैं वह अपने उद्योग लगाने का विचार करते हैं। अगर वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो वह कभी उद्योग नहीं लगाते और सरकार के उद्योग विभाग की सिफारिश पर स्वागत शासन विभाग को कभी भी चुंगी की छूट नहीं देनी पड़ती इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो चुंगी के बारे मे कहा गया, यह पहले भी कहा गया था कल या परसों जब प्रश्न काल चल रहा था, उस वक्त यह बात उठायी गई थी। माननीय सदस्य ने और माननीय भैरोंसिंह ने उठायी थी इस बात को कि वहां पर रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से छूट दी गई है। जो छूट दी गई है, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं दी गई है बल्कि १० पैसे के हिसाब से जो दूसरे उद्योग थे उनकी जो चार्ज होती थी, उसी अनुपात से दी गयी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १४-२-६८ को आर्डर निकाला गया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल समझ में नही आ रही। माइक पर मुँह लगाकर बोलें, अगर माइक ऊपर है तो कुर्सी पर खड़े हो जायं।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को मेरी साइज के बारे में भ्रम हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि हमारा कोई राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं है। माननीय सदस्य कोटा से आने वाले ने ट्रैक्टर का जिक्र किया। मेरे पास समाचार आया कि ट्रैक्टर की

सुविधा की जरूरत है, मैंने उसी समय मंजूरी दे दी। इस प्रकार का वातावरण लोकल सेल्फ-डिपार्टमेंट में नहीं है चाहे दूसरी जगहों पर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक नगरपालिकाओं का संबंध है, ऐसा कोई वातावरण नहीं है।

मंडी की जमीन के बारे में उन्होंने कहा। जो मंडी की भूमि है वह मंडी ही देती है चाहे नगरपालिका हो या नगर न्यास हो। भीलवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, उदयपुर में है, बीकानेर, सब जगह नगर न्यास बने हुए हैं। इसलिए यह कहना कि नगरपालिकाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है, यह गलत है।

(श्री भीखाभाई)

प्रतापगढ़ के बारे में कहा गया, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन इस बारे में हाईकोर्ट के अंदर रिट चल रही है और रिट उन तीन आदमियों ने की है जिनको सस्पेंड किया था और मुझे भी उसमें रेस्पाडेंट बनाया है। इसलिए राजनैतिक आधार पर किसी नगरपालिका का प्रशासन चलता हो, में, हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सीकर के बारे में ?

श्री भीखाभाई : एक बात कही गई कि डबल मेम्बर्स नहीं होने चाहिए। सरकार विचार कर रही थी बहुत समय से, हमारे सामने चिन्तन का सवाल आ गया। वह था जैसे पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो ऐसे प्रावधान हैं, तो नगरपालिकाओं के चुनाव में जिन प्रावधानों को अपना सकते हैं, उनमें तय करने में काफी समय लग गया। इसलिए सतीशचन्द्र जी ने कहा कि दिसम्बर में चुनाव होने वाले थे लेकिन जो कठिनाई में समझता हूं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बराबर उसको एक्सप्लेन किया, उल्लेख किया कि क्या कठिनाई है सीमाबंदी की या वार्ड बनाने की। इन कठिनाइयों को देखते हुए चुनाव संभव नहीं हुए। अब सवाल आता है कि चुनाव केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां प्रशासक हैं और वे राज्याधिकारी हैं, कोई गैर सरकारी आदमी रखे जायं। इसमें पक्षपात का सवाल नहीं है। आप समझते हैं कि जितने राज्य अधिकारी हैं कांग्रेस की बात मानते होंगे, यह गलत है। कभी भी तो इसका उल्टा ही होता है। ज्यादातर, जैसे सभी सदस्यों को अनुभव होगा, यही होता है।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने पार्टी के आधार पर चुनावों की बात कही। राज्य सरकार करीब करीब आगे जाकर इस पर विचार कर रही है और आगे जाकर चुनाव पार्टी के आधार पर होंगे। पहले जो चुनाव होते थे पार्टी के आधार पर नहीं थे। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रतापगढ़ के बारे में कहा कि इतने कांग्रेस के थे, इतने जनसंघ के, यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि जब तक सिम्बल्स के जरिए नहीं देते तब तक....

श्री देवीदत्त गाडिया : कांग्रेस ने सूची प्रकाशित की थी कि इतने अध्यक्ष कांग्रेस के जीतकर आए हैं।

श्री भीखाभाई : कोटा नगरपालिका को ग्रांट-इन-एड की बात हुई थी। वहां जो पक्षपात की बात कही गई वह गलत है, निराधार है। जहां तक बजट का सवाल है ७-३-६८ को पास हो गया। वह इस बात को कहना चाहते हैं कि अभी तक मन्जूरी नहीं गई है।....

श्री कृष्णकुमार गोयल : ट्रैक्टर की जो आपने परमीशन दी थी कोटा नगरपालिका को कि खरीद लें वापस कागज होल्ड अप कर लिए।

श्री भीखाभाई : २५ तारीख को गए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप करेक्ट कर लें, कोटा नगरपालिका को ट्रैक्टर खरीदने की जो परमीशन दी थी, वापस विथ्होल्ड कर लिया।

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो सूचना है उस आधार पर मैंने सूचना दी है और २५ तारीख को सेंक्शन गई इसलिए पक्षपात का सवाल नहीं है। सीकर के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि सोमनाथ जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उनके बारे में स्पष्टीकरण पूछा गया और स्पष्टीकरण के बारे में उनको हीयरिंग दी गई उसके बाद में वे निर्दोष साबित हुए। यह भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री के समय की बात है। बाकी दूसरे मामलों में कार्यवाहियां चल रही हैं।

जहां तक चुनाव का सवाल है ७१ नगरपालिकायें हैं जहां चुनाव कराना जरूरी है, जहां प्रशासक काम कर रहे हैं। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। कहीं तो सीमाबंदी कार्यवाही पूरी हो गई है और कहीं पर ऐसी स्थिति है कि और केसेज चल रहे हैं और वार्ड्स बना रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर आज ५५ नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनमें चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जा सकते हैं, बाकी के अन्दर कार्य हो रहा है। इसमें राजनैतिक आधार नहीं है जैसे माननीय सदस्य कहते हैं। वह भी कलेक्टर्स ने सिफारिश की है, बल्कि ४—५ केसेज में हाई कोर्ट के अन्दर इस प्रकार के आदेश हुए हैं कि, सीमाबन्दी का काम रोका जाय। जोधपुर के मामले में इस प्रकार की बात हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो हमारा ध्यानाकर्षण नोटिस था, वह केवल चुनाव की तारीखों के बारे में है विशेषकर। दो तरह के नोटिसेज थे, उनको कम्बाइन किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन सम्बन्ध में ज्यादा बातें आपने नहीं की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कोई जरूरी नहीं है कि उस बारे में लम्बा चौड़ा भाषण दिया जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो ७१ नगरपालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं जहां आपने सस्पेन्स की स्थिति खड़ी कर रखी है, तो आप सदन में घोषणा करें कि कौन कौन सी नगरपालिकाओं में आप चुनाव मई में या जून में करायेंगे, किनके सितम्बर में और अक्टूबर में और किनके नहीं करायेंगे।

(४ म. प.)

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, जो अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है जिस पर माननीय सदस्यों ने भाषण दिये उसमें उनको चुनाव के बारे में बात कहनी चाहिये यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न था ......

श्री नत्थीसिंह : हमने कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसके प्रथम पैरे में मैंने इस बात का उल्लेख किया है जिन जिन नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त हुए उनके चुनाव कब करायें जायेंगे यह फर्स्ट पोइन्ट है।

श्री नत्थीसिंह : मैंने जो कॉल अटेन्शन दिया है उसमें बीकानेर नगरपालिका के चुनाव के बारे में तिथि की घोषणा के लिये कहा है।

श्री भीखाभाई : चुनाव कब कराये जायेंगे इसका जवाब देने का काम चुनाव मंत्री का था। चुनावों के लिये वार्डों का बनाना, सीमा निर्धारण करना यह उनका काम है। फिर भी राज्य सरकार की यह नीति है और हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि मई महीने में चुनाव कराये जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बिल्कुल सेटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं है। केवल यह कहना कि मई महिने में चुनाव कराये जायं ऐसा प्रयत्न करेंगे, यह केवल भ्रम फैलाने की बात है। हमें कोई आपत्ति नहीं आप चार पांच महीने का समय ले लीजिये एक साल का समय ले लीजिये लेकिन डेफीनेट तो कहिये इस मास में करा देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो चुनाव मंत्री कह सकते हैं! ये वेसे कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो कॉल अटेन्शन दिया है उसमें मैंने साफ लिखा है वह इलेक्शन की डेट्स के बारे में है। चुनाव मंत्री ही यदि कह सकते हैं तो आप इसे कल के लिये रख दें। इसमें सस्पेन्स में रखने की क्या बात है। आप आखिर कह दीजिये इस महीने में हम करवा देंगे।

श्री नत्थींसिह : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से हमारा यह मतलब था कि चुनाव के सम्बन्ध में जो विलम्ब हो रहा है उसके बारे में कोई निश्चित तिथि बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : जिस वक्त माननीय सदस्य बोले किसी ने चुनाव के बारे में प्रश्न नहीं उठाया। अब यह बात आयी है।

श्री नत्थींसिह : ऐसी बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, केदारनाथ जी ने कहा है, रामानन्दजी ने कहा। आप नगरपालिकाओं के चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं ? नहीं कराना चाहते तो वह कह दीजिये और कराना चाहते हैं तो तारीख बता दीजिये। दूसरों को सस्पेंस में क्यों रखना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस चुनाव को पोलिटिकल बेसिस पर कराना चाहते हैं तो आपको तारीख बताने में क्या एतराज है। आखिर हर पार्टी के पास काम है। इसके अलावा भी और काम हैं।

श्री भीखाभाई : चुनाव के बारे में जो आग्रह किया जा रहा है उस बारे में मैं निवेदन करूंगा मई तक चुनाव कराने की कोशिश की जायगी। अभी तो चौमू और दौसा के चुनाव हो रहे हैं, इस बारे में डेफीनेट डेट तो चुनाव आयोग निश्चित करेगा, कितने दिन का नोटिस निकालना होगा और क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे मे चुनाव कार्यालय तय करेगा।

श्री नत्थींसिह : मुख्य जो प्रश्न था वह चुनाव के बारे में था उसका जवाब चुनाव मंत्री देते तो ज्यादा अच्छा था। चुनाव मंत्री को इस बारे में स्पेसिफिक तौर से जवाब देना चाहिये वे कब चुनाव करवाना चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अविलम्बनीय लोक महत्व का जो प्रश्न दिया गया है उसमें यह लिखा हुआ है राजस्थान में नगरपालि-काओं के चुनाव समय पर न कराये जाने के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्ध में। इस बारे में चर्चा उठायी गई जवाब आना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जवाब आगया इसका।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनाव मंत्री को उपस्थित होना चाहिये वे उपस्थित नहीं हैं। उन मंत्री की अनुपस्थिति में काल अटेन्शन का जवाब नहीं दिया गया। जो नियम १२७ और १३१ के तहत काल अटेन्शन नोटिस दिया गया उस पर हम यह मानकर चलते हैं कि माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई नहीं हुआ कल आप इसका गवर्नमेंट से जवाब दिलवाइये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जो अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की चर्चा होती है उस पर कोई निर्णयात्मक जवाब मंत्री महोदय दें यह आवश्यक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानआकर्षण प्रस्ताव के अन्दर यह होता है एक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाय। ध्यान आकृष्ट हो गया उससे अधिक और ज्यादा ध्यान आकृष्ट हो गया, मंत्री महोदय ने कह दिया जल्दी चुनाव कराये जायेंगे तो यह मान कर चलना चाहिये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब हल हो गया।

श्री नत्थीसिंह : कल स्पीच में भी कहा था कि नगरपालिकाओं के चुनाव करायेंगे लेकिन किस किस नगरपालिका के करायेंगे यह कुछ नहीं बताया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने बीकानेर नगरपालिका के बारे में पूछा है इसका जवाब नहीं है तो स्थगित कर दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य सरकार ने क्या निर्णय ले लिया है चुनाव कराने का ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन कर दिया है जहां तक हो सकेगा मई के महिने में करा दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री भीखाभाई से) आप क्या फरमा रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : मई-जून में करा दिये जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोलिटिकल पार्टीज के जो सिम्बल हैं वही म्युनिसिपल इलेक्शन्स में भी रहेंगे यह आपके द्वारा तय हो गया है वैसी हालत में हर पार्टी की अपनी अपनी नीति होती है, उसकी कान्फ्रेन्स होती हैं, उसके प्रोग्राम्स होते हैं आखिर इलेक्शन के लिये तैयारी भी करनी होती है। इसलिये आप डेफीनेट कहिये मई में करायेंगे या जून में या अक्टूबर में करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी ने मई और जून के लिये कह दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मई और जून में होने के नहीं क्योंकि अप्रेल में चौमू के और दौसा के चुनाव में कांग्रेस निश्चित रूप से हारेगी उसके सदमे के कारण आप नहीं करायेंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि मई और जून में चुनाव होंगे। मई के अन्त तक या जून के मिडिल तक राज्य सरकार चुनाव कराने का इरादा रखती है। आज की स्थिति में इतना ही कहा जा सकता है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराने के प्रयास किये जायेंगे। म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव मई और जून में करा देंगे और एग्जेक्ट तिथि भी चुनाव के काफी दिन पहले तय कर दी जायगी इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ मल्टीपल कॉन्स्टीट्यूएन्सीज को सिंगल नहीं किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मई और जून में हरगिज चुनाव होने वाले नहीं। मल्टीपल कॉन्स्टीट्यएन्सीज को भी अभी तक सिंगल नहीं किया गया।

श्री दौलतराम सारण : मई और जून कौन से साल के ६८ के या ६६ के?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संकल्प जो बड़ा महत्त्वपूर्ण है उसके लिये ऐसा प्रतीत होता है माननीय सदस्य समय देना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप तो समय न लें।

विधायी कार्य

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक; १९६८ का पुरःस्थापन ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता मंत्री से अकाल सहायता के बारे में वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्रीमती कान्ता कथूरिया।

श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भु-गृहादि (किराया और देदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६८ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रशासकीय संकल्प पर वादविवाद

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं विधेयक को पुर : स्थापित करती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : गैर सरकारी संकल्प। श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (साँचोर) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान की पेय जल समस्या के शीघ्र हल हेतु ग्राम पेय जल निवारण बोर्ड की स्थापना की जाये। इस बारे में संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। माननीय

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपाध्यक्ष जी, आपको भली-भाँति मालूम है यह राजस्थान इतना लम्बा चौड़ा राजस्थान है जिसमें कई जिले डेजर्ट में आते हैं, कुछ पहाड़ी इलाके हैं—जो इन सब श्रेणी में आते हैं। राजस्थान को हम इस तरह कुछ डेजर्ट ऐरिया में, कुछ सेमी डेजर्ट ऐरिया में और कुछ पहाड़ी इलाके में बाँट सकते हैं। इस तरह से राजस्थान का विभाजन पेय जल की समस्या के निवारण हेतु कर सकते हैं। इस बारे में राजस्थान सरकार की ओर से एक कमेटी हरिश्चन्द्र जी की अध्यक्षता में स्थापित की है और उस कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेन्स में यह विषय था कि राजस्थान में पीने के पानी की समस्या किस रूप में है ? किस किस गांव में किस किस तरह की परिस्थिति है ? सारे जिलों में किन्हीं जगह पानी है, किन्हीं जगह पानी बिलकुल नहीं है। जिलों में जल निवारण के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ? इस रूप में स्टडी टीम के रूप में फेक्ट्स इकट्ठा करने के लिये कमेटी बनाई है। यह कमेटी श्री हरिश्चन्द्र जी की अध्यक्षता में बनी है। कुछ इसके सदस्य जोधपुर के कमिश्नर, बीकानेर के कमिश्नर हैं और श्री परसराम मदेरणा भी उसके सदस्य थे, बाद में श्री भीमसेन जी, लूनकरणसर से आने वाले सदस्य नियुक्त किये गये। इस कमेटी ने राजस्थान में जगह जगह स्टडी करने के लिये भ्रमण किया और उन्होंने दो क्वेश्चनेयर जारी किये। एक क्वेश्चनेयर पहले जारी किया, उसके बारे में जगह जगह नान ऑफिशियल मेम्बर्स रखे गये जिसमें कलेक्टर्स की तहसीलदार, विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट ऑफिसर और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो जानकारी थी, जो उनसे ताल्लुक रखती थी काफी प्रचार किया गया और क्वेश्चनेयर के जरिये पूर्ण सूचना इकट्ठी करने की कोशिश की गई। उसके बाद यह क्वेश्चनेयर साधारण भाषा में जारी किया ताकि सब लोग समझ सकें और सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय की तरफ से पब्लिसिटी की जाय। पहले जो क्वेश्चनेयर जारी किया था वह काम्प्लीकेटेड था और पढ़े लिखे लोगों से सम्बन्ध रखता था। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आँकड़े इकट्ठा किये गये और इसमें राजस्थान को ५ डेजर्ट इलाके में रखा गया, जिनकी जल समस्या को निवारण किया जाये। कुछ इलाके सेमी डेजर्ट में हैं और कुछ हिली ऐरियां में हैं—इस तरह अलग अलग आँकड़े इकट्ठे किये गये। डेजर्ट के इलाकों में बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर इस तरह ये ५ इलाके हैं और सेमी डेजर्ट ऐरिया में जयपुर, टोंक, भरतपुर, झुंझनूं, पाली, जालोर, अलवर, जोधपुर आदि इस तरह ११ जिले सेमी डेजर्ट में लिये गये हैं। इस तरह कुल १६ जिलों में इस पानी की समस्या के निवारण हेतु इस कमेटी ने गहन रूप से विचार किया, जो पुराने लोग हैं, उनसे सलाह ली गई है कि किस किस जिले में किस किस तरह की समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस डेजर्ट के जो ५ जिले हैं उसमें भी भिन्न भिन्न समस्या हैं। किसी जगह में पानी की सतह नीची है, कहीं ऊंची है—इस तरह ३ तरह की सतह पाई जाती हैं। डेजर्ट ऐरिया में ५००-५५० फीट पर पानी मिलता है और वह भी पानी मिलता

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है खारी जैसे फलोदी का एरिया है, बीकानेर का इलाका है। इसमें ५०० फीट नीचे जाने के बावजूद भी खारी पानी मिलता है—स्लाइन पानी। काफी प्रयत्न करके कुआ खोदा जाता है और फिर उसकी सतह में पानी खारी पाया जाता है। कुछ गाँव तो ऐसे हैं कि बहुत गहराई पर जाने के बाद भी मीठा पानी नहीं मिलता है। वहाँ पर मवेशी चराने का खास धन्धा है, उनके पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। मनुष्यों के पीने के लिये तो क्या मवेशियों के पीने के लिये भी पानी नहीं है। कमेटी के सामने ऐसे फैक्ट्स आये हैं कि कुछ गाँवों में जैसे फलोदी, जैसलमेर में एक एक कूप निर्माण में ३०-३० हजार रुपये खर्च होते हैं। १६ जिलों में यह अध्ययन किया गया कि अमुक जिले में एक कूप में कितना रुपया खर्च होता है और तालाब निर्माण में कितना खर्च होता है, टाँके में कितना खर्च होते हैं, कुंड में कितना खर्च होता हैं। जैसे जैसे अलग अलग जगह पानी के साधन उपलब्ध हैं। कहीं रेन वाटर से समस्या का निवारण होता है, कहीं अन्डर ग्राउन्ड वाटर से निवारण होता है। इस तरह कमेटी ने कई तरह के फेक्ट्स रखे हैं। श्री के० एन० भार्गव, मेम्बर सेक्रेटरी थे। उनको काफी इंजीनियरिंग को जानकारी है, उसके आधार पर कमेटी को उनके जरिये बड़ी भारी गाईडेन्स मिली है। कमेटी ने यह महसूस किया है। इसके बारे में काफी फेक्ट्स इकट्ठे किये गये हैं और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। माननीय उपाध्यक्ष जी, उस रिपोर्ट के अन्दर फलोदी जैसे जिले में एक कूप निर्माण पर ३० हजार रुपया खर्च होता है, टाँका बनाया जाय तो ५-१० हजार रुपया लगता है अब ऐसी स्थिति में क्या तो मनुष्य पानी पीयेंगे और क्या मवेशी पानी पीयेंगे। इस तरह राज्य सरकार के सामने आँकड़े इकट्ठे करके वास्तविक रूप में उस कमेटी ने बहुत ही परिश्रम किया है, यह कहना पड़ता है। मैंने इस रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ा है और यह अन्दाज लगाया है कि भिन्न भिन्न जिलों में—डेजर्ट ऐरिया में और सेमी डेजर्ट ऐरिया में—इन दोनों तरह के ऐरिया में ५० फीट से लेकर ३०० फीट की गहराई पाई जाती है और उस गहराई के बावजूद भी यह मालूम नहीं कर सकते हैं कि पानी खारी निकलेगा या मीठा। उपाध्यक्ष जी, जेसला गाँव है उसमें करीब ४-५ साल से कोशिश करके २०-२५ हजार रुपये खर्च करके एक कुआ करीब ५००-६०० फीट गहरा खोदा गया लेकिन फिर भी उनका दुर्भाग्य रहा और पानी नहीं निकला। कुआ ढह गया और पानी उपलब्ध न हो सका। उस गाँव को जन संख्या करीब तीन हजार है। सारे दिन लोग पानी के लिये जाते हैं। उनकी बारियाँ बन्धी हुई होती है। किन्हीं की रात में बारी आती है और किन्ही की दिन में बारी आती है और यह आपको बिलकुल मालूम है यहाँ के माननीय सदस्यों को भी पूर्ण ज्ञान है। ऐसे ऐसे भी इलाके हैं जो आज भी पानी दस या पन्द्रह मील से ऊंटों पर पखाल लादकर लाते हैं। यह भी तथ्य है और पांच मील का भी डिस्टेन्स है, कहीं दो मील का भी है। दो से पन्द्रह मील का यह डिस्टेन्स है। यह भीखा-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भाई समझते होंगे कि यों ही कहते होंगे ये लोग। शहरों में ये लोग रहते हैं पांच कदम के फासले पर टोंटी से पानी ले आते हैं, और यह भी बन्द हो जाती है तो समस्या खड़ी कर देते हैं। यहां ज्यादा होशियार लोग रहते हैं पांच कदम भी पानी लाने को जाना पसन्द नहीं करते। पर इस प्रदेश में ऐसे भी हजारों गांव हैं रेगिस्तानी इलाके के पांच जिलों में जो बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जैसे जैसलमेर, फलौदी, बाडमेर, जालौर, बीकानेर और कुछ गंगानगर का भी हिस्सा जहां नहरों का पानी आज भी नहीं पहुँच पाया है, जहां पानी की समस्या बन कर खड़ी है और दो से पन्द्रह मील की दूरी से लाना पड़ता है।

(४·२० म०प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

तो माननीय सभापति जी इस बारे में कमेटी ने भी काफी तथ्य दिये है, हालांकि पूरे तथ्य वह भी नहीं दे पाई हैं। स्थानीय लोग और काफी अरसे तक अध्ययन करें तभी पूरी स्थिति मालूम हो सकती है सही अर्थों में कि वास्तविकता में पीने की पानी की उनकी समस्या गम्भीर है।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत में भीखाभाई का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप इस इलाके में थोड़ा जाकर नजदीक से देखें कि किस तरह से लोग पानी लाते हैं और अपने मवेशियों को भी जिन्दा रखते हैं। और इस पानी के लिये उनको अपना कितना समय का भाग देना पड़ता है। एक बैल हांकने वाला, दूसरा चरस खींचने वाला, दो तीन आदमी गायों को पिलाने वाले, बाकी घर में पानी की व्यवस्था करने वाले यों सारी फेमिली दिन भर इसी में व्यस्त रहती है अधिकांश रूप में। यह तथ्य है।

देश स्वतन्त्र हुआ और देश में हमारी अपनी जनता की प्रतिनिधि सरकार बनी पर वह भी जितना ध्यान इस समस्या की ओर देना चाहिये था, अब तक नहीं दे पाई है। बीस साल होने आये समस्या आज भी लगभग वैसी ही बनी हुई है।

माननीय सभापतिजी, मेरा यह संकल्प रखने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर रहने वाले लोगों की पानी की समस्या पर आज बीस वर्षों बाद अब भी विचार करें, उस तरफ ध्यान दें और कुछ दस-बीस साल जैसा पीरियड रखकर और कुछ धन राशि रखकर एक फेज्ड प्रोग्राम बनाएं और एक योजनाबद्ध तरीके से उस पीरियड में शनैः शनैः इस समस्या को हल करें। कमेटी ने आपके सामने आंकड़े पेश किये हैं। आप इन आंकड़ों को केवल देख लें इससे समस्या का हल नहीं होगा। प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से आगामी कुछ वर्षों में क्रम से चलकर और अच्छी धनराशि खर्च करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस बारे में राजस्थान सरकार को सोचना होगा। सरकार के सीमित साधनों को देखते हुए में मांग भी सीमित ही करना चाहूँगा कि कम से कम एक मील की दूरी से ज्यादा इन गांवों के निवासियों को पानी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लाने के लिये न जाना पड़े। यह प्रबन्ध कम से कम सरकार करे। होना तो आधा मील चाहिये।

ग्रामीण जल पेय समस्या के निवारण के लिये पेय जल बोर्ड कायम करने की आवश्यकता है। जैसे बिजली बोर्ड को काफी करोड़ों रुपया दिया है वैसे इस बोर्ड को भी आप करोड़ों रुपया देंगे और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आगामी दस बीस सालों में इस समस्या का हल हो पावेगा।

यह भी भलीभांति मालूम है कि एक मास्टर प्लान इसके लिये सरकार ने बनाया है और यह ७० करोड़ के आसपास का बना है। अब यह कितने सालों में आप खर्च कर पावेंगे और इस मास्टर प्लान को पूरा कर पावेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जैसा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रूरल कुओं के निर्माण के लिये दस लाख दिये हैं और जो पाइप स्कीम है उसको कुछ रुपया अधिक दिया है। यह लिमिटेड स्कीम है। इससे इस बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिये इस बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है और एक बोर्ड के गठन की आवश्यकता है जो सिर्फ आपको एडवाइज ही न दे पर पूरी शक्ति और पॉवर के साथ मास्टर प्लान को पूरा कर सके ताकि कम से कम आप थोड़े समय में पांच सौ की जनसंख्या के पीछे एक कुआ उपलब्ध करा सकें।

माननीय सभापति जी, मैं कह रहा था कि डेजर्ट एरिया में जहां लोग दिन भर पानी की समस्या हल करने के लिये कुओं पर गुजारते हैं वहां उनको आप कुछ कुटीर उद्योग देने की बात सोच रहे हैं ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा मजदूरी मिल सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। पर आप जानते हैं कि अधिकतर समय तो उनका आज पानी की समस्या हल करने में ही निकल जाता है।

फसल खड़ी है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिये नाडी या तालाब वहाँ नहीं हैं। जो हैं उनमें दो-तीन महीने मुश्किल से पानी ठहरता है। फिर तो उनको दिन भर पानी कुए से खींचने और खुद के पीने और पशुओं को पिलाने में बीत जाता है। तो इन सारी बातों पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

मैंने आंकड़े देखे हैं। राजस्थान सरकार ने पहली दूसरी और तीसरी योजना में कुल मिलाकर ३८० लाख के आसपास अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड आदि में मिलाकर खर्च किया है। यह आपका अच्छा काम है। इसने काफी काम किया है। इसमें सन्देह नहीं, पर इस समस्या के विस्तार को देखते हुए यह नगण्य सा है। जहां आपने रूरल समस्या को हल करने में इतना सा खर्च किया वहां शहरी पानी की समस्या के बारे में अनुपात से अधिक खर्च किया है। हम नहीं कहते कि उनकी समस्या हल न हो। पर शहर में होशियार लोग रहते हैं। मानता हूँ मैं। पर साथ साथ लोग गांवों में जो रहते हैं वे भी कम महत्व नहीं रखते। आपके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उत्पादन को हल करने में उनका काफी महत्व है, आपकी खाद्यान्न समस्या को हल करने वाले वे ही लोग हैं। उनकी पानी की समस्या और हल हो जाती है तो खाद्यान्न उत्पादन में भी वे काफी उत्साह और उद्यम के साथ सहयोग दे सकते हैं। समय भी उनका काफी बच जावेगा जो वे इधर लगा सकते हैं। आज तो उनका अधिकांश समय अपनी पानी की समस्या को हल करने में ही खर्च हो जाता है।

तो इस बारे में जिस प्रपोर्शन में गांव के लोगों को अपनी पानी की समस्या हल करने के लिये पैसा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाया है। और शहर के लोग सौ गज की दूरी से जाकर पानी ले आवें तो क्या हर्ज है, जबकि गांव के लोग पांच-दस और बीस मील की दूरी से लाते हैं। आप क्यों चाहते हैं कि गांव वालों की दूरी दस बीस मील बनी रहे, और शहर की सात गज को दूरी भी एक गज की दूरी में बदल जाय। मैं समझता हूँ इस समस्या को हल करने में इधर वाले और उधर वाले सभी सहयोग करेंगे। यह समस्या किसी से छिपी नहीं है।

सभापति महोदय, डेजर्ट एरिया में सिर्फ पानी की ही समस्या नहीं है आप जानते हैं वहां अकाल भी पड़ते हैं। जब अकाल पड़ता है तो वहां के लोग खानाबदोस की तरह राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी घूमते फिरते हैं, पानी और रोटी की खोज में, अपने जीवन निर्वाह के लिये और अपने मवेशियों को बचाने के लिये। इसके लिये २५० कुओं की योजना बनाई, अच्छी योजना थी। अच्छा काम भी किया। परन्तु इन कूप निर्माण में एक दुर्भाग्य की बात है कि पूरी सफलता नहीं मिली। फिर भी निराशा जैसी बात नहीं है। कहीं कहीं पचास-पचास साठ-साठ हजार गैलन कैपेसिटी के कूप भी बने हैं। जैसे जैसलमेर में चन्दन कूप है। बाडमेर में है। और वह भी मीठा पानी निकला है। तो उस पानी के उपयोग करने की बात है। उपयोग तभी कर सकते हैं जब कि पूरे साधन उपलब्ध हों। बेरों से पानी खींचकर बाहर हौजों में या बाहर गांव में इकट्ठा किया जाये तभी काम को कर सकते हैं और बेसी पानी हो तो खेती में भी दिया जा सकता है। तो सरकार ने इस पेय जल की समस्या का प्लान्ड वे में हल करने का प्रयास नहीं किया, सरकार ने यह कमेटी बनाई और उसने फैक्ट्स इकट्ठे किये और उसने यह भी माना कि राजस्थान में पेय जल की गम्भीर समस्या है। लेकिन उसके बाद में क्या है? फिर यह कह देना कि हम १० लाख रुपया दे देते हैं अगले वर्ष के लिए इस पेय जल की समस्या के निवारण के लिए तो उससे क्या यह समस्या हल हो सकती है? आपने जल कूप बनाये हैं उसमें पम्पिंग सैट लगाकर क्या आप इतने से पैसों में उपयोग कर सकते हैं? कतई नहीं। जो राज्य के पास सीमित साधन हैं और अधूरे कामों को छोड़कर दूसरे कामों को हाथ में लेना उचित नहीं है। जितने काम किये हैं उनको पूरा करने की आवश्यकता है। जिस गाँव में एक एक कुंआ भी नहीं है राज्य सरकार का फर्ज है कि वहां कूप निर्माण कराये। पहले समय में हमारे जोधपुर में इसके लिए एक फण्ड बनाया गया था और बीकानेर में भी एक फण्ड का

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

निर्माण किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने १९५६-५७ और ५७-५८ में एक जल-बोर्ड का निर्माण किया था। उस जल बोर्ड ने २ करोड़ रुपया खर्च किया था और ९००० के आसपास पानी के कुए बनाये। बहुत ही अच्छा काम किया था। तो एक बोर्ड के जरिये कितने अच्छे काम होते हैं यह आप जान सकते हैं। सिर्फ सरकारी विभाग के जरिये काम कराना चाहें तो वह पूरे नहीं हो सकते। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप इस गति से तो ५० साल में भी पूरे नहीं कर सकते। इसके अन्दर गांव के लोगों को भी साथ में लेना पड़ेगा। जैसे गांव मुंजासर में ३०० फीट के ऊपर लोगों ने खुद खोद लिया और थोड़ा सा ब्लास्टिंग किया तो मीठा पानी मिल गया। तो गांव वाले बहुत खुशी से उछल पड़े। तो इस तरह से राज्य सरकार को जहां ऐसी समस्या है उसके निवारण करने के लिए अलग से एलाटमेंट्स करने पड़ेंगे। यह जो ५ डेजर्टेड जिले हैं उनके लिए अलग प्रावधान करने की जरूरत है। यह तभी हो सकता है जबकि जल बोर्ड बने और उसमें वहां के रिप्रेजेन्टेटिव्स हों और पैसे का ऐलाटमेंट हो। क्योंकि कुल मिलाकर आपके पास पैसा कम है और आप हर एक को राजी करने का प्रयत्न करते हैं तो पचास-पचास हजार रुपया जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर को दे दें तो उसमें क्या हो सकता है। जब कमेटी की रिपोर्ट आपके समक्ष है कि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग कूप निर्माण के लिए अलग अलग पैसे की आवश्यकता है, यह कमेटी इसीलिए बनी कि आपको गाइडेन्स मिले, आपको फंड्स मिलें उसके अनुसार आप पैसा एलाट कर सकते हैं और उसके बाद में ही यह योजन यें सफल हो सकती है वर्ना कुछ पंचायत समितियों को पैसा दे दिया तो उससे क्या होता है। मानलो कि फलौदी पंचायत समिति को ५ लाख रुपया दिया है तो उसमें कितने कुए बनेंगे। ५-१० से ज्यादा बेरे नहीं बन सकते हैं तो इस प्रगति से कैसे इस पेय जल की समस्या का निवारण होगा? तो, सभापति महोदय, जो कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी और कमेटी ने भी यह कहा है कि राजस्थान की पेय जल की समस्या बहुत भारी समस्या है और इसके निवारण के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे और सेन्टर से स्पेशल एलोकेशन कराने की आवश्यकता है। क्योंकि यह राज्य सरकार की सामर्थ्य के बाहर की बात है कि अपने पेय जल की समस्या का वह समाधान कर सके। पिछले साल में ५८ तक लोकल डवलपमेंट वर्क्स के तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में आया था लेकिन बाद में वह भी बन्द हो गया और दो साल के काम के बाद ५९ में पंचायत समितियां हुई और अधूरे कामों को कलेक्टर के जिम्मे दे दिया और फिर उसके बाद में पंचायत समितियों को दे दिया। तो कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि जल बोर्ड का काम बहुत ही उत्तम काम था और उसमें १०० लाख रुपये दिये जायें तो जो अधूरे काम छोड़े थे वह पूरे हो जायें। यह उनकी रिपोर्ट थी। तो उसके बाद में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो अधूरे काम थे वह पूरे नहीं किये गये और नये काम शुरू करने का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि सरकार के पास पहले से ही साधन नहीं हैं। उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट यह थी कि

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

५००० से ज्यादा की आबादी के जो गांव हैं उसमें पाइप स्कीम शुरू की जायें। शहरों की स्कीम के साथ गांवों में भी स्वच्छ पानी मिले। उसको स्कीम बनाई जाये और नल योजना के जरिये उनको पानी दिया जाये। तो उसके बाद में कुल मिलाकर बहुत ही थोड़े गांवों के अन्दर करीब ८४ के आसपास हमने आंकड़े देखे उसके अनुसार पेय जल की योजना चालू हुई लेकिन वह भी अधूरी पड़ी हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। अगला जो साल है उसमें ६० लाख रुपया शहरी स्कीम के लिए दिया है और एल०आई०सी० से १ करोड़ रुपया शहरों को मिलेगा। फिर वित्त मंत्री महोदय ने मेहरबानी की है कि उन्होंने कहा है कि मैं २० लाख रुपया पेय जल की समस्या के निवारण के लिए पंचायत समितियों को दूंगा। अब यह तो केवल कहा है, हो सकता है शायद वह भी नहीं मिले। सिर्फ आश्वासन ही है। तो इस तरह से जो पेय जल की समस्या एक काला भूत बनकर हमारे सामने है इसका हल करने के लिए राज्य सरकार को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज बहुत ही अधिक समय इसमें लगना चाहिए था और पूरा दिन लगने की आवश्यकता थी तभी जिलों से आये हुए माननीय सदस्य अपनी अपनी समस्यायें रख सकते थे लेकिन बहुत ही कम समय रहा। कल भी पूरा दिन उस पर लगे तो अच्छा है। वैसे तो मेरा यह प्रस्ताव लॉटरी में मेरी तकदीर से आ गया और मैं समझता था कि यह राजस्थान का विषय है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि भीखाभाई जी अपना माइन्ड एप्लाई करेंगे ताकि कुछ सालूशन नजर आये....

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : उपमंत्री जी नींद निकाल रहे हैं।

श्री शंकरलाल : नींद नहीं निकाल रहे हैं वह चिन्तन कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्योंकि वास्तव में यह चिन्ता का ही विषय है। मैं भीखाभाई को देखता हूँ कि वह समस्या का समाधान करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। यह बहुत भारी समस्या है। भारत सरकार से ५८ तक पैसा मिला लेकिन बाद में बन्द हो गया। अब क्यों बन्द हो गया इसके लिए राज्य सरकार को जोर लगाना चाहिए था। तो, सभापति महोदय, यह सदन के सोचने की बात है कि बोर्ड का गठन किस वे में हो। मैं तो कहूँगा कि और बोर्ड्स के बराबर ही इस बोर्ड की पावर्स हों—लोन के लिए, वह अपना लोन रेज़ कर सके, शेयर्स इकट्ठे कर सके और करोड़ों रुपया जो दूसरे बोर्ड्स को मिलता है वह इसको भी मिले ताकि जो आपका मास्टर प्लान ७० करोड़ का है पेय जल का और शायद आपने आश्वासन दिया है कि १५ साल में हम ऐसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं कि दो मील से ज्यादा दूर चलकर पेय जल के लिए आदमी नहीं जाये। यह पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि आज २० साल हो गये और पहले भी हमें आशा थी कि आधा मील या एक मील से ज्यादा दूर पेय जल के लिए नहीं जाना पड़ेगा वह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भी पूरी नहीं हुई है। जो ५ रेगिस्तानी जिले हैं राजस्थान के इनमें पानी की समस्या इतने गम्भीर रूप से खड़ी है कि साल में ६ महीने तक लोग बेरों पर रखते हैं। साल में ६ महीने इस तरह से कि यदि दिन में बेरों पर हैं तो रात को घर पर और रात को बेरों पर हैं तो दिन में घर पर। इसके अलावा केवल घड़ों से ही पानी भरते हों ऐसी बात नहीं हैं बल्कि ऊँटों की पखाल पर भी दूर दूर से पानी लाते हैं यह वास्तविक बात है। यह डेजर्ट एरिया है। जैसा लुहारू नवाब साहब ने दौरा किया सड़कों के लिए और उन्होंने कहा है कि वह थोड़ी थोड़ी सब जगह सड़कें बनायेंगे तो इस बारे में मैं आपके जरिये से भोलाभाई को यही सलाह दूंगा कि जब तक आप इन जिलों का दौरा नहीं करेंगे जब तक आप एक एक दिन तक ऐसे जो सारा गाँव बेरों पर किस तरह से पानी के लिए तरसता है, नहीं देखेंगे तो अन्दाजा नहीं होगा। वह भी पानी सर्दी के समय तो पर्याप्त होता है, लेकिन गर्मी में अन्दर सूख जाते हैं।

श्री आईदानसिंह : दौरों में पानी साथ रखें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पानी साथ में नहीं ले जायेंगे तो मुसीबत पैदा हो जायेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : साथ में नहीं ले जायेंगे तो जल्दी बनायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जैसलमेर में तो २०-२० मील तक पानी नहीं मिलता है। कई पानी के बगैर ही चले गये कि ५ मील पर कोई गाँव आयेगा उस भरोसे मारे गये क्योंकि रेगिस्तान में जिसको कहते हैं कि एक गऊ, दो गऊ बताते हैं तो वह जानबूझकर कम डिस्टेन्स बताते हैं ताकि उसकी हिम्मत न टूट जाये। तो जो बारे हैं उनके बारे में यह सलाह है कि कम से कम उस एरिया में आप स्वयं जावें और उसका अध्ययन करें ताकि फिर पक्षपात नहीं कर सकें और ऐसे एरिया के लिए एलाटमेंट लिबरल होगा।

जो रेगिस्तानी इलाक़ा है वहाँ पर मुमकिन है कि ५ साल में दो बार ज्यादा से ज्यादा उपज होती है, पानी बरसता है। उस डेजर्ट एरिया में जहाँ हिल्स नहीं हैं कहाँ से मानसून टकराये और किस तरह से बरसात हो। वह रेत के टीबों से तो टकरा नहीं सकता। उस डेजर्ट एरिया में बरसात नहीं होती है लेकिन वहाँ पर बड़े तालाब जरूर हैं कि अच्छी बरसात हो जाये तो साल भर तक चलते हैं। ऐसे तालाब बनाने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जहाँ नाडियाँ बड़ी बड़ी बना सकते हैं उनमें आधुनिक युग की दवाइयाँ डाली जायें ताकि गिनी वर्म की बीमारी न हो और दूसरी बीमारियाँ मलेरिया वगैरह न हों, उनके कीटाणु मर जायं। तो आपको उस बारे में सोचने की आवश्यकता है। जो पुराने १००-१०० साल के तालाब थे, नाड़ियाँ थीं उनकी मरम्मत नहीं की गई। नये खोदने का सवाल ही नहीं हैं। पुराने तालाबों को बान्धने की आवश्यकता है। कभी बरसात एटोमिक युग में ज्यादा भी हो सकती है। जैसलमेर में ३-४ साल पहले इतनी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जबरदस्त बरसात हुई कि नदी में सारे मवेशी बह गये। पुराने तालाब टूट जाते हैं उन तालाबों को ठीक करने के लिए पैसा नहीं है टांका बनाने के लिए पैसा नहीं है, कुण्ड आप बना नहीं सकते। कुए बनाने के लिए ३० हजार रुपया खर्च होते हैं। जहाँ पर खारा पानी है खास तौर से साँचोर तहसील में लाखों एकड़ अच्छी भूमि है और वहाँ पर चार फीट पर ही पानी मिल जाता है पर वह पानी खारा मिलता है। बोरिंग एक्सपेरिमेंटल आर्गेनाइजेशन के १५०० फीट तक खुदाई की लेकिन वहाँ पर बिल्कुल क्ले मिली पानी भी नहीं मिला, और अगर मिला तो खारा। वहाँ पर यह समस्या है ऐसे गाँवों में आप पानी के लिए साधन उपलब्ध करायें। गाँव वाले कुछ पैसा दे सकते हैं। जहाँ पर गम्भीर समस्या है तो श्रमदान के जरिये सारे का सारा गाँव काम करता है। जहाँ पर ब्लास्टिंग का सवाल है, जहाँ कुओं के अन्दर से मिट्टी निकालने की बात है मशीनों से तो यह साधन तो आप ही देंगे तभी हो सकता है।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय भीखाभाई से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह पेयजल की समस्या जन-स्वास्थ्य से भी सम्बन्ध रखती है, और अकाल से भी सम्बन्ध रखती है। अगर इस पेयजल की समस्या का समाधान आप करदें और सफिशियेन्ट मात्रा में लोगों को और मवेशियों को पानी दे दें तो वहां के लोग और कुछ नहीं मांगते हैं। पीने का पानी मिल जाय तो उनको मवेशियों को लेकर दूर न जाना पड़े। घास हो जाती है पर पानी नहीं। पानीकी समस्या लिए दूर जाना पड़ता है। मवेशियों के लिए कृषि विभाग जन-स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करे और आपस में बैठकर आपको यह सोचने की आवश्यकता है। गांवों में डेजर्ट एरिया में लोग बीमार पड़ते ही नहीं हैं और अगर पड़ते हैं तो बचते भी नहीं हैं, क्योंकि क्रानिक डिजीज लेकर ही वे शहर में आते हैं। तो इस बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं फैक्ट्स तो रख दूं, उसके बाद में कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

श्री सभापति : आपको रिप्लाई का टाइम मिलेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये गम्भीरता से विचार करें। राजस्थान हमारा है और वहां का डेजर्ट एरिया भी हमारा ही है। वहां अगर पानी पहुंचाया जाये तो वहां पर खेती भी बढ़ सकती है। इसके बारे में बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे लिये कोई अलग जोन बनना चाहिये, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिये। उनके मनमें ऐसी बात नहीं आने पावे कि कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) ऐसा नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसा नहीं है अब तक तो आपको सोचने की आवश्यकता है। सदन को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है और विचार करने की आवश्यकता है। मास्टर प्लान के द्वारा जो आप पांच

श्री रघुनाथ विश्नोई)

और दस लाख रुपयों से इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इस तरह से तो १०० साल तक भी इसका हल नहीं निकलेगा। शहरों के अन्दर तो आप इतने साधनउपलब्ध करते हैं, बिजली दे रहे हैं,पानी दे रहे हैं. और गांव के लोगों के लिये आप पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके लिये राज्य सरकार ने कोई सक्रिय रूप से कदम नहीं उठाये। जिस तरह की यह गम्भीर समस्या है और उसके समाधान के लिये जो काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। ७० करोड़ रुपये का जो आपका मास्टर प्लान है उसके अन्दर जल बोर्ड का गठन करके कम से कम ५ करोड़ रुपये तो सालाना आप खर्च करें तो भी १५ साल के अन्दरजाकर कहीं यह समस्या हल हो सकती है। हर साल ५ करोड़ रुपये ग्रामीण जनता के पानी की समस्या के लिये आप खर्च करें तो १५ साल में जाकर कम से कम इतना तो होगा कि हर एक गांव के एक दो मील के अन्दर पानी की व्यवस्था होगी और मवेशी नहीं मरेंगे। आज तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर ऐसा पानी है कि अगर मवेशी थोड़ा सा ज्यादा पानी पीले तो मर जाये, ऐसा खारा पानी है वहां का। आज आपने राजस्थान का ज्योलाजीकल सर्वे भी कराया है जिससे मीठा पानी उपलब्ध हो सके, कहीं कहीं ट्यूब वेल भी खुदवाये हैं, तो आप अगर पांच-दस गांव के बीच भी एक हौज बनवा लें, टंकी बनवाकर चारों तरफ टूटियाँ लगायें तो पांच मील से आकर भी अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिल जाय तो भी ठीक है। तो एक एक लाख और दो दो लाख की स्कीम्स बनाने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से तो चार लाख से केवल चार गांवों में आप स्वच्छ पानी उपलब्ध करा सकेंगे और दूसरे गांव वाले उसका कोई उपयोग नहीं ले पायेंगे।

एक माननीय सदस्य : सवाई माधोपुर में भी इसकी जरूरत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके यहां तो सेमी डेजर्ट है। हमारे यहां तो बिल्कुल ही डेजर्ट एरिया है। इसीलिये मैंने यह संकल्प रखा है और सदन से मेरा आखिर में यह निवेदन है कि जो कुछ बातें थीं वे मैंने रख दीं और मुझे आशा है कि आप इसका कन्विंसिंग रिप्लाई देंगे जिससे हाउस को संतोष हो। मैंने जो संकल्प रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको लाइटली न लें और गम्भीरता से विचार करें ताकि कम से कम १५ साल के अन्दर तो पानी की समस्या का समाधान हो सके ऐसे बोर्ड का गठन करें।

श्री सभापति : एक सूचना देनी है, कल सदन की बैठक प्रातः आठ बजे से आरम्भ होकर एक बजे तक रहेगी।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये और बढ़ाई जाती है। माननीय सदस्य जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं वे पहले बोलेंगे।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव को मूव करने वाले तीन सदस्य थे मूव चाहे रघुनाथ जी ने किया लेकिन मूव करने वालों में वृद्धिचन्द्र जी का

(श्री शंकरलाल)

भी नाम था और मेरा भी नाम था। तो पहले हम मूव करने वाले बोल लें।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : चेयरमैन महोदय,

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे: अश्रव्य)

चेयरमैन महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। कल चेयरमैन महोदय की तरफ से यह व्यवस्था दे दी गई थी जब मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था जो कल आने वाला था तब मुझ से यह कहा गया था कि कल ग्रामीण पेय जल के संबंध में प्रस्ताव आने वाला है उस समय आपको प्राथमिकता दी जायगी। इसलिये कल मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया था तीन आदमी प्रस्ताव लाने वाले थे उनको बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये थी......

श्री सभापति : आपको बाद में बोलने का मौका दे दिया जायगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : पाली से आने वाले माननीय सदस्य को क्या तकलीफ है उनके यहां तो जवाई बांध बना हुआ है; पानी बहुत है, पहले उनको बोलने दीजिये जो रेगिस्तानी इलाके से आये हैं।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, राजस्थान ...

श्री मूलचन्द डागा : ओन पोइन्ट ओफ आर्डर, सभापति महोदय, सबसे पहले तो जिन्होंने मूव किया है वे बोलेंगे उसके बाद अपनी प्रक्रिया का रूल ११२ कहता है ...

श्री शंकरलाल : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है....

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : मुझे बोलने दीजिये ये तो आपस में लड़ रहे हैं ...

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा माननीय सदस्य बाद में।

श्री मूलचन्द डागा : After a resolution has been moved, any member may move on amendment to the resolution.

तो उसके बाद अधिकार हमारा है रामकिशनजी और मूलचन्द डागा ने जिन्होंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है उनको पहले बोलने दीजिये।

श्री सभापति : शंकरलालजी का भी अमेन्डमेन्ट है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय (सभापति) गावों में पानी की जो समस्या है वह वास्तव में रघुनाथजी ने अभी सदन के समक्ष रखी है। मैं सक्षेप में ...

श्री सभापति : समय कम है, समय का ध्यान रखें।

श्री शंकरलाल : मैं संक्षेप में आंकड़ों के साथ निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान में जहां ३२, २४१ गांव हैं

Page No. 159

(श्री शंकरलाल)

और जहां २ करोड़ की जन संख्या है उसमें से १ करोड़ ६८ लाख ६ हजार लोग गांवों में बसने वाले हैं, वहां मुझे खेद है कि राज्य के गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है वह कम किया जाता है और जो किया भी जाता है उसका अधिक उपयोग नहीं होता इसलिये जो जल बोर्ड स्थापित करने की मांग की गई है वह उचित है।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हम राजस्थान में राजस्थान के आजाद होने के बाद पेय जल की समस्या का निवारण करने के लिये जो जो राज्य सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं उनको देखें तो वास्तव में सदन इस नतीजे पर पहुँचेगा कि इस समस्या का निवारण करने हेतु गैर सरकारी सदस्यों का बोर्ड गठित किया जाय तो समस्या का हल हो सकेगा।

मैं कहना चाहूँगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११९,९२ लाख रुपये ग्राम्य जल प्रदान योजनाओं पर व्यय किये गये थे और योजना के प्रथम दो वर्षों में ४७२ कुओं पर कार्य किया गया। परन्तु सन् १९५५ में राजस्थान जल बोर्ड की स्थापना हुई उस समय उसके संबंधित मंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय थे वे ही उस बोर्ड के अध्यक्ष थे और इस सदन के कई सदस्य उस बोर्ड के सदस्य थे। प्रत्येक जिले में राजस्थान जल बोर्ड की शाखाएं थीं उसकी मार्फत काम होता था। जो काम प्रथम पंचवर्षीय योजना के २ वर्षों में हुआ उसमें केवल ४७२ कुए खोदे गये थे जब कि जल बोर्ड के गठन के बाद १९५५-५६ में ७५०९ कुए ९१.३१ लाख रु० की लागत से खुदवाये गये। यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रगति प्रतिवेदन मिला है उसके पेज ६८ पर इस बात का उल्लेख है और बताया गया है :

"ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था हेतु राज्य के गठन पर राज्य सरकार द्वारा १.५ लाख रुपये फेडरेल फाइनेंसियल इन्टीग्रेसन एग्रीमेंट के अन्तर्गत स्वीकार किये गये तथा आरम्भ में कुओं के कार्यों का क्रियान्वयन विकास खंडों को दिया गया। परन्तु उनके द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य न किये जाने के कारण, यह कार्य भी राजस्थान जल बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया गया, तथा वर्ष १९५५-५६ में ६८.३८ लाख रुपये ग्रामीण जल प्रदाय की योजनाओं पर व्यय हुये। कुल मिलाकर १५१.३४ लाख रुपये व्यय किये गये।"

जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ४७२ कुए बनाये गये वहां जल बोर्ड की स्थापना के बाद एक साल में ७४४२ कुए बनाये और उन पर सिर्फ ९१.३१ लाख रुपये लगे। अध्यक्ष महोदय....

एक मा० सदस्य : अध्यक्ष नहीं सभापति महोदय बैठे हैं।

श्री शंकरलाल : एक ही बात है, अध्यक्ष महोदय कहो चाहे सभापति महोदय कहो एक ही बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल बोर्ड की स्थापना करने के बाद काफी काम किया गया। ५६ से ६१

(श्री शंकरलाल)

तक यह योजना चली। उसके बाद हरिश्चन्द्र कमेटी नियुक्त हुई लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो संसद सदस्य श्री हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी का गठन किया गया था वह सलाह देने वाली कमेटी थी। वह योजना की क्रियान्विति नहीं कर सकती थी उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने ग्रामीण पेय जल की समस्या का चित्रण किया है, कुछ सुझाव दिये हैं। लेकिन वह समिति उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार के बोर्ड के गठन के लिये प्रस्ताव कर रहे हैं। हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि एक ऐसा बोर्ड हो जैसा सन् ५५ में राजस्थान जल बोर्ड था और जिसके माध्यम से कार्य किया था। प्रत्येक जिले में जल बोर्ड का सेक्रेटरी था। सरकार से रुपये लेकर गैर सरकारी माध्यम से रुपये खर्च किये जाते थे। मैंने संशोधन रखा है कि उसका गठन इस प्रकार से हो कि जो माननीय सदस्य संबंधित क्षेत्र के हैं वे उसके सदस्य हों और उस बोर्ड का अध्यक्ष माननीय सदस्यों में से ही हो। इस प्रकार से जिस बोर्ड का गठन होगा वह योजना को क्रियान्वित करेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सन् ६१ में समिति थी वह तो केवल सलाहकार समिति थी। उसके बाद दूसरी योजना काल में ५ हजार तालाबों का निर्माण हो सका तो, सभापति महोदय, जब बोर्ड नहीं था तब इसके अन्दर, इसकी प्रगति के अन्दर, पैसे के अन्दर और पेय जल की समस्या का निवारण करने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा कार्य किया गया, उसमें गिरावट आई, वह इसलिए आई कि कार्य प्रगति से नहीं हुआ, वह इस-लिए नहीं हुआ कि राज्य सरकार की मशीनरी है, राज्य सरकार की मशीनरी के द्वारा उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। इनके पास पैसे की आवश्यकता थी इसलिए इसका पूरा उपयोग नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर बाद में इसके अन्दर जोड़ा है—सन् १९६३ के अन्दर एक और बोर्ड की स्थापना की गई। मुझे पता नहीं कौन सा बोर्ड है लेकिन इसके अन्दर इस बात का उल्लेख किया गया है :

> "वर्ष १९६३ में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ग्राम्य जल प्रदाय को समस्या को सुलझाने हेतु आवश्यक सुझाव देने के लिये एक सलाहकार मंडल का गठन किया गया। मंडल का मुख्य कार्य इस प्रकार को

(५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नाई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

> नीतियां बनाना है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत जल प्रदाय के लिये आवंटित राशि का ठीक प्रकार से उप-योग किया जा सके। मंडल ने अनुसंधान डिविजनों के मास्टर प्लान के बनाने में आवश्यक सहायता व सुझाव दिये हैं।"

मैं निवेदन करना चाहूँगा, सन् १९५५ के अन्दर राजस्थान जल बोर्ड बना, उसके अच्छे रिजल्ट्स आये। बाद में बोर्ड नहीं रहा तो मैंने बताया कि उसमें गिरावट आई। हरिश्चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें सुझाव दिया गया। बाद में १९६३

(श्री शंकरलाल)

में बोर्ड का गठन किया गया, सलाहकार बोर्ड का, तो मुझे पता नहीं। उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष नहीं है, वह क्या काम करती है ? इसमें यह बताया है कि वह सलाह देने का काम कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे सलाहकार बोर्ड से काम नहीं होगा। हमें बोर्ड ऐसा चाहिए जिसके द्वारा हमारा कार्य हो सके। मैं कोई गांव और शहर का मुकाबला नहीं करना चाहता लेकिन मैं आपके आंकड़े रखना चाहता हूँ। आपकी तीन योजनायें निकल चुकी हैं, लेकिन मैं एक योजना के आंकड़े इस बात के रखना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की यह नीति रही है कि गांवों के पेय जल की समस्या का निवारण नहीं हो। उससे मालूम होगा कि इस काम में कोई प्रगति नहीं की है। संक्षेप में वह इस प्रकार है, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर १५० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो १५० लाख रुपये का प्रावधान रखा उसकी जगह १४३ लाख रुपये खर्च कर पाये पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर और उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना में गांवों के लिए ८६ लाख रुपये रखे थे, उसमें एतराज नहीं है। जहां राजस्थान की आबादी १ करोड़ ७८ लाख गांवों की है, दूसरी ओर जो शहरों की आबादी है वह उसके मुकाबले में कम है। तो वहां के लिए जो ८६ लाख रुपये रखे तो तो हमें इसका संतोष है। पहली पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े हैं वह संतोषजनक कहे जा सकते हैं। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े देखते हैं तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है। वह किस प्रकार होता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में शहरों के लिए २९९ लाख रुपये का प्रावधान रखा। २९९ लाख का प्रावधान शहरों के लिए और उसमें खर्च कितना हुआ ४७८ लाख। प्रावधान था २९९ लाख का और खर्च हुआ ४७८ लाख। यह शहरों के अन्दर हुआ। गांवों के अन्दर दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर केवल १९० लाख का प्रावधान रखा है और उसमें से खर्च कितना हुआ, केवल १८० लाख रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे राजस्थान के अन्दर गांवों की आबादी शहरों से चार गुनी है, वहां तो १८० लाख रुपये खर्च किये जायं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में शहरों के लिए ४७८ रुपये खर्च किये जायं। वैसे यह शहरों और गांवों का सवाल नहीं है, लेकिन जो लोग गांवों में बसते हैं, तो गांवों के अन्दर पानी की समस्या है, वहां पर सरकार पानी की समस्या के निवारण के लिए खर्च नहीं करना चाहती है। जो लोग चार-चार, पांच-पांच मील दूर से पानी पीने के लिए लाते हैं उनके लिए आप पैसा नहीं देना चाहते हैं लेकिन केवल मकानों के लिए, बंगलों के लिए, केवल सेक्रेटेरियट के लिए आप पैसे को देना चाहते हैं, इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा, इसी तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना को देखें, उसके आंकड़े इस प्रकार मिलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर शहरों के अन्दर ४४० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। आप सोचिये, ४६० लाख रुपये का प्रावधान शहरों के लिए रखा गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में और खर्च किया ४६० लाख यानि २० लाख

(श्री शंकरलाल)

रुपया ज्यादा खर्च किया गया शहरों के अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर और गांवों के अन्दर आप देखेंगे तो वहां केवल २६६ लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इस तरह तीनों पंचवर्षीय योजना को मिलावें, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना तो जो गांवों के लिए खर्च किया गया है पैसा वह नगण्य है, जो शहरों में पैसा खर्च किया गया है, मैं नहीं कहता कि शहरों के अन्दर पैसा ज्यादा खर्च क्यों किया गया, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, शहरों में आपने ४६० लाख रुपये खर्च किये हैं। आपको चाहिए था कि गांवों के लिए कम से कम बारह सौ लाख रुपये खर्च करते। मैं शहरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शहरों के लिए जहां आप ४६० लाख रुपये खर्च करते हैं गांवों में आपको चौगुने रुपये खर्च करने चाहिए। ऐसा नहीं करते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। आज राजस्थान के अन्दर बीस साल की आजादी के बाद भी गांवों के अन्दर रहने वाले आदमी महसूस करते हैं कि उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। आज अनाज की बात तो दूसरी है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, पानी तो जीवन के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है। उसके बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकता है। जहां आदमियों को चार-चार, पांच-पांच मील दूर से पानी लाना पड़ता है, वहां पर स्नान करना तो दूर रहा पीने का पानी नहीं मिलता है। मिणकसर गांव है नोखा तहसील के अन्दर वहां ७२० फीट नीचे कूआ जाता है, ७२० फीट पर पानी मिलता है। मेरी कान्स्टीच्यूएंसी का सवाल बताया, वह एक सूखा कस्बा है, पाली जिले में जवाई बांध है, मैं समझता हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं देखा है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रायपुर में पहाड़ी इलाका है, जैतारण में रेगिस्तानी इलाका है नागौर से मिला हुआ डीगराना गांव है, वहां देखिये, वहां लोगों को पानी नहीं मिलता है। आप कहते हैं कि जवाई बांध है। यह पाली जिले का मामला नहीं है, मेरे क्षेत्र में सब तरह के इलाके पड़ते हैं, रेगिस्तानी इलाका है, बाली-देसूरी जो सरसब्ज है। इसमें व्यवस्था दी है कि चार प्रकार के क्षेत्र हैं, एक तो मरुस्थलीय इलाका, दूसरा अर्द्ध मरुस्थलीय इलाका, पहले में अधो भूमि जल खारा है जहां मीठा पानी है वह मिलता नहीं है, दूसरा वह जहां मीठा पानी मिल सकता है लेकिन साधन नहीं है। इन चारों क्षेत्रों को देखना चाहिए। यह गम्भीर विषय है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमें इस तरह विचार करने की बात नहीं है। यह आंकड़े साबित करते हैं। वास्तव में राजस्थान के अन्दर गांवों के अन्दर पेय जल की समस्या का हल करना है तो हमें राजस्थान के अन्दर उसी प्रकार के जल बोर्ड की स्थापना करनी पड़ेगी जैसा सन् १९५५ में बोर्ड था। आपको मैं आंकड़े बता दूं कि उन्होंने एक साल में ७००० कूए खोद कर बता दिये और पैसा कम खर्च करके बता दिया। लेकिन आज तक इतने साल में आपने ७००० कूए नहीं खोदे हैं और इतना कम पैसा खर्च नहीं किया है। इससे ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता भी आप महसूस नहीं करते हैं। मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि गत वर्ष राज्यपाल महोदय के भाषण के अन्दर देखा था कि राजस्थान के अन्दर गांवों की पेय जल की समस्या का

(श्री शंकरलाल)

निवारण करने के लिए ७० करोड़ का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। उसके अन्दर जिक्र आया तो सबसे बड़ी खुशी हुई। जब ७० करोड़ का आंकड़ा देखते हैं कि यह किस तरह से खर्च किया जायगा तो उसमें बताया जाता है कि यह जो रुपये का प्रावधान बताया गया है उसको खर्च करें तो पन्द्रह वर्ष चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इनको यह पता नहीं कि बीस साल गुजर गये हैं, अभी इन्हें १५ वर्ष और चाहिए, वह भी जब कि जो ७० करोड़ रुपये मांगे हैं वह इन सालों में मिल जायं। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या का निवारण करने का तरीका नहीं है। मैं समझता हूँ कि जल की समस्या हल नहीं हो सकती तो जो दूसरी योजनायें हैं उनको हमें जरूरत नहीं है। आप दूसरी योजनाओं पर जितना खर्च करते हैं, समाज कल्याण, फेमिली प्लानिंग पर जितना खर्च करते हैं वह फालतू खर्च करते हैं, पंचायत समिति में जितना खर्च करते हैं वह फालतू करते हैं। आप इन खर्चों में कटौती कीजिये और इस समस्या के लिए पैसा रखिये जिससे यह समस्या का हल हो सके। इसके अन्दर कहा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर १४ करोड़ रुपया रखा है और इसके अन्दर सरकार ने स्वीकार किया है कि १४ करोड़ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा है वह अपर्याप्त है। वहां कहते हैं कि ३० करोड़ रुपये का बजट प्रावधान आवश्यक था। तो क्यों नहीं रखते हैं। यह, उपाध्यक्ष महोदय, जो जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गतिविधियों और उपलब्धियों पर टिप्पणी दी गई है, उसके पेज ८ की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल १४.५० करोड़ रुपये का प्रावधान इंगित किया गया है जब कि प्रथम प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जहां पर पानी की बहुत कमी है या पीने का पानी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं उसके लिए ही सिर्फ परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए २७.६८ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके साथ संस्थापन प्रभार खर्च, मशीन यन्त्र, भवन निर्माण का खर्चा भी जोड़ा जावे तो यह खर्चा करीब ३० करोड़ रुपये हो जाता है। इसलिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के लिए ३० करोड़ रुपये का बजट प्रावधान होना बहुत ही आवश्यक था।"

यह राजस्थान सरकार कह रही है कि यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए बजट प्रावधान आवश्यक था। फिर क्या बात है, यह आवश्यकता इस के लिए बहुत जरूरी है तो ३० करोड़ रुपया रखिये, ३० करोड़ से ज्यादा रखिये और गांवों की दशा सुधारिये। दशा सुधारने के लिए संक्षेप में मैं कहूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। मैं कहना चाहूंगा, बजट के अन्दर पूरा प्रावधान हो। इसके लिए जो रघुनाथ जी विश्नोई ने सुझाव रखा है कि एक जल बोर्ड की स्थापना की जाय, उसके अन्दर मैं यह संशोधन रख दूं कि जो माननीय सदस्य, जो उस इलाके से आने वाले हैं वह उस बोर्ड के सदस्य हों और वही अध्यक्ष हों। इस तरह का जो बोर्ड बने उसको क्रियान्वित करने की पावर्स हों। यह केवल सलाहकार

(श्री शंकरलाल)

बोर्ड नहीं बल्कि क्रियान्वित करने वाला बोर्ड होना चाहिए । तब मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार का बजट प्रावधान हो, इस प्रकार का बोर्ड है तो हम इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रगति कर सकते हैं और ग्रामवासियों को पानी दे सकते हैं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री पृथ्वीसिंह : आपने फर्माया कि मुझे चांस दिया जायगा । मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : आपके यहां तो पानी ही पानी है । नहर है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन जिस समस्या पर विचार कर रहा है इस समस्या पर सदन में एक बार नहीं अनेक बार विचार किया गया है और जैसा कि जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किए हैं, राज्य सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है । राजस्थान निर्माण के समय अन्य समस्याओं के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या थी वह ग्रामों के लिए और ऐसे क्षेत्र जहां पर साफ पानी नहीं मिलता, वहाँ पर पानी उपलब्ध कराने और उसका प्रबन्ध करने की थी । मैं नहीं समझ पाता कोई राज्य सरकार दुनियां की कोई सरकार जो अपनी आबादी के लिए पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकती, उस सरकार को किसी तरह गद्दी पर रहने का अधिकार है । जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने गुस्सा जाहिर किया है लेकिन यह सुझाव नहीं दिया है कि आखिर इस सरकार ने यह काम नहीं किया है तो इस सरकार को किस प्रकार दण्डित किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के सम्पूर्ण इलाके में केवल ५—७ जिले ऐसे हैं जहाँ यह स्थिति नहीं है, वर्ना और इलाके हैं जो एक तरह से रेगिस्तान हैं, गैर आबाद हैं और नये नये बसाये गये हैं । वहां भी आबादी के लिए सरकार ने, वहां की आबादी के लिए केन्द्रीय सरकार ने ज्यादा धन का प्रबन्ध किया है लेकिन राजस्थान सरकार वहां के लिए पानी का प्रबन्ध न करके जो बजट का प्रावधान था, जो योजना के अन्दर धनराशि थी और जो केन्द्रीय सरकार से हमें अनुदान और ग्राण्ट मिलती है, उसका उपयोग ऐसे काम में कुए खोदने में नहीं करती है । अगर उसका उपयोग करती तो कम से कम राजस्थान के उन रेगिस्तानी इलाकों में पानी का प्रबन्ध कर पाती लेकिन आज राज्य सरकार यह बहाना बनाकर निकलना चाहती है कि धन का प्रावधान नहीं है । मैं इस बात को शुरू से कहता आया हूं कि जब तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रहेगी तब तक इस सरकार के पास धन नहीं होगा । यह सरकार कंगाल है, विचारों से कंगाल है, वाणी से कंगाल है, कर्म से कंगाल है । इसका कोई कार्यक्रम नहीं है, इसके सामने कोई प्रोग्राम नहीं है कि कहां से पैसा आ सकता है, कैसे पैसा आ सकता है और किस प्रकार उस पैसे को खर्च किया जा सकता है । इस

(श्री रामकिशन)

सरकार का जब तक यह दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक यह कितने ही पैसों का प्रबन्ध करे यह सरकार काम नहीं कर सकती है। अभी थोड़ी देर पहले कई माननीय सदस्य, कांग्रेस के माननीय सदस्य भीखाभाई से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र के अन्दर दौरा करें और वहां किसी न किसी तरीके से पानी का प्रबन्ध करें। भीखाभाई को जैसे वह वरुण देवता समझ रहे थे कि भीखाभाई वहां जायेंगे तो वहां वर्षा हो जाएगी। जो रकम इस काम के लिए रखी है, जो बजट की स्थिति है, जो अनुदान का हाल है, वह दयनीय स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भीखाभाई से दौरा कराकर एक काम करायेंगे, उतने खर्चे से तो एक कुआ बन जाएगा। आप कहते हैं कि इस काम के लिए एक बोर्ड बन जाए लेकिन जब पैसा ही नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता कि बोर्ड बनने से क्या समस्या हल हो सकती है? तो जब तक यह नहीं देखें कि पैसा प्राप्त करने का साधन क्या है, बजट को किस तरह से दुबारा बनाया जाए इस बात पर विचार नहीं करेंगे तब तक इस पेयजल को समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने खर्च किया है यह सदन की जानकारी में है और इस बारे में कई दफा प्रकाश डाला जा चुका है। पानी के समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं और उसके बाद के दो सालों में कुल मिलाकर केवल १३ करोड़ रु० खर्च किया है। एक तरफ राजस्थान की विशाल आबादी है. जिसे तीन-तीन चार-चार मील दूर से पानी लाना पड़ता है और एक क्षेत्र ऐसा है जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और एक पहाड़ी क्षेत्र ऐसा है जहां से भीखाभाई आये हैं, वहां पानी है लेकिन गंदा है, रोगीला है और जिससे नाहरू जैसे रोग हो जाते हैं और एक क्षेत्र ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पानी है लेकिन पानी निकालने के जो साधन होने चाहिये, जिस तरह की मशीन होनी चाहिए, ड्रीलिंग मशीन वगैरह वह उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए कुओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। मैं निवेदन करूंगा कि जब इन सारी समस्याओं को प्राथमिकता दें तो पहले यह सोचें कि इन चारों क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र के लिए पानी का प्रबन्ध करना चाहते हैं। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि राज्य सरकार भरतपुर, अलवर, और सवाई माधोपुर में नल लगाने की सोच रही है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं। नल लगाये जायें। और उसका कारण यह है कि कुए के पानी में रोग के कीटाणु होते हैं। और नल से साफ पानी मिलेगा। लेकिन जहां पर राजस्थान के लोग ७-७ मील दूर से पानी लाते हैं वहां के लिए राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में इस पैसे को लगायें। इससे इन शहरों की जनता है उसको इस बात से किसी तरह से नाराजी नहीं होगी लेकिन यह राज्य सरकार का दृष्टिकोण ही नहीं है। मैं इतना ही सुझाव नहीं देना चाहता, इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि पानी की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कुल १३ करोड़ की राशि खर्च की है जबकि सरकारी भवन बनाने

(श्री रामकिशन)

में भवनों का संधारण और भवनों के दूसरे कामों—वातानुकूलित करने और खस वगैरह लगाने-में-कुल मिलाकर राज्य सरकार ने ६२ करोड़ रु० खर्च कर दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लोग प्यासे मर रहे हैं, मवेशी प्यासे मर रहे हैं, लोगों के पास स्नान के लिए पानी नहीं होने के कारण बच्चों में रोग फैल रहे हैं, बच्चों में चेचक जैसा रोग और मोतीझरा जैसा रोग फैलता है। जब तक भीखाभाई जी सुखाड़िया साहब और परसराम मदेरणा इस प्रकार खस की टट्टियों में पैसा खर्च करते रहेंगे उस समय तक राजस्थान में पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकते। इस मौलिक बात पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देती है तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आप भले-ही भीखाभाई का दौरा करा लीजिए लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? इस ढंग से एक कुएं को खोदकर पानी मिल सकता है। वह धन इनके दौरे में खर्च हो जाएगा। उससे पानी आनेवाला नहीं है। इसके अलावा भी मास्टर प्लान बन गया है। सारे राजस्थान की सर्वे की जा चुकी है। सरकार की रिपोर्ट आ गई है कि ७० करोड़ रु० की जरूरत है। तो सोचना यह चाहिए कि ७० करोड़ रु० किस तरीके से आये। कहां से आये इस बात पर दिमाग लगेगा सदन के माननीय सदस्य का तब तो इस समस्या का निराकरण हो सकता है अन्यथा इस समस्या का निराकरण संभव नहीं। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी सुझाव दिये थे और अब भी मैं उन्हें दुहराता हूँ कि राजस्थान के जो छः पानी बहुल क्षेत्र हैं उनमें सरकार नल लगाने के कार्यक्रम को आगे आने वाले दस साल के लिए बन्द करें और राजस्थान के अन्दर जो भवनों और बिल्डिगों पर खर्च करने जा रहे हैं सिवाय अस्पताल और साइन्स लेबोरेटरीज के कोई भी नया भवन नहीं बनाया जाय। और वह पैसा पानी की समस्या के निराकरण के लिए लगा दिया जाए। इसके अलावा शान-शौकत और ठाठबाठ के लिए राजस्थान सरकार एक साल में साढ़े सात करोड़ रुपया खर्च कर देती है, उसको बचाये। राजस्थान सरकार खपत की आधुनिकता को तरफ न बढ़कर उत्पादन की आधुनिकता की तरफ बढ़ने की चेष्टा करे। लेकिन इस बात का ध्यान किसको है। भीखाभाई की इस बात की ही गारण्टी नहीं थी कि वह मंत्री रहेंगे या नहीं? सुखाड़िया जी ने उन्हें ४।। महीने लटकाये रखा। तो वह सोचते हैं कि अन्त में मैं खुशामद करके आया हूँ। मेरा काम है सुखाड़िया जी को राजी रखूं। सुखाड़िया जी कहें रात है, तो भीखाभाई कहेंगे बारह बज गये हैं। वे उनसे भी तीन चार घंटे आगे बतायेंगे। तो आप पुनः मन्त्री बनें भी तो मंत्रीमण्डल में भले ही राजस्व मन्त्री हों, कोई भी मन्त्री हों रहेंगे वैसे के वैसे ही आदिवासी। आप सहानुभूति से शक्तिशाली बनेंगे। अब तक मंत्री पद का लोभ बना रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। पानी के अभाव में लोग किस तरह से तड़फते हैं लेकिन पानी के अभाव में सबसे ज्यादा कोई कष्ट पाते हैं तो वे आदिवासी और हरिजन और दूसरे लोग हैं जिनकी राजस्थान में कई जगह कौमें बसती हैं, जिनको दूर से पानी लाने का कष्ट है, छुआछुत वगैरह के कारण पानी मिलने में देर से नम्बर आता है। लेकिन भीखाभाई जी आपको उनके कष्ट

(श्री रामकिशन)

का ज्ञान नहीं। आप सागवाड़ा नदी को छोड़कर टब में स्नान करने के आदी हो गये हैं। आपको पता नहीं है कि लोगों को कष्ट क्या है ? मुझे शक होता है, मुझे शंका होती है, आखिर जो सरकार पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकती है, जिस सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य यह शिकायत कर रहे हैं, जिनके क्षेत्र से कांग्रेस जीती है, सांचौर से कांग्रेस जीती हैं, बांसवाड़ा से जीती है, सागवाड़ा से जीती है तो मेरे मन में सवाल उठता है, आखिर वहां से कांग्रेस कैसे जीत रही है जहां गंदा पानी है और जहां पीने का पानी नहीं है और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी है, जहां पर नल है, रोटी है, आजीविका के साधन हैं, वहां पर कांग्रेस पराजित हो जाती है। इसलिए भीखाभाई जो सुखाड़िया साहब को कांग्रेस को जिताने का भले ही श्रेय दे दें लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं। वास्तव में रेगिस्तान की जनता क्षमावर्ती है और राजस्थान सरकार भोगवर्ती है जो लोगों को प्यासा मारती है। आप जरूर इनको दण्डित कीजिए। पराजित कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस रोज कांग्रेस पराजित होगी और हिन्दुस्तान की सरकार में और राजस्थान की सरकार में मेरे दल की सरकार होगी तो हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। मैं इस समस्या का दो घंटे के अन्दर इलाज कर देता हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए। आप इस दो घंटे की गंभीरता को समझिए यह मजाक की बात नहीं। हिन्दुस्तान की सरकार एक दिन में ४२ करोड रुपया योजनाओं पर खर्च कर रही है और आपकी इस समस्या को हल करने के लिये आपको चाहिये ७० करोड़ रुपये तो यदि आप हिन्दुस्तान की सरकार का दो दिन का खर्चा इस समस्या के समाधान के लिये ले सकें तो राजस्थान में दो तीन साल में पानी की इस समस्या को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। पर हिन्दुस्तान की सरकार का यह दो दिन का खर्चा लेने के लिये हिम्मत चाहिये, दम चाहिये। पर आप में, आपके मुख्य मंत्री में और आपकी सरकार में वह दम नहीं है क्योंकि वे तो इन्दिराजी और मुरारजी के दासानुदास हैं। केवल इस बात की फिक्र है इनको कि किसी तरह से हमारी गद्दी बरकरार रहे। केवल यह खयाल है और कोई खयाल इन्हें नहीं।

इसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूँ, पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में १५ अरब रुपया दिल्ली में भवन बनाने पर खर्च किया गया है। अगर सही मायने में कोई सरकार होती तो राजस्थान के रेगिस्तानी हिस्से की इस समस्या को सबसे पहले हल करती। यह केवल राजस्थान का सवाल नहीं, हिन्दुस्तान का सवाल है। हिन्दुस्तान की सरकार को राजस्थान के इस इलाके का ध्यान रखना चाहिये था। आप राजस्थान के लोगों के लिये खेती के लिये कोई गारन्टी नहीं दे सकते, कारखाने के लिये कोई गारन्टी नहीं दे सकते तो कम से कम राजस्थान के लोग जिन्दा रह सकें, इसके लिये पानी का प्रबन्ध तो करें और इस पीने के पानी का प्रबन्ध करने के लिये आपको और और खर्चों में कटौती करनी पड़े तो वह कटौती कीजिये। राजस्थान में पीने के पानी का प्रबन्ध करने

(श्री रामकिशन)

के लिये किन किन मदों में कटौती की जाय यह आपको योजना कमीशन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये। मैं भीखाभाई को सुझाव देना चाहता हूँ कि वे इसके लिये केन्द्रीय सरकार को लिखें, मुख्य मंत्री को लिखें और मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार को लिखे कि प्लानिंग के दूसरे खर्चों में कटौतीकरके राजस्थान का इस पीने के पानी की समस्या को सबसे पहले हल करें। अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री कमजोर हैं, अगर राजस्थान का मंत्रिमंडल कमजोर है तो हमारे विरोधी दल के दो चार लोगों को दिल्ली साथ में ले जायं। हम प्लानिंग कमीशन को बतायेंगे कि इन इन खर्चों को काटें और राजस्थान की जल समस्या को हल करने के लिये यह पैसा लगायें।

मैंने भोग वृत्ति, दया वृत्ति की बात कही, राजस्थान बड़ा विलक्षण है, लोगों के कष्टों को, दुखों को और परेशानियों को भी साहित्यिक भाषा में व्यक्त करते हैं। बाड़मेर और जैतारण से आने वाले माननीय सदस्यों ने उन इलाकों में लोगों को जो पीने के पानी का कष्ट हैं उसके बारे में बताया कि लोगों को बड़ी दूर से सिर पर ढोकर लाना पड़ता है। ऊँटों पर, बैल गाड़ियों पर उनको बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है। हम जब पहले जोधपुर, बाड़मेर का नाम सुनते थे तो हम समझते थे कि ये लोग नहाते ही नहीं और जो नहायें नहीं उनको हम जैसे लोग तो इन्सान मानने को तैयार नहीं थे। पुरानी सामन्ती सरकार ने इसके लिये कुछ किया नहीं और इस सरकार ने भी कुछ नहीं किया। यह सरकार किस तरह के काम करती है, मैंने समाज कल्याण की एक रचना देखी। भीखाभाई आप इस विभाग के मन्त्री नहीं हैं, दूसरे मंत्री हैं, उनको आप पढ़ावें। उस पुस्तिका में लिखा हैं कि राजस्थान की गोरियाँ सर पर मटके रखकर कमर लचका कर चलती हैं तो बड़ी ही सुन्दर लगती हैं। लोगों के कष्टों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। भीखाभाई आप इसे निकलवा दें। इतना कष्ट और परेशानी पानी के लिये औरतें उठाती हैं और आप कहते हैं कि कमर लचका कर चलती है तो बड़ी सुन्दर लगती हैं। हरिजन महिलाएं ही क्यों इस तरह का कष्ट पायें ? किसी सेठानी, पंडितानी, रानी-महारानी को क्यों नहीं यह कष्ट दिया ? पर साहित्य का सृजन हैं, कला का प्रदर्शन है। गरीब आदमी कष्ट पा रहे हों तो उसका बड़ा कलात्मक रूप होता है। जब राजस्थान की नारियाँ जल के लिये कष्ट पाती हैं तो आपको कलात्मक रूप दिखता है। भीखाभाई यदि इसमें कला समझते हैं तो मैं आपके सर पर दो मटके रखूंगा, आप कमर मटका कर चलना, देखें कैसा सुन्दर कलात्मक रूप बनता है। इस सब के पीछे तत्व क्या है ? यह व्यर्थ की बात नहीं है। इसके पीछे तथ्य यह है कि राजस्थान के लोगों के अन्दर क्षमा और बर्दाश्त की भावना पैदा कर दी जाये और आप भोगवृत्ति में लगे रहें। इस प्रकार का कला का प्रदर्शन बन्द कर देना चाहिये। कला का प्रदर्शन करना ही चाहते हैं तो सुखाड़िया साहब दो घड़े ले कर चलें और इस कला का प्रदर्शन करें तो मजा आ जाय, पर आप ग्रामीणों का मजाक करते हैं। इन लोगों के कष्टों को

(श्री रामकिशन)

दूर करने के लिये कोई यत्न नहीं करते, उनके दुखों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मन्त्रिमण्डल की संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने उन इलाकों के लोगों के कष्टों का जिक्र करते हुए कहा कि भीखाभाई हमारे साथ दौरे पर चलें। मैं उन माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि वे यह प्रचार करें कि हम भीखाभाई को उन इलाकों के दौरे पर ले जायेंगे, यह करें कि ४० सदस्य लिख कर दे दें कि हम कांग्रेस को छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके इलाके के जल-कष्ट के निवारण के लिये आपको उसी रोज ४० लाख रुपये मिल जायेंगे। पर आपको इस समस्या के हल के लिये जो करना है, वह तो करते नहीं हैं भीखाभाई को कहते हैं कि वे दौरे पर आवें, केटली ले कर आवें। इससे कुछ भी समाधान इस समस्या का होने वाला नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इस समस्या के हल के लिये कोई ठोस कदम उठाना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार से सीलिंग से ऊपर पैसा मांगने की कोशिश करें। अगर राजस्थान सरकार इस बात को नहीं कर सकती है तो उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों को रोटी नहीं दे सकें, रोजी नहीं दे सकें, लोगों को दवा नहीं दे सकें, लोगों को पढ़ा नहीं सकें, इस्पात कारखानों को खड़ा नहीं कर सकें, पर जो सरकार लोगों को पीने के लिये पानी नहीं दे सके, वह सरकार कहलाने के लायक नहीं है।

मैंने जब शुरू किया तो बताया था कि इजराईल भी आपकी ही तरह का देश था लेकिन उसने २० लाख की आबादी के लिये थोड़े ही दिनों में पूरी तरह से पानी का प्रबन्ध कर दिया, नल कूप लगाये, बांध बनाये और उस इलाके को सरसब्ज, उपजाऊ और हरा भरा बना दिया। हमारा राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका भी मैं समझता हूँ उस ही के बराबर २० लाख की आबादी का होगा। यहां हमारी सरकार ने नल कूप लगाये हों, किसी दूसरी मद से पैसा निकाल कर पेय जल की समस्या को हल करने के लिये पैसा लगाया हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

एक तो यह डेजर्ट के लोगों की बात है, इसके लिये मैंने निवेदन किया, दूसरा निवेदन मुझे आदिवासियों के लिये करना है। भीखाभाई तो वहां से वैसे ही जीत कर आ जाते हैं। हम लोग वहां जाते हैं तो वहां के लोगों को नेहरू रोग से पीड़ित देखते हैं, वहां के लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ता है, उसी पानी में जानवर गोबर करते हैं, बकरियां पेशाब करती हैं और उसी से घड़ा भर कर औरतें पानी लाती हैं।

तो इस तरह से एक क्षेत्र वह जहां आप पानी का प्रबन्ध करें और दूसरा वह क्षेत्र हैं जहां पीने के पानी की सफाई का प्रबन्ध करें। आपने अरबों रुपया दूसरी योजनाओं पर खर्च किया है लेकिन पीने के पानी की सफाई पर जो खर्च किया गया है वह सबसे कम है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल १८२ हजार रुपया खर्च किया है। कितना बड़ा

(श्री रामकिशन)

आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, कितने लोग वहां रोग पीड़ित हैं पर उनके लिये आप पीने के शुद्ध पानी का इन्तजाम नहीं कर सकते।

तो इसके लिये में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सब पर वह गम्भीरता से विचार करे और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पीने के पानी का प्रबन्ध करे और आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी को शुद्ध करने की व्यवस्था करे और इसके लिये सीलिंग से ज्यादा पैसा दे। भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दूसरी उन सब जगहों पर कुएं हैं वहां पर आप नल मत लगाइये और वह सब पैसा आप रेगिस्तानी क्षेत्र में लगा दीजिये। हम सब यह चाहते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में सबसे पहले पीने के पानी व्यवस्था की जाय। इस पीने के पानी की समस्या में राजनैतिक दांव पेच मत लगाइये। मैं सुखाड़ियाजी साहब से कहूँगा कि अब २० साल राज्य कर लिया, बुजुर्ग हो गये, आपकी इच्छा भी पूरी हो गई। मुझे ताज्जुब है कि अब भी आप इस कुर्सी के क्यों चिपके रहना चाहते हैं? आप जनक नहीं, दशरथ नहीं जो १५ साल बाद सन्यास की बात करते थे पर आप छोटे मोटे पुरुष तो हैं ही, कुछ काम नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दो, माथुर साहब की बड़ी इच्छा है, उनको मौका दो। उपनेता अखबारों में आ जाता है पर उपनेता हैड क्लर्क से ज्यादा नही। उपनेता से कोई मतलब हल नहीं! आप राज्य से चिपके रहें और समस्याओं का समाधान नहीं करें, लोगों के लिये पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं करें, आपने २० साल राज्य कर लिया, किसी ने नहीं किया, अब रिटायर होजाइये और बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनको मौका दीजिये ताकि वे वहां की पानी की समस्या का समाधान कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि अब आप इनको मौका दें ताकि वे वहां कम से कम पानी का प्रबन्ध तो कर ही दें।

इतनी बात कह कर मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और ठोस कदम उठा कर साहस के साथ इन समस्याओं का समाधान करे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय आध घंटा और बढ़ाया जाता है। **श्री केशरीसिंह** !

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालौर से नहीं....

श्री केशरीसिंह हाड़ा : भेड़ बकरी वाले माननीय सदस्य ने जो रखा है वह बहुत गम्भीर हैं, महत्वपूर्ण है। राजस्थान को आजाद हुए २० साल हो गये। राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम यह होता है कि वह अपनी जनता के लिये खाने पीने का प्रबन्ध करे, रहने के लिये

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

मकान का प्रबन्ध करे और आजीविका चलाने के लिये रोजगार दे। मगर राज्य सरकार इन सब बातों में नाकामयाब साबित हुई है। सन् १९५५ के अन्दर राज्य सरकार ने एक जल बोर्ड की योजना चलाई थी। मुझे अफसोस है कि हर काम के अंदर हमारी सरकार राजनीति का चश्मा लगाकर बैठती है। जो कांग्रेस के सदस्य हार गए, वे जिला बोर्ड के मंत्री बनाए गए। माणिकलाल वर्मा जो एम० पी० के चुनाव में हार गया, वह राजस्थान जिला बोर्ड का अध्यक्ष बन गया और उनको बड़ा भारी दफ्तर जयपुर में दे दिया और खूब पैसा दे दिया...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : माणिकलालजी वर्मा नहीं थे उसके अध्यक्ष।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी नींद अब खुल गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको यह भी पता नहीं कि कौन उसके अध्यक्ष थे।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं बूंदी का कहता हूँ कि भंवरलाल शर्मा लाखेरी वाले उनको जल बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सोगानी सेक्रेटरी था।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के चुनाव में हार गए उनको जल बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया। २५०) रु० का वेतन दिया, भत्ता दिया, मोटर दी और प्रचारक दिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिनको आपने अध्यक्ष बनाया, सेक्रेटरी बनाया उन्होंने सिवा अपने प्रचार के और कुछ नहीं किया। उदाहरण के लिए बूंदी में श्री भंवरलाल शर्मा जो जिला बोर्ड के सेक्रेटरी थे वह पाटन क्षेत्र से हारे और मुझ से हारे। नैनवा तहसील में १९५५ की जल बोर्ड की रिपोर्ट है १४-६-५५ की कि उसने नैनवा के अन्दर ३९००) रु०, पाटन क्षेत्र में १३९४५) तालेरा में, १९१०) बूंदी में ७००) रुपये खर्च किए। तो इस तरह १३ हजार रुपए श्री भंवरलाल ने अपने क्षेत्र में खर्च किए और गांवों में जाकर कहा कि देखो, मैं तुमको पानी देता हूँ वोट मुझे देना आयंदा। तो जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) ; कांग्रेस को पानी देते हो ....

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कांग्रेस की ७ पीढ़ियों को देते हैं। जो भी जल बोर्ड बने उनमें कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं रहनी चाहिए। इसी आदमी के लिए मैंने शिकायत भी की थी कि वह इस तरह प्रचार करते हैं तो उस पर मथुरादासजी माथुर, जो उस समय जनरल सेक्रेटरी थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने कहा कि हम लिख देंगे और तलाश करेंगे ? न मालूम उन्होंने लिखा या नहीं। मगर वास्तव में क्या होता है ? सिवाय अपनी पार्टी के प्रचार के और कुछ नहीं करते हैं और जहां वास्तव में जरूरत हो वहां काम नहीं होता है।

आज देखिए बड़े बड़े शहर बूंदी, कोटा, जयपुर, जोधपुर वहां ऐसी पानी की समस्या

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

नहीं थी अगर रेगिस्तान का इलाका, मैंने देखा है बाड़मेर का इलाका, जैसलमेर का इलाका आज नहीं १९४२ या १९३९ में मैं जैसलमेर गया था तो उस समय जैसी हालत थी वहीं आज हालत है, पखालों से पानी आता है। २० साल से कांग्रेस शासन कर रही है लेकिन शहरों को फायदा हुआ है या जहां के मंत्री बन गए, उनको फायदा हुआ। रेगिस्तान का इलाका वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। जैसे श्री रामकिशनजी ने कहा, जो योजनायें सरकार चलाती है समाज कल्याण की और परिवार नियोजन की, या और की, सबमें कटौती करके अगर पेय जल की समस्या पर सीरियसलो विचार करे और ध्यान दे तो बहुत हद तक इस क्षेत्र को फायदा और सुविधा मिल सकती है। मगर यह सरकार ऐसा करने वाली नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि जो लोग रेगिस्तान से आए हुए हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जो इनको किसी हालत में परेशान कर सकें या कुर्सी से हटा सकें। अगर ये थोड़ा दवा दें, धमकी दे दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान देगी। तो आज रेगिस्तान का इलाका सबसे ज्यादा पीड़ित है, मवेशियों को पानी नहीं मिलता है, आदमियों को नहीं मिलता है, उनके लिए पानी की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु०) : हमारे दल को समय नहीं दिया गया। हम कहते हैं फिर नाराज होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले लेते हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मूलचन्द डागा को पता नहीं कि कितने गांवों में पानी नहीं है, आप ऐसे लोगों को समय देते हैं जिनको पता ही नहीं पानी बिना जानवर मर रहे हैं, खेद है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने शहरी लोगों को पानी दिया है इन पर पानी चढ़ाया है। मैं समझता हूं कि अगर उनका चौथा हिस्सा भी गांव वालों को देते तो वे पानी पीते और उत्पादन का काम करते। शहर वाले तो उत्पादन का काम करते नहीं और आखिर जो काम नहीं करना है वह करते हैं। मैंने कई बार कहा है जवाई से गर्मी के दिनों में जो पानी लेते हैं और कई बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि वह कच्चे रास्तों में पानी देते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है, कई बार कहा वहां पक्की सीमेंट की नालियां डाल दी जायं ताकि गर्मी के दिनों में ७०-८० गांवों में जो पानी पहुंचने में तकलीफ होती है, वह दूर हो जाय। जवाई और खेमावास से जो पानी देते हैं वहां पक्की नालियां बना दें। हर साल ग्राम पंचायतों को कच्ची नालियां खोदनी पड़ती हैं। आज भी ग्रामीण लोग श्रमदान करने को तैयार हैं लेकिन सीमेंट के द्वारा आप नालियां पक्की कर दें तो पाली तहसील और पाली जिला के लोगों को जो जवाई और खेमावास से पानी मिलता है वह कम खर्च होगा।

मैंने एक बार बताया था कि पाली तहसील में सुडेला और ऐसे गांव हैं आज भी

(श्री मूलचन्द डागा)

१२ मील की दूसरी से पानी लाते हैं उनको पानी उपलब्ध नहीं होता है, चांदोर जाते हैं। हम १८ या २० गैलन पानी के शहरो वालों के लिए चाहते है, नलों को खूब चलाते हैं, लेकिन हम तो केवल पीने का पानी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि दिन में २० बार हाथ धोने के लिए पानी मिले। अगर आप गांव वालों को पीने के लिए भी पानी नहीं देते तो आप पर यह कलंक है। यह कोई आसान चीज नहीं है, यह बदनामी है। सरकार चाहती है रुपया खर्च करना लेकिन इसका सही उपयोग नहीं होता है। हम कहते हैं कि वाटर बोर्ड बनें, लेकिन कितने कुओं पर पैसा देते हैं, आपकी व्यवस्था में खराबी है। आप गांवों में नल देना चाहते हैं जहां नल की आवश्यकता नहीं हैं। आप पनघटों को खत्म मत करें। जहां औरतें आसानी से कुओं से पानी भर लें सकती हैं वहां नल मत लगाइए। जहां पानी उपलब्ध है वहां नल लगाने की योजना खत्म करिये। यह आपकी गलत योजना है। सारे दिन पानी बहता है, ड्रेनेज आपका ठीक नहीं है, पानी से सारा कीचड़ हो जाता है गन्दगी होती है, उस गन्दगी से मच्छर होते हैं और बीमारी फैलती है। आप लाखों करोड़ों रुपये लगा कर लाइन खींच दें लेकिन जब तक गांवों में पानी नहीं पहुँचाते हैं, यह आपकी सारी योजना बेकार है। आप उन गांवों को पानी दीजिये जहां लोग पानी के लिये तरसते हैं। मैं कहता हूँ कि आप शहर वालों के लिये योजनायें बनाते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उनके लिये ही आपकी योजना है। शहर पर आप लाखों रुपया खर्च करते हैं लेकिन गांवों का जहां सवाल पैदा होता है वहां आप चुप लगा जाते हैं। गांवों में लोगों को कुओं से ४ मील की दूरी से, ५ मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है लेकिन आप इस समस्या को हल करना नहीं चाहते। कुछ गांवों के अन्दर वहां के लोग भी पैसा लगाते हैं, फिर भी आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। सरपंच, पंच होते हैं वे भी पैसा लगाते हैं। पंचायत समिति में बड़े बड़े प्रधान, सरपंच पंच है वे धन का बंटवारा करते हैं, वहां भी जल की समस्या कम है, क्योंकि वे लोग पंचायतों में पूरा हिस्सा लेते हैं, पंचायतों में रात दिन आते जाते रहते हैं, वहां उनको पानी दिया जाता है। लेकिन जो पंचायतों में आ नहीं पाते हैं, वे पंचायतों से बहुत दूर रहते हैं इसलिये वे गांव उससे वंचित रह जाते हैं। ये धनराशि खर्च करते हैं, उन लोगों के लिये जो मंत्रियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। गांवों की समस्या यह है कि इन्जीनियर इन्टीरियर में नहीं जाना चाहता है। वह कहता है, मोटर नहीं जाती है, जीप नहीं जा सकती है, तो मैं वहां जाऊंगा जहां जीप जा सकती है। तो एक सवाल पैदा होता है और आपको यह बात सोचनी होगी कि ऐसा कौनसा गांव है, जिनको पानी की प्राथमिकता दी जाय। तो एक ऐसी सूची मिलेगी कि जिन गांवों में पानी है, उनका ही सूची में नाम है। लेकिन जो गांव बिलकुल पिछड़े हुये हैं जहां पानी बिलकुल नहीं है, उनका नाम सूची में नहीं आता है। समाज-कल्याण विभाग द्वारा कुओं को बनाया जाता है। उसमें यह होता है कि ये कुये हरिजनों के लिये हैं, ये कुये सवर्ण जातियों के लिये हैं। गवर्नमेंट को इस प्रकार का भेदभाव खत्म करना चाहिये। जो सवर्ण हैं वे हरिजनों के कुओं से पानी नहीं पीते हैं यह बिलकुल गलत तरीका है।

(श्री मूलचन्द डागा)

समाज कल्याण विभाग हरिजनों के लिये कुये बनाता है, यह भी गलत है। हम नहीं चाहते हैं कि गरीब और अमीर का जिस तरह भेद नहीं है उसी प्रकार हरिजन और सवर्ण का भी कोई भेद नहीं होना चाहिये। यह सुनकर हमें दुख होता है कि अभी हिन्दुस्तान में हरिजन और सवर्ण का भेद चल रहा है। हरिजनों को कहना चाहिये कि हम उन कुओं पर पानी पीयेंगे जहां सवर्ण जाति के लोग पानी पीते हैं। मैंने कहा भी है कि इसको सुधारो तो कहते हैं कि इसमें समय लगेगा। रेगिस्तान में जहां फेमिन होता है, वहां टांके बनवायें ताकि गर्मियों में उसका उपयोग हो सके। छोटी योजनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं और बडी बड़ी योजनाएं बनाते जाते हैं। राजस्थान सरकार से कई बार प्रार्थना की है। जो वास्तविक समस्या है, कुये खुदवाने वगैरह की राजस्थान में उसको सरल किस प्रकार से किया जा सकता है। जहां जहां पर बड़े कुए हैं उन कुओं से केवल पाइप लाइन लेकर ५-७-१० मील पर पानी दे सकते हैं। नहर के पानी से १० मील तक पीने का पानी दिया जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि जो समस्या है उस पर बोला जा सकता है, घंटों बोला जा सकता है, लेकिन एक सवाल है पानी पीने की जो समस्या है उसको ग्राम पंचायतों को देना चाहिये, और उसका एक प्रोग्राम होना चाहिये जिसमें प्राथमिकता के अनुसार काम किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह !

श्री फतेहसिंह !

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुये)

श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : पानी की समस्या के बारे में हमारे कांग्रेस के भाई जितने भी विचार प्रकट कर चुके हैं वे बहुत अच्छे विचार हैं। मैं तो केवल इसी बात पर बल देना चाहता हूं कि इन विचारों का क्रियान्वयन कैसे हो। यही विचार मैं भी महसूस करता हूं कि गांवों में पानी पहुंचना जरूरी है। हवा के बाद पानी का नम्बर आता है। हवा के बिना कुछ मिनट आदमी जी सकता है और पानी के बिना आदमी कुछ दिन तो जी सकता है लेकिन उसके बाद वह पानी के बिना नहीं जी सकता है। पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पानी नहीं दे सकते हैं तो आपकी सारी विकास की बातें बेकार हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर पानी का इन्तजाम नहीं कर सके तो वास्तव में सरकार के लिए एक लज्जा की बात है। इसी प्रकार कठिनाई तो यह है कि सब लोग महसूस करते हैं कि शराब बन्दी हो, शराब बन्द करने की बात को सब महसूस करते हैं तब भी सरकार, उसको नहीं कर सकती है। सरकार के सामने गड़बड़ पैदा हो जाती है। एक उपाय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह तरीका गवर्नमेंट इस्तेमाल करे। गवर्नमेंट को यह भय रहता है कि उसका प्रस्ताव गिर जायेगा तो सरकार हाथ से

Page No. 175

(श्री फूलचन्द बाफणा)

चली जायेगी। सच्ची बात कहते हुये भी, वे कुछ कर नहीं सकते। पेय जल की समस्या को हल करने के लिये पानी का प्रस्ताव आयेगा तो पक्ष में वोट नहीं दे सकते है। बात सच्ची कहेंगे पर वोट सच्चा नहीं दे सकते हैं। इस गुलामी को हटाना चाहिये। मैं तो यह कहता हूँ कि सरकार का प्रस्ताव गिरे लेकिन सरकार नहीं गिरे। सरकार को गिराने का केवल एक ही जरिया हो और वह यह हो कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जावे चाहे वह इधर के सदस्य लावें और चाहे वह उधर के सदस्य लावें। "शराब बन्दी होनी चाहिये" यह भारी बहुमत से सदस्य चाहते हैं लेकिन जब वोट का समय आता है तो सदस्य अपनी सच्ची भावना को दबा जाते हैं। कह तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। यह कैसी विडम्बना है!

समाजवाद की बात करते हैं और कहते कि समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद की भी इतनी बड़ी बात करते हैं लेकिन संविधान में यह है ही नहीं तो सबसे पहले उसको संविधान में शामिल करवाये। इतनी बड़ी बात समाजवाद की हमारे संविधान में है ही नहीं। इधर सारी बातों का आधार पैसा है। कहीं स्कूल खुलवाने का प्रश्न होगा तो पैसा चाहिये। कहीं अस्पताल खुलवाने की बात हो तो पैसा, पानी की बात होगी तो पैसा—हर बात पैसों पर आधारित है। सब वाजिब बात कहते हैं पर वाजिब बात होती नहीं। मेरा तो यह सुझाव है कि इनका प्रस्ताव गिरे लेकिन सरकार नहीं गिरे ताकि वास्तविक ताकत का पता लग सके, बहुमत का सही अन्दाज लग सके—सच्चाई की बात को दबाया नहीं जाये। सरकार को गिराना है तो अविश्वास के प्रस्ताव से गिरायें। मुझे तो दुख होता है कि उधर वाले सच्ची बात कहते हैं पर सच्ची बात कर नहीं सकते—यह गुलामी निकालिये। पार्लियामेंट के सदस्य गुलाम, विधान सभा के सदस्य गुलाम जो सच्ची बात कहते तो हैं पर सच्ची बात कर नहीं सकते। सच बात कहते तो हैं लेकिन जब करने की बात आयेगी तब झूठ बात की तरफ वोट गिरेंगे। इस तरह से गुलामी का शासन चल रहा है इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारे संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो लोग उपस्थित नहीं रहेंगे ऐसी शंका की जा सकती है। परन्तु आज हम देखते हैं सरकार के मंत्री लोग सदन में हाजिर नहीं रहते हैं लेकिन जब घंटी बजती है सब हाजिर हो जाते हैं, किसी प्रस्ताव को पास कराना हो तो हाजिर रहेंगे। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज में, जिला परिषदों में भी जहाँ कोई अपने अनुकूल प्रस्ताव पास कराना हो तो हाजिर रहते हैं—उसी प्रकार विधान सभा में भी सदस्य उपस्थित रहेंगे ही।

आज जो गैर सरकारी प्रस्ताव आया है वह पानी की समस्या के बारे में है इस प्रस्ताव के पक्ष में देखा जाय तो बहुमत है लेकिन यदि इसको पास करने का सवाल आयेगा तो जो इसके पक्ष में बोले हैं वे भी उसके पक्ष में मत देने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि उसमें पार्टी का जिस प्रकार का आदेश होगा वह उन्हें मानना होगा, उसमें वे अपनी मनोभावना के अनुसार मत नहीं दे सकते। इसी तरह से शराब बन्दी का प्रश्न है। इसमें भी यदि पार्टी का आदेश न हो

(श्री फूलचन्द बाफणा)

तो आप देखेंगे वह भी बहुमत से पास हो सकता है लेकिन वर्तमान रूढ़ि में इस तरह से होने वाला नहीं क्योंकि न तो नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि सरकार को गिराने का सवाल हो तो उसे केवल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाकर ही गिराया जाये। अन्य किसी भी प्रस्ताव पर अगर वह हार जाती है तो उसको इस्तीफा देने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे परिवर्तन के बाद आप देखेंगे कि सरकार में अपने आप तब्दीली आयेगी और सच बात पर सब खुलकर मैदान में आयेंगे और खुलकर सचाई का पक्ष लेंगे। सचाई का पक्ष लेने के लिये संविधान में संशोधन करवा दीजिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रस्ताव पर संशोधन है वह इस प्रकार है कि इस पानी की समस्या का अगले पांच साल में राज्य सरकार इन्तजाम करेगी ...

श्री उपाध्यक्ष : अगले चार साल ही कह दें।

श्री शिवनाथसिंह : हमारा प्रान्त रेगिस्तानी प्रान्त है। हमारे यहां पानी की समस्या हमेशा से रही है अगर इसी प्रकार की प्रगति रही तो यह समस्या आने वाले सालों में भी हल होने वाली नहीं है। पानी की समस्या रेगिस्तानी क्षेत्र में ज्यादातर देहाती इलाकों में ज्यादा है। वैसे रेगिस्तानी शहरी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जो जिले के हैडक्वाटर्स हैं इनमें पानी की समस्या इतनी नहीं है जितनी कि देहाती इलाकों में। आज लोगों में आम धारणा यह बनती जा रही है इस समस्या के प्रति सरकार उपेक्षा बरत रही है।

जैसा हम देखते हैं पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना में जो राशि रखी गई है उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इस तरफ किस गति से बढ़ रही है। पहली योजना में गांवों की समस्या के लिये जो रकम रखी थी उसमें शहरी क्षेत्र की अपेक्षा गांवों के पानी की उपलब्धि के लिये ज्यादा रकम रखी थी और उसके बाद दूसरी और तीसरी योजना में गांवों के लिये जहां १८० करोड़ रुपये का प्रावधान था वहां शहरों की जलयोजना के लिये ४७८ और ४६० करोड़ रुपया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहली योजना के बाद सरकार ने कहीं अपना दिमाग न बदल लिया हो। यह एलोकेशन यह बताते हैं इस बारे में सरकार सक्रिय नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कहीं गांवों के लोगों में इस प्रकार की प्रतिक्रिया तो नहीं है। मैं इस बारे में क्षेत्रीय भावना में पड़ना नहीं चाहता, शहर भी अच्छे हैं और गांव भी अच्छे हैं। गांवों की उपेक्षा हो यह बात अच्छी नहीं है।

मैं, उपाध्यक्ष से महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ हमारे गांवों में पानी की समस्या है। आज भारत को आजाद हुए २१ साल हो गये। यह मैं मानता हूँ कि

(श्री शिवनाथसिंह)

राजस्थान के बनने के बाद बहुत प्रगति हुई है लेकिन पानी की जो समस्या आज तक हल नहीं हो पायी वह खेद की बात है। आज भी ऐसे देहात हैं जहां को लोगों को तीस तीस मील से पानी पीने के लिये लाना पड़ता है, ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं मवेशियों को पानी किस तरह से मिल सकता है। आज हम देखते हैं अजमेर के लिये आपने ३६५ लाख की योजना रखी है, मैं यह मानता हूं अजमेर राजस्थान का प्रसिद्ध नगर सुन्दर नगर है वहां के लोगों की पानी की समस्या का समाधान होना चाहिये। लेकिन आप यह सोचिये ३६५ लाख में कितने गांवों की पानी की समस्या हल हो सकती थी। ऐसे इलाके हैं जहां पानी खारा है उन जगहों पर आप पाइप लाइन से पानी पहुंचा सकते हैं जिस तरह से ८० मील दूर से अजमेर में पानी लाया गया है। इस तरह से गांवों में भी सौ सौ मील तक पाइप लाइन डालकर पानी पहुंचा सकते हैं। आज हम देखते हैं एक गांव का सारा परिवार केवल पानी लाने में लगा रहता है। आप उससे खेती बाड़ी में उन्नति की क्या आशा कर सकते हैं? इसलिये राज्य सरकार को इस समस्या के हल के लिये ध्यान देना चाहिये ताकि यह समस्या जितनी जल्दी हो हल हो जाय। यह मानने लायक बात है कि हमारी सरकार के सीमित साधन हैं, भारत सरकार को इस बारे में मदद करनी चाहिये ताकि देहातों के पीने के पानी की समस्या है उसको हल किया जा सके। हमारी सरकार को चाहिये कि वह भारत सरकार पर दबाव डाले इस समस्या को जितना अधिक लम्बा करेंगे उतना ही नुकसान होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समस्या का पांच साल में निवारण हो जाय। हमारे प्रान्त में तीन चार ऐसे जिले हैं जहां पानी की विकट समस्या हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पानी की समस्या जहां भयंकर है उन तीन जिलों को पहले ले लिया जाय तो मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नही होगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस समस्या की तरफ अविलम्ब ध्यान दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है उस संबंध में मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं यह सत्य है कि इस वक्त भी राजस्थान के गांवों में पीने के पानी की समस्या है उसके समाधान के बारे में हम विचार-विमर्श कर रहे हैं।

हमारी सरकार आजादी के बाद बीस साल के शासन काल में भी इस ग्रामीण जल समस्या का समाधान नहीं कर सकी। इसके अलावा काफी महत्वपूर्ण काम किये हैं लेकिन जल समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है। जो कुछ भी हमारी सरकार ने ग्रामीण जल योजना के लिये कार्य किया है, जो उपलब्धियां ग्रामीण जनता को दी हैं उसको भी नजरअन्दाज करके चलने को जरूरत नहीं है।

मुझे अच्छी तरह से याद है १९४७ में मेरे स्वयं के गाँव में एक तीन फीट चौड़ा कुआ था जिसमें कबूतर, चमगादड़ घोसले कर दिया करते थे उसका पानी हम पिया करते थे। आज मेरे गाँव में पीने को

(श्री रामनारायण चौधरी)

स्वच्छ पानी मिलता है। इसी तरह से भारू नाम का गांव है वहां पर कोई नवाब साहब के जमाने का कुआ बना हुआ था उससे लोग पानी पीते थे। इससे हम यह मानकर नहीं चल सकते कि इस तरफ सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। यह जरूर माना जा सकता है पूरी सुविधा जल की ग्रामीण जनता के लिये सरकार उपलब्ध नहीं करा सकी। बहुत कुछ किया है लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है।

यह बात सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में पानी की अव्यवस्था की वजह से वहां शुद्ध पानी नहीं मिलता था इस कारण वहां पर नाहरू नाम की बीमारी बहुत मात्रा में थी लेकिन आज उन क्षेत्रों में भी सरकार द्वारा शुद्ध जल की उपलब्धि के कारण इस रोग पर सरकार ने काबू पाया है। लेकिन वहां पर भी और ज्यादा इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है। मैंने इस प्रस्ताव में जो संशोधन रखा है उसके द्वारा यह निवेदन किया है कि ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

(६ म. प.)

ग्रामीण क्षेत्र वहां आदिवासी लोग रहते है वहां पर विशेष कर पानी की समस्या है। गन्दा पानी पीने से नाहरू नाम का भयंकर रोग उनको हो जाता है। स्वच्छ जल वहां देकर इस बीमारी से उनको छुटकारा दिलाया जा सकता है।

इसके अलावा राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जैसे बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जालौर जो मरूस्थलीय हैं। मेरा जिला भी है जो चूरू से लगता है इसमें भी १७ गांव ऐसे हैं जिनमें पानी खारा है और बहुत गहरा और बहुत कम है। पीने के पानी की वहां भयंकर समस्या है जैसा झुंझनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं छः बजकर एक मिनिट पर शुक्रवार दिनांक ५-४-६८ को प्रातः आठ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 'अ'

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या ११०२ की सूची)

अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि० अजमेर द्वारा संचालित सहकारी बाजार के संचालक मण्डल की सूची निम्न प्रकार है :—

१.	श्री बी० एन० भार्गव	अध्यक्ष
२.	श्री सी० एल० शर्मा	उपाध्यक्ष
३.	श्री बी० सी० जैन	सदस्य
४.	श्री डी० एन० कोविद	,,
५.	श्री एम० ए० चिश्ती	,,
६,	श्री जिलाधीश अजमेर	मनोनीत सदस्य
७.	श्री वी० पी० भार्गव सहायक रजिस्ट्रार, अजमेर	,,
८.	श्री जिला रसद अधिकारी	,,

जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि० जोधपुर द्वारा संचालित सहकारी बाजार के संचालक मण्डल की सूची निम्न प्रकार है :—

१.	श्री लक्ष्मण राज कल्ला	अध्यक्ष
२.	श्री लियाकतुला खां	सदस्य
३.	श्री शुभराज लोढ़ा	,,
४.	श्री माधोसिंह कछवाहा	,,
५.	श्री श्रीराम	,,
६.	श्री जोरावर मल बोड़ा	,,
७.	श्री लक्ष्मणसिंह लोढा	,,
८.	श्री बनवारी लाल	,,
९.	श्री तारक प्रसाद व्यास	,,
१०.	श्री रूपराम बग्रा	,,
११.	श्री जिलाधीश जोधपुर	मनोनीत सदस्य
१२.	श्री जिला रसद अधिकारी बाड़मेर	,,
१३.	श्री सहायक रजिस्ट्रार, जोधपुर	,,

नोट :—१— जोधपुर सहकारी बाजार के संचालक मण्डल पर अध्यक्ष पद पर श्री काशीनाथ जोशी थे, परन्तु उनके द्वारा अध्यक्ष पद के कार्यकाल में अनेक अनियमितायें की गई जिसके कारण उनको दिनांक २२-१-६८ के विभागीय आदेशानुसार होलसेल भण्डार की सदस्यता से पृथक करते हुए अध्यक्ष पद से पदच्युत कर दिया।

२— श्री माधोसिंह कछवाहा को संचालक मण्डल से राजस्थान सहकारी समितियां, अधिनियम १९६५ के अन्तर्गत हटाया जा चुका है।

परिशिष्ट 'ब'

जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर के सहकारी बाजारों में राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये हिस्से एवं उनको दी गई ऋण एवं अनुदान को आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में सूचना।

नाम सहकारी बाजार	पद	ऋण	अनुदान
१—जयपुर	फर्नीचर	१,८७,५००)	६२,५००)
	व्यवस्थापन	—	२०,०००)
	ट्रक खरीदने हेतु	३७,५००)	१२,५००)
	गोदाम निर्माण	३७,५००)	१२,५००)
	हिस्सा राशि	४,३६,०००)	—
२—जोधपुर	फर्नीचर	१,८७,५००)	६२,५००)
	व्यवस्थापन	—	७,५००)
	ट्रक खरीदने हेतु	३७,५००)	१२,५००)
	गोदाम निर्माण	३७,५००)	१२,५००)
	हिस्सा राशि	३,५२,०००)	—
३—अजमेर	कैश क्रेडिट लिमिट	२,००,०००)	—
	फर्नीचर	१,१२,५००)	३७,५००)
	गोदाम	३७,५००)	१२,५००)
	ट्रक	३७,५००)	१२,५००)
	व्यवस्थापक		१०,५००)
	हिस्सा राशि	३,५२,०००)	—
	कैश क्रेडिट लिमीट	२,००,०००)	—

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ की सूची)

क्र०सं०	नाम	पद	विभाग	पद सृजन करके की तिथि	पद सृजन करने के कारण	नियुक्ति से पूर्व की तारीख से लाभ दिया गया अथवा नहीं	अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते के रूप में रकम दी गई अथवा नहीं
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	श्री चन्द्रराज सिघंवी	सांख्यिक	सांख्यिकी निदेशालय	२३– ३–६२ से १६– ७–६२	वरिष्टता संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार होने पर २३—३–६२ से रवाई करने के लिये ।	नहीं	नहीं
२.	कुमारी सावित्री गुप्ता	उप निदेशक	सांख्यिकीय निदेशालय	१– ३–६६ से ४– ३–६६ से	मितव्ययता की दृष्टि से एक पद १—१—६५ से कम किया गया था किन्तु संबंधित विभाग के आदेश ५–३–६६ को प्रचलित हुए ।	नहीं	नहीं

१	२	३	४	५	६	७	८
३.	श्री बद्री लाल	वरिष्ठ लिपिक	सहकारी विभाग कोटा	१८-१०-६६ से २८-२-६७	सहायक रजिस्ट्रार कोटा के कार्यालय में एक अतिरिक्त वरिष्ट लिपिक को कम किया।	नहो	नहीं, क्योंकि बारां यूनिट का एक पद रिक्त रखा गया।
४.	श्री बाबूलाल माथुर	निरीक्षक	श्रम	१-११-५६ से २-९-६१	राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा इसकी योग्यता श्रम निरीक्षक के पद की आंकी गई।	नहीं	नहीं
५.	श्री हीरालाल डूंगरपुरिया	निरीक्षक पुलिस	पुलिस	१- ८-५२ से २४- ६-५६	पूर्व एकीकरण वरिष्टता को ठीक न होने के कारण संशोधन किया जाना।	लाभ दिया गया	डूंगरपुरिया का बिल कोषाध्यक्ष उदयपुर के यहाँ विचाराधीन।

१	२	३	४	५	६	७	८
६.	श्री एस० डी० माथुर	उप वन मण्डल अधिकारी	बन	१३–१२–५५ से ६– ६–६६	नियुक्ति को नियमित करने हेतु ।	नहीं	नहीं
७.	श्री अकबर अली	,,	,,	२३– २–५६ से २४– ५–६६	,,	,,	,,
८.	श्री मोहनसिंह सक्तावत	,,	,,	१– ३–५६ से २४– ५–६७	,,	,,	,,
९.	श्री जगदीश नारायण	,,	,,	२०– २–५६ से १–७ –६७ (सेवा निवृत)	,,	,,	,,
१०.	श्री आनन्द स्वरूप भटनागर	,,	,,	१७– ८–५७ से १– ७–६७ (सेवा निवृत)	,,	,,	,,
११.	श्री प्रेम दास	सर्वेयर	,,	१– ८–६३ से १५– ८–६३ से	सरप्लस के समय को नियमित करने हेतु ।	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
१२.	श्री रामसिंह	,,	,,	१- ८-६३ से १५- ८-६३	नियुक्ति को नियमित करने हेतु ।	,,	,,
१३,	श्री रिद्धकरण	,,	,,	१- ८-६३ से १५- ८-६३	,,	,,	,,
१४.	श्री आत्माराम	,,	,,	१- ८-६३ से १४- ९-६३	,,	,,	,,

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ की सूची)

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के अनुसार गाड़ी के जयपुर आने के विवरण संबंधी सूची :—

जयपुर आने का दिनांक	खर्चा
१) १६-३-६२	केवल पैट्रोल एवं ड्राईवर का यात्रा भत्ता।
२) ७-५-६२	१५० रु० ७४ पैसे।
३) १२-३-६३	केवल पैट्रोल एवं ड्राईवर का यात्रा भत्ता।
४) २१-६-६३	६१६ रु० ३३ पैसे।
५) २८-७-६७	७१७ रु० ६६ पैसा।
६) २६-१०-६७	पैट्रोल एवं ड्राईवर के यात्रा भत्ता के अलावा १५) रु०।

———

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ की सूची)

राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स कौंसिल पर हुये व्यय की तालिका।

वर्ष	धनराशि (रु०)	कार्य
१६५७-५८	२०,०००	स्पोर्टस कौंसिल की प्रवृत्तियाँ-राज्य में खेल कूद के विकास एवं आयोजनों हेतु
१६५८-५६	६०,०००	यही
१६५६-६०	२,००,०००	यही
१६६० ६१	३,००,०००	यही
१६६१-६२	३,७०,०००	यही
	२३,१००	प्रतिभाशाली छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु
१६६२-६३	४,००,०००	स्पोर्ट्स कौंसिल की प्रवृत्तियां-राज्य में खेल-कूद के विकास एवं आयोजनों हेतु
	२५,०००	म्यूनिसिपिल स्टेडियम, उदयपुर के निर्माण हेतु
१६६३-६४	४,५०,०००	स्पोर्ट्स कौंसिल की प्रवृत्तियां राज्य में खेल-कूद के विकास तथा आयोजनों हेतु
१६६४-६५	४,००,०००	यही
	१,००,०००	ग्रामीण खेल-कूदों के लिये
	३२,६००	प्रतिभाशाली छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु

१९६५-६६	४,००,०००	स्पोर्ट्स कौंसिल की प्रवृत्तियां राज्य में खेल-कूद के विकास एवं आयोजन हेतु
	१,००,०००	ग्रामीण खेलकूदों के लिये
	३०,२००	प्रतिभाशाली छात्र खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु
१९६६-६७	४,००,०००	स्पोर्ट्स कौंसिल की प्रवृत्तियां राज्य में खेल-कूद का विकास एवं आयोजनों हेतु
	१,००,०००	ग्रामीण खेलकूदों के लिये

परिशिष्ट ५

(अल्प काल सूचना प्रश्न संख्या ३ की सूची)

Copy of the Resolution No. 10 of the Standing Committee held on 30th August, 1967.

To consider to fill up the vacant post of Secretary of the Council which has fallen vacant due to retirement of Shri K. G. Hussain.

It was decided that Shri G.K. Sharma be promoted as Secretary in the grade of Rs. 350-40-520-50-790 on an initial starting salary of Rs. 590/- per month with all other admissible allowances connected with the grade with effect from 1st July, 1967 (9 forenoon) for six months on probation.

It was further decided that the President of the Council be empowered to fill up the post of Sports Organiser, by way of promotion to suitable hand amongst the Coaches of the Council for probation period of six months.

परिशिष्ट ६

(अल्पकाल सूचना प्रश्न संख्या ५ की सूची)

Statement showing the expenditure incurred on Miscellaneous entertainment Head from the year 62-63 to 67-68.

Year	Miscellaneous Head including conveyance, repairs, Uniforms to peons, Photo charges, presentations.	Entertainment expenses as incurred.		
		General	at Nt.	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1962-63	3093.09	4946.06	3501.58	11,540.73
1963-64	6438.77	4215.10	1553.51	12,207.38
1964-65	8665.35	8366.35	1911.78	13,943.48
1965-66	5747.45	6422.57	2809.16	14,778.18
1966-67	4050.27	2599.53	1743.48	8,392.28

परिशिष्ट ७

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

थाना आवा में दर्ज बबूल काटने का मामला

११०४. **श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ३-८-६७ को श्री कल्याणसिंह द्वारा थाना आवा जिला टोंक में बबूल चोरी से कटा लेने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध और ये पेड़ कहां से काटे गए ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट का चालान थाने द्वारा आज तक पेश नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सही है कि अब इस मामले में स्थानीय थाने द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और इसमें फाइनल रिपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है ? यदि नहीं, तो कब चालान किया जावेगा ?

(४) क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस द्वारा इस मामले में जानबूझ कर कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां दिनांक ३-८-६७ को श्री कल्याणसिंह मुलाजिम श्री रावराजा उनियारा ने थाना आंवा जिला टोंक में ८ बबूल के पेड़ मौजा पारौला में श्री रावराजा की जमीन में से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काट कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ? रिपोर्ट में पेड़ काटने वाले व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं थे।

(२) अभियोग अभी तक थाना आवा के पास अनुसंधान में विचाराधीन है। इसलिये चालान प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) यह सत्य नहीं है कि स्थानीय थाना आंवा द्वारा अभियोग में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है या फाइनल रिपोर्ट देने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभियोग का अनुसंधान पूर्ण होने पर एवं अभियुक्तगण का पता चलने पर व उनके विरुद्ध अभियोग साबित होने पर ही चालान किया जा सकता है। अधीक्षक आरक्षी टोंक ने भी एस.एच.ओ. आवा को इस अभियोग का अनुसंधान अविलम्ब तकमील करने का आदेश दिया है।

(४) यह सत्य नहीं है कि स्थानीय पुलिस द्वारा इस अभियोग में जानबूझ कर कार्यवाही नहीं की जा रही है। बल्कि अनुसंधान की तकमील अविलम्ब पूर्ण करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बसों के परमिटों का बेचान

११०५. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) श्री गनपतिलाल वर्मा भीलवाड़ा को सन् ५२ से लेकर आखिर दिसम्बर सन् ६७ तक किस किस रूट पर कब कब बस के परमिट दिये गये ?

(२) जिस जिस रूट पर परमिट दिये गये हैं उनमें से किस किस रूट के परमिटों को वे वापिस बेच चुके हैं और अब किस किस रूट पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह जानते हुये भी कि ये बार बार बस के परमिट बेचते रहते हैं फिर भी इन्हें भीलवाड़ा से बिजोलिया का परमिट दिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इन्होंने भीलवाड़ा से अजमेर तक का बस का परमिट भी बेच दिया है ?

(५) जो व्यक्ति बार बार बस के परमिट बेचते रहते हैं उन्हें बराबर नये परमिट देते रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची—क)

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची—ख)

(३) श्री गनपतिलाल वर्मा को भीलवाड़ा से बिजोलिया मार्ग पर परमिट वैधानिक तरीके से दिया गया है।

(४) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(५) अधिनियम की धारा ५९ एवं नियमों के नियम १०३ के अन्तर्गत परमिट-धारी परमिट अन्य व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण करवा सकता है ; मोटर वाहन एक्ट व उसके अन्तर्गत बने हुये नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हस्तान्तरण करने वाले व्यक्ति को पुनः किसी मार्ग पर परमिट न दिया जावे।

सूची—क

श्री गणपतिलाल वर्मा को सन् ५२ से ६७ तक निम्न मार्गों पर बसों के परमिट दिये गये हैं :—

	परमिटों की संख्या
(१) सन् ५२ भीलवाड़ा से मांडलगढ़	१
(२) सन् ५२ भीलवाड़ा से बड़नोद	१
(३) सन् ५२ भीलवाड़ा से बिजोलिया	१
(४) सन् ५४ भीलवाड़ा से बेंगू जो बाद में मैन्सरोड तक बढाया गया	१
(५) सन् ६० भीलवाड़ा से अजमेर	१
(६) सन् ६७ भीलवाड़ा से बिजोलिया	१

सूची—ख

जिन २ मार्गों पर परमिट दिये वे निम्न-लिखित हैं तथा उनके आगे दर्ज की हुई यात्री वाहन चल रही है :

१. भीलवाड़ा—अजमेर आर.जे.ई.८११

२. भीलवाड़ा—भैंसरोड़गढ़ आर.जे.एच. १४०

३. भीलवाड़ा—बिजोलिया आर.जे.ई.८८८

जिन जिन परमिटों को श्री गनपतिलाल वर्मा ने अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरण किये हैं वे निम्न हैं :—

(१) भीलवाड़ा से मांडलगढ़

(२) भीलवाड़ा से बदनौर

(३) भीलवाड़ा से बिजोलिया

जिला डूंगरपुर के आयुर्वेदिक औषधालयों के भवन

११०६. श्री रतनलाल रौत (चौरासी मु०): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में अधिकांश आयुर्वेदिक औषधालय के भवन नहीं हैं और उनके अभाव में औषधालय सुचारु रूप से नहीं चल पा रहे हैं ?

(२) क्या सरकार ने इस वर्ष ऐसे औषधालय जिनके मकान नहीं हैं धनराशि देकर भवन बनाने की योजना में प्रावधान रखा है ?

(३) यदि हां ? तो कितने भवन इस वर्ष बनाये जा सकेंगे ?

उत्तर

(१) जी नहीं—डूंगरपुर में लगभग सभी आयुर्वेदिक औषधालयों में भवन उपलब्ध हैं एवं औषधालयों का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ।

(२) जी नहीं —इस वर्ष भवन निर्माण हेतु धनराशि सहायता योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(३) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

गौवंश की हत्या व निकासी पर प्रतिबन्ध

११०७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार ने अथवा मुख्य मन्त्री महोदय ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि सम्पूर्ण देश में गौवंश की हत्या पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया जावे ?

(२) यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि इस आशय की घोषणा राज्य के मुख्य मन्त्री महोदय ने जयपुर में सम्पन्न हुए राजस्थान गौ सेवा सम्मेलन के खुले अधिवेशन में की थी ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) क्या राज्य से गौवंश की निकासी पर प्रतिबन्ध अध्यादेश के द्वारा चतुर्थ आम चुनाव के पूर्व लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार फिर से प्रतिबन्ध लगाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार पूर्ण गौ-बध-बन्दी के पक्ष में है व इसी आशय का उत्तर भारत सरकार द्वारा नियुक्त काऊ प्रोटेक्शन कमेटी को दे दिया गया है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां । कार्यवाही चल रही है वैसे इस समय भी विज्ञप्ति संख्या २० (३३) कृषि । ५५ दिनांक ३ सितम्बर १९५४ के अधीन बिना जिलाधीश के लिखित परमिट के गायों व भैंसों को राज्य से बाहर ले जाने पर रोक लगी हुई है ।

मंत्रि मण्डल के सदस्यों पर व्यय

११०८. श्री रूपसिंह (सरदारशहर)
श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी)
श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)
श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर)
श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा)
श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत)

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के वर्तमान मंत्रि मंडल के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों, उप मन्त्रियों व संसद सचिवों पर अलग अलग व कुल मिला कर कितना कितना खर्चा यात्रा भत्ता, टेलीफोन, ट्रन्क, हाउस रेन्ट, स्टाफ, बिजली, पानी, चिकित्सा उपचार, मोटर कार, पैट्रोल, माइलेज, फर्नीचर दैनिक भत्ता पर प्रत्येक माह में अब तक हुआ है ?

(२) क्या इनकी दवा के लिये विदेशों से भी औषधियां एवं अन्य सामग्री मंगवाई गई है ? यदि हां, तो कितने रुपयों की ?

(३) क्या मंत्रियों के लिये अस्पतालों में इलाज के लिये विशेष प्रबन्ध किये जाते हैं ? यदि हाँ, तो विशेष प्रबन्ध पर कितना अधिक व्यय होता है ?

(४) राज्य के मंत्रियों, उप मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों ने मंत्री बनने के बाद किन किन स्थानों का कितनी कितनी बार कितने अर्से के लिये दौरा किया है और उन पर कितना रुपया सरकार का खर्चा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) मंत्री, राज्य मन्त्री, उप मन्त्री या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या बिना किसी विभागीय कारण या ध्येय के अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में घूम सकते हैं ? यदि हां, तो कब कब कितनी बार और क्यों ?

(६) राज्य के मन्त्रियों, उप मन्त्रियों एवं संसदीय सचिवों को राज्य में प्रति माह कितना दौरा करना चाहिये ?

(७) क्या प्रत्येक मंत्रियों के दौरों की सीमा नियत करने का विचार है ?

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

राज्य पथ परिवहन निगम का आय-व्यय का ब्यौरा

११०६. श्री सहदेव शर्मा (आमेर)
श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर)—क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निर्माण के आरम्भ से आज दिन तक कितनी बसें खरीदी गई और कितने मार्ग नेशनलाइज किये गये? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) खरीदी हुई बसों में से कितनी बसें चल रही हैं और कितनी बसें खराब हैं?

(३) राजस्थान राज्य पथ परिवहन के आरम्भ से लेकर आज तक के आय और व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) निगम के निर्माण से आज तक ११६ बसें खरीदी गई हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। निगम के निर्माण के बाद केवल कोटा झालावाड़-इकलेरा मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

(२) उपरोक्त ११६ बसों में से कोई भी खराब नहीं हैं।

(३) १-१०-६४ से निगम के निर्माण से दिसम्बर ६७ तक के आय और व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है जो निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आय	व्यय
१-१०-६४ से ३१-३-६५ तक	७०,७५,६१६-०६	६८,१५,६०:-६७
१-४-६५ से ३१-३-६६ तक	१,६७,५६,७०७-५०	१६७,५६,७०७-५०
१-४-६६ से ३१-३-६७ तक	१,५६,१६,१३७-००	१८०,१३,७८६-००
१-४-६७ से ३१-१२-६७	१,३६,७७,०००-००	१४५,२०,०००-००

१-१०-६४ से ३१-३-६७ तक के आय व व्यय का विवरण संलग्न है। १-४-६७ से ३१-१२-६७ तक का उपरोक्त आय व व्यय अभी प्राविजनल है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर के हरिजन मोहल्लों के मकानों के पट्टे

१११०. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के हरिजन मोहल्ले बीकानेर आबाद होने के साथ ही बसे थे लेकिन उनके मकानों के पट्टे अभी तक नहीं दिए गए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि मोहल्ला अमरपुरा बास, माजी साहब का बास, पाबू बारी, जेसोलाई बड़ी व छोटी, खरनाड़ा (पावर हाउस) बाल्मिकियों के मोहल्ले के आबाद हरिजनों को यू० आई० टी० बीकानेर द्वारा बेदखल किया जा रहा है और मकानों को तोड़ा जा रहा है जब कि ये गरीब हरिजन पीढ़ियों से आबाद हैं ?

(३) क्या सरकार इनको सस्ती दर पर पट्टे देने का विचार रखती है ? अगर हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हाँ। यह हरिजन मोहल्ले न्यास क्षेत्र में पड़ने वाली २५ कच्ची बस्तियों के अन्तर्गत आये हैं इन २५ कच्ची बस्तियों को अविकसित (undeveloped) माना गया है अतः अभी पट्टे नहीं दिये गये।

(२) जी नहीं, १९५७ के पहिले के हरिजनों के कब्जे सरकार ने मान लिये हैं और ऐसे किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया गया है।

(३) जी हाँ शीघ्रातिशीघ्र।

पाली जिले में सघन कृषि कार्य

११११. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में सघन कृषि कार्यक्रम में काफी नये यंत्र किसानों ने लिए थे तब यह कहा गया था कि यंत्रों को ठीक करने का सरकार की ओर से एक कारखाना खोला जायगा ? यदि हाँ, तो वह कारखाना आज तक क्यों नहीं खोला गया ?

(२) क्या यह सही है कि किसानों ने नये यंत्र लिए उनमें से कई खराब पड़े हैं ?

(३) क्या यह सही है कि विदेशों से प्राप्त ५० डस्टर कम स्प्रेयर मशीनें पाली जिले को प्राप्त हुई थीं उनमें से इस समय प्रायः आठ दस ही कार्य करने योग्य हैं ?

(४) क्या यह सही है कि कृषि के सघन कार्य और विस्तार कार्य में उपर्युक्त कठिनाइयां अभी भी बहुत बाधक हैं ? इन कठिनाइयों को हल करने को सरकार क्या करने जा रही है ?

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)

परिवार नियोजन के आपरेशन

१११२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुँची हैं कि कुछ डाक्टरों ने परिवार नियोजन के आपरेशनों की संख्या फर्जी नाम अंकित, उनको इस कार्य के लिए मिलने वाली राशि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा किया है ? यदि हां, तो कौन कौन से डाक्टरों के खिलाफ किस किस की ओर से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन डाक्टरों के खिलाफ उक्त फर्जी आपरेशन के आंकड़े बताने की शिकायतें हैं उनमें किन किन के खिलाफ कितने कितने फर्जी आपरेशन बताकर कितनी कितनी राशि गलत रूप से प्राप्त करने की शिकायतें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार ऐसा महसूस करती है कि उपरोक्त कार्य में परिवार नियोजन की लोकप्रियता पर बुरा असर पड़ा है ?

(४) इस कार्य की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) संलग्न सूची में वांछित सूचनायें अंकित हैं।

(३) इस प्रकार के मामलों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। अतः बुरे प्रभाव की संभावना कम है।

(४) इस प्रकार के कार्य की जांच करने के लिए एक मूल्यांकन प्रकोष्ठ राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर में गठित किया जा रहा है, जिसका दल समय २ पर भिन्न २ जगह जाकर जो आपरेशन जिन जिन जगहों पर हुए हैं उनमें से कुछ प्रतिशत को वास्तविक जांच करेगा।

प्रश्न संख्या ६६ से संलग्न सूची

नाम जिला परिवार नियोजन अधिकारी	शिकायत करने वाले का नाम	शिकायत में वर्णित फर्जी आपरेशनों की संख्या	कालम नम्बर ३ से सबम्द्ध राशि	विभागीय कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५
डा० बांके बिहारी लाल		६५	करीब (१५००) रु०	विभागीय जांच की जा रही है तथा सम्बन्धित अधिकारी को पदावनत कर दिया गया है।

वरिष्ठ लेखकों की नियुक्ति

१११३. श्री गंगासहाय (कठूमर)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सचिवालय में बहुत से वरिष्ठ लेखक जो सीधे लिये गये हैं और जो १९५६ से पूर्व के हैं, आज भी अस्थायी हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

(२) उनमें कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो महालेखापाल राजस्थान के कार्यालय से आये हैं ?

(३) उन्हें आज तक स्थायी न करने के क्या कारण हैं जब कि नियमानुसार ३ वर्ष की सर्विस हो जाने पर स्वाभाविकतया स्थायी कर दिया जाना चाहिए ?

उत्तर

(१) जी नहीं, ऐसा व्यक्ति केवल एक है।

(२) ऐसे दो कर्मचारी आये थे। एक ने त्यागपत्र दे दिया था। एक अस्थाई रूप से अभी तक चल रहा है।

(३) सचिवालय में मंत्रालयिक सेवा नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि ३ वर्ष की सेवा हो जाने पर स्वतः ही कर्मचारी को स्थायी कर दिया जाए।

डाक्टरों का स्थानान्तर

१११४. श्रीमती कान्ता खतूरिया (कोलायत)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में कितने डाक्टरों का एक से अधिक स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया और उसके क्या कारण थे ?

(२) क्या डाक्टरों के स्थानान्तरण पर हुआ सारा व्यय सरकार द्वारा चुकाया गया ? यदि हां, तो यह कुल खर्चा कितने का हुआ ?

(३) क्या डाक्टरों के स्थानान्तरण के लिये नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानान्तरणों में उनका पालन किया गया है ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) जी हां, सिवाय उन डाक्टरों के जिनका स्थानान्तरण उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया हो। सभी राजपत्रित अधिकारियों के खर्चे का ब्योरा महा लेखापाल के पास रहता है, विभाग यह सूचना देने में असमर्थ है।

(३) जी हां।

श्रीमती कान्ता खतूरिया, सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न
सं० ११११४ के भाग की सूची

क्रम सं० डाक्टर का नाम	से	को	विवरण
१. डा० ग्रार० एल० गोयल	थाना गाजी बानसूर	बानसूर	शिकायत पर
	बानसूर	रामपुर	
	रामपुर	बांसवाडा	
२. डा० पी० के० कल्लड	एन० एम० ई० पी० ग्रलवर	बान्दी कुई	जनता एवं प्रधान बाँदीकुई की माँग पर।
	बान्दीकुई	बसवा	
३. डा० रामानन्द हल्दर	,, बसवा	,,	बसवा में डा० की चाहना थी।
		खण्डार	स्वा० मंत्री के ग्रादेश पर।
४. डा० वाई० डी० बोहेरा	एन० एम० ई० पी० बाड़मेर	ए० डी० एच० ग्रो० सीकर	प्रशासनिक कारणों से
	ए० डी० एच० ग्रो० सीकर	डी० एफ० पी० ग्रो० भरतपुर	राज्य सरकार के ग्रादेश दि० २०-६-६७
	डी० एफ० पी० ग्रो० भरतपुर	डी० एफ० पी० ग्रो० सीकर	के ग्रनुसार
५. डा० रमेश चन्द्र छत्रपाल	जयपुर	धौलपुर	नेत्र विशेषज्ञ की परीक्षा पास करने के पश्चात ग्रौर धौलपुर में क्षेत्र बी० की ग्रावश्यकता थी।
	धौलपुर	ग्रजमेर	शिक्षक के पद पर राज्य सरकार के ग्रादेशानुसार
६. डा० पी०एल० शर्मा	जयपुर	डीडवाना	सर्जन की परीक्षा पास करने पर ग्रौर डीडवाना में जगह खाली थी।
	डीडवाना	बून्दी	
	बून्दी	बारां	

७. डा० विजय राज छंगानी	फलोदी भोपालगढ़	भोपालगढ़ ई० एस० आई जोधपुर	स्वा० मं० ,, ,,
८. डा० श्याम सुन्दर गुप्ता	टोंक चिड़ावा	चिड़ावा डूंगरपुर	) चिड़ावा में महिला) एवं पुरुष चिकित्सक
		चिड़ावा	) की आवश्यकता
९. डा० (श्रीमती) उमा जैन	बीकानेर चिड़ावा	डूंगरपुर	) थी।
१०. डा० जयगोपाल अरोड़ा	हिन्डोली कोटा	कोटा नैनवा	स्वा० मं० जी के आदेशानुसार
११. डा० एन० आर० मुखर्जी	आर० ए० सी० गंगानगर	पी० एच० सी० नैनवा रोडर	प्रार्थना पर
	रोडर अनादरा	अनादरा अलीगढ़	शिकायत पर स्वा० मं० द्वारा
१२. डा० ए० सी० दत्ता राय	मालाखेड़ा ई० एस० आई०पाली	ई० एस० आई० पाली	ई० एस० आई० की आवश्यकता थी और डा० इच्छुक था कृषि
		रामगढ़ (अलवर)	मंत्री के आदेशानुसार व डा० की इच्छा से
१३. डा० कमल नयन	रायसिंहनगर सांगरिया	सांगरिया सादुल शहर	स्वा० मं० के आदेशानुसार
१४. डा० मोहन प्रसाद पारीक	महुआ बैराठ	बैराठ	राव धीरसिंह उप मंत्री के आदेश से
		टी० बी० सवाईमाधोपुर	बंगलोर ट्रेनिंग से लौटने पर

Page No. 201

क्रम सं. डाक्टर का नाम	से	को	विवरण
१५. डा० के० सी० पारीक	श्रीमाधोपुर	सीकर	स्वा०मं० के आदेशानुसार
	सीकर	बानसूर	,, ,, ,,
१६. डा० बी० एस० राठौड	नायला	टोडारायसिंह	स्वा मं० के आदेशानुसार
	टोडारायसिंह	पाटन	,, ,, ,,
१७. डा० कुकूमल के.जे. चन्दारमानी	मंडावा	खण्डेला	,, ,, ,,
	खण्डेला	गुडागौरजी	,, ,, ,,
१८. डा० वी० वी० व्यास	सुजानगढ़	लाडनूं	,, ,, ,,
	लाडनू	सुजानगढ़	,, ,, ,,
१९. डा० एस० एन० व्यास	राजगढ़	चूरू	,, ,, ,,
	चूरू	बीदासर	
२०. डा० सतीश चन्द	करौली	बूंदी	स्वा० मंत्री
	बून्दी	नागौर	,, ,,
२१. डा० के० सी० बाफना	जयपुर	डीडवाना	,, ,,
	डीडवाना	जोधपुर	ट्यूटर होने पर, राज्य सरकार के आदेशानसार
२२. डा० के० एन० हल्दिया	जयपुर	ब्यावर	ऐनेस्थेसिया की परीक्षा पास करने पर
	ब्यावर	बीकानेर	ट्यूटर होने पर राज्य सरकार के आदेशानुसार
२३. डा० एन० गोस्वामी	अलवर	वासकृपाल नगर (अलवर)	
	बास कृपाल नगर	अलवर	सरकार के आदेशानुसार ।
२४. डा० बी० एम० राठौड़	नायलय	टोडारायसिंह	स्वा०मं० की आज्ञा से
	टोडारायसिंह	रिजर्वलिस्ट टोंक	

२५, डा० बी०।एल० असावा	जयपुर जोधपुर	जोधपुर जयपुर	स्वा० मंत्री की आज्ञा से ,, ,, ,,
२६. डा० नरेन्द्रसिंह	जयपुर कोटा	कोटा उदयपुर	,, ,, ,, ट्यूटर होने पर राज्य सरकार के आदेश से
२७. डा० (श्रीमती) कमला शर्मा	जयपुर रतनगढ़	रतनगढ़ जोधपुर	स्वा० मं० के आदेशानुसार ट्यूटर होने पर राज्य सरकार के आदेश से
२८. डा० आर० के० गुप्ता	कोटा झालावाड	झालावाड बांसवाडा	स्वा० मं० के आदेशानुसार

जिला नागौर में कुओं का सर्वे

१११५. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. जिला नागौर में १९६७-६८ में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की ओर से कुओं का सर्वे हुआ है क्या ?

(२) सर्वे रिपोर्ट आ गई है क्या ? अगर हां, तो सर्वे का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सर्वे रिपोर्ट अभी तक बनाई जा रही है।

मेड़ता शहर में पानी की व्यवस्था

१११६. श्री गोरधन सोनी : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर की जनता को जल वितरण के लिये मेड़ता से २ मील दूर ग्राम डांगावास में एक कुए का बोरिंग कराया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि शहर से डांगावास तक पाइप लाइन बिछी हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि सर्दी के मौसम में भी मेड़ता शहर की जनता को पानी की सप्लाई बहुत कमजोर है जिससे स्थानीय जनता बहुत परेशान है।

(४) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर को पानी की सप्लाई के लिये निर्मित कुए की बोरिंग हुए एक साल से भी अधिक हो चुका है लेकिन वहां अभी तक पंपिंग सेट नहीं लगाया गया ?

(५) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही पम्पिंग सेट कुए पर लगाकर मेड़ता नगर

(श्री गोरधन सोनी)

की जनता का जल कष्ट दूर करना चाहती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) पम्पिग सेट लगाया जा रहा है।

(५) जी हां। पम्प सेट उपलब्ध हो गया है तथा कुंए पर पम्प लगाने का कार्य चल रहा है। और शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा।

ग्राम लहसोड़ा में डकैती की वारदातें

१११७. श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम लहसोड़ा तहसील सवाई माधोपुर चम्बल से लगा हुआ ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां डाकुओं की आशंका बनी रहती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम में तथा इसके आस पास के क्षेत्र में डाकुओं ने गत तीन चार साल में कई डकैतियों की वारदातें की हैं ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा हेतु ग्राम लहसोड़ा में अस्थाई गार्ड नियुक्त करदी थी ?

(४) यह गार्ड कब और क्यों हटा ली गई है ?

उत्तर

(१) यह सही है ग्राम लहसोड़ा तहसील सवाई माधोपुर थाना खाजना डूंगर चम्बल नदी से पौने दो मील की दूरी पर स्थित है। यह सही है। यह सही नहीं है कि लहसोड़ा ग्राम चम्बल नदी के किनारे होने के कारण वहां हमेशा डाकुओं की आशंका बनी रहती है।

(२) जी नहीं। इस क्षेत्र में सन् १९६१ से अब तक डकैती की कोई भी वारदात नहीं हुई है।

(३) यह सही है कि अधीक्षक आरक्षी सवाई माधोपुर के द्वारा लहसोड़ा ग्राम में अस्थाई गार्ड लगाई गई थी।

(४) इस गार्ड को कमी फोर्स की वजह से तारीख १-१०-६७ को हटाली थी व तारीख २२-२-६८ को वापस अस्थाई तौर पर लगादी है।

ग्राम सांकड़ा व सरनाऊ में कुओं का बोरिंग

१११८. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि ग्राम सांकड़ व सरनाऊ तहसील सांचोर में भूमितल लज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

बोर्ड द्वारा दो कुओं का बोरिंग किया गया था ?

(२) क्या यह सच है कि दोनों बोरिंग कामयाब रहे और उन दोनो बेरों पर पम्पिंग सेट्स लगाने के लिये मकानात वगैरह भी बन चुके हैं ? अगर हां, तो बेरों व मकानों का काम कब सम्पूर्ण किया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उन बेरों पर अभी तक पम्पिंग सेट्स नहीं लगाये हैं ? अगर हां, तो क्यों व अब कब तक लगा दिये जावेंगे ?

(४) क्या इन बेरों से कृषि भूमि सिंचाई के लिए भी पानी दिया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) ये उपरोक्त दोनों जल योजनाएं किस स्कीम के तहत बनाई गई थी ? ये स्कीमें इतने सालों तक अधूरी क्यों पड़ी रही ?

(६) क्या यह भी सच हैं कि उपरोक्त कुओं का पानी ज्यादा समय काम में नहीं लिया गया तो पानी बेकार हो जावेगा ? अगर हां, तो उनका पानी कब तक काम में ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) यह दोनों नलकूप केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजना "घुमक्कड जाति के लोगों को बसाने के लिये" के अन्तर्गत पशु-पालन विभाग राजस्थान के आदेशानुसार राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा बनाये गये।

(२) जी हां दोनों नलकूप कामयाब रहे दोनों कुओं पर पम्पिंग सेट्स लगाने के लिए मकानात इत्यादि बन चुके है। ये दोनों कुए सन् १९६५-६६ में बने थे तथा मकानों का काम भी तब ही समाप्त हुआ।

(३) जी हां कुओं पर पम्पिंग सेट अभी तक नहीं लगे है। क्योंकि मूलतः यह नल-कूप केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत "घुमक्कड़ जाति के लोगों को बसाने के लिये" योजना के अन्तर्गत बनाये गये थे। तत्पश्चात् इस योजना को केन्द्र सरकार की आज्ञानुसार स्थगित करना पड़ा ऐसी परिस्थितियों में पुनः विचार कर राज्य सरकार ने फरवरी, ६७ में अस्थाई तौर पर निर्णय लिया कि ऐसे नल-कूप २५० नल-कूप योजना के अन्तर्गत उपयोग में लाये जावें चूंकि इन नल-कूपों के पानी की क्षमता ६७१० अथवा ६०२० गैलन प्रति घंटा क्रमशः ही है इसलिये कृषि हेतु काम नहीं लिये जा सकते तथा वे पीने के पानी के लिये ग्राम जल प्रदाय विभाग द्वारा काम लिये जावेंगे।

(४) जी नहीं जैसा कि प्रश्न ३ उत्तर में बताया गया है इन नल-कूपों से कृषि हेतु जल नहीं दिया जा सकेगा।

(५) प्रश्न १ व ३ के उत्तर में स्पष्टी-करण कर दिया गया है कि यह दोनों नल-कूप घुमक्कड़ जाति के लोगों को बसाने के लिये योजना के अन्तर्गत बनाये गये थे और इस योजना को केन्द्र सरकार की आज्ञानुसार स्थगित करना पड़ा इसलिये यह नल-कूप अधूरे रह गये थे। अब फरवरी, ६७ में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि २५० नल-

(श्री कृषिमंत्री)

कूप योजना के अन्तर्गत इन नल-कूपों को भी उपयोग में लाया जावे ।

(६) जी नहीं ।

खण्डार में पेय जल की व्यवस्था

११११. श्री हरिवल्लभ शर्मा-क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(१) सवाई माधोपुर जिले के कस्बे खण्डार में ग्रीष्मकाल में पेय-जल की क्या व्यवस्था की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि गर्मियों में प्रतिवर्ष इस कस्बे में पानी आम जनता को मोल बिकता है ?

(३) क्या यह सही है कि जनता को पानी सस्ता मिल सके इस हेतु सरकार अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं को प्रति वर्ष इस कार्य के लिए कुछ धनराशि अनुदान स्वरूप देनी पड़ती है ?

(४) यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा अनुमानतः कितना अनुदान प्रतिवर्ष ?

(५) क्या यह सही है कि पेय-जल संकट निवारण हेतु राज्य सरकार ने इस कस्बे के लिए कोई नल योजना स्वीकार की है ?

(६) यदि हां, तो किस वर्ष और कितने लागत की ?

(७) उक्त योजना का काम किस तारीख को आरम्भ किया गया और अब तक कितना काम हो चुका है ?

(८) इस योजना की पूर्ण रूपेण क्रियान्विति में क्या देरी है और क्यों ?

उत्तर

(१) सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है ।

(२) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(३) नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) जी हां ।

(६) सन् १९६५ में २,३१,०००) रु० की ।

(७) उक्त योजना का काम माह नवम्बर सन् ६५ से प्रारम्भ किया गया है और अब तक निम्न कार्य हो चुके हैं ।

१-पानी की टंकी पूर्ण तैयार है ।

२-पम्प अटेन्डेन्ट क्वार्टर पूर्ण तैयार है ।

३-जनरेटिंग सेट कमरा पूर्ण तैयार है ।

४-चौकीदार क्वार्टर पूर्ण तैयार है ।

Page No. 206

(श्री स्वास्थ्य मंत्री)

५ पाईप लाइन डालने का कार्य चालू है।

(८) इस जल योजना को पूर्ण करने के लिए निम्न कार्य करना शेष है।

१—कुओं पर पम्प का फिटिंग। पम्पस् के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं और अब १ माह की अवधि में इनके प्राप्त होने की सम्भावना है।

२-कस्बे के कुछ भाग में पाइप लाइन डालने का कार्य चालू है जिसकी अब २ माह की अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है। इन उपरोक्त कार्यों को ३ माह की अवधि में पूर्ण किया जाकर जल वितरण शुरू कर दिया जावेगा।

राज-पत्र में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में छपी अधिसूचनाएं, सूचनाएं तथा आज्ञाएं

११२०. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) गत एक वर्ष में राजस्थान राजपत्र में कितनी अधिसूचनाएं, सूचनाएं, आज्ञाएं, आदेश, विज्ञप्तियां, अध्यादेश, उद्घोषणाएं विवरण आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे ? कितने केवल हिन्दी में और कितने केवल अंग्रेजी में छपे ?

(२) क्या यह सही है कि एक ही विषय दोनों भाषाओं में छपने से खर्च दूना हो जाता है ? उपरोक्त को दोनों में छापने से कितना खर्च अधिक हुआ ? क्या इस अनावश्यक खर्च से बचने की ओर सरकार ध्यान देगी ?

उत्तर

१—जिस भाषा में प्राप्त होते हैं, उसी भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार हिन्दी तथा अंग्रेजी में छपने वाले राज-पत्रों की छंटनी अलग २ नहीं की जाती हैं न इनके लिए अलग कोई रिकार्ड रखा जाता हैं।

२-प्रश्न ही नहीं उठता।

झुंझुनूं जिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार के चुनाव

११२१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)-क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं जिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार के कुल कितने सदस्य हैं और इस भण्डार के प्रवर्तक (Promoters) सदस्यों की प्रथम बैठक कब हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि भण्डार के संचालक मण्डल के चुनाव के लिए सभा बुलाने के नोटिस जारी हो गए थे, किन्तु अचानक चुनाव तिथि के ठीक ४८ घन्टे पूर्व चुनाव स्थगित किया गया ? यदि हां, तो चुनाव स्थगित किन कारणों से किए गए ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(३) क्या यह सही है कि इस भण्डार की एडहाक कमेटी के स्थान पर सरकार ने कोई संचालक मण्डल नियुक्त किया है ? यदि हां, तो संचालक मण्डल किस आधार पर मनोनीत किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त मनोनीत संचालक मण्डल में एक सदस्य ऐसा है जो सरपंच का चुनाव लड़ चुका है तथा अब भी पंचायत समिति झुंझुनूं के अंतर्गत एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का पदाधिकारी है ? इसी प्रकार एक सदस्य मार्केटिंग सोसायटी से लिया गया है जिसकी सोसायटी भण्डार की विधिवत सदस्यता उस दिन तक नहीं बनी थी ?

(५) उपरोक्त भण्डार के निर्वाचन (संचालक मण्डल के) सरकार कब तक करवाने की सोच रही है ?

उत्तर

(१) झुंझुनूं जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि० की सदस्य संख्या ३६१० हैं। उसके प्रवर्तक (प्रमोटर्स) सदस्यों की प्रथम बैठक दिनांक ११-६-६६ को हुई।

(२) जी हां नये भंडारों में तत्कालीन स्थिति को देखते हुए निर्धारित संचालक मण्डल के स्थान पर प्रारम्भ में कम से कम १ वर्ष की अवधि के लिए संचालक मण्डल का मनोनयन न किए जाने हेतु उप नियमों में प्रावधान किए जाने से निर्वाचनों की आवश्यकता न रही।

(३) जी हां भंडार के पंजीकृत उप-नियम क्रमांक ३८ (ब) १ के अन्तर्गत प्रारंभ में १ वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार को संचालक मंडल का मनोनयन करने का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत यह मनोनयन किया गया है।

(४) हां किन्तु सूरजगढ़ सहकारी क्रय विक्रय समिति लि० दिनांक ७-६-६६ को ही इस भंडार की सदस्य बन चुकी थी।

(५) मनोनीत संचालक मंडल का कार्यकाल दिनांक ३१ मार्च ६८ तक का था वह अब बढ़ा कर ३०-६-६८ तक के लिए कर दिया गया है और भंडार के अध्यक्ष (जिलाधीश) को लिखा जा चुका है कि ३० जून तक की अवधि में निर्वाचन कार्य सम्पन्न करालें। निर्वाचन की व्यवस्था शीघ्र कराने के लिए भंडारों को लिखा जा चुकी है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सावा में डाक्टर का रिक्त स्थान व दवाइयों की खरीद

११२२. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सावा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में इस समय डाक्टर का स्थान रिक्त है ? यदि हां, तो कब से है ? यदि स्थान रिक्त नहीं है तो डाक्टर अभी कहां काम कर रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की जीप वहां से कहीं अन्य स्थान पर

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

भेजी जा रही है ? यदि हां, तो कहां तथा किस कारण से उसे वहां से हटाया जा रहा है तथा वहां से हटाए जाने का आदेश किसने दिया है तथा जिसने यह आदेश दिया है क्या वह ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम है ?

(३) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर सावा में दवाइयों का समुचित प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो कब से दवाइयों की कमी है ?

(४) वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में इस हैल्थ सेन्टर में दवाइयों का बजट प्रावधान क्या था तथा कितने रुपये की दवाइयां खरीदी गई और अभी स्टॉक में कितनी है ?

(५) क्या यह सही है कि सावा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर जो स्टाफ अभी है वह कम है ? किस प्रकार का कितना स्टॉफ इस समय काम कर रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(६) इस वर्ष वहां पर जो डाक्टर रहा है वह कितने समय सावा मुख्यालय पर रहा तथा कितने दिन कहां कहां दौरे पर रहा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) जी हां । दिनांक ३०-१२-६७से ।

(२) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(४) रुपया ४५०० के स्वीकृत बजट के अनुसार सारी दवाइयां सन् १९६७-६८ में सप्लाई कर दी गई । शेष सूचना की जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त होने की प्रतिक्षा है ।

(५) जी हां । कार्य कर रहे स्टाफ का विवरण निम्नलिखित है :—

१.	कम्पाउण्डर श्रेणी द्वितीय	२
२.	मिडवाईफ	४
३.	ड्राईवर	१
४,	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	७

(६) भूतपूर्व डा० अमृतलाल खण्डपुर वहां मेडिकल आफिसर के पद पर कार्य करते थे । वे दिनांक १४-९-६७ से २१-१२-६७ तक अवधि के लिये टी. बी. प्रशिक्षण के लिये बंगलोर गये थे । इनके भ्रमण कार्यक्रम की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

११२३ श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन-पोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट्स एक्ट, १९६४ के अन्तर्गत किस–किस नगर से कितने कितने व्यक्तियों को उनके मकानों से हटाया गया है या हटाये जाने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की कार्यवाही हेतु नोटिस दिये जाकर कार्यवाही की जा रही हैं।

(२) जिन व्यक्तियों को हटाया गया है उनका अपने मकानों पर कब कब से अधिकार होना सिद्ध हुआ है तथा उनके मकानों की अनुमानित लागत क्या है ?

(३) इन व्यक्तियों को पुनः आबाद करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

(सरकार द्वारा स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

सीकर में आन्दोलन

११२४. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ता. २१-२-६८ को सीकर में एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था और सीकर के कलेक्टर को दिक्कतें प्रस्तुत की गई थीं अगर हाँ, तो वह क्या थीं ?

(२) क्या यह भी सही है कि दांता रामगढ़ क्षेत्र में ग्राम भाजीपुरा में एक बूढ़े राजपूत को उसकी खुद की जमीन में खड़े हुए को वहाँ लोगों ने मारा ?

(३) क्या यह भी सही है कि उसकी औरत को भी वैसी ही पीटा गया और वे दोनों सीकर अस्पताल में दोनों बुरी हालत में हैं।

(४) अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या किया ?

उत्तर

(१) जी नहीं दिनांक २१-२-६८ को ऐसी कोई घटना का सीकर में होना नहीं पाया जाता।

(२) जी हाँ। ऐसी घटना दिनांक ४-२-६८ को होने का उल्लेख श्री फतह सिंह ने इनके दरख्वास्त दिनांक १८-२-६८ जो सीकर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को पेश की उसमें किया था।

(३) जी हाँ, किन्तु दोनों ही—याने फतहसिंह व एक औरत जिनके साथ मारपीट की गई थी – अस्पताल में दिनांक १६-२-६८ को भरती हुए थे व बाद में उनकी अस्पताल से छुट्टी भी हो गई है।

(४) मारपीट की घटना दिनांक ४-२-६८ को ग्राम भाजीपुरा (थाना खाटू में खेत पर हुई बताई गई। फतह सिंह ने दरख्वास्त डी० वाई० एस० पी० सीकर को दिनांक १८-२-६८ को पेश की जिस पर एक मुकदमा ह० द० १४७। १४८। १४९। ३२५। ३२३ आई० पी० सी० थाना खाटू पर दर्ज किया जाकर तफतीश प्रारम्भ की गई जो लगभग समाप्ति पर है। मुलजिमान को शांति बनाये रखने हेतु ह० द० १०७ जा० फौ० पाबंद करने की कार्यवाही भी चल रही है।

पाली जिले की नगरपालिकाओं के ट्रेक्टर

११२५. **श्री कालूराम आर्य** (बिलाड़ा सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले की किन किन नगरपालिकाओं के पास सफाई हेतु ट्रेक्टर हैं वह किन किन के पास ट्रेक्टर नहीं हैं ?

(२) जिन नगरपालिकाओं के पास स्वयं के ट्रेक्टर नहीं हैं वहाँ सफाई की व्यवस्था के साधन क्या हैं व माहवार क्या खर्च होता है ?

(३) जिन जिन नगरपालिकाओं में ट्रेक्टर किराये मंगाये जाते हैं उनमें वर्ष १९६६ व १९६७ में माहवार क्या क्या खर्चा हुआ ? ट्रेक्टर किन किन दिनों व कितने कितने घण्टे चले, यह भी सूची में अंकित करने की कृपा करें ।

(४) जिन जिन नगरपालिकाओं में ट्रेक्टर किराये पर मंगवाये जाते हैं उन ट्रेक्टरों के नम्बर व मालिक के नाम भी बतायें ।

उत्तर

(१) पाली जिले की सिर्फ नगरपालिका पाली के पास ट्रेक्टर है । शेष नगरपालिकाओं के पास ट्रेक्ट्रर नहीं हैं ।

(२) सफाई के लिये हाथ गाड़ियाँ, भैंसा गाड़ियाँ, भैंसे हैं । हरिजन, कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन दिया जाता है । सफाई पर नगरपालिका पाली द्वारा २,०००) सोजत द्वारा १९५०) व सादड़ी द्वारा ११००) रु० माहवार व्यय किया जाता है ।

(३) नगरपालिका सोजत द्वारा केवल ट्रेक्टर किरायें पर लिया गया था और वर्ष १९६६-१९६७ में ४९१-७५ पैसे व्यय हुआ ।

(४) केवल नगरपालिका सोजत द्वारा एक ट्रेक्टर श्री अब्दुल हकीम ठेकेदार से किराये पर लिया गया ।

ग्राम रटलाई में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

११२६. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रटलाई, जिला झालावाड़ में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर न खोला जाकर डिस्पेन्सरी बकानी को रटलाई में शिफ्ट किये जाने का प्रस्ताव हो चुका है जबकि ग्राम रटलाई द्वारा दस हजार रुपया प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिये जमा किया गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बकानी द्वारा अपनी आमदनी से दस हजार रुपये एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दस हजार रुपया रटलाई डिस्पेन्सरी के भवन के लिये देना तय किया गया है ? यदि हाँ, तो यह रुपया अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा

(श्री रामप्रसाद वोहरा)

है ? जब कि डाक्टर के रहने एवं शफा-खाने के लिये मकान नहीं है ?"

(३) रटलाई में डिस्पेन्सरी शिफ्ट करने का कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा है जब कि रटलाई की जमा शुदा रकम से बकानी में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर प्रारम्भ हो चुका है ?

उत्तर

(१) जी हाँ।

(२) जी नहीं।

(३) रटलाई में डिस्पेंसरी दिनांक १५-८-६६ से चालू है अतः प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न सं० ६१० की सूची)

अल्प आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत प्लान व जीवन बीमा निगम से दिये गये ऋण की स्थिति

क्रम:	नाम जिला	प्लान मद	जीवन बीमा निगम अल्प आय	मध्य आय
१.	अजमेर	५,००० ५०००	५००००	५००००
२.	अलवर	५०००	८००००	५००००
३.	बांसवाड़ा	१११७५	३००००	४००००
४.	भरतपुर	४०००	५००००	१५००००
५.	भीलवाड़ा	५०००	७००००	५००००
६.	बूंदी	४०००	२००००	—
७.	बीकानेर	५०००	३००००	१०००००
८.	चित्तौड़	४०००	३००००	—
९.	चूरू	४०००	२००००	२५०००
१०.	डूंगरपुर	४०००	३००००	४००००
११.	गंगानगर	४०००	३००००	५००००
१२.	जयपुर	८०००	१२४२०००	१९६००००
१३.	जैसलमेर	२०००	३०००	—
१४.	जालौर	२०००	३००००	२००००
१५.	झालावाड़	३२००	३००००	२००००
१६.	झूंझनू	३०००(४०००)	३००००	—
१७.	जोधपुर	७१०००	१६२५००	१५५०००
१८.	कोटा	५६००	६००००	१५००००
१९.	नागौर	४०००	४००००	३५०००
२०.	पाली	—	७००००	१०००००
२१	सवाई माधोपुर	४६००	३००००	२५०००

२२.	सीकर	३०००	४००००	२५०००
२३.	सिरोही मय आबू	२०००	३००००	५००००
२४.	टौंक	२०००	५००००	—
२५.	उदयपुर	६६२५	१०००००	२०००००
२६.	बाड़मेर	—	१५०००	—
	योग	१,७२,०००		

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६१७ की सूची)

प्रपत्र 'क'

मास्टर शियररों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सूचना

प्रशिक्षण केन्द्र	ट्रेनिंग का समय	सं० मास्टर शियरर
(१) जयपुर	अगस्त ६५ से दिसम्बर ६५	७
	अक्टूबर ६६ से जून ६७	१५
(२) परबतसर	फरवरी ६६ से दिसम्बर ६६	१२
	अक्टूबर ६६ से जून ६७	१७
(३) बिलाड़ा	मार्च ६६ से सितम्बर ६६	१०
	अक्टूबर ६६ से जून ६७	८
(४) कोलायत	मार्च ६६ से सितम्बर ६६	४
(५) छापर	मार्च ६६ से सितम्बर ६६	८
	अक्टूबर ६६ से जून ६७	६
	योग	८७

प्रपत्र 'ख'

स्थान कतरण	भेड़ों की संख्या	ऊन का वजन व मूल्य
६५–६६		जो ऊन इस योजना के अन्तर्गत कतरी गई है वह प्रसार केन्द्रों या राज्यकीय भेड़ प्रजनन केन्द्रों द्वारा एकत्रित करली जाती है तथा इस ऊन का अलग से वजन या मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
(१) जयपुर	१८१८	
(२) परवतसर	२०८	
(३) कोलायत	६२८	
(३) छापर	८३८	
६६–६७		
(१) जयपुर	७७५२	
(२) राजस्थान के बाहर	३१६२	
(३) मालपुरा	१३०१	
(४) परबतसर	१२८४८	
(५) छापर	२५६६	
(६) कोलायत	२३०२	
(७) बिलाड़ा	७१००	
६७–६८		
(१) जयपुर	११८६	
(२) जालूपुरा	१०४८	
(३) कोलायत	४५६	
६७–६८		
(१) मालपुरा	१०१६	
(२) चलित कतरण बीकानेर जोधपुर, पोकरण, जयपुर व सूरतगढ़	७६११	
(३) परबतसर	१५००	
(४) दोसा	४६००	
(५) सीकर	४९३८	
(६) अजमेर	५३५६	
(७) दूदू	१५७८	

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६२६ की सूची)

वर्ष १९६७–६८ में निम्न जिलों में कुओं खुदवाने हेतु धनराशि का अलाट की गयी

जिले का नाम	धनराशि	जिले का नाम	धनराशि
१. चूरू	४०,०००	२. अलवर	१,००,०००
३. भरतपुर	३६,०००	४. जयपुर	४,८८,०००
५. झुंझनू	८०,०००	६. सीकर	२१,०००
७. टोंक	६२,०००	८. अजमेर	२,४०,०००
९. बाड़मेर	६२,०००	१०. जालौर	८२,०००
११. जोधपुर	१६,०००	१२, नागौर	८०,०००
१३. पाली	१,३८,०००	१४. सिरोही	१,४६,०००
१५. बूंदी	२०,०००	१६. कोटा	२५,०००
१६. बांसवाड़ा	१,२०,०००	१८. भीलवाड़ा	२,७७,०००
१९. डूंगरपुर	१०,०००	२०. उदयपुर	१,४५,०००

वर्ष ६६-६७ में चितौड़गढ की निम्न पंचायत समितियों को कूप खुदवाने हेतु धनराशि अलाट की गई।

क्रम सं.	पंचायत समिति	धनराशि अलाट की गई
१.	बेंगून	२०,०००
२.	चित्तौड़गढ़	५५,०००
३.	राश्मीड	६०,०००
४.	कपासन	२०,०००
५.	प्रतापगढ़	५०,०००
६.	निम्बेड़ा	५०,०००
७.	भदेसर	४०,०००
८.	डुंगला	१०,०००
९.	छोटी सादड़ी	१०,०००
१०.	असनेरा	१५,०००
११.	भैंसरोरगढ़	३०,०००
१२.	भोपाल सागर	———
		३,६०,०००,००

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ की सूची)

श्रीमान्,

संचालक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय : स० अधिक्षक महोदय के अभद्रतापूर्ण व्यवहार के प्रति आवेदन पत्र ।

आदरणीय महोदय,

मुझे दुख के साथ हताश होकर निवेदन करना पड़ रहा है कि अलवर राज्य मुद्रणालय के स० अधीक्षक महोदय श्री शिवदत्त रामदेव का स्थानीय कर्मचारियों के प्रति बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार काफी लम्बे समय से किया जा रहा है । और अब तो चन्द कर्मचारियों को छोड़ कर प्रायः कोई कर्मचारी उन्हें आंखों देखे नहीं सुहाता है । चाहे जिस वक्त किसी भी कर्मचारी को अपने कार्यालय में बुलाकर अपमानित अभद्र शब्दों द्वारा कर देना तो नित्य का क्रम है । यहां तक कि कर्मचारी अपनी सीट पर कार्यरत रहते हुए उन्हें चाहे जो कह सुन जाते हैं ।

सहायक अधीक्षक महोदय के इस अभद्रतापूर्ण व्यवहार व अमानवीय भाषा के नित्य उपयोग से प्रत्येक कर्मचारी प्रायः चिन्तित और उदासीन है और इस मानसिक वेदना को सब सहन करने में असमर्थ हैं । इन के खिलाफ कोई सामुहिक कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में किया जावे उससे पूर्व आपको सही परिस्थितियों से अवगत करा देना अपना कर्तव्य समझते हैं । यह स्थानीय प्रेस में चन्द कर्मचारियों से मेल जोल करके ऐसे कार्य कर चुके हैं जो यथार्थ में बिल्कुल असह्य हैं । इनका पर्दा फाश होने का इन्हें हर समय भय रहता है । इसी उद्देश्य से इन्होंने दमनात्मक नीति का सहारा लिया है ।

अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि हम उक्त संस्था के कर्मचारियों को इस वेदना से मुक्त कराने की कृपा करें । जिससे हमारा मनोबल इसकी ओर से हट कर राज्य सेवा में सानन्द सद्भाव पूर्ण काम कर सकें । इसके लिये इनका यहाँ से स्थानान्तरण होना आवश्यक है । अगर इसी प्रकार इनका दुर्व्यवहार बढ़ता रहा तो हार कर हम समस्त कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र में इनके कुकृत्यों का प्रचार करना पड़ेगा । जिससे हमारे विभाग की बदनामी होगी जब कि हम हमारे दुर्भाग्य के प्रति ऐसा करना उचित नहीं समझते ।

अतः पुनः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन पर गौर फरमाकर सैकड़ों कर्मचारियों को इस मानसिक वेदना से मुक्त कराने की कृपा करेंगे और शीघ्र से शीघ्र उचित कार्यवाही करके अनुग्रहित करेंगे। यहां रहके यह अपने दुर्व्यवहार में सद् व्यवहारिकता लाए सर्वथा असम्भव है। इसके विषय में संगठन द्वारा कुछ समय पूर्व ही आपको अवगत किया जा चुका है। समस्त कर्मचारी आपके सदा आभारी रहेंगे।

हम है आपके
समस्त कर्मचारी गण राज्य मुद्रणालय,
अलवर।

१. संचालक महोदय, जयपुर।
२. अध्यक्ष, राज्य मुद्रणालय कर्मचारी संघ, अलवर :
३. अध्यक्ष।

१ से क्रमांक ५३ तक कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं।

———

परिशिष्ट १२

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६५० की सूची)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न सं० २१ दिनांक १५-१२-६७

नाम काम	नाम ठेकेदार	तादाद रकम	तारीख कार्य
इम्प्रूवमेण्ट आफ कर्बस ओन बूंदी चित्तौड़ गढ़ रोड मील० से १७	श्री कुन्दनलाल	२३४३१)	१३-११-६७ से १२-१२-६७
इम्प्रूवमेन्ट आफ ओरेन्टियल कवर्स इन हिलोपोरशन आफ बूंदी चित्तौड़ रोड मील १८ व १९	श्री गोरधन लाल गुप्ता	६४४७)	१३-११-६७ २२-११-६७
इम्प्रूवमेन्ट आफ रोड सरफेस इन्क्यूविडिंग पैच रिपेयर्स आफ बूंदी चित्तौड़ रोड मील ४।४ से ६।८	श्री गोरधनलाल गुप्ता	६५२८)	१३-११-६७ से
,, मील ७।१ से ७।४	श्री छाजुराम	६५७९)	१३-११-६७ से २७-११-६७
मील ।७। ६ से ९।४	,,	५७७९)	

परिशिष्ट १३

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६५२ की सूची)

प्रश्न संख्या १६३

गत ५ वर्षों में रखे गये खाद्य के लक्ष्य तथा उनके अनुसार प्राप्त खाद की मात्रा

	१९६३-६४		१९६४-६५		१९६५-६६		१९६६-६७		१९६७-६८	
	नवजनीय	फासफोरस	नत्रजनीय	फासफोरस	नत्रजनीय	फासफोरस	नत्रजनीय	फासफोरस	नत्रजनीय	फासफोरस
१-लक्ष्य	४००००	१६०००	६५०९०	२००००	८००००	३००००	१०००००	३००००	२५००००	५४०००
२-माल मंगाया गया	३२९७१	८१९७	३६६९६	१३०४६	३८९०५	६३९४	८७६२२	३४४५४	१२९५५२	३५२५६

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
७	१६	श्री वेदारनाथ	श्री केदारनाथ
११	अन्तिम से ५	इनकी	इनको
१४	शीर्षक	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
२५	अन्तिम से ७	उगाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
२६	७	कौन में	कौन से
२६	१४	डिस्टीब्यूट	डिस्ट्रीब्यूट
३६	अन्तिम	डेमेज गई	डेमेज हो गई
४३	१०	रिवर्ड्ड	रिजर्व्ड
४४	७	के	की
४४	१४	दूसरे पास	दूसरे के पास
५३	१	की	का
५५	स्कम्भ	५१	५५
५८	स्कम्भ	]५८	[५८
७३	३	श्री हरीसिंह	श्री हरिसिंह
८१	८	स्पाट्	स्पोर्ट्स

१	२	३	४
९४	अन्तिम से १३	स्पोट्स	स्पोर्ट्स
९५	१२	ह	यह
९५	अन्तिम से ८	पर्चेज	'पर्चेजेज
९७	अन्तिम से ३	के निवेदन	के लिये निवेदन
९७	अन्तिम से २	हूं	हूँ कि
१०६	अन्तिम	डिालये	डालिये
१०७	३	इराका	इसका
१०७	६	को	—
१०९	अन्तिम से १४	रखते	रखने
११०	१२	अघ्गक्ष	अध्यक्ष
११२	अन्तिम से ४	ऐ	एक
११२	अन्तिम से २	भीज शोक	मोज शोक
१११ से ११८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अल्प काल सूचना प्रश्न
११३	२	-एटरटेनमेंट	एन्टरटेनमेंट
११३	३	तो सम्बन्धी	तत्सम्बन्धी
११६	१४	अत्रिकारियों	अधिकारियों
११६	१५	मेवा	सेवा
११७	७	अभव	अभाव
११८	अन्तिम से ५	करू	करूंगा
१२४	शीर्षक	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
१२४	अन्तिम से ३	जयपुर	उदयपुर
१२५	८	रूप	स्वरूप
१२५	११	रज्य	राज्य
१२६	शीर्ष	श्री बिजयसिंह	श्री विजयसिंह
१३२	अन्तिम से ४	राशी	राशि
१३२	अन्तिम से ४	किया	को
१३२	अन्तिम से ३	जाता	जाती
१३३	शीर्ष	श्री ओमदत्त भाटी	गृह निर्माण मंत्री
१३३	६	धनराशी	धनराशि
१३३	१०	उपलब्ध	उपलब्धि
१३४	२	हानी	हानि
१३५	१५	अथाभाव	अर्थाभाव
१३६	१०	नेबडी सडक	नींबड़ी सड़क
१३८	१०	६६	६१६
१४०	अन्तिम से १२	वांछित	वांछित
१४८	५	शेसन	सैशन
१५१	स्कम्भ	५५१	१५१
१५१	१७	सर्धे	सर्वे
१६६	अन्तिम से २	परिषद	परिषद
१६९	१०	यों	क्यों

१	२	३	४
१७७	३	लड़क	सड़क
१७७	६	धनराशी	धनराशि
१७७	१३, १६	एटामिक	एटोमिक
१७६	७	( )	(२)
१७६	अन्तिम से ६	मैं	में
१८०	१२	करोड़	करोड़
१८१	१७	लम्वाई	लम्बाई
१८४	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर	प्रतिवेदन का उपस्थापन
१८४	७	(१, १० म, प)	(१·१० म. प.)
१८५	शीर्षक	वित्तीय समितियों के	वित्तीय समितियों के सम्बन्ध में घोषणा
१८६	शीर्षक	सम्बन्ध में घोषणा	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
१८६	१२	श्री गोकुलप्रस ाद	श्री गोकुलप्रसाद
१८६	अन्तिम से ५	सदस ों	सदस्यों
१८६	अन्तिम से ४	रार्व	सर्व
१८६	अन्तिम से ३	परसराम,	परसराम
१८७	अन्तिम से ६	जनजीवन	जनजीवन
१८८	अन्तिम से ६	स्वाभावक	स्वाभाविक
१८६	६	श्री मैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१६०	शीर्षक	अध्यीय	अध्यक्षीय

१	२	३	४
१६०	५	अथिकार	अधिकार
१६१	६	लगंने	लगाने
१६१	१६	जने	जाने
१६३	१२	विद्युत	विद्युत्
१६४	अन्तिम से ४	उटता	उठता
१६८	३	उ के	उसके
२०१	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों पर	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
२०३	अन्तिम से १०	मैं	में
२०४	१२	फोजदारी	फौजदारी
२०४	अन्तिम	फंड का	फड
२०८	अन्तिम से ७	असेंशियल	एसेंशियल
२०६	अन्तिम से ३	फड	फड
२१०	२	का	की
२१२	अन्तिम से २	का	को
२१३	१३	अकर्मण	अकर्मण्य
२१६	अन्तिम से ७	की	किया
२१७	२	मंत्रीजी	मंत्रीजी की
२१७	८	क्योंक	क्योंकि
२१८	अन्तिम से १३	इसको	इसके
२१८	अन्तिम से ६	इनवोवल्ड	इनबोल्वड

१	२	३	४
२१८	अन्तिम से ८	एवटर	एक्टर
२२३	अन्तिम से १०	यदि	——
२२५	२	एप्लीकेशन	एप्लीकेशन
२२५	अन्तिम से ११	वह	इस
२२७	अन्तिम से ५	सुधार	सुधाकर
२२६	१५	उनके	उनकी
२२६	अन्तिम से ८	मिस्ए ोपिएशन	मिस्एप्रोपिएशन
२३७	११	संबन्धित	संबंध
२३८	६	के	की
२४०	६	तजुर्बेकारी	तजुर्बेकार
२४०	१५	रही स्थिति	वही की वही स्थिति
२४२	१३	देगो	देगी
२४३	४	फेक्ट्स	फैक्ट्स
२४४	१८	बहस	बहस नहीं
२४६	१२	सत्र	सत्त्र
२४६	शीर्ष	श्री देवदत्त	श्री देवीदत्त
२५३	५	गगाराय	गंगाराम
२५५	४	गहोदय	महोदय
२५६	अन्तिम	———	× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये
२६३	अन्तिम से १०	पूर	पूरे

१	२	३	४
२६४	स्कम्भ	२६३	२६४
२६४	अन्तिम	जा	जो
२६७	अन्तिम से १०	हुँ	हूँ
२६८	अन्तिम से १२	अधिकःर	अधिकार
२६९	८	मालले	मामले
२६९	अन्तिम से १२	वहीं	कहीं
२७०	१२	raesonalble	reasonable
२७१	अन्तिम से ५	नरगपरिषद्	नगरपरिषद्
२७३	शीर्षक	ननरपालिकाओं	नगरपालिकाओं
२७५	अन्तिम से २	विश्धास	विश्वास
२७८	अन्तिम से ६	के	से
२८२	१५	सीकार	सीकर
२८५	१५	पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेन्टेशन	रिप्रेजेन्टशन आफ पीपुल्स
३०६	२	योजनयें	योजनायें
३०७	शीर्ष	बिश्नोई	विश्नोई
३०७	अन्तिम से ६	समस्यायें	समस्यायें
३०९	४	रखते	रहते
३१२	१४, अन्तिम से ५	बिश्नोई	विश्नोई
३१३	शीर्ष	श्री रघुनाथ	(श्री रघुनाथ
३१३	अन्तिम से १२	गांब	गांव

१	२	३	४
३१५	अन्तिम	सबजे	सबसे
३१८	१२	दिया	दिया
३२०	७	ओर	ओर
३२०	अन्तिन से ४	वाद	बाद
३२१	६	आपके	आपके सामने
३२२	४	प्राव ध न	प्रावधान
३२२	अन्तिम से ४	४६०	४४०
३२२	अन्तिम से १	४३०	४६०
३२४	अन्तिम से ६	खोत	खोद
३३१	१८	ढंग	धन
३३२	८	शव-शौकत	शान-शौकत
३३२	१४	भीखाभाई की	भीखाभाई को
३३४	शीर्षक	सम्बन्धी अ१	सम्बन्धी अ०
३३४	५	समस्मा	समस्या
३३५	८	का	की
३३८	अन्तिम से १४	नेहरू	नाहरू
३४१	६, १५	माणिकलाल	माणिक्यलाल
३४१	१६	श्री गोकुलप्रसाव	श्री गोकुलप्रसाद
३४२	३	सिवा	सिवाय
३४२	६	अन्सर	अन्दर

१	२	३	४
३४४	८	लोग्रों	लोगों
३४५	३	पानी के शहरों	पानी शहर
३४५	अन्तिम से ७	अ'प	आप
३४७	२	हम नहीं	हम
३४७	अन्तिम से ५	पानी पीने	पीने के पानी
६४८	१	कात	बात
३५२	अन्तिम से ४	उपाध्यक्ष से	उपाध्यक्ष
३५३	४	जहां को	जहां के
३५६	२	वहां	जहां
३५८ से ३६४	शीर्षक	—	परिशिष्ट
३६०	३	सृजन करके	सृजन करने
३६०	६	सांख्यिकी	सांख्यिकीय
३६०	६	करिष्टता	वरिष्ठता
३६१	४	वरिष्ट	वरिष्ठ
३६१	अन्तिम से ३	वरिष्टता	वरिष्ठता
३७२	अन्तिम से ६	बड़नोद	बदनौर
३९१	अन्तिम से ४	रहो	रही
३९४	अन्तिम	लज	जल
३९५	३	दीनों	दोनों
३९६	शीर्ष	स्वास्थ्य मंत्री	जन स्वास्पय मंत्री

१	२	३	४
३९९	अन्तिम से ४	उद्‌घोषणाएं	उद्‌घोषणाएं
४०२	१४	चा	जा
४०४	५	प्रतिक्षा	प्रतीज्ञा
४०५	२	हैं।	हैं ?
४०५	अन्तिम से २	दोनों	———
४११ से ४२०	शीर्षक	—	परिशिष्ट
४१५	६	२.	३
४१५	११	३३	१३
४१५	१३	१६	१७
४१६	४	बेंगून	बेंगू
४१६	६	राश्मीड	राश्मी
४१६	९	निम्बेड़ा	निम्बाहेड़ा
४१६	१४	मेंसरोरगढ़	भेंसरोरगढ़
४१७	अन्तिम से ३	समस्न	समस्त्र
४१८	२	शीघ्र	शीघ्र
४१९	अन्तिम से ६	इन्क्यूीवडिंग	इन्कल्यूडिंग